

Ref No: PSB/HO/Shares Cell / 28 /2025-26

July 14, 2025

To,

BSE Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. SYMBOL: PSB SERIES: EQ
--	--

Dear Sir,

Reg: Annual Report of the Bank for FY 2024-25

Pursuant to Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed the Annual Report of the Bank for the FY 2024-25.

The Annual Report of the Bank is also available on the website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/content/archive-annual>

Request you to take note of the above.

Yours faithfully

SAKET
MEHROTRA
A
Saket Mehrotra
Company Secretary

Digitally signed
by SAKET
MEHROTRA
Date: 2025.07.14
15:35:13 +05'30'



Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023

Email: complianceofficer@psb.co.in

वार्षिक रिपोर्ट **ANNUAL REPORT** **2024-25**



BEYOND BANKING, ENABLING LIVES

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



श्री स्वरूप कुमार साहा / Sh. Swarup Kumar Saha
एमडी एवं सीईओ / MD & CEO



श्री रवि मेहरा / Sh. Ravi Mehra
कार्यपालक निदेशक / Executive Director



श्री राजीवा / Sh. Rajeeva
कार्यपालक निदेशक / Executive Director



सुश्री एम जी जयश्री
Ms M G Jayasree
भारत सरकार नामित निदेशक
GOI Nominee Director



श्री विवेक श्रीवास्तव
Sh. Vivek Srivastava
आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director



श्री शंकर लाल अग्रवाल
Sh. Shankar Lal Agarwal
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Part-Time Non-Official Director
(11.04.2025 से) / (w.e.f 11.04.2025)



श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
Sh. Rajendra Prasad Gupta
शेयरधारक निदेशक
Shareholder Director



विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. उल्लेखनीय तथ्य	2
2. निदेशक मण्डल	3
3. एमडी एवं सीईओ का वक्तव्य	4
4. नोटिस	15
5. निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	33
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	43
7. कंपनी अभिशासन रिपोर्ट	47
8. वित्तीय विवरणियां:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	86
तुलन-पत्र	97
लाभ-हानि खाता	99
अनुसूचियाँ	101
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र	173

Contents

	Page No.
1. Highlights	2
2. Board of Directors	3
3. MD & CEOs Statement	9
4. Notice	175
5. Director's Report	198
6. Secretarial Audit Report	211
7. Corporate Governance Report	215
8. Financial Statements:	
Independent Auditors' Report	254
Balance Sheet	267
Profit & Loss Account	269
Schedules	271
Cash Flow Statement	349

Basel III disclosures and Business Responsibility and Sustainability Report can be viewed on the Bank's Website <https://punjabandsindbank.co.in/>. Shareholders(s) interested in obtaining a physical copy of the Business Responsibility and Sustainability Report may write to the Company Secretary of the Bank.

In this Annual Report, in case of any discrepancy found in the Hindi translation, the English version will prevail.



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

राशि करोड़ में / Rupees in crore

		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023
1	शाखाओं की संख्या / Number of Branches	1,610	1,564	1,537
2	एटीएम की संख्या / Number of ATMs	1,047	1,033	835
3	चुकता पूंजी / Paid-up Capital	7,095.59	6,777.79	6,777.79
4	आरक्षित निधियां / Reserves	6,259.17	8,755.64	8,330.72
5	कुल व्यवसाय / Total Business	2,29,379.01	2,05,374.03	1,90,647.22
6	जमाएं / Deposits	1,29,774.02	1,19,409.55	1,09,665.49
7	सकल अग्रिम / Gross Advances	99,605.00	85,964.47	80,981.73
8	सकल निवेश / Gross Investments	47,693.89	50,667.61	45,464.33
9	कुल आय / Total Income	13,048.94	10,915.45	8,932.69
10	कुल व्यय / Total Expenditure	10,974.02	9,784.51	7,482.75
11	परिचालन लाभ / Operating Profit	2,074.92	1,130.94	1,449.94
12	निवल लाभ / (निवल हानि) / Net Profit / (Net Loss)	1,015.83	595.42	1,313.03
13	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश / Dividend per Equity Share	0.07	0.20	0.48
14	आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.67%	0.41%	0.98%
15	सकल एनपीए अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	3.38%	5.43%	6.97%
16	निवल एनपीए अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	0.96%	1.63%	1.84%
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	17.41%	17.16%	17.10%
18	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी / CET 1 Capital	15.59%	14.74%	14.32%
19	प्रावधान कवरेज अनुपात / PCR	91.38%	88.69%	89.06%
20	निवल ब्याज मार्जिन (निम) / Net Interest Margin	2.85%	2.45%	2.91%
21	ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	76.75%	71.99%	73.84%
22	लागत-आय अनुपात / Cost to Income Ratio (%)	61.23%	72.16%	62.95%
23	निवल मालियत / Net Worth	10,945.42	7,835.78	6,785.94
24	प्रति शेयर बही मूल्य / Book Value Per Share	15.43	11.56	10.01



ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ / Board of Directors

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਾ / Sh. Swarup Kumar Saha
ਐਮਡੀ ਐਂਡ ਚੀਐੱਓ / MD & CEO

ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿ ਮੇਹਰਾ / Sh. Ravi Mehra
ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / Executive Director

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵਾ / Sh. Rajeeva
ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / Executive Director

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / Directors

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਮ ਜੀ ਜਯਸ਼੍ਰੀ / Smt. M G Jayasree
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / GoI Nominee Director

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ / Sh. Vivek Srivastava
ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਮਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / RBI Nominee Director

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ / Sh. Rajendra Prasad Gupta
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / Shareholder Director

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ / Sh. Shankar Lal Agarwal
ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ ਨੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ / Part-Time Non-Official Director
(11.04.2025 ਤੋਂ) / (w.e.f 11.04.2025)

ਮੁੱਖ ਸਤਰਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ / Chief Vigilance Officer

ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ / Sh. Arun Aggarwal

ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ / Chief General Managers

ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ / Sh. Parveen Kumar
(01.06.2025 ਤੋਂ) / (w.e.f 01.06.2025)

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ / Sh. Rajesh C Pandey
(01.06.2025 ਤੋਂ) / (w.e.f 01.06.2025)

ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ / General Managers

ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ
Sh. Pankaj Dwivedi
(25.06.2025 ਤੋਂ) / (w.e.f 25.06.2025)

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕੁਸ਼ਣ
Sh. Gopal Krishan

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ
Sh. Rajendra Kumar Raigar

ਸ਼੍ਰੀ ਗਜਰਾਜ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ
Sh. Gajraj Devi Singh Thakur

ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸ਼ੀਨਮਾਰ
Sh. Chaman Lal Shienmar

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਸ਼ਮਿਤਾ ਕੁਵਾਰਾ
Smt. Rashmita Kwatra

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ
Sh. Manoj Kumar

ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲੇਂਦ੍ਰ ਕੇ. ਪ੍ਰਭਾਤ
Sh. Nilendra K Prabhat

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠੇਏ
Sh. Vinod Kumar Pandey

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦਰ
Sh. Ratnesh Chandra

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੀਰਜ
Sh. Santosh Kumar Neeraj

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
Sh. Sanjay Prakash Srivastava

ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ
Sh. Satbir Singh

ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਨੀ ਕੁਮਾਰ
Sh. Ashni Kumar
(01.06.2025 ਤੋਂ) / (w.e.f 01.06.2025)

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਰਵਾਲ
Smt. Mahima Agarwal
(01.06.2025 ਤੋਂ) / (w.e.f 01.06.2025)

ਸੀਐੱਕਸਓ / CXOs

ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਨੈਬ ਗੋਸਵਾਮੀ / Sh. Arnab Goswamy
ਮੁੱਖ ਵਿਧੀਕ ਅਧਿਕਾਰੀ / Chief Financial Officer

ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰ / Sh. Dheeraj Kumar Gaur
ਮੁੱਖ ਜੋਖਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ / Chief Risk Officer

ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿ ਗੁਪਤਾ / Sh. Ravi Gupta
ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ / Chief Compliance Officer

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ / Sh. Prem Chand
ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ / Chief Technical Officer

ਲੇਖਾਪਰੀਖਕ / Auditors

ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ / M/s S.P. Chopra & Co
ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ ਐੱਓ ਟੋਟਲਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ / M s O P Totla & Co

ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ / M/s Gupta Sharma & Associates
ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਬੀਐਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ / M s NBS & Co

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य



श्री स्वरूप कुमार साहा
एमडी एवं सीईओ

प्रिय हितधारको,

नमस्कार! मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हमारी उपलब्धियों तथा कार्य-नीति पहलों का विस्तृत विहंगावलोकन, वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने गतिशील वित्तीय परिदृश्य में अपनी अनुकूलनशीलता, नेतृत्व और नवाचार का प्रदर्शन किया है। रणनीतिक क्रियान्वयन तथा प्रतिभा-प्रक्रियाओं और उच्च प्रभावशील पहलों में लक्षित निवेश के माध्यम से यह एक सुदृढ़, अपेक्षाकृत अधिक आघात-सह संगठन में रूपांतरित हो गया है।

आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य :

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्शाई है। अन्य अग्रिम अनुमान में राजकोषीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.5% वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 के लिए एफआरआई ₹161.51 लाख करोड़ के मुकाबले वर्ष 2024-25 में वास्तविक योजित सकल मूल्य ₹171.87 लाख करोड़ रहने का अनुमान है जो वर्ष 2023-24 में 8.6% की वृद्धि दर की तुलना में 6.4% की वृद्धि दर दर्ज कर रहा है। वर्ष 2023-24 में ₹274.13 लाख करोड़ की तुलना में 9.5% की वृद्धि दर प्रदर्शित करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नामिक जीवीए का ₹300.22 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2023 में 3.5% के मुकाबले सामान्य गिरावट है। आईएमएफ ने 2025 में वैश्विक विकास दर 2.8% और 2026 में 3.0% रहने का अनुमान जताया है। मुद्रास्फीति, वर्ष 2024 में 4.9% से घटकर वर्ष 2025 में 4.0% और 2026 में 3.4% रहने का अनुमान है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने राजकोषीय वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है यद्यपि भू-राजनीतिक कारकों और व्यापार संघर्ष के कारण इसमें कुछ कमी आ सकती है। हालांकि, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों तथा न्यून मुद्रास्फीति द्वारा समर्थित सुदृढ़ घरेलू खपत और निवेश गतिविधि इन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सहायक होगी।

हमारे बैंक का वित्तीय कार्य-निष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के उल्लेखनीय तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक का कुल कारोबार ₹2.29 लाख करोड़ से अधिक हो गया है जो भू-राजनीतिक एवं घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों के बावजूद समस्त प्रमुख मापदंडों पर विगत 4 वर्षों में बैंक के निरंतर कार्य-निष्पादन को दर्शाता है। बिजनेस मिक्स में उत्साहवर्धक संवृद्धि, बैंक की सुदृढ़ गतिशीलता तथा दृढ़ आधार को प्रदर्शित करता है।

बिजनेस मिक्स :

जमा तथा अग्रिम में क्रमशः 8.68% व 15.87% की संवृद्धि के साथ बैंक के कुल कारोबार में 11.69% की वृद्धि दर्ज की गई है।

देयता प्रबंधन :

बढ़ती लागत और उच्च प्रतिफल वाले निवेश विकल्पों की ओर अग्रसर ग्राहक रुझान के कारण बैंकिंग उद्योग को जमा राशि संग्रहित करने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बैंक द्वारा स्थिर तथा सतत जमा राशि आधार निर्मित करने पर केंद्रित अनेक रणनीतिक पहलें आरंभ की गई हैं।

हमारे दृष्टिकोण ने अभिनव उत्पादों, उन्नत मूल्य वर्धित सेवाओं, केंद्रित आउटरीच अभियानों तथा विभेदित विपणन प्रयासों के माध्यम से कासा एवं खुदरा सावधि जमा राशि की संवृद्धि पर बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने 8.68% की वार्षिक जमा वृद्धि प्राप्त की। कासा खंड के अंतर्गत बैंक में 5.38% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार खुदरा सावधि जमा खंड के अंतर्गत बैंक में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 9.81% की वृद्धि हुई है।

खुदरा ऋण केंद्रण द्वारा चालित अग्रिम वृद्धि :

खुदरा, कृषि और एमएसएमई में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 23.53% की वृद्धि हुई है जो कुल ऋण बही का 55.15% है जो कि अधिक लाभदायक संवृद्धि की दिशा में हमारे रणनीतिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेतक है।

लाभप्रदता :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने ₹2075 करोड़ का परिचालन लाभ और ₹1016 करोड़ (वित्त वर्ष) का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। बैंक की कोर शुल्क आय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 26.68% बढ़कर दिनांक 31.03.2024 को ₹491 करोड़ से दिनांक 31.03.2025 को ₹622 करोड़ हो गई है। बैंक का अग्रिमों पर प्रतिफल मार्च, 2024 में 8.66% से बढ़कर मार्च, 2025 में 9.09% हो गया है।

भविष्य हेतु निर्माण : पूंजीगत सामर्थ्य तथा वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ बनाना

सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता तथा पुष्ट आस्ति गुणवत्ता मैट्रिक्स समर्थन के कारण बैंक का तुलन पत्र, सामर्थ्य की आधारशिला बना रहा। वर्ष 2025 में उच्च वसूली एवं उन्नयन के कारण हमारी आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सकल एनपीए अनुपात 205 बीपीएस घटकर 3.38% हो गया तथा निवल एनपीए अनुपात, मार्च 2024 को 1.63% से घटकर मार्च, 2025 में 0.96% हो गया। वित्त वर्ष हेतु कुल गिरावट में भी उल्लेखनीय कमी आई है जिससे गिरावट अनुपात घटा है। दिनांक 31.03.2025 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 91.38% रहा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तकनीकी बट्टे में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) खातों में ₹822 करोड़ की सुदृढ़ वसूली की गई।



मार्च, 2025 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 17.41% के साथ बैंक, पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है। बेहतर पूंजी नियोजन, आंतरिक संसाधन सृजन और बैंक बहियों के कुशल जोखिम प्रबंधन के कारण मार्च, 2025 तक बैंक का सीईटी-1 अनुपात 15.59% है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन :

- मार्च, 2025 तक बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया जोकि एएनबीसी का 44.24% तथा कृषि अग्रिम में 18.17% रहा, जबकि विनियामक लक्ष्य क्रमशः 40% और 18% था।
- लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण, एएनबीसी का 10.36% रहा, जबकि विनियामक लक्ष्य 10% था।
- सूक्ष्म उद्यमों को ऋण, एएनबीसी का 11.76% रहा, जबकि विनियामक लक्ष्य 7.50% था।

उचित लागत पर समस्त परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारा बैंक यथासंभव प्रयत्न कर रहा है और मार्च, 2025 की समाप्ति तक भारत सरकार के वित्तीय समावेशन मिशन के अंतर्गत 26.56 लाख प्रधानमंत्री जन-धन खाते खोले गए हैं।

कार्यनीतिक पहल :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हमारे बैंक ने निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतिक पहल की है। कतिपय महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

- बैंक, कारोबार प्रतिनिधि नेटवर्क विस्तारण के कार्यान्वयन पर कार्य कर रहा है। वर्तमान में बैंक में 2,083 कारोबार प्रतिनिधि हैं (मार्च 2025 तक) जबकि मार्च, 2024 तक 1709 कारोबार प्रतिनिधि थे।
- वर्तमान विषम भौगोलिक विस्तार के मद्देनजर बैंक ने शाखा विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। वित्तीय समावेशन के शासकीय दृष्टिकोण के अनुरूप वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 52 शाखाएं खोली गईं, जिनमें सोनापुर, धर्मनगर, बारपेटा रोड, शिवसागर, मोरनहाट, रंगपो आदि क्षेत्रों की शाखाएं सम्मिलित हैं। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक की कुल शाखाएं 1610 हैं।
- **मध्यम कॉर्पोरेट शाखाएं :** बैंक, कुल मध्यम-कॉर्पोरेट शाखाओं की संख्या में वृद्धि करने की योजना बना रहा है ताकि ऋण निर्णयन प्रक्रिया में शीघ्रता और मध्यम-कॉर्पोरेट ग्राहकों के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
- **विषयगत अनुपालन परीक्षण :** वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक में प्रक्रियाओं, प्रणालियों यथा एमआईएस का सुदृढीकरण, एएमएल निगरानी में दक्षता, एलसीआर संगणना आदि का केंद्रित विषय-आधारित अनुपालन परीक्षण आरंभ किया गया है।
- बैंक ने अनुपालन संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए आंचलिक कार्यालयों में **समर्पित अनुपालन अधिकारी** नियुक्त किए हैं जिससे डीसीओ से प्राप्त निष्पक्ष सूचना एवं प्रतिपुष्टि के माध्यम से कॉर्पोरेट स्तर पर निगरानी तथा प्रभावी निर्णयन में सुधार हुआ है। मार्च 2025 तक, बैंक के समस्त 25 आंचलिक कार्यालयों के लिए 15 डीसीओ हैं।
- बैंक ने **ग्राहकों की पृच्छा, शिकायतों, ग्राहक अधिग्रहण तथा व्यवसाय सृजन** के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए **समर्पित कॉल सेंटर** स्थापित किया है। हम, सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कॉल-सेंटर को नया रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

- **डाटा प्रामाणिकता नियमों (डीआईआर) पर आधारित डाटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) का विकास :** डाटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जांच हेतु डाटा प्रामाणिकता नियमों (डीआईआर) पर आधारित रूपरेखा विकसित की गई है। इससे डाटा प्रामाणिकता में सुधार होगा तथा परिणामस्वरूप विनियामक रिपोर्टिंग, रणनीति निर्माण आदि में सटीकता आएगी।
- **अनुपालन कार्य का स्वचालन :** उद्यम-व्यापी अनुपालन कार्य को अद्योपांत डिजिटल बनाने के लिए बैंक ने अनुपालन समाधान ईसीजी (अनुपालन और अभिशासन को सशक्त बनाना) क्रय किया है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में **व्यापार वित्त के केंद्रीकरण (सीटीएफ)** की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। व्यापार वित्त के केंद्रीकरण के माध्यम से, आयात एवं निर्यात से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के साथ-साथ विप्रेषण जो वर्तमान में अधिकृत डीलरों की शाखाओं द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं, को केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष में संसाधित किया जाएगा। इससे बैंक के अनुपालन में सुधार होगा और बैंक के व्यापार वित्त कारोबार को वर्धित करने में सहायता मिलेगी।

पुरस्कार एवं उपलब्धियां :

- बैंक ने ईज़ 7.0 में 54.50 अंक प्राप्ति के साथ वार्षिक इंडेक्सिंग परिणाम में शीर्ष सुधारक श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- बैंक को **एमएसएमई** हेतु जागरूक करने के लिए **विजेता पुरस्कार** तथा **सीआईएमएसएमई** द्वारा शासकीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए **उप विजेता पुरस्कार** प्राप्त किया गया है।
- बैंक को आईबीए द्वारा आयोजित 20वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में लघु बैंकों की श्रेणी में **सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा एवं संगठन पुरस्कार** प्राप्त हुआ।
- बैंक को वित्त वर्ष 25 के लिए पीएसयू वाणिज्यिक खंड में **"सर्वोच्च डीक्यूआई सुधार पुरस्कार"** से सम्मानित किया गया।

आगामी लक्ष्य :

बैंक ने विश्वास, विकास और समर्पित सेवा के उल्लेखनीय 117 वर्षों का गौरवपूर्ण उत्सव मनाया। मैं अपने समस्त हितधारकों का उनके दृढ़ समर्थन के लिए और इस असाधारण टीम को आशाजनक भविष्य की ओर अग्रसर करने हेतु मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए बैंक धारणीय, जोखिम-संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हम अपने शाखा नेटवर्क तथा कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधि मॉडल को सशक्त करने के लिए आगरा, पटना, वाराणसी तथा मोगा में चार नए आंचलिक कार्यालयों सहित अपने आंचलिक पदचिह्नों का विस्तार कर रहे हैं। हम, अतिरिक्त ग्राहक संबंध प्रबंधन के साथ अपने ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। डिजिटल मोर्चे पर हमने अपने पीएसबी यूनिट मोबाइल एप का उन्नयन जारी रखा है तथा ग्राहकों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिनव सेवाओं का प्रवर्तन किया है। मजबूत क्षमता-निर्माण पहल सहित फिनटेक और एनबीएफसी के साथ रणनीतिक साझेदारी, हमारी परिवर्तन यात्रा की कुंजी हैं। आघात-सहनीयता, समावेश एवं नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारा लक्ष्य, राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान के साथ समस्त हितधारकों को उच्च मूल्य प्रदान करना है।



इस वर्ष हमने जो भी महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं, वह प्रगति का प्रतीक मात्र नहीं हैं वरन व्यापक दृष्टिकोण की ओर एक कदम है : ऐसा भविष्य जहां अवसर, समानता और स्थिरता विशेषाधिकार नहीं बल्कि सभी के लिए प्रत्याभूत हो। वित्त वर्ष 2025-26 के अग्रावलोकन हम धारणीय मूल्य सृजन तथा हितधारक संतुष्टि की वृद्धिशीलता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हम गैर-कार्यपालक अध्यक्ष डॉ. चरन सिंह, कार्यपालक निदेशक डॉ. रामजस यादव, आरबीआई नामित निदेशक श्री कमल प्रसाद पटनायक, शेयरधारक निदेशक श्री तीरथ राज मेन्दीरता और गैर सरकारी निदेशक श्री शंकर लाल अग्रवाल जिनका कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संपन्न हुआ है, का अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के विकास में बहुमूल्य योगदान के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं निष्ठापूर्वक, बोर्ड सदस्यों को उनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन तथा अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिसके कारण अधिकांश बैंक पहल, सुदृढ़ हुई है। मैं भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके दृढ़ समर्थन एवं दिशा-निर्देशन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समस्त हितधारकों को उनके अटूट समर्थन तथा सफलता की ओर हमारी यात्रा का अभिन्न अंश बनने के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं समस्त कार्मिकों को उनके अथक परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का आधार है जो हमें प्रति क्षण प्रेरित करता है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने के हमारे प्रयास में आपका निरंतर समर्थन, संरक्षण एवं सद्भावना अतुलनीय है।

MD & CEO's Statement

Dear Stakeholders,



Sh. Swarup Kumar Saha
M.D. & CEO

Greetings! It is with great pleasure that I present the key highlights of your Bank's performance for the financial year 2024-25. A comprehensive overview of our achievements and strategic initiatives can be found in the Annual Report.

In the Financial Year 2024-25, the Bank demonstrated its adaptability, leadership, and innovation in a dynamic financial landscape. Through strategic execution and targeted investments in talent, processes, and high-impact initiatives, it has transformed into a stronger, more resilient organization.

Economic and Banking Overview:

In FY2024-25, India has shown robust economic growth, according to the National Statistical Office (NSO), the Second Advance Estimates real Gross Domestic Product (GDP) growth at 6.5% for the fiscal year 2024-25. Real GVA is estimated at ₹171.87 lakh crore in the year 2024-25, against the FRE for the year 2023-24 of ₹161.51 lakh crore, registering a growth rate of 6.4% as compared to 8.6% growth rate in 2023-24. Nominal GVA is estimated to attain a level of ₹300.22 lakh crore during FY 2024- 25, against ₹274.13 lakh crore in 2023-24, showing a growth rate of 9.5%. The global economy expanded by 3.3% in 2024, a slight decline from 3.5% in 2023. IMF forecasted global growth at 2.8% in 2025 and 3.0% in 2026. Inflation is projected to decrease from 4.9% in 2024 to 4.0% in 2025 and 3.4% in 2026.

Reserve Bank of India (RBI) projected GDP growth at 6.5% for the fiscal year 2026, though some moderation is expected due to Geopolitical factors and Trade war. However, strong domestic consumption and investment activity, reinforced by fiscal and monetary policies and lower inflation, will help counter these headwinds.



Financial Performance of Our Bank

I am pleased to present the key highlights of our Bank's in FY2025.

The Bank's Total Business crossed Rs.2.29 lakh crore in Financial Year 2024-25, reflecting the Bank's consistent performance over the last 4 years across all major parameters notwithstanding the challenges on the geo-political and domestic fronts. Encouraging growth in the business mix reflects the Bank's strong momentum and solid fundamentals.

Business Mix:

Total Business of the Bank registered a growth of 11.69% with Deposit and Advances growth of 8.68% and 15.87% respectively.

Liability Management:

The banking industry continued to face headwinds in deposit mobilization, driven by rising costs and a growing shift toward higher-yield investment alternatives. To navigate these challenges, the Bank launched a range of strategic initiatives focused on building a stable and sustainable deposit base.

Our approach emphasized the growth of CASA and retail term deposits through innovative products, enhanced value-added services, focused outreach campaigns, and differentiated marketing efforts. In FY 2024-25, Bank achieved yearly deposit growth of 8.68%, Under CASA segment Bank grew by 5.38% similarly Under Retail Term Deposits Segment Bank grew by 9.81% Year on Year Basis respectively.

Advances Growth Driven by Retail Lending Focus

Retail, Agriculture & MSME grew 23.53 % on Year-on-Year Basis, accounting for 55.15 % of the total loan book, a clear indicator of our strategic shift towards more profitable growth.

Profitability:

During FY 2024-25, Bank registered an Operating Profit of Rs.2075 Cr and Net Profit of Rs.1016 Cr (FY). Core Fee income of the Bank increased from Rs. 491 Cr as of 31.03.2024 to Rs. 622 Cr as of 31.03.2025, an increase of 26.68% Y-o-Y basis. Yield on Advances of the Bank increased from 8.66% in March 2024 to 9.09% in March 2025.

Building for the Future: Reinforcing Capital Strength and Financial Stability

Bank's balance sheet remained a cornerstone of strength, supported by strong capital adequacy and robust asset quality metrics. Our asset quality improved in FY2025, driven by higher recoveries and upgradations. The Gross NPA ratio declined by 205 bps to 3.38% and Net NPA ratio improved from 1.63% as of March 2024 to 0.96% as of March 2025. The overall slippages for the FY were also grossly reduced leading to a reduction in the slippage ratio. The provision coverage ratio (PCR) is at 91.38% as on 31.03.2025. Strong Recovery in Technical Written-Off (TWO) accounts for FY 2024-25 was of Rs. 822 Cr. Bank is well capitalized with Capital Adequacy ratio (CRAR) 17.41% as of March 2025. CET-1 ratio of the bank is at 15.59% as of March 2025, on the back of better capital planning, internal resource generation and efficient risk management of the banking book.

Priority Sector and Financial Inclusion:

- Bank achieved the targets in Priority Sector Advance which stood at 44.24% and Agriculture Advance at 18.17% of ANBC, as of March 2025, against the regulatory target of 40% and 18% respectively.
- Credit to Small and Marginal farmers stood at 10.36% of ANBC, against the regulatory target of 10%.
- Credit to Micro Enterprises stood at 11.76% of ANBC, against the regulatory target of 7.50%.

Our Bank is taking all the steps to provide the banking facilities to all households at a reasonable cost and opened 26.56 lakh PMJDY accounts under Financial Inclusion Mission of GoI as at the end of March 2025.

Strategic Initiatives:

During FY 2024-25, the Bank has undertaken strategic initiatives to achieve the long-term objectives set by bank. Some of the important initiatives are as under:

- The bank is working on the implementation of expansion of the BC network. Presently, Bank is having 2,083 BCs (As on March '25) as against 1709 BCs as of March '24.
- Bank continued to focus on branch expansion considering the present uneven geographical spread, 52 branches were opened during the FY 2024-25 including the branches in areas like Sonapur, Dharmanagar, Barpeta Road, Sivasagar, Moranhat, Rangpo, etc. aligning with the government vision of Financial Inclusion. The total branches of the Bank stood at 1610 as on 31.03.2025.
- **MID Corporate Branches:** Bank is planning to increase the total mid-corporate branches, to



ensure a faster turnaround time in the credit decision-making process and focused approach towards mid-corporate customers

- **Thematic Compliance Testing:** During FY 2024-25 Bank has introduced a more focused theme-based compliance testing of processes, systems within the Bank like Strengthening of MIS, Efficiency of AML monitoring, LCR computation, etc.
- Bank has placed **Dedicated Compliance Officers** in Zones for exclusively dealing with the compliance related obligations, thereby improving the oversight and effective decision making at the corporate level through the independent information and feedback received from DCOs. As on March 2025, Bank has 15 DCO covering all 25 Zones.
- Bank has set up a dedicated **Call Centre** to cater customers' queries, complaints, customer acquisition and lead generation. We are in process of revamping the Call-Centre to further improve the quality of services.
- **Development of Data Quality Index (DQI) based on Data Integrity Rules (DIR):** A framework based on the Data Integrity Rules (DIR) has been developed to check the Data Quality Index (DQI). This will improve data integrity and consequently bring accuracy in regulatory reporting, strategy formulation etc.
- **Automation of the Compliance Function:** For end to end digitizing the enterprise-wide compliance function, Bank has procured Compliance Solution ECG (Empowering Compliance & Governance).
- The Bank has initiated the process of **Centralizing of Trade Finance (CTF)** in FY 2024-25. Through centralization of trade finance, all the process related to import and export as well as remittance which are at present handled at Authorized Dealers branches will be processed at centralized processing cell. This will improve the compliances of the bank and will help in augmenting Trade Finance business of the bank.

Awards & Achievements:

- Bank has scored 54.50 marks in EASE 7.0 and secured 1st position in Top Improver Category in Annual Indexing Result.
- Bank received **Winner award** for creating awareness for MSMEs & **Runner-up award** in promoting Government Schemes by CIMSME.
- Bank received **Best Tech Talent & Organisation Award** in the category of Small Banks at 20th Banking Technology Conference organized by IBA.
- Bank was honored with the **"Highest DQI Improvement Award"** in the PSU Commercial Segment

for FY25.

Way Forward:

Bank proudly celebrated 117 remarkable years of trust, growth, and dedicated service. I extend my heartfelt gratitude to all our stakeholders for their steadfast support and for placing their trust in me to lead this exceptional team into a promising future.

Looking ahead, Bank is focused on enhancing both products and processes to drive sustainable, risk-calibrated growth. We are expanding our regional footprints with four new zonal offices at Agra, Patna, Varanasi & Moga to strengthen our branch network and Corporate BC model. We are also strengthening our customer grievances redressal system with additional customer relationship management. On the digital front, we continue to upgrade our PSB UnIC mobile app and roll out innovative services to meet evolving customer needs. Strategic partnerships with Fintech's and NBFCs, along with robust capacity-building initiatives, are key to our transformation journey. Guided by our commitment to resilience, inclusion, and innovation, we aim to deliver greater value to all stakeholders while contributing meaningfully to nation-building.

Every milestone we've reached this year is more than just a marker of progress, it's a step toward a broader vision: a future where opportunity, equity, and sustainability are not privileges, but guarantees for all. Looking ahead to FY 2025-26, we remain focused on sustainable value creation and enhancing stakeholder satisfaction.

We extend our heartfelt gratitude to Dr. Charan Singh, Non-Executive Chairman; Dr. Ram Jass Yadav, Executive Director; Sh. K.P. Patnaik, RBI Nominee Director; Sh. T.R. Mendiratta, Shareholders Director & Sh. S.L. Agarwal, Non official Director, for their invaluable contributions towards Bank's growth during their tenure, which concluded during the financial year. I sincerely thank the Board members for their invaluable support, guidance, and insights, which have significantly bolstered the Bank's initiatives. I also extend my gratitude to the Government of India, The Department of Financial Services, and The Reserve Bank of India for their steadfast support and guidance. I also thank all the stakeholders for their unwavering support and for being an integral part of our journey toward success. My heartfelt appreciation goes to all employees for their relentless hard work, dedication, and commitment. Your trust forms the foundation of our success and inspires us every day. At Punjab & Sind Bank, we deeply value your ongoing support, patronage, and goodwill as we pursue excellence.



Looking ahead, Bank is focused on enhancing both products and processes to drive sustainable, risk-calibrated growth. We are expanding our regional footprints with four new zonal offices at Agra, Patna, Varanasi & Moga to strengthen our branch network and Corporate BC model. We are also strengthening our customer grievances redressal system with additional customer relationship management. On the digital front, we continue to upgrade our PSB UnIC mobile app and roll out innovative services to meet evolving customer needs. Strategic partnerships with Fintech's and NBFCs, along with robust capacity-building initiatives, are key to our transformation journey. Guided by our commitment to resilience, inclusion, and innovation, we aim to deliver greater value to all stakeholders while contributing meaningfully to nation-building.

Every milestone we've reached this year is more than just a marker of progress, it's a step toward a broader vision: a future where opportunity, equity, and sustainability are not privileges, but guarantees for all. Looking ahead to FY 2025-26, we remain focused on sustainable value creation and enhancing stakeholder satisfaction.

We extend our heartfelt gratitude to Dr. Charan Singh, Non-Executive Chairman; Dr. Ram Jass Yadav, Executive Director; Sh. K.P. Patnaik, RBI Nominee Director; Sh. T.R. Mendiratta, Shareholders Director & Sh. S.L. Agarwal, Non official Director, for their invaluable contributions towards Bank's growth during their tenure, which concluded during the financial year. I sincerely thank the Board members for their invaluable support, guidance, and insights, which have significantly bolstered the Bank's initiatives. I also extend my gratitude to the Government of India, The Department of Financial Services, and The Reserve Bank of India for their steadfast support and guidance. I also thank all the stakeholders for their unwavering support and for being an integral part of our journey toward success. My heartfelt appreciation goes to all employees for their relentless hard work, dedication, and commitment. Your trust forms the foundation of our success and inspires us every day. At Punjab & Sind Bank, we deeply value your ongoing support, patronage, and goodwill as we pursue excellence.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008

कॉरपोरेट कार्यालय : एनवीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

<https://punjabandsindbank.co.in/>

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यकलाप (यों) को परिचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ या अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन **मंगलवार, 05 अगस्त 2025 को प्रातः 11:00 बजे** किया जाएगा (बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा) :

सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप :

मद संख्या 1 : यथा 31 मार्च 2025 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ- हानि खाते, लेखांकन द्वारा रक्षित अवधि के लिए बैंक के कार्यचालन और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र और लेखांकन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदन प्रदान करना और उसे अंगीकृत करना।

मद संख्या 2 : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

विशेष व्यावसायिक कार्यकलाप :

मद संख्या 3 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीवा को नियुक्ति को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1C) के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ईएफ. नं. 4/5(ii)/2023-बीओ। दिनांकित 09 अगस्त, 2024 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत कार्यालय में कार्य ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में **श्री राजीवा** की नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 4 : बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1C) के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ एफ. नं. 6/3/2011-बीओ। दिनांकित 12 दिसंबर, 2024 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (c) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेश तक बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में **श्री विवेक श्रीवास्तव** की नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 5 : बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:-

संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 25 (2A) के साथ पठित समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1C) के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ एफ. नं. 6/1(viii)/2024-बीओ। दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और



अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (h) व उपधारा (3A) के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 6 : बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा के कार्यकाल विस्तार को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1C) के अनुसरण में, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ. नं. 4/3/2024-बीओ-1 दिनांकित 02 जून, 2025 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत वर्तमान अधिसूचित अवधि से परे, सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात् 28 फरवरी, 2027 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा के कार्यकाल विस्तार को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या 7 : वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स आर एस कथूरिया एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो इसे साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-

संकल्प पारित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24A और अन्य प्रयोज्य विधि, यदि कोई हो, सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों (तत्समय प्रवृत्त इसमें किसी भी सांविधिक संशोधनों या पुनराधिनियमन सहित) के अनुसरण में, मेसर्स आर एस कथूरिया एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (फर्म पंजीकरण संख्या S1999DE877800) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-2030 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए एतद्वारा बैंक सदस्यों का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.07.2024

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव

टिप्पणियां

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को किसी सामान्य स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 14वें एजीएम के लिए मानित स्थान नई दिल्ली में बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के विनियमन 58 के अंतर्गत गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा इसलिए सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ अपेक्षित मानचित्र संलग्न नहीं है।

2. परोक्षी की नियुक्ति : बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होंगे तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसरण में शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यो) की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/ या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रति, बैठक की तिथि से 04 दिन पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को अपराह्न 05:00 बजे** तक या इससे पूर्व कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक -3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 में जमा नहीं की जाती है अथवा संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल नहीं की जाती है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण :

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही, **बुधवार, 30 जुलाई 2025 से मंगलवार, 05 अगस्त 2025** (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

5. एजीएम आयोजित करने की सूचना बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर अपलोड कर दी गई है। शेयर बाज़ारी यथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com व www.nseindia.com पर भी सूचना का अवलोकन किया जा सकता है। एजीएम की सूचना, सीडीएसएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा और एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

6. लाभांश का भुगतान :

लाभांश भुगतान करने के लिए अभिलिखित तिथि **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** होगी।

15वीं वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹0.07 के लाभांश की अनुशंसा की है। वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नलिखित में समाविष्ट है :

- इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/ सीडीएसएल के अभिलेख के अनुसार **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** को कार्य-समय की समाप्ति पर हिताधिकारी स्वामी के रूप में, या

- b) **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** को कार्य-समय की समाप्ति से पूर्व भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध पारेषण/ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** को शेयरधारकों के रजिस्टर में।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित किया है। बैंक द्वारा लाभांश भुगतान की तिथि से पूर्व अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात् लिंक इनटाइम इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से लाभांश वारंट/ मांग ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित नहीं किया है।

पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। अतएव शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पूर्ण बैंक विवरण पंजीकृत/ अद्यतित करें :

- i) यदि शेयर अमूर्त रूप में हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी (यों) जहाँ उनका डीमेट खाता अनुरक्षित है, के पास निक्षेपागार सहभागी (यों) द्वारा अपेक्षित हो सकने वाले फॉर्म व दस्तावेज़ जमा करके, तथा
- ii) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो बैंक/ बैंक आरटीए के पास निम्न दस्तावेज़ जमा करके :
 - a. शेयरधारक का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम तथा पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) समाविष्ट हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति।
 - b. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा
 - c. निरस्त चेक लीफ।

7. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान (शेयर प्रमाण-पत्र)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांकित 07 मई, 2024 के अनुसार भौतिक रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण (पिन सहित डाक पता और मोबाइल नंबर), बैंक खाता विवरण और उनके तद्विषयक फोलियो नंबर के लिए नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2024 से इस प्रकार के शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात् बैंक खाते में प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। लाभांश भुगतान के लिए लाभांश वारंट नहीं भेजा जाएगा।

भौतिक रूप (शेयर प्रमाण-पत्र) में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने सेबी द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ अर्थात् उचित बैंक विवरण, पैन, केवाईसी दस्तावेज़ और नामांकन विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं, को लाभांश भुगतान तिथि पर लाभांश का भुगतान किया गया माना जाएगा, हालांकि शेयरधारक (ओं) द्वारा उचित बैंक विवरण सहित संपूर्ण दस्तावेज़/ विवरण उपलब्ध कराए जाने तक लाभांश राशि, बैंक के लाभांश खाते में रखी जाएगी। बैंक/ बैंक आरटीए में उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी दस्तावेज़ और नामांकन विवरण प्राप्त होने पर लाभांश, संबंधित शेयरधारक (ओं) के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, भौतिक रूप में शेयर (शेयर प्रमाण-पत्र) रखने वाले शेयरधारक (ओं) से अनुरोध है कि वे बैंक/ बैंक आरटीए को अविलंब उचित बैंक विवरण, अन्य केवाईसी और नामांकन विवरण प्रस्तुत करें जिससे लाभांश भुगतान तिथि पर ही उन्हें अपने बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश प्राप्त हो सके।

8. लाभांश भुगतान पर कर

- (i) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसरण में, 1 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों को भुगतान या वितरित किया गया लाभांश कर योग्य है तथा बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दर हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और तत्संबंधी संशोधन का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर होने की स्थिति में) तथा निक्षेपागारों (यदि शेयर डीमेट रूप में है) के पास अपना पैन अद्यतित कराएं।
- (ii) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास वैध पैन है और जो आयकर भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर की कटौती न होने संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 15-जी/ 15-एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में 20% की उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक, भारत और उनके आवासीय राष्ट्र के मध्य हुए कर समझौते के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कोई स्थाई अधिष्ठान और हिताधिकारी स्वामित्व घोषणा-पत्र, कर निवासी प्रमाण-पत्र, फॉर्म 10-एफ, कर समझौता लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज़/ घोषणा-पत्र को <https://web.in.mfpmf.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर अपलोड करके हितकारी दर प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित दस्तावेज़/ फॉर्म, बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर उपलब्ध है।

- (iii) शेयरधारकों से अनुरोध है कि **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** को अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट अर्थात् <https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> पर उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करें ताकि बैंक, उचित टीडीएस/ रोके गए कर दर पर कर निर्धारण और कर कटौती कर सके।

9. शेयरधारकों का मताधिकार:

अधिनियम के खंड 3 (2 ई) के प्रावधानों के संबंध में, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बँठक) विनियम, 2008 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर, संयुक्त धारक के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ई-एजीएम में उपस्थित होने हेतु पात्र है तथा कार्यसूची की मदों पर दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में ई-एजीएम के दौरान मताधिकार का पात्र है।

10. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

- I. एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 44, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाजारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधान के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में परिचालित किए जाने वाले व्यावसायिक मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए शेयरधारक की पात्रता निर्धारित करने की निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** है।
- II. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्यूनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।
- III. दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम के दौरान ई-मतदान तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:

चरण 1 : अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के प्रकरण में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- I. **शुक्रवार, 01 अगस्त 2025 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा सोमवार, 04 अगस्त 2025 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त हो जाएगी।** इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास निर्दिष्ट तिथि **मंगलवार, 29 जुलाई 2025** को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
- II. शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक के दौरान मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- III. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अंतर्गत **सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को समस्त शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण तथा अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए **समस्त डीमेट खाताधारकों को उनके डीमेट खाते/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा** ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सुगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमेट रूप में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के प्रकरण में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

iv **सूचीबद्ध** कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मतदान सुविधा पर **सेबी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/ 2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020** के संबंध में, डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों तथा निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा के अभिगम के लिए अपने डीमेट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कराएं।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, **डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए** ई-मतदान और आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन प्रक्रिया नीचे दी गई है :

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के पास डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	- जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि Easi/ Easiest में लॉगिन करने के लिए सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com का अवलोकन करें तथा और लॉगिन आइकन व New System Myeasi पर क्लिक करें। - सफल लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध है ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सकें। - यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdslindia.com पर उपलब्ध है। लॉगिन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। - वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के आवरण पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमेट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमेट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है और समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली में सीधे अभिगम करने में भी सक्षम होगा।

एनएसडीएल के पास डीमेट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAS' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता, IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-मतदान सिस्टम का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमेट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
अपने निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमेट मोड में प्रतिभूति धारक)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमेट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID and Forget Password' विकल्प का प्रयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री संख्या 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा डीमेट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

V. भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-मतदान और आभासी बैठक में शामिल होने के लिए के लिए लॉगिन विधि।

1. शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
2. "Shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3. अब निम्नानुसार अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें :
 - i. सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - ii. एनएसडीएल हेतु : 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी।
 - iii. भौतिक रूप में शेयरधारक, कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।
4. दर्शाई गई ईमेल सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5. यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन किया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
6. यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

	भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन, बैंक/ डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने हेतु अपने डीमेट खाते में या बैंक अभिलेख में अभिलिखित लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या बैंक के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

- VI. इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- VII. सदस्य जिनके पास मूल रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "Password Creation" मेनु में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पात्र है, किया जा सकता है बशर्ते कंपनी, सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का चयन करती है। प्रबलतापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- VIII. शेयरधारक जिनके पास शेयर मूल रूप में हैं, इस नोटिस में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए ब्यौरे का उपयोग किया जा सकता है।
- IX. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVS" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
- X. मतदान पृष्ठ पर आप "RESOLUTIONS DESCRIPTION" के समक्ष YES/ NO का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार "YES" अथवा "NO" विकल्प का चयन करें। "YES" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा "NO" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
- XI. यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- XII. जिस प्रस्ताव पर आपने वोट देने का फैसला किया है, उसे चुनने के बाद, " SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपना वोट कन्फर्म करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, " CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।
- XIII. संकल्प पर एक बार मतदान की "CONFIRM" के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- XIV. मतदान पृष्ठ के "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
- XV. यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा "Forgot Password" पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- XVI. यहाँ पर BR/POA अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है (यदि कोई अपलोड है) जिसे सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।

XVII. गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा – केवल दूरस्थ मतदान के लिए

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और "Corporates" मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडमिन लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर सृजित करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता (ओ) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
- लॉगिन में संबद्ध खातों की सूची स्वतः मैप होगी तथा गलत मैपिंग के लिए डी-लिंक भी की जा सकती है।
- यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि कोई है), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र इत्यादि, संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात scrutinizer@snaco.net तथा complianceofficer@psb.co.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया गया है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा निक्षेपागारों के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

1. **भौतिक शेयरधारकों के लिए** – कृपया complianceofficer@psb.co.in/ delhi@linkintime.co.in को ई-मेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन प्रति (अग्र और पक्ष), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
2. **डीमेट शेयरधारकों के लिए** – कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
3. **वैयक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए** - कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान के लिए प्रक्रिया, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक, दूरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
3. दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के पात्र नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
5. तत्पश्चात, शेयरधारकों को केमरा उपयोग की अनुमति देने तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियो घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, **21 जुलाई, 2025 तक** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्वीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत करें। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी विषय में जानकारी चाहिए तो **21 जुलाई, 2025 तक** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न complianceofficer@psb.co.in पर भेजें। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से समुचित रूप से दिया जाएगा।

8. जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
9. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1-800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दत्त, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वॉ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें।

11. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

12. अदत्त \अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से उपरोक्त पते पर या एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023 पर बैंक के शेयर कक्ष में संपर्क करें।

13. अन्य सूचना

- a) सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ई-मतदान की प्रक्रिया तथा शिष्टता दर्शाने के साथ-साथ बैंक की 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना समाविष्ट, 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल आईडी, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात् "लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागी (यो) के पास पंजीकृत हैं।
- b) बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमैट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दूरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण यथा बैंक का नाम व शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक उसकी सूचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक आरटीए को सूचित करें।
- c) समरूप नाम या संयुक्त नाम के समान क्रम में अनेक फोलियो में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि एकल फोलियो में समेकन के लिए अपने शेयर प्रमाण-पत्र, आरटीए को प्रेषित करें।

14. शेयरधारकों के लिए संपर्क विवरण

इस संचार के किसी भी प्रकरण अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर/लाभांश से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे पर स्पष्टीकरण/सहायता के लिए आप हमसे/आरटीए से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने पत्राचार/संचार में अपना फोलियो नंबर/ दूरभाष नंबर/ मोबाइल नंबर/ ई-मेल पता उद्धृत करें) :

एमयूएफजी इंडाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 दूरभाष : +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स : +91 11 4141 0591 ईमेल : delhi@in.mpms.mufg.com	कंपनी सचिव पंजाब एण्ड सिंध बैंक कॉरपोरेट कार्यालय - एनबीसीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स प्रथम तल, ब्लॉक-3, पूर्वी किदवई नगर नई दिल्ली-110023 दूरभाष : 011-40175169 ई-मेल : complianceofficer@psb.co.in
--	---

सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/सीआईआर/2023/72 दिनांकित 08 जून, 2023 के माध्यम से आरटीए को सेवा अनुरोधों/शिकायतों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल ऑनलाइन व्यवस्था या पोर्टल स्थापित करने की सलाह दी थी।

सेबी के परामर्श अनुसार, बैंक आरटीए (मेसर्स एमयूएफजी इंडाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) ने नवीनतम निवेशक स्व-सेवा पोर्टल 'SWAYAM' आरंभ किया है।

'SWAYAM' एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब आधारित एप्लिकेशन है जो शेयरधारकों को विभिन्न सेवाओं तक सुगम पहुंच के लिए सक्षम करता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एप्लिकेशन पर अपना पंजीकरण करें और पोर्टल का प्रत्यक्ष अनुभव लें।

इस एप्लिकेशन को <https://swayam.in.mpms.mufg.com/> पर एक्सेस किया जा सकता है।

- सेवा अनुरोध का प्रभावी समाधान - SWAYAM के माध्यम से सेवा अनुरोध/शिकायत करें और उसकी स्थिति प्राप्त करें।
- विशेषताएं - उपयोगकर्ता-अनुकूल जीयूआई।
- लाभांश/ ब्याज/ संदाय/ स्प्लिट जैसी कॉरपोरेट कार्रवाई निगरानी करें।
- पैन आधारित निवेश - पैन से संबद्ध खातों, कंपनीवार धारिता और प्रतिभूति मूल्यांकन तक पहुंच प्रदान करता है।
- अद्यत राशि के लिए सहजतापूर्वक अनुरोध करें।
- स्वयं सेवा पोर्टल - अमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों और भौतिक प्रतिभूतियों के लिए, जिनके फोलियो केवाईसी अनुरूप हैं।
- विवरणी - संपूर्ण धारिता और कॉरपोरेट लाभ की स्थिति का अवलोकन करें।
- लॉगिन पर द्विकारक प्रमाणीकरण (2FA) - निवेशकों के लिए सुरक्षा उन्नत करता है।

15. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण तथा नामांकन इत्यादि प्रस्तुत करने के लिए मानदंड :

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16.03.2023 के अनुसार, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक आरटीए को उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में मूर्त रूप में शेयर रखने वाले समस्त शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण तथा नामांकन विवरण इत्यादि नीचे दिए गए प्रपत्रों में अविलंब बैंक/आरटीए को प्रस्तुत करें :

क्र. सं.	फॉर्म/प्रपत्र	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए।
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए।
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन के ऑटिंग-आउट के लिए घोषणा-पत्र।
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फॉर्म।
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन का निरसन या परिवर्तन (यदि कोई हो)।

उपरोक्त समस्त फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) हमारी वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर हम श्रेयधारकों से अनुरोध करते हैं कि मेसर्स एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 पर बैंक आरटीए को समर्थित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17.11.2023 के माध्यम निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है :

- जिन फोलियो में अनिवार्य विवरण यथा पैर, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं, उनको अवरुद्ध/कीलन करना।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ देना।

16. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण – विशेष अनुरोध :

- सेबी ने अपने प्रेस-विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांकित 27.03.2019 के माध्यम से निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापन के प्रकरण को छोड़कर, प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोधों पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से निक्षेपागार के पास गैर-कागजी (डीमैट) रूप में न रखा जाए। इसलिए, हम श्रेयधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक धारिता को अविलंब डीमैट कराएं।
- सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का अंतरण दिनांक 01.04.2019 से समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार श्रेयों का अंतरण उसी स्थिति में किया जा सकता है जब श्रेय गैर-कागजी (डीमैट) रूप में रखे गए हों।
- इसके अतिरिक्त, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांकित 25.01.2022 के माध्यम से निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध कंपनियां भविष्य में अनुलिपि श्रेय प्रमाण-पत्र जारी करने, प्रेषण, प्रतिस्थापन इत्यादि के अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी। उपरोक्त के मद्देनजर बैंक के समस्त श्रेयधारकों से अनुरोध है कि भौतिक रूप में श्रेय रखने वाले श्रेयधारक अपना श्रेय अमूर्तीकृत कराएं। श्रेयों को गैर-कागजी (डीमैट) रूप में धारित करने के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :
 - भौतिक श्रेय प्रमाण-पत्र के क्षतिग्रस्त होने अथवा गुम होने की संभावना क्षीण हो जाती है;
 - श्रेय प्रमाणपत्रों के फटने या जालसाजी या विकृत होने की संभावना समाप्त हो जाती है;
 - अमूर्तीकरण से श्रेयों के कागज रहित व्यापार की सुगमता और सुविधा मिलती है। एक बार निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास डीमैट खाता खुल जाने पर श्रेयधारक सहजतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्रेय क्रय अथवा विक्रय कर सकता है।

17. भौतिक रूप में धारित श्रेयों के अमूर्तीकरण के लिए प्रक्रिया

विद्यमान श्रेय प्रमाण-पत्रों के विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में अमूर्तीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(A) श्रेयधारक जिनके पास डीमैट खाता नहीं है :

श्रेयधारकों को अपने निकटतम निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करना होगा तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक में धारित श्रेय के अनुरूप नाम व शैली में डीमैट खाता खुलवाना होगा।

डीमैट खाता खोलने के बाद श्रेयधारक को मूल श्रेय प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ), डीपी को सौंपना होगा, जो इसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर श्रेयधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में श्रेय जमा किए जाएंगे।

(B) शेयरधारक जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है :

जिन शेयरधारकों के पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह जांचना आवश्यक है कि क्या उनका विद्यमान डीमैट खाता, पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता के अनुसार उसी नाम और शैली में है। यदि हाँ, तो शेयरधारक को मूल शेयर प्रमाण-पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित डीआरएफ, निक्षेपागार सहभागी के पास जमा करना होगा जो इसे बैंक आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए, डीआरएफ की संवीक्षा/सत्यापन करेगा तथा उचित पाए जाने पर शेयरधारक के डीमैट खाते में समान संख्या में शेयर जमा किए जाएंगे।

यदि विद्यमान डीमैट खाता, नाम के समान क्रम में नहीं है तो शेयरधारक को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।

यदि विद्यमान शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई बदलाव है तो हमारे आरटीए अर्थात एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या उपरोक्त उल्लिखित पते पर बैंक से संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.07.2024

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव



व्याख्यात्मक विवरणी

मद संख्या 3 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीवा को नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, 9 अगस्त, 2024 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीव की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या ईएफ.सं.4/5(ii)/2023-बीओ.1 दिनांकित 9 अगस्त, 2024 के अनुसार पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 9 अगस्त, 2024 से या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री राजीवा को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 36(3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार ईजीएम में नियुक्ति के इच्छुक निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम : श्री राजीवा

आयु : 57 वर्ष

श्री राजीवा का संक्षिप्त परिचय

शैक्षणिक योग्यता : कला में स्नातकोत्तर, बैंकिंग एवं वित्त में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

श्री राजीवा ने बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व वह पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। कला में स्नातकोत्तर सहित बैंकिंग और वित्त में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

उन्होंने वर्ष 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में अपने बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की। तीन दशकों से अधिक के कैरियर में श्री राजीवा को समस्त प्रमुख बैंकिंग क्षेत्रों विशेषतः ग्रामीण तथा नगरीय शाखाओं में कार्य का अनुभव है। उन्हें क्रेडिट, विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्रेडिट में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने पीएनबी की विदेशी सहायक कंपनी पीएनबी (अंतरराष्ट्रीय) लिमिटेड का नेतृत्व किया है।

उन्होंने मैकेन्ज़ी और एफएसआईबी द्वारा संपुक्त रूप से आयोजित "आरोहण" प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा तदनुसार, बैंक निदेशक मंडल में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : शून्य
- विगत तीन वर्षों में श्री राजीवा जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक रहे हैं, उनके नाम : शून्य
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता : शून्य

श्री राजीवा भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

श्री राजीवा या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या 3 में वर्णित सामान्य संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 4 : बैंक के आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, 12 दिसंबर, 2024 से बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्री विवेक श्रीवास्तव की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना संदर्भ एफ. सं.6/3/2011-बीओ-1 दिनांकित 12 दिसंबर, 2024 के अनुसार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक श्री विवेक श्रीवास्तव को पंजाब एण्ड सिंध बैंक में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में नियुक्ति के इच्छुक निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम : श्री विवेक श्रीवास्तव
आयु : 57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता : लखनऊ विश्वविद्यालय से एम.एससी

श्री विवेक श्रीवास्तव का संक्षिप्त परिचय

श्री विवेक श्रीवास्तव एक अनुभवी केंद्रीय बैंकर हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात नवंबर, 1990 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने आरबीआई के विभिन्न केंद्रों एवं विभागों में कार्य किया है एवं दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में सेवाएं प्रदान की हैं तथा वर्तमान में चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने मुद्रा प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एवं मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में कार्य किया है। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश भाग मुंबई में केंद्रीय कार्यालय के विभागों में पूर्ण किया है, इस दौरान उन्होंने विनियमन विभाग एवं विदेशी मुद्रा विभाग जैसे प्रमुख विभागों में लंबे समय तक कार्य किया है। वह केवाईसी, एएमएल, सीएफटी के क्षेत्र में एक प्रमुख कार्मिक रहे हैं। उन्होंने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की कई पूर्ण बैठकों में भाग लिया और देश का प्रतिनिधित्व किया तथा इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकार द्वारा गठित संयुक्त कार्य समूह में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया, जो देश के जोखिम मूल्यांकन का आकलन करता है। उन्होंने एएमएल के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर वक्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहण किया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भारतीय रुपये में निपटाने की नीति निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का वहन किया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा तदनुसार, बैंक निदेशक मंडल में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : शून्य
- विगत तीन वर्षों में श्री विवेक श्रीवास्तव जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक रहे हैं, उनके नाम : शून्य
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता : शून्य

श्री विवेक श्रीवास्तव भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

श्री विवेक श्रीवास्तव या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या 4 में वर्णित सामान्य संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 5 : बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 (2A) के अनुसार, किसी सूचीबद्ध संस्था के स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन होगा। तदनुसार, 11 अप्रैल, 2025 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री शंकर लाल अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (h) एवं उपधारा (3A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ.सं. 6/1(iii)/2024-बीओ. दिनांकित 11 अप्रैल, 2025 से अधिसूचना की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री शंकर लाल अग्रवाल को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में 11 अप्रैल, 2025 से पुनर्नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशक का विवरण

निदेशक का नाम : श्री शंकर लाल अग्रवाल
आयु : 65 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता : सनदी लेखाकार

श्री शंकर लाल अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय

श्री शंकर लाल अग्रवाल सनदी लेखाकार हैं तथा वर्ष 1989 से एस गर्ग एंड कंपनी के वरिष्ठ साझेदार हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी. कॉम और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें लेखा, कराधान, बजट एवं सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। वे विभिन्न समितियों यथा राजस्थान सरकार की राज्य लोक निवारण और शिकायत समिति, आईसीएआई की शैक्षणिक समिति और परियोजना समिति, आईसीएआई की सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा समिति, आईसीएआई की क्षेत्रीय राज्यवार पीडीसी उप समिति राजस्थान में सह-समन्वयक, तकनीकी सलाहकार सरकारी उद्यमी, वैट सलाहकार और शिकायत समिति, वित्त और बजट सलाहकार समिति, राजस्थान कर सलाहकार संघ के कार्यकारी सदस्य के रूप में शामिल रहे हैं। उन्होंने विभिन्न अध्ययन समूहों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ताशकंद (उज्बेकिस्तान), बाली (इंडोनेशिया) हांगकांग, मकाऊ, हंगरी (बुडापेस्ट), चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि का दौरा किया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं तथा कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए संपादकीय भी लिखे हैं। वे भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और सांभर साल्ट लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक भी रहे हैं।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा तदनुसार, बैंक निदेशक मंडल में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : शून्य
- विगत तीन वर्षों में श्री शंकर लाल अग्रवाल जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक रहे हैं, उनके नाम : शून्य
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेयरधारिता : शून्य

श्री शंकर लाल अग्रवाल भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

श्री शंकर लाल अग्रवाल या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या 5 में वर्णित विशेष संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

मद संख्या 6 : बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा के कार्यकाल विस्तार को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेषरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, दिनांक 03.06.2022 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा की नियुक्ति हेतु एजीएम में शेषरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना एफ. सं. 4/3/2024-बीओ। दिनांकित 02.06.2025 के अनुसार श्री स्वरूप कुमार साहा को 03 जून, 2022 से उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नामित किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में नियुक्ति के इच्छुक निदेशक का विवरण।

निदेशक का नाम : श्री स्वरूप कुमार साहा

आयु : 56 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता : विज्ञान में स्नातक, सीएआईआईबी, आईआईबीएफ से कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा, आईआईबीएफ से वित्तीय सेवा में जोखिम में प्रमाण-पत्र।

श्री स्वरूप कुमार साहा का संक्षिप्त परिचय

श्री स्वरूप कुमार साहा ने 3 जून, 2022 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में एमडी एवं सीईओ के पद पर कार्यरत होने से पूर्व वे 10 मार्च, 2021 से पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

श्री साहा, कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं तथा वर्ष 1990 में उन्होंने परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अपने बैंक कैरियर का आरंभ किया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित संबद्ध सदस्य (सीएआईआईबी) हैं। इन्होंने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा और सीआईएसआई, लंदन के सहयोग से आईआईबीएफ द्वारा वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किए हैं।

अपने 30 वर्षों से अधिक के कैरियर में इन्हें मानव संसाधन विकास, कोष, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण, जोखिम प्रबंधन, संगठन पुनर्संरचना और बोर्ड मामलों का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने ट्रेजरी एंड इंटरनेशनल बिजनेस, वसुली, खुदरा, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई (रैम) क्रेडिट, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और डिजिटल सहयोग, शुल्क आय और समूह व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री साहा ने पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड और पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री साहा, आईआईएम, बैंगलोर के माध्यम से आयोजित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के 2019 में प्रमुख नेतृत्व विकास कार्यक्रम में प्रतिभागियों में शामिल थे। इन्होंने सीएफएआरएल/ स्टर्न बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क द्वारा संचालित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम तथा एनआईबीएम और केलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए द्वारा संचालित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में सहभागिता की है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के संदर्भ में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- बैंक के व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा तदनुसार, बैंक निदेशक मंडल में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद : शून्य
- विगत तीन वर्षों में श्री स्वरूप कुमार साहा जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक रहे हैं, उनके नाम : शून्य
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक में शेषरधारिता : शून्य



श्री स्वरूप कुमार साहा भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार मानदेय/प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

श्री स्वरूप कुमार साहा या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शोयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या 6 में वर्णित सामान्य संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 7 : वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स आर एस कथूरिया एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24A के अनुसार, भारत में निगमित प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई एवं उसकी महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों को एक सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करानी होगी तथा सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक रिपोर्ट सहित निर्दिष्ट प्रपत्रों में एक सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई निम्नलिखित को नियुक्त या पुनर्नियुक्त करेगी:

- (i) किसी व्यक्ति का सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में एक कार्यकाल लगातार पाँच वर्षों से अधिक का नहीं हो; या
- (ii) किसी सचिवीय लेखा परीक्षा फर्म को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में दो कार्यकाल लगातार पाँच वर्षों से अधिक के नहीं हो।

मेसर्स आर. एस. कथूरिया एंड कंपनी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

श्री आर. एस. कथूरिया एक कार्यरत कंपनी सचिव हैं तथा उन्होंने अप्रैल 1999 में इस फर्म की स्थापना की थी। उन्हें 25 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है तथा वह कॉरपोरेट कानूनों, प्रतिभूति कानूनों, विलय, एकीकरण, विभाजन, अनुबंधों एवं मुकदमों, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक कंपनियों के वैधानिक अनुपालन लेखा परीक्षा, सरकारी अनुमोदनों के लिए संपर्क, नए व्यवसाय की स्थापना आदि से संबंधित पेशेवर सलाहकार सेवाओं एवं सचिवीय सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त हैं।

बैंक के अनुरोध के अनुसार, उन्होंने ₹1,20,000 प्रति वर्ष के शुल्क और लागू करों पर बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सहमति व्यक्त की है।

बैंक के निदेशक मंडल ने 20 जून, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स की नियुक्ति की अनुशंसा की है। मेसर्स आर. एस. कथूरिया एंड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव, को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में उपर्युक्त शुल्क के अनुसार नियुक्त किया जाता है जो आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शोयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शोयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा के अतिरिक्त, उपर्युक्त प्रस्ताव में हितबद्ध या संबद्ध नहीं माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.07.2025

साकेत मेहरोत्रा
कंपनी सचिव

निदेशक रिपोर्ट 2024-25

हमारे मूल्यवान हितधारकों के लिए,

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्य-निष्पादन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थितियों, बैंक की वित्तीय उपलब्धियों और आरंभ की गई प्रमुख रणनीतिक पहलों का विहंगावलोकन प्रस्तुत करती है।

1) वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

अमेरिका में प्रशासनिक परिवर्तन, अविरत युद्धों और बढ़ते व्यापार तनाव के मध्य वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है जिससे विकास और मुद्रास्फीति के लिए जोखिम बढ़ गए हैं।

हाल के महीनों में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है। हाल ही में व्यापार शुल्क संबंधी कार्रवाइयों ने अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है जिससे विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति के लिए नई चुनौतियाँ पैदा हुई हैं। इस अस्थिरता के बीच, अमेरिकी डॉलर के मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है, शेयर बाजारों में विशिष्ट सुधार हुए हैं और कच्चे तेल की कीमतें हाल के दिनों में अपने निम्नतर स्तर पर आ गई हैं।

इन विपरीत परिस्थितियों के उपरांत वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2024 में 3.3% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2023 में 3.5% से थोड़ी कम है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2025 में वैश्विक विकास दर 2.8% और वर्ष 2026 में 3% रहने का अनुमान जताया है। मुद्रास्फीति, वर्ष 2024 के 4.9% से घटकर वर्ष 2025 में 4% और वर्ष 2026 में 3.4% रहने की उम्मीद है।

2) आंतरिक आर्थिक परिदृश्य

घटती मुद्रास्फीति और सुदृढ़ सेक्टरवार कार्य-निष्पादन द्वारा समर्थित घरेलू अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। सीपीआई-आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति मई 2025 में 2.8% रही, जो विगत छह वर्ष में निम्नतम है। हाल की अवधि में शेयर बाजारों में सुधार, डॉलर सूचकांक और कच्चे तेल में नरमी के साथ बाजार में अस्थिरता कम हुई है तथापि सोने की कीमतें ऊँची बनी हुई हैं। प्रथम तिमाही में 2.9 प्रतिशत, द्वितीय तिमाही में 3.4 प्रतिशत, तृतीय तिमाही में 3.9 प्रतिशत तथा चतुर्थ तिमाही में 4.4 प्रतिशत के तिमाही आकलन सहित वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 3.7 प्रतिशत अनुमानित है।

सहित भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रथम तिमाही में 6.5%, द्वितीय तिमाही में 6.7%, तृतीय तिमाही में 6.6% और चतुर्थ तिमाही में 6.3% के पूर्वानुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने वास्तविक जीडीपी विकास अनुमान को 6.5% पर अनुरक्षित रखा है। इसमें वैश्विक अस्थिरता के कारण पूर्व अनुमानों से 20 आधार अंकों की कमी भी शामिल है।

आर्थिक विकास को रबी फसल की आशाजनक संभावनाओं और अनुमानित सामान्य मानसून द्वारा समर्थित सुदृढ़ कृषि क्षेत्र से गति मिलने की उम्मीद है। भारत में औद्योगिक गतिविधियों में तीव्रता आने की संभावना है जबकि सेवा क्षेत्र, विकास का प्राथमिक इंजन बना हुआ है। कुल मिलाकर भारत, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है।

3) बैंकिंग क्षेत्र

i) हाल की वैश्विक बैंकिंग घटनाएं और भारतीय बैंकिंग पर उसका प्रभाव

बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता मजबूत बनी हुई है जिसमें तरलता बफर, नियामक आवश्यकताओं से अधिक है तथा स्वस्थ लाभप्रदता संकेतक, परिचालन दक्षता को परिलक्षित करते हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) भी स्थिर प्रणाली-स्तरीय मानदंड प्रदर्शित करती हैं। यद्यपि बैंक स्थिर स्थिति में हैं लेकिन साधारण संगठित वृद्धि, नीतिगत बदलाव और सीमित पूंजी उपलब्धता के कारण राजस्व मॉडल पर दबाव है जिससे वैकल्पिक मूल्य स्रोतों की खोज को प्रोत्साहन मिल रहा है। तीव्र तकनीकी प्रगति विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र अधिगम, ओपन डाटा और डिजिटल मुद्रा इत्यादि बैंकिंग परिचालन को नया रूप दे रही है। संस्थाएं इन उभरती गतिशीलता के अनुकूल होने के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं और जोखिम प्रबंधन रूपरेखा को सुदृढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं।

ii) भारतीय बैंकिंग परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमेरिकी प्रशासन में परिवर्तन, अविरत संघर्षों और बढ़ते व्यापार तनावों के कारण वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि हुई है। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा है तथापि इसने इन वैश्विक चुनौतियों के समक्ष आघात-सहनीयता प्रदर्शित किया। धीमी ऋण वृद्धि सहित बैंकिंग उद्योग में भी नरमी देखी गई क्योंकि बैंक, चलनिधि की कमी से जूझ रहे थे और अपने उच्च ऋण जमा अनुपात को प्रबंधित कर रहे थे। इन दबावों के बावजूद भारतीय बैंक लाभप्रद और अच्छी तरह से पूंजीकृत बने रहे। चलनिधि से समझौता किए बिना स्वस्थ ऋण वृद्धि के अनुरक्षण हेतु बैंकों को अपने जमा संग्रहण के प्रयासों को सुदृढ़ करना होगा। जैसे-जैसे आरबीआई अपनी दरों में सुगमता चक्र जारी रखेगा, बैंकों को अपने शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि अग्रिम राशि, बाढ़ा बैंचमार्क से जुड़ी होती है इसलिए उन्हें तुरंत न्यून दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंकों को जमा राशि आकर्षित करने में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

4) बैंक कार्य-निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतक, बैंक के कार्य-निष्पादन को प्रतिबिंबित करते हैं :

i) कुल कारोबार

- बैंक के कुल कारोबार में 11.69% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई तथा दिनांक 31.03.2024 को ₹205374 करोड़ की तुलना में कुल कारोबार बढ़कर दिनांक 31.03.2025 को ₹229379 करोड़ हो गया।

ii) जमाराशि

- कुल जमाराशि 8.68% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर दिनांक 31.03.2025 को ₹129774 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31.03.2024 को यह ₹119410 करोड़ था।
- दिनांक 31.03.2024 को ₹38708 करोड़ की तुलना में कासा जमाराशि 5.38% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर दिनांक 31.03.2025 को ₹40790 करोड़ हो गया।

iii) अग्रिम

- दिनांक 31.03.2024 को ₹85964 करोड़ की तुलना में कुल अग्रिम 15.87% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर दिनांक 31.03.2025 को ₹99605 करोड़ हो गया।
- दिनांक 31.03.2025 तक अग्रिम मिक्स में 55.15% रैम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) अग्रिम तथा 44.85% कॉर्पोरेट अग्रिम समाहित थे।

iv) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम - वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विशेष रूप से कृषि, एमएसएमई और कमजोर वर्गों में ऋण आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और पुष्ट किया है। वंचित वर्गों को समय पर और पर्याप्त ऋण संचितरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित आउटरीच कार्यक्रम और साझेदारियां आरंभ की गई हैं। हमें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमारा कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम दिनांक 31.03.2025 तक 6.51% बढ़कर ₹41666 करोड़ हो गया जबकि दिनांक 31.03.2024 तक यह ₹39120 करोड़ था। रैम खंड में विस्तृत कार्य-निष्पादन इस प्रकार है:

- **खुदरा :** दिनांक 31.03.2025 को खुदरा अग्रिम में 37.65% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई और यह ₹22070 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31.03.2024 को यह ₹16034 करोड़ था। दिनांक 31.03.2025 को सकल अग्रिम (₹99605 करोड़) में खुदरा ऋण (₹22070 करोड़) का प्रतिशत 22.16% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 18.65% था।
- **कृषि :** दिनांक 31.03.2025 को कृषि अग्रिम में 7.44% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई और यह ₹13456 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31.03.2024 को यह ₹12524 करोड़ था।

- **एमएसएमई :** दिनांक 31.03.2025 को एमएसएमई अग्रिम में 21.98% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई और यह ₹19406 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31.03.2024 को यह ₹15909 करोड़ था। दिनांक 31.03.2025 तक सकल अग्रिम में एमएसएमई ऋण का हिस्सा 19.48% था।
- **मुद्रा :** बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रा ऋण लक्ष्य को पार कर लिया तथा ₹2500 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹2571 करोड़ सवितरण करके 103% की उपलब्धि प्राप्त की है।
- **स्टैंड-अप इण्डिया :** बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत 3060 ऋणों के आबंटित लक्ष्य के विरुद्ध 4257 ऋण स्वीकृत किए, इस प्रकार 139% लक्ष्य प्राप्ति की गई।

- v) **लाभप्रदता :** बैंक ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार, लागत इष्टतमीकरण और उच्च-प्रतिफल वाले अग्रिमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके लाभप्रदता बढ़ाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति अपनाई है।

नीचे प्रमुख कार्य-निष्पादक संकेतकों की संक्षिप्त सूची दी गई है जो हमारी परिचालन दक्षता, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन और प्रभावी रणनीति निष्पादन को प्रदर्शित करती है :

- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 83.47% की वृद्धि दर्ज करते हुए परिचालन लाभ दिनांक 31.03.2025 को ₹2075 करोड़ हो गया, जबकि दिनांक 31.03.2024 को यह ₹1131 करोड़ था।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 70.76% की वृद्धि दर्ज करते हुए निवल लाभ दिनांक 31.03.2025 को ₹1016 करोड़ हो गया, जबकि 31.03.2024 को यह ₹595 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 0.67% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 0.41% था।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर आय ₹1.50 प्रति शेयर रही, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह ₹0.88 प्रति इकिटी शेयर थी।
- दिनांक 31.03.2025 को निवल ब्याज आय ₹3784 करोड़ रही, जबकि 31.03.2024 को यह ₹2841 करोड़ थी।
- दिनांक 31.03.2025 को निवल ब्याज मार्जिन 2.85% रहा, जबकि 31.03.2024 को यह 2.45% था।

5) लाभांश

आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन बैंक बोर्ड ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इकिटी शेयर ₹0.07 का लाभांश घोषित किया है।

- 6) **निवल मालियत और पूंजी पर्याप्तता -** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हमारे बैंक ने अपनी सुदृढ़ पूंजी स्थिति बनाए रखी और स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात, नियामक ध्रेशोल्ड से अधिक रहा। अपनी स्थिरता को अपेक्षाकृत पुष्ट करने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चतुर्थ तिमाही में ₹1219 करोड़ की इकिटी शेयर पूंजी (प्रीमियम सहित) जुटाई। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही में ₹3000 करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी जारी किए। बैंक की पूंजीगत सुदृढ़ता की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है :

- दिनांक 31.03.2024 को ₹7836 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2025 को निवल मालियत ₹10945 करोड़ रही।
- दिनांक 31.03.2025 को कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.41% रहा, जबकि दिनांक 31.03.2024 को यह 17.16% था।
- दिनांक 31.03.2024 को 14.74% की तुलना में दिनांक 31.03.2025 को सीईटी-1 अनुपात 15.59% रहा।

7) आस्ति गुणवत्ता

उच्च गुणवत्ता वाला आस्ति निवेश-सूची, दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की आधारशिला है। हमें, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुरक्षित हमारी आस्ति गुणवत्ता का आशाजनक विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

i) कार्य-निष्पादन

- दिनांक 31.03.2025 को बैंक का सकल एनपीए ₹3370 करोड़ (3.38%) रहा, जबकि 31.03.2024 को यह ₹4665 करोड़ (5.43%) था।

- दिनांक 31.03.2025 को बैंक का निवल एनपीए ₹937 करोड़ (0.96%) रहा, जबकि 31.03.2024 को यह ₹1350 करोड़ (1.63%) था।
- बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31.03.2024 के 88.69% की तुलना में सुधरकर दिनांक 31.03.2025 को 91.38% हो गया।
- बैंक का गिरावट अनुपात दिनांक 31.03.2024 को 1.28% की तुलना में दिनांक 31.03.2025 को 0.99% रहा।

ii) वसूली कार्यनीति

- **विशिष्ट वसूली टीम** : बैंक के पास प्रत्येक आंचलिक कार्यालय में वॉर रूम अधिकारियों के नाम से विशेष रूप से समर्पित टीम है जो उस अंचल विशेष में वसूली का कार्य देखती है।
- **आस्ति वसूली शाखाएं** : बैंक की 7 विशिष्ट वसूली शाखाएं हैं जो विशेष रूप से डीआरटी के समक्ष लंबित गैर-निष्पादित वाद दायर आस्ति संविभाग पर केंद्रित संव्यवहार करती हैं।
- **सैमवर्ट (तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल)** : बैंक मुख्यालय में एक पृथक वर्टिकल है जो ₹25 करोड़ और उससे अधिक के बही बकाया वाले एनपीए/बट्टे में डाले गए खातों में वसूली का कार्य देखता है।
- **एआरसी/एनएआरसीएल को खातों का हस्तांतरण** : जब अन्य समस्त वसूली साधन विफल हो जाते हैं तो एनपीए खातों को एआरसी/एनएआरसीएल में हस्तांतरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने ₹491.86 करोड़ के 3 खातों को एआरसी/एनएआरसीएल को हस्तांतरित किया है।
- **विशेष अल्पकालिक निपटान योजना (ऋण मुक्ति III)** : बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के ऋण समाधान की सुविधा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में ऋण मुक्ति-III के नाम से विशेष अल्पकालिक गैर-विवेकाधीन निपटान योजना शुरू की थी जिसके अंतर्गत बैंक ने ₹67.79 करोड़ की निपटान राशि के साथ 3332 खातों का निपटान किया।
- बैंक ने जुलाई 2024 में ओटीएस संगणना, स्वीकृति और निगरानी के लिए ई-ओटीएस (निदान) पोर्टल का सफलतापूर्वक प्रवर्तन किया।
- बैंक ने नए/वर्धित स्वीकृतियों में संवितरण-पूर्व और पश्चात, निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट मिड ऑफिस भी आरंभ किया है।

8) कारोबार पहल - वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने ग्राहक सुविधा को उन्नत करने और अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न पहल आरंभ किए हैं। इनमें प्रमुख पहल इस प्रकार हैं :

- i) **ऋण का डिजिटलीकरण** - रेम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) खंड में ऋण प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया। बैंक ने कागज़ रहित, संपूर्ण डिजिटल ऋण प्रक्रिया आरंभ की जिससे प्रतिवर्तन काल (टर्नअराउंड टाइम) व ग्राहक अनुभव उन्नत हुआ तथा परिचालन जोखिम न्यून हुए। हमारे ग्राहकों के लिए निम्नलिखित डिजिटल ऋण उत्पाद लॉन्च किए गए :
 - **पीएसबी ई-अपना घर** : अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के साथ बैंक ने आवास वित्त की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ई-अपना घर लॉन्च किया है। यह उत्पाद ₹10 लाख से लेकर ₹100 लाख तक की ऋण राशि के लिए ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए एंड-टू-एंड डिजिटल यात्रा प्रदान करता है।
 - **पीएसबी ई-अपना वाहन** : बैंक ने पीएसबी ई-अपना वाहन के नाम से नई डिजिटल पहल आरंभ की है जिसे ₹25 लाख तक के वित्तपोषण के साथ दुपहिया और चार पहिया वाहन ऋण हेतु पूरी तरह से ऑनलाइन अनुभव प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है।
 - **ई-शिशु मुद्रा** : देश के वित्तीय समावेशन मिशन में भागीदारी की दिशा में बैंक ने ई-शिशु मुद्रा आरंभ की है जो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ₹50,000 तक पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रदान करती है।
 - **ई-केसीसी** : बैंक ने राज्य राजस्व विभाग के पास उपलब्ध डिजिटल भू-अभिलेख का उपयोग करके न्यूनतम कागजी कार्रवाई और पात्रता जांच के साथ ₹2.00 लाख तक (नए आवेदन) ई-केसीसी की निर्बाध सुविधा आरंभ की है।
- ii) **ग्राहक केंद्रित उत्पाद** - ग्राहकों की परिवर्तनशील प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक ने युवाओं, महिलाओं, कृषकों, लघु व्यवसायों और वृत्तनभोगी व्यक्तियों सहित विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए तैयार किए गए अभिनव, आवश्यकता-आधारित उत्पादों की एक शृंखला प्रस्तुत की है।

ग्राहक आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए कुछ उत्पादों का उल्लेख नीचे किया गया है :

- **पीएम कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) :** इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय बढ़ाना तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित कर कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाना है।
- **पीएसबी समृद्ध महिला ऋण योजना :** इस उत्पाद का उद्देश्य सुलभ वित्त, कौशल विकास और व्यवसाय विकास के अवसरों के माध्यम से महिला उद्यमियों का उत्थान करना है जो स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने, विस्तारित करने या पोषित करने के लिए इच्छुक महिलाओं को समग्र समाधान उपलब्ध कराता है।
- **पीएसबी लखपति दीदी :** स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिला सदस्यों को आय सृजन करने और लखपति दीदी बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
- **युवा भारत के लिए पीएसबी कारोबार ऋण योजना :** यह उत्पाद, 18 से 35 वर्ष की आयु के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है। इस उत्पाद का उद्देश्य लचीले, सुलभ और प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण विकल्प प्रदान करके युवा-नेतृत्व वाले व्यवसायों के विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- **ई-बीजी :** हमारे बैंक द्वारा 03 नवंबर, 2024 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से ई-बैंक गारंटी (ई-बीजी) सुविधा का आरंभ किया गया है। उक्त नवीन प्रणाली ई-स्टाम्पिंग तथा ई-हस्ताक्षर के माध्यम से पारंपरिक कागज़-आधारित बैंक गारंटी का स्थान लेती है। यह पहल सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ बैंक गारंटी के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करके लाभार्थियों के समय एवं प्रयास की बचत करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है।
- **कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए पट्टा किराया छूट :** पट्टा किराया छूट अनिवार्य रूप से ऐसी ऋण सुविधा है जो किसी कंपनी/ फर्म द्वारा निर्धारित अंतराल पर किराए की एक निर्दिष्ट राशि अर्जित करने वाली वाणिज्यिक संपत्तियों से किराए के एवज में प्राप्त की जाती है।
- **पीएसबी शुभ आरंभ सीए उत्पाद :** यह स्टार्टअप (ओं) के लिए विशेष रूप से निर्मित किया गया नवीन चालू खाता है जो उनके व्यवसाय के विकास में सहायक होगा। यह उत्पाद एक वर्ष के भीतर आरंभ किए गए नए व्यवसायों/ उद्यमियों को चालू जमा खाता की सुविधा प्रदान करता है।
- **पीएसबी रेरा प्लस चालू खाता :** यह रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों को पूर्ण करने हेतु प्रवर्तकों/ रियलिटी सेक्टर/ बिल्डरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष चालू खाता है।
- **पीएसबी कार्यपालक वेतन खाता :** यह पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) के कर्मिकों के लिए विशेष वेतन उत्पाद है जिसमें जीवन बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज सहित अन्य आकर्षक विशेषताएं सम्मिलित हैं।
- **पीएसबी गौरव बचत :** यह अर्धसैनिक बलों, अग्निवीरों एवं वीर नारी सहित समस्त सेवारत तथा सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए विशेष बचत वेतन उत्पाद है जिसमें ₹1 करोड़ का समूह दुर्घटना बीमा तथा अन्य लाभ सम्मिलित हैं।

iii) **गठजोड़ और सहकार्यता -** बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक व्यापक वित्तीय साझेदार बनने के हमारे ध्येय के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख संस्थाओं के साथ रणनीतिक गठजोड़ स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार से उल्लिखित की गई है :

- **बैंक द्वारा वेतन खातों के लिए रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए :** हमारे बैंक ने अनुकूलित खुदरा ऋण उत्पाद, वेतन खाते और पेंशन खाते आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न रक्षा क्षेत्रों जैसे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, असम राइफल्स तथा आईटीबीपी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **म्यूचुअल फंड कारोबार :** बैंक ने फिनविज़ार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (एफआईएसडीओएस) के साथ साझेदारी के माध्यम से म्यूचुअल फंड कारोबार का आरंभ किया है जो गैर-निधि आय में वृद्धि के अतिरिक्त कासा में वृद्धि करने और उसे बनाए रखने में भी सहायक होगा।

- **नेस्ले इंडिया लिमिटेड :** नेस्ले इंडिया लिमिटेड को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को वित्त पोषण (₹25 लाख तक) के लिए नेस्ले इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **प्रीत ट्रेक्टर प्राइवेट लिमिटेड :** कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत ट्रैक्टर वित्तपोषण के लिए प्रीत ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिससे ऋण की उपलब्धता और किसानों तक पहुंच का विस्तार होगा।
- **प्रीत एग्रो इंडस्ट्रीज़ एण्ड मलकीत एग्रो टेक :** प्रीत एग्रो इंडस्ट्रीज़ और मलकीत एग्रो टेक के साथ कृषि उपकरणों के लिए वित्तपोषण और कृषि व्यवसायों के लिए ऋण पहुंच का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **एमएसएमई स्थाई तथा एमएसएमई गिफ्ट योजनाओं के लिए गारंटी कवरेज हेतु सिडबी के साथ गठजोड़** किया गया है।
- **एमएसएमई ऋण के अंतर्गत लीड सृजन के लिए सीआईएमएसएमई (भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम चेंबर) के साथ गठजोड़** किया गया है।
- **मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड :** वाहन ऋण सोर्सिंग, बाजार में निवेश बढ़ाना।
- **महिंद्रा एण्ड महिंद्रा :** वाहन ऋण सोर्सिंग, बाजार में निवेश बढ़ाना।
- **डीएसए मॉडल :** बैंक ने एमएसएमई ऋणों के लिए डीएसए मॉडल का विस्तार किया है जो न केवल बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक सीमा में सुधार करेगा बल्कि एमएसएमई ऋण उत्पादों में हमारी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ाएगा तथा कम लागत पर नए ग्राहक वर्ग तक पहुंच विकसित करने में भी सहायक होगा।

iv) बैंक द्वारा प्रदान की जा रही कतिपय डिजिटल सेवाएं इस प्रकार हैं :

- **पीएसबी यूनिक बिज़ एप :** बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित एकीकृत डिजिटल बैंकिंग एप्लिकेशन, पीएसबी यूनिक बिज़ एप जारी किया है। कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता अब आधुनिक व्यावसायिक विविध तथा जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ एक सुरक्षित, कुशल एवं व्यापक डिजिटल परितंत्र सहित पीएसबी यूनिक बिज़ मोबाइल एप का उपयोग कर सकते हैं।
- **एसबीए :** पीएसबी यूनिक उपयोगकर्ता अब पीएसबी यूनिक का उपयोग करके आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपयोगकर्ता प्रस्तुत आईपीओ आवेदन को संपादित/ हटा सकते हैं तथा एसबीए मेनू के अंतर्गत उपलब्ध हिस्ट्री विकल्प के अंतर्गत आबंटन की स्थिति का भी अवलोकन कर सकते हैं।
- **ऋण कैलकुलेटर :** पीएसबी यूनिक के ग्राहक अब पीएसबी यूनिक के माध्यम से ईएमआई की गणना करने के साथ-साथ ऋण परिशोधन चार्ट तैयार कर सकते हैं।
- **व्हाट्सएप बैंकिंग में बहुभाषी समर्थन :** ग्राहक अब कई भाषाओं अर्थात् हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- **बिल भुगतान :** पीएसबी यूनिक उपयोगकर्ता बीबीपीएस विकल्प का उपयोग करके अपने टेलीफोन, ब्रॉड-बैंड, क्रेडिट कार्ड आदि बिलों का भुगतान कर सकते हैं। वे अनुस्मारक प्राप्त करने के लिए बिलर्स को पंजीकृत भी कर सकते हैं।
- **मुद्रा दरों की जांच :** पीएसबी यूनिक खुदरा उपयोगकर्ता अब विविध मुद्राओं में विदेशी मुद्रा दरों को ज्ञात कर सकते हैं।
- **डिजिटल बचत बैंक खाता :** हमारे बैंक द्वारा वीडियो केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन पूर्ण केवाईसी बचत बैंक खाते की सुविधा के लिए वीकेवाईसी का आरंभ किया गया है।
- **निवेश सलाहकार (लक्ष्य आधारित कैलकुलेटर) :** पीएसबी यूनिक ग्राहक अब अपने चयनित परिपक्वता मूल्य एवं अवधि के आधार पर विभिन्न निवेश विकल्पों की खोज कर सकते हैं।

9) **पर्यावरण और सामाजिक पहल -** बैंक ने हरित एवं स्थाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देकर तथा ईएसजी जागरूकता अभियानों में सहभागिता करके पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को अपने कार्यों में एकीकृत करना जारी रखा है।

(i) **पर्यावरणीय पहल -** हरित अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली हमारी पर्यावरणीय पहलों में शामिल है :

- a) **हरित वित्तपोषण :** बैंक हरित वित्तपोषण खंड को स्वीकृत करने हेतु प्रतिबद्ध है। हरित वित्तपोषण के अंतर्गत बैंक ने हरित ऊर्जा के प्रति शासकीय नीति के अनुरूप मार्च, 2025 तक विभिन्न क्षेत्रों में ₹1680 करोड़ (कॉर्पोरेट खंड के अंतर्गत) स्वीकृत किए हैं।
- b) **पीएसबी एमएसएमई हरित निवेश तथा रूपांतरण हेतु वित्तपोषण योजना (एमएसएमई-गिफ्ट योजना) :** स्वच्छ/ हरित प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करने हेतु रियायती दर पर संस्थागत वित्त तक पहुंच निर्मित करने के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान करना तथा उन्हें हरित एवं सतत व्यवसाय संचालन में रूपांतरित करने में सहायता करना।

- c) **चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए पीएसबी एमएसई योजना (एमएसई-एसपीआईसीई) :** एमएसई-एसपीआईसीई योजना का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को चक्रीय अर्थव्यवस्था क्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है जो प्लास्टिक, रबड़ एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों का अनुपालन किया जा सके और परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सके जिससे एमएसई उद्योगों के लिए निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) और अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्यों का अनुपालन करने में सक्षम हो सकें।
- d) **पीएसबी व्यापार ऋण योजना गो ग्रीन :** हरित परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए वित्तपोषण जो संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करती है, कार्बन उत्सर्जन एवं ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है, जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देती है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र व जैव विविधता में सुधार करती है।
- e) **पीएसबी हरित अर्थ डिपॉजिट उत्पाद:** ग्रीन डिपॉजिट, नियमित स्थिर डिपॉजिट के अनुरूप ही भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित ब्याज फिक्स्ड डिपॉजिट हैं। ग्रीन डिपॉजिट से प्राप्त राशि को पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने वाली परियोजनाओं या गतिविधियों में आवंटित किया जाता है जिससे बैंक द्वारा 'ग्रीन डिपॉजिट नीति और बैंक के हरित वित्तपोषण रूपरेखा' को अपनाना सुनिश्चित होता है।
- (ii) **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) -** हमारी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल हमारी मुख्य रणनीति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना तथा भारत के समावेशी विकास में योगदान देना है। वित्तीय वर्ष के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में अनेक पहल की गई हैं।
- (iii) **वित्तीय समावेशन तथा सरकारी व्यवसाय -** वित्तीय समावेशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे मिशन का आधार है जो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करती है कि बैंकिंग सेवाएं समाज के सभी वर्गों, विशेषकर संपूर्ण भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के लिए उपलब्ध, सुलभ और किफायती रूप से उपलब्ध हों। बैंक ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि और विभिन्न जन सुरक्षा योजनाओं के तहत पहुँच का विस्तार करके वित्तीय समावेशन में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखी है। प्रत्येक नागरिक को अपने वित्त का प्रभावी प्रबंधन करने तथा मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में भागीदार बनाने के लिए ज्ञान प्रदान करके सशक्त बनाने पर केंद्रित हमारी पहलें इस प्रकार हैं:

➤ **कारोबार प्रतिनिधि :**

हमारा बैंक, कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क के कार्यान्वयन पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वर्तमान में, हमारे बैंक में 2,083 बीसी हैं (मार्च 2025 तक), जबकि मार्च 2024 तक 1709 बीसी थे।

➤ **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) :**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हमारे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने 94 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 3018 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। 3018 उम्मीदवारों में से 2290 उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग से, 2608 बीपीएल श्रेणी तथा 2309 उम्मीदवार महिला लाभार्थी हैं।

➤ **वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) तथा वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्र (सीएफएल) :**

बैंक ने 24 वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के साथ संयोजन से गाँवों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करके ग्रामीण आबादी में वित्तीय साक्षरता प्रोत्साहित करने हेतु पहल की है। इन शिविरों में ग्रामीणों के साथ बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ पीएमजेडीवाई, पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, पीएमजेडीवाईओडी, डिजिटल बैंकिंग आदि जैसी अन्य वित्तीय योजनाओं पर चर्चा की जाती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन सेवाओं का लाभ उठा सकें। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 217 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए जिनमें 4456 लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हमारे बैंक को वित्तीय साक्षरता के लिए केंद्र (सीएफएल) परियोजना के चरण 1 और 3 के कार्यान्वयन के लिए एक प्रायोजक बैंक के रूप में संबद्ध किया। यह परियोजना पंजाब राज्य के 17 ब्लॉकों में 17 सीएफएल में स्थापित की जाएगी जिसके तहत 51 ब्लॉकों में 8272 शिविर आयोजित किए गए तथा 180952 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

> सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्य निष्पादन :

- दिनांक 31.05.2025 को समाप्त नीति वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) में 101.26% लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- दिनांक 31.05.2025 को समाप्त नीति वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में 100.20% लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय नामांकन का 105% लक्ष्य किया गया।

10) मानव संसाधन पहल

(i) **लैंगिक विविधता को प्रोत्साहित करना** - बैंक में लैंगिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा निम्नलिखित महिला केंद्रित पहल की गई हैं:

- > महिला कर्मिकों को 'प्रसूति उपरांत परामर्श एवं सहायता' प्रदान करने पर वेबिनार आयोजित किया गया।
- > मणिपाल अकादमी ऑफ़ बीएफएसआई, सीएबी पुणे आदि जैसे शीर्ष संस्थानों द्वारा महिलाओं के लिए नेतृत्व पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(ii) **अन्य मानव संसाधन पहल**

- > **नया स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय** : चंडीगढ़ में नए स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना को अनुमोदित किया गया है। इससे हमारे बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत आने वाले अंचलों में पदस्थ 4000 से अधिक कर्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।
- > **विदेशी मुद्रा प्रशिक्षण कार्यक्रम** : वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा एसआईबीओएस सम्मेलन, आरोहण नेतृत्व विकास कार्यक्रम, वित्तीय संस्थानों के लिए बोर्ड नेतृत्व कार्यक्रम, एफईडीआई वार्षिक सम्मेलन इत्यादि में सहभागिता की।
- > **शीर्ष संस्थानों और एड-टेक प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना** : कर्मिकों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों का 90% शुल्क, पाठ्यक्रम के सफल समापन पर बैंक द्वारा वहन की जाती है। 658 कर्मिकों को ₹142.44 लाख शुल्क मूल्य के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
- > प्रतिष्ठित संस्थानों यथा आईआईएम अहमदाबाद, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ़ लीडरशिप-कोलकाता, एमडीआई गुडगांव इत्यादि से नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

11) अखिल भारतीय बैंक नेटवर्क - शाखाओं की भौतिक उपस्थिति, विशेष रूप से विविध भारतीय बाज़ार में विश्वास, पहुँच और व्यक्तिगत सेवा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। बैंक ने पहुँच बढ़ाने और बाज़ार में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए आकांक्षी ज़िलों और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार किया। व्यावसायिक संभावनाओं और वित्तीय समावेशन लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों पर ज़ोर दिया गया।

शाखाओं और आंचलिक कार्यालय के विस्तार के उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं :

- > **आंचलिक कार्यालय** : दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंक की पहुँच बढ़ाने की रणनीति के अनुरूप बैंक ने **मोगा, पटना, आगरा और वाराणसी** में 4 नए आंचलिक कार्यालय खोले। आंचलिक कार्यालय खोलने का उद्देश्य अछूते क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाना और बेहतर नियंत्रण तंत्र स्थापित करना है।

- हमारे बैंक ने शाखा विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन के सरकारी दृष्टिकोण के अनुरूप वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 52 शाखाएं खोली गईं। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 1610 थी।
- **मध्यम कॉरपोरेट शाखाएं** : हमारे बैंक ने ऋण निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और मध्यम कॉरपोरेट ग्राहकों के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कुल मध्यम कॉरपोरेट शाखाओं (एमसीबी) की संख्या 4 से बढ़ाकर 15 हो गई है।

12) अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देना - बैंकिंग अनुपालन, बैंकिंग उद्योग का एक जटिल और आवश्यक पहलू है जिसमें विविध नियमों, विनियमों और मानकों का पालन शामिल है। अनुपालन कार्य में उच्चतम उद्योग मानकों को प्राप्त करने के लिए हमारे बैंक ने विभिन्न उपाय और पहल आरंभ की हैं।

- (i) **अनुपालन कार्य का स्वचालन** - उद्यम-व्यापी अनुपालन कार्य को संपूर्ण डिजिटल बनाने के लिए बैंक ने अनुपालन समाधान ईसीजी (एम्पावरिंग कंफ्लायंस एंड गवर्नेंस) क्रय किया है। इस समाधान में नियामक अनुपालन के कार्यान्वयन हेतु व्यापक निगरानी और ट्रेकिंग के साथ-साथ परस्पर इंटरैक्टिव डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग की क्षमता है।
- (ii) **समर्पित अनुपालन अधिकारी (डीसीओ) की नियुक्ति** : बैंक ने अनुपालन संबंधी दायित्वों से विशेष रूप से संव्यवहार के लिए अंचल में समर्पित अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए हैं जिससे डीसीओ से प्राप्त स्वतंत्र जानकारी और फीडबैक के माध्यम से कॉरपोरेट स्तर पर निगरानी और प्रभावी निर्णय लेने में सुधार हुआ है। वर्तमान में बैंक के पास समस्त अंचल को कवर करने वाले 15 डीसीओ हैं।
- (iii) **डाटा अखंडता नियमों (डीआईआर) पर आधारित डाटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) का विकास** : डाटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) का आकलन करने के लिए डाटा अखंडता नियमों (डीआईआर) पर आधारित रूपरेखा को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

13) कॉल सेंटर

बैंक ने अपने ग्राहकों की पृच्छा, शिकायतों, ग्राहक अधिग्रहण और लीड जनरेशन के समाधान के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर स्थापित किया है। हम सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए कॉल सेंटर का नवीनीकरण कर रहे हैं।

14) राजभाषा

- वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में बैंक को वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु क्षेत्र 'क' के अंतर्गत 'द्वितीय पुरस्कार' प्रदान किया गया।
- दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु बैंक के प्रधान कार्यालय को 'द्वितीय पुरस्कार' और गृह पत्रिका श्रेणी में बैंक की हिंदी त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा अंकुर को 'तृतीय पुरस्कार' प्रदान किया।
- बैंक के आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़, कोलकाता और बरेली को संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रशासनिक कार्यालयों की श्रेणी में राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए।

15) ईज़ सुधार - उन्नत अभिगम और सेवा उत्कृष्टता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सरकारी सुधार है जिसका उद्देश्य ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग को सुगम बनाना है। इसमें डिजिटल ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना, परिचालन जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना और नए युग की क्षमता निर्माण को गति देना शामिल है। ईज़ 7.0 सुधारों को ग्राहक सेवा उत्कृष्टता, नई तकनीक को अंगीकृत करने और 'विकसित भारत' की दिशा में बैंकिंग पर बल देते हुए 25 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया था।

ईज़ 7.0 (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए बैंक ने समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य वार्षिक इंडेक्सिंग स्कोर में शीर्ष सुधारक के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए हमारे निरंतर प्रयास को प्रमाणित करता है।

16) अन्य पुरस्कार और प्रशंसा

- बैंक को एमएसएमई हेतु जागरूक करने के लिए विजेता पुरस्कार तथा सीआईएमएसएमई द्वारा शासकीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उप विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया है।

- बैंक को आईबीए द्वारा आयोजित 20वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में लघु बैंकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा एवं संगठन पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक को वित्त वर्ष 25 के लिए पीएसयू वाणिज्यिक खंड में "सर्वोच्च डीक्यूआई उन्नयन पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

17) निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण - 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते का उपक्रम करने के संबंध में निदेशकों द्वारा पुष्टि की जाती है कि;

- लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही यदि कोई भौतिक विचलन हुआ है तो उसके संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बनाई गई लेखांकन नीतियां लगातार लागू की गईं। वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए गए थे।
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है।
- वार्षिक खाते चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं,
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

18) अभिस्वीकृति

हम गैर-कार्यपालक अध्यक्ष डॉ. चरन सिंह, कार्यपालक निदेशक डॉ. रामजस यादव, आरबीआई नामित निदेशक श्री कमल प्रसाद पटनायक, गैर सरकारी निदेशक श्री शंकर लाल अग्रवाल, शेयरधारक निदेशक श्री तीरथ राज मेन्दीरता तथा बोर्ड के समस्त भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों का उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि, समर्थन, मार्गदर्शन और हमारे समस्त प्रयासों में प्रबंधन को दिए गए सहयोग के लिए आभार ज्ञापित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम समस्त हितधारकों और ग्राहकों के प्रति उनके निरंतर समर्थन व बैंक में विश्वास बनाए रखने के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार को उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं।



R S KATHURIA & Co.
Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

फॉर्म संख्या एमआर - 3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 24ए के अनुसरण में]

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

सदस्य
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
"बैंक हाउस", 21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली - 110 008

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (इसमें एतदपश्चात 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा उचित कॉरपोरेट व्यवहार की सचिवीय लेखा-परीक्षा संचालित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, सांविधिक रजिस्टर, फॉर्म एवं दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भी, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारे अभिमत में बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है और उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक उस प्रकार की है जैसा कि इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बुक, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- (i) प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- (ii) निक्षेपांगार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम व उप-विधि
- (iii) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :
 - (a) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर)
 - (b) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018;
 - (c) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (d) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम 2018; समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।
 - (e) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इकिटी) विनियम, 2021; समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

- (f) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2021;
- (g) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार निषेध) विनियम 2015;
- (v) निम्नलिखित यथा प्रयोज्य अधिनियम, योजना, विनियम तथा अन्य कानून जो विशेष रूप से बैंक के लिए हैं जैसे-
- (a) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980
 - (b) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980
 - (c) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008
 - (d) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
 - (e) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
 - (f) संदान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

हमारी रिपोर्ट को नीचे उल्लिखित नोटिंग के साथ पढ़ा जाना है -

- सचिवीय अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत अभिव्यक्त करना है।
- हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय अभिलेखों के अंतर्वस्तु की यथार्थता के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों के परिलक्षण को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया है, हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं।
- हमने बैंक के वित्तीय अभिलेख तथा लेखा बहियों की यथार्थता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
- यथावश्यक हमने विधि, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
- कॉरपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों व विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी परीक्षा, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- हमने विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य विधि के अंतर्गत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।
- सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट बैंक के भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

समीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान, बैंक ने उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम रिपोर्ट करते हैं :

- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) के अनुसार कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के साथ विधिवत नहीं किया गया है, निदेशक मंडल और तत्संबंधी समितियों के संघटन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

- a) बैंक के बोर्ड में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (ई), 9 (3) (एफ), 9 (3) (जी) के अंतर्गत एक-एक निदेशक और धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत पाँच निदेशक के पद रिक्त थे।
- b) सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (1) (ए) के अंतर्गत अधिदिए, बैंक के बोर्ड में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- c) बैंक में अध्यक्ष का पद रिक्त है। तथापि, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के खंड 12 (6) के अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता एमडी एवं सीईओ द्वारा की जा रही है।
- d) चूंकि लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों की संख्या तीन से कम और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या भी दो से कम थी इसलिए 12 मई, 2024 से 30 अगस्त, 2024 तक तथा 21 दिसंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18 (1) (ए) और (बी) के अंतर्गत आवश्यक लेखा परीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, उपरोक्त अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी स्वतंत्र नहीं थे।

- e) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में सदस्यों की संख्या तीन से कम होने के कारण 1 अप्रैल, 2024 से 5 जून, 2024 तक तथा 31 अगस्त, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19 (1) (ए) व (बी) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था।

इसके अलावा निर्दिष्ट अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

- f) पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/24 डीओआर. जीओवी. आरईसी.8/29.67.001/2021-22 दिनांकित 26 अप्रैल, 2021 के अनुसरण में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका।

बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी और बैंक ने समय-समय पर केंद्र सरकार को सूचित किया है तथा सेबी (एलओडीआर) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों/ महिला स्वतंत्र निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) के अनुसार अन्य निदेशकों की की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के लिए अंतिम संचार पत्र दिनांकित 08 जनवरी, 2025 के माध्यम से किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए थे।

2. समस्त निदेशकों को बोर्ड बैठक के लिए यथोचित सूचना दी जाती है और तदनुसार, कार्यसूची तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत जानकारी निदेशकों को भेजे गए थे तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची मर्दानों के संबंध में अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु प्रणाली विद्यमान है।
3. बहुमत से लिये गये निर्णयों को स्वीकार किया जाता है तथा असहमत सदस्यों के विचार, यदि हो, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में रखा और रिकार्ड किया जाता है।



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55, Chawla Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

4. प्रयोज्य विधि, नियमों, विनियमों, तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी निगरानी हेतु बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप बैंक में उचित प्रणाली तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यतः बैंक पर लागू विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलएलसी) - रिपोर्टिंग में संशोधन' के साथ पठित 'सभी बैंकों में बड़े सामान्य एक्सपोज़र के एक केंद्रीय भंडार का निर्माण' और 'वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' संबंधी कतिपय निदेशों के अनुपालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक पर ₹68.20 लाख (अड़सठ लाख बीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान:

- बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) को ₹28.37 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹10 प्रति शेयर के 31,77,98,773 इकिटी शेयर जारी किए हैं।
- बैंक ने 20 दिसंबर, 2034 को परिपक्वता वाले ₹1,00,000 अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में 3,00,000 अराक्षित, मोचनीय, असंचयी, कर-योग्य, अपरिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं।

कृते आर एस कथूरिया एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

आर एस कथूरिया
प्रोपराइटर
एफसीएस 5217; सीपी संख्या : 3112
यूडीआईएन : F005217G000223886

कंपनी अभिशासन पर रिपोर्ट (2024-25)

1) अभिशासन संहिता पर बैंक – दर्शन

बैंक, समस्त स्तरों पर कार्य-निष्पादन तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करके अपने शेयरधारकों की हितों की सुरक्षा द्वारा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपना सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक सुदृढ़ कंपनी अभिशासन पद्धतियों के समूह का गठन और उनका अनुपालन भी करेगा। बैंक, अपने गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण के उच्च मानकों को स्थापित करने में विश्वास रखता है। बैंक, सर्वोत्तम कार्यशैली के अनुसरण हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक, अपने हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर समाज भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु कठिन उद्यम करेगा।

बैंक के इक्विटी शेयर, बंबई शेयर बाजार लिमिटेड (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। तथापि, बैंक कोई कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निगमित निकाय है तथा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक, यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट अनुसार कंपनी अभिशासन मानदंडों के प्रावधानों का बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों इत्यादि का उल्लंघन नहीं होने की सीमा तक अनुपालन करता है।

2) निदेशक-मंडल

2.1 बोर्ड का संघटन :

बैंक के निदेशक मंडल की संरचना, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980, यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों इत्यादि के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती है।

मार्च 31, 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम और श्रेणी	दिनांक 31.03.2025 को धारित बैंक के सामान्य शेयरों/ परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	बैंक की उप समिति में सदस्यता की संख्या	टिप्पणी (बैंक में नियुक्ति की प्रकृति)	बैंक बोर्ड की उप-समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य	10	A	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (अध्यक्ष) 2. थोखाथड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 3. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति (अध्यक्ष) 4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (अध्यक्ष) 5. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति 6. बोर्ड की एच.आर. समिति (अध्यक्ष) 7. वसूली की निगरानी के लिए समिति (अध्यक्ष)

					8. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (अध्यक्ष) 9. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 10. पूंजी निर्गमन समिति (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा कार्यपालक निदेशक	397	10	B	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 3. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति 5. बोर्ड की हितधारक संबंध समिति 6. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति 7. बोर्ड की एचआर समिति 8. वसूली की निगरानी के लिए समिति 9. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 10. पूंजी निर्गमन समिति
3.	श्री राजीव कार्यपालक निदेशक	शून्य	10	C	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 3. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति 5. बोर्ड की हितधारक संबंध समिति 6. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति 7. बोर्ड की एचआर समिति 8. वसूली की निगरानी के लिए समिति 9. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति 10. पूंजी निर्गमन समिति
4.	सुश्री एम. जी. जयश्री भारत सरकार नामित निदेशक	शून्य	8	D	1. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति 2. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति 3. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति 4. बोर्ड की एचआर समिति 5. वसूली की निगरानी के लिए समिति 6. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति 7. धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति 8. हितधारक संबंध समिति (अध्यक्ष)
5.	श्री विवेक श्रीवास्तव निदेशक (आरबीआई की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नामित)	शून्य	2	E	1. बोर्ड की प्रबंधन समिति 2. सतर्कता, अनुशासनात्मक प्रकरणों और विभागीय जांच के संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति

6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (गैर-सरकारी निदेशक) (शेयरधारक निदेशक)	225	8	F	1. धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (अध्यक्ष) 2. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति 3. बोर्ड की हितधारक संबंध समिति 4. बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति (अध्यक्ष) 5. बोर्ड की एचआर समिति 6. इरादतन घूंककर्ता के लिए समीक्षा समिति 7. वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति 8. बोर्ड की प्रबंधन समिति
----	--	-----	---	---	---

नोट : समितियों के नाम जिनमें निदेशक अध्यक्ष हैं, प्रयोज्यतानुसार विशेष रूप से इंगित किए गए हैं।

- A. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 4/4/2021-बीओ। दिनांकित 03.06.2022 के निबंधन अनुसार कार्यालय में कार्य-ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- B. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 4/1(v)/2023-बीओ। दिनांकित 09 अक्टूबर, 2023 के निबंधन अनुसार 09 अक्टूबर, 2023 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात 08 अक्टूबर, 2026) या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- C. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 4/1(v)/2023-बीओ। दिनांकित 09 अगस्त, 2024 के निबंधन अनुसार 09 अगस्त, 2024 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात 08 अगस्त, 2027) या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- D. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (b) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. ईएफ. नं. 6/2/2022-बीओ। दिनांकित 11 अप्रैल, 2022 के निबंधन अनुसार तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- E. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (c) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 6/3/2011-बीओ। दिनांकित 12 दिसंबर, 2024 के निबंधन अनुसार तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- F. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत 01 जून, 2024 से 31 मई, 2027 तक 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है। उनकी नियुक्ति 2020 में आयोजित शेयरधारक-निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया को वापस लेने के बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है (आदेश दिनांकित 19.04.2021 के माध्यम से)।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/ समापन :

वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए हैं:

[A] नियुक्ति:

- श्री राजीवा को कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को 31 मई, 2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए शेषरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है।
- श्री विवेक श्रीवास्तव को 12 दिसंबर, 2024 से आगामी आदेश तक आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

[B] समापन:

- डॉ. रामजस यादव, कार्यपालक निदेशक, दिनांक 30.04.2024 तक बैंक बोर्ड में रहे।
- श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता, शेषरधारक निदेशक, दिनांक 11.05.2024 तक बैंक बोर्ड में रहे।
- डॉ. चरन सिंह, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, दिनांक 06.11.2024 तक बैंक बोर्ड में रहे।
- श्री कमल प्रसाद पटनायक, आरबीआई नामित निदेशक, दिनांक 12.12.2024 तक बैंक बोर्ड में रहे।
- श्री शंकर लाल अग्रवाल, गैर-सरकारी निदेशक, दिनांक 20.12.2024 तक बैंक बोर्ड में रहे।

2.3 अन्य सूचीबद्ध इकाइयों की समिति/ बोर्ड में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक पद का नाम व श्रेणी	समिति की सदस्यता
1.	सुश्री एम. जी. जयश्री	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड - नामित निदेशक	i) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ii) हितधारक संबंध समिति

2.4 वर्ष 2024-25 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण :

श्री राजीवा (कार्यपालक निदेशक) :

श्री राजीवा ने 9 अगस्त, 2024 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पूर्व वे पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे। कला में स्नातकोत्तर श्री राजीवा, बैंकिंग एवं वित्त में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं।

वर्ष 1993 में श्री राजीवा, पंजाब नेशनल बैंक की सेवाओं में शामिल हुए। तीन दशकों से अधिक के करियर में श्री राजीव ने ग्रामीण और शहरी शाखाओं में सेवा करते हुए बैंकिंग के लगभग समस्त प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की। उन्हें कॉर्पोरेट क्रेडिट में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने पीएनबी की विदेशी सहायक कंपनी पीएनबी (अंतरराष्ट्रीय) लिमिटेड का नेतृत्व किया है।

उन्होंने मैकिन्से और एफएसआईबी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "आरोहण" प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री विवेक श्रीवास्तव (आरबीआई नामित निदेशक) :

श्री विवेक श्रीवास्तव, कैरियर सेंट्रल बैंकर हैं जो नवंबर 1990 में भारतीय रिज़र्व बैंक में शामिल हुए थे। उन्होंने दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई में आरबीआई के विभिन्न केंद्रों और विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं तथा वर्तमान में चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों यथा मुद्रा प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और मानव संसाधन में कार्य किया है। 12 दिसंबर, 2024 को श्री श्रीवास्तव ने आरबीआई नामित निदेशक के रूप में पंजाब एण्ड सिंध बैंक में पदभार ग्रहण किया।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता :

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, एक अनुभवी बीमा पेशेवर हैं जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 36 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उनके पास विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमएससी) की डिग्री है और वे भारतीय बीमा संस्थान के प्रतिष्ठित अध्येता हैं। 01 जून, 2024 को श्री गुप्ता ने शेयरधारक निदेशक के रूप में पंजाब एण्ड सिंध बैंक में पदभार ग्रहण किया।

2.5 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के विरुद्ध निम्न तिथियों पर कुल 20 बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं :

19.04.2024	30.04.2024	10.05.2024	18.05.2024	28.05.2024
13.06.2024	29.06.2024	26.07.2024	08.08.2024	30.08.2024
01.10.2024	19.10.2024	29.10.2024	05.11.2024	22.11.2024
20.12.2024	15.01.2025	27.01.2025	25.02.2025	25.03.2025

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल में आयोजित उपर्युक्त बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 11.07.2023 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह- अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक)	01.04.2024 से 06.11.2024	14	14	उपस्थित
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ (सदस्य)	01.04.2024 से 06.11.2024	14	14	उपस्थित
	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	06.11.2024 से 31.03.2025	6	6	
3	डॉ. रामजस यादव - पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	02	02	अप्रयोज्य
4	श्री रवि मेहरा - कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	20	20	उपस्थित
5	श्री राजीव - कार्यपालक निदेशक	09.08.2024 से 31.03.2025	11	11	अप्रयोज्य
6	सुश्री एम. जी. जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	20	19	अनुपस्थित
7	श्री कमल प्रसाद पटनायक - पूर्व आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2024 से 12.12.2024	15	11	अनुपस्थित
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	16	16	उपस्थित
9	श्री टी. आर. मेन्दीरत्ता - पूर्व शेयरधारक निदेशक	01.04.2024 से 11.05.2024	3	3	अप्रयोज्य
10	श्री विवेक श्रीवास्तव आरबीआई नामित निदेशक	12.12.2024 से 31.03.2025	5	5	अप्रयोज्य
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता - शेयरधारक निदेशक	01.06.2024 से 31.03.2025	15	13	अप्रयोज्य

2.6 निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। निदेशकों का परस्पर कोई संबंध नहीं है।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य-पद्धति कार्यक्रम का विवरण बैंक वेबसाइट पर उद्घाटित है तथा यूआरएल <https://punjabandsindbank.co.in/content/familiarization-programmes-imparted-to-directors> पर इसका अवलोकन किया जा सकता है।

2.8 निदेशक-मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता का निर्धारण करने वाला संचित्र/आव्यूह :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अनुसार, किसी निदेशक के पास एक या अधिक विषयों यथा कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग इत्यादि के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा।

क्र. सं.	निदेशक का नाम एवं श्रेणी	अनुभव	मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	बी. एससी (ऑनर्स), कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा, सीएआईआईबी, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन। 34 वर्षों से अधिक का अनुभव। पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक रहे हैं।	बैंकिंग एवं वित्त
2	श्री रवि मेहरा- कार्यपालक निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर तथा भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी)। 30 वर्षों से अधिक का बैंकिंग अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
3	श्री राजीव - कार्यपालक निदेशक	कला में स्नातकोत्तर, एमबीए (बैंकिंग और वित्त), भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी)। बैंकिंग में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
4	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	विज्ञान में स्नातकोत्तर, लोक प्रबंधन तथा प्रशासन, एमजी विश्वविद्यालय, केरला से सांख्यिकी में एमएससी। वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में उप महानिदेशक।	प्रशासन एवं प्रबंधन
5	श्री वितेक श्रीवास्तव- आरबीआई नामित निदेशक	इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में क्षेत्रीय निदेशक।	बैंकिंग एवं वित्त
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता- शोयरधारक निदेशक	स्नातकोत्तर (भौतिकी), भारतीय बीमा संस्थान के अध्यक्ष। भारतीय जीवन बीमा निगम में विपणन एवं प्रशासन के क्षेत्र में 36 वर्षों का अनुभव।	मानव संसाधन, बैंक-बीमा

आगे, यह है :

- पुष्टि की जाती है कि बोर्ड के अभिमत में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी एलओडीआर विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं तथा
- सूचित किया जाता है कि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी भी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का कोई प्रकरण नहीं है।

3) निदेशकों की समिति:

कंपनी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने सामरिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। प्रबंधन वर्ग ने बोर्ड/ समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान मानव संसाधन/ आईआर के प्रचालन कार्य-निष्पादन व विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, खंड/ उत्पाद कार्य-निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और तत्संबंधी आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	समिति का नाम
1.	बोर्ड की प्रबंधन समिति
2.	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
3.	धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति
4.	सतर्कता, अनुशासनात्मक मामले और विभागीय जांच से संव्यवहार हेतु निदेशकों की समिति (बोर्ड की सतर्कता समिति)
5.	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
6.	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
7.	बोर्ड की हितधारक संबंध समिति
8.	बोर्ड की एचआर समिति
9.	बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति
10.	अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार हेतु समिति
11.	वसूली की निगरानी के लिए समिति
12.	इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
13.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
14.	कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एवं सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
15.	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
16.	असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति*

*समिति को आरबीआई/डीओआर/2024-25/122 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.सं.31/20.16.003/2024-25 दिनांकित 30 जुलाई, 2024 के अनुसार निरस्त कर दिया गया।

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ. सं. 16/22/2019-बीओ. I (भाग) दिनांकित 25.01.2021 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के अनुच्छेद 14 के पश्चात निम्नांकित अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया है।

"जहाँ किसी राष्ट्रीय बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की अनुशंसा या अवधारणा, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति नहीं हो सकती है तो बोर्ड, उक्त कार्रवाई अथवा गतिविधि को कर सकेगा।"

उपरोक्त के अनुरूप, बोर्ड ऐसी किसी समिति के कार्य को समाविष्ट कर सकता है जहाँ ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी समिति में रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है।

3.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 13 के अनुसरण में बोर्ड के प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो महत्वपूर्ण मामलों के विभिन्न व्यवसायिक विषयों यथा उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/ बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजी व राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करती है।

समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक/को और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (c) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा धारा 9 (3) की उपधारा (d), (e), (f), (h) और (i) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2025 को प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है :



क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री विवेक श्रीवास्तव - आरबीआई नामित निदेशक
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता - शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तिथियों पर चौदह (14) बैठके हुई :

28.05.2024	12.06.2024	26.06.2024	23.08.2024	18.09.2024	06.11.2024
05.12.2024	19.12.2024	24.12.2024	30.12.2024	25.02.2025	04.03.2025
18.03.2025	25.03.2025	-	-	-	-

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान, समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठके	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	14	14
2	डॉ. रामजस यादव – पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	-	-
3	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	14	14
4	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	16.08.2024 से 31.03.2025	11	11
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक – पूर्व आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2024 से 12.12.2024	7	7
6	श्री शंकर लाल अग्रवाल – पूर्व गैर-सरकारी निदेशक	12.05.2024 से 31.08.2024	4	4
7	श्री विवेक श्रीवास्तव आरबीआई नामित निदेशक	12.12.2024 से 31.03.2025	7	7
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता शेयरधारक निदेशक	14.01.2025 से 31.03.2025	4	4

नोट : श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक, दिनांक 14.01.2025 से 31.03.2025 तक बोर्ड की प्रबंधन समिति में सदस्य रहे हैं।

3.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

बैंक ने कंपनी अभिशासन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों (आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.जीओबी.आरईसी. 8/29.67.001/2021-22 दिनांकित 26.04.2021) के अनुसरण में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति गठित की है।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण तथा समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व यह समिति, तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है तथा प्रबंधन को अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा समिति, दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्यों के परिचालन की देखरेख करती है जिसमें संगठन, आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचालन व गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक के भीतर निरीक्षण तथा बैंक के सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और आरबीआई निरीक्षण के सुझाव पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा समिति, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षक/ निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके अतिरिक्त बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति, तिमाही/इयर टू डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणामों व रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

दिनांक 12.05.2024 से 30.08.2024 तक और दिनांक 21.12.2024 से 31.03.2025 तक गणपूर्ति के अभाव में एसीबी का गठन नहीं किया जा सका तथा संकल्प संख्या 2025/01/01 के माध्यम से समिति को बोर्ड में सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की निम्न तिथियों पर सात (07) बार बैठकें आयोजित की गई :

10.05.2024	18.09.2024	01.10.2024	16.10.2024	19.10.2024	22.11.2024	19.12.2024
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री शंकर लाल अग्रवाल- गैर सरकारी निदेशक (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 से 20.12.2024	6	6
2	श्री कमल प्रसाद पटनायक – पूर्व आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 से 12.12.2024	5	5
3	श्री टी आर मेन्द्रीरत्ता – पूर्व शेयरधारक निदेशक	01.04.2024 से 11.05.2024	1	1
4	श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	31.08.2024 से 31.03.2025	6	6
5	श्री विवेक श्रीवास्तव – आरबीआई नामित निदेशक	16.12.2024 से 31.03.2025	1	1

नोट : श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक, दिनांक 31.08.2024 से 21.12.2024 तक एसीबी के सदस्य रहे हैं।

श्री साकेत मेहरोत्रा (कंपनी सचिव), एसीबी के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

3.3 धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या आरबीआई/डीओएस/2024-25/118 डीओएस.सीओ.एफएमजीएसईसी.सं. 5/23.04.001/2024-25 दिनांकित 15 जुलाई, 2024 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं यथा धोखाधड़ी का पता लगाना, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना तथा धोखाधड़ी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करना इत्यादि में विलंब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप-समिति गठित की जाए जो विशेष रूप से धोखाधड़ी प्रकरणों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु समर्पित होगी।

समिति के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:-

- बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी करना।
- प्रणालीगत कमियों (यदि हो) जिनके कारण धोखाधड़ी को मूल रूप दिया गया हो, का पता लगाना तथा उनके निराकरण के लिए उपाय करना।
- धोखाधड़ी का पता लगाने/वर्गीकरण में विलंब के कारणों की पहचान करना।
- सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना।
- धोखाधड़ी प्रकरणों में स्टाफ जवाबदेही की जांच/निष्कर्ष में विलंब के कारणों की पहचान करना।
- हमारे बैंक/अन्य बैंक द्वारा आरएफए के रूप में चिह्नित खातों की समीक्षा करना।
- आरएफए के रूप में चिह्नित खातों की समीक्षा करना और पर्यवेक्षता करना कि क्या धोखाधड़ी के पहलू की जांच के लिए निर्धारित 180 दिनों की समय-सीमा पार हो गई है।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की कार्यकुशलता यथा आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने की समीक्षा करना।

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (अध्यक्ष)
2.	श्री स्वरूप कुमार साहा- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3.	श्री रवि मेहरा - कार्यपालक निदेशक
4.	श्री राजीवा - कार्यपालक निदेशक
5.	सुश्री एम. जी. जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुईं:

15.04.2024	23.09.2024	04.11.2024	24.03.2025
------------	------------	------------	------------

नोट :

- भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संख्या भारिबैं/प.वि.के.का/2024-25/118 प.वि.के.का.एफएमजी.एसईसी.सं. 5/23.04. 001/2024-25 दिनांकित 15 जुलाई, 2024 के माध्यम से वृहत मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति के संबंध में विगत दिशानिर्देशों को अधिकृत किया है तथा धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
- गणपूर्ति के अभाव के कारण समिति को दिनांक 12.05.2024 से 30.08.2024 तक बोर्ड के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	डॉ. चरन सिंह- पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष (दिनांक 06.11.2024 तक अध्यक्ष)	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 से 06.11.2024	2	2

2.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 से 31.03.2025	3	3
4.	डॉ. रामजस यादव – पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	1	1
5.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 से 31.03.2025	3	3
6.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	31.08.2024 से 31.03.2025	3	3
7.	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – पूर्व शेषरधारक निदेशक	01.04.2024 से 11.05.2024	1	1
8.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – पूर्व गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 से 20.12.2024	2	2
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेषरधारक निदेशक (दिनांक 16.12.2024 से अध्यक्ष)	31.08.2024 से 31.03.2025	3	3
10.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	14.01.2025 से 31.03.2025	1	0

3.4 सतर्कता, अनुशासनात्मक मामले और विभागीय जांच से संध्यवहार हेतु निदेशकों की समिति (बोर्ड की सतर्कता समिति) :

वित्त मंत्रालय के पत्रांक 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांकित 24.10.1990 की शर्तों के अनुरूप सतर्कता कार्यों की समीक्षा करने के मद्देनजर, सतर्कता अनुशासनात्मक प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु प्रभावी निगरानी उपकरण के रूप में बैंक में बोर्ड की सतर्कता समिति गठित की गई है।

दिनांक 31.03.2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक
5.	श्री विवेक श्रीवास्तव – आरबीआई नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुई :

12.06.2024	19.09.2024	20.12.2024	25.02.2025
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
2	डॉ. रामजस यादव – पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	0	0
3	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
4	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	16.08.2024 से 31.03.2025	3	3
5	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	3
6	श्री कमल प्रसाद पटनायक – पूर्व आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2024 से 12.12.2024	2	2
7	श्री विवेक श्रीवास्तव – आरबीआई नामित निदेशक	16.12.2024 से 31.03.2025	2	2

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने आरबीआई दिशानिर्देश आरबीआई/2021-22/24 डीओआर.जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021-22 दिनांकित 26.04.2021 के अनुसरण में बैंक द्वारा कल्पित समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति तीन प्रमुख जोखिम प्रकार्य यथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समन्वित विचार करती है तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करती है।

दिनांक 12.05.2024 से 05.06.2024 तक और दिनांक 21.12.2024 से 31.03.2025 तक गणपूर्ति के अभाव में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका तथा संकल्प संख्या 2025/01/01 के माध्यम से समिति को बोर्ड में शामिल कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की आठ (08) बैठकें आयोजित हुईं :

05.04.2024	06.05.2024	09.05.2024	21.06.2024
03.08.2024	21.08.2024	27.09.2024	16.12.2024

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	06.06.2024 से 31.03.2025	5	5
2	श्री टी. आर. मेन्दीरत्ता – पूर्व शेयरधारक निदेशक	01.04.2024 से 11.05.2024	3	3
3	श्री स्वरूप कुमार साहा –	01.04.2024 से 12.05.2024	3	3

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
	एमडी एवं सीईओ	06.06.2024 से 31.03.2025	5	5
4	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	3	3
		06.06.2024 से 31.03.2025	5	2
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल- पूर्व गैर सरकारी निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	3	3
		06.06.2024 से 20.12.2024	5	5

बैंक ने जोखिमों के विभिन्न श्रेणियों अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम इत्यादि के आदर्श रूप से पहचान, प्रबंध, निगरानी व नियंत्रण की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखापरीक्षा समाविष्ट यथोचित जोखिम प्रबंधन वास्तुकला की स्थापना की है। इसका अंतर्निहित उद्देश्य बैंक परिचालन में निरंतर स्थिरता व दक्षता सुनिश्चित करना तथा बैंक की सुरक्षा का ध्यान रखना है।

3.6 ग्राहक सेवा समिति :

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जिसे 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च, 2025 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीव – कार्यपालक निदेशक
4.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

समितिके कार्यों में ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए सुझाव और नवोन्मेषी उपायों हेतु प्लेटफॉर्म सृजित करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- ग्राहक-सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करना और ग्राहक-सेवा पर स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया एवं कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की अनुशंसा का भी अनुपालन करना।
- अधिनिर्णय की तिथि से तीन माह से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने पर भी कार्यान्वित नहीं किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा संज्ञान में लिए गए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना तथा ग्राहकों के समस्त संवर्ग के लिए ग्राहक संतुष्टि स्तर में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं :

13.06.2024	21.08.2024	04.11.2024	24.03.2025
------------	------------	------------	------------

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष	01.04.2024 से 06.11.2024	3	3

	(दिनांक 06.11.2024 तक अध्यक्ष)			
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (सदस्य) (दिनांक 12.11.2024 से अध्यक्ष)	01.04.2024 से 06.11.2024	3	3
		12.11.2024 से 31.03.2025	1	1
4	डॉ. रामजस यादव – पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	0	0
5	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
6	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	16.08.2024 से 31.03.2025	3	3
7	सुश्री एम जी जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	2
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	12.11.2024 से 31.03.2025	1	1

3.7 हितधारक संबंध समिति :

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियमन 20 के अनुसार समिति का गठन किया गया है। शेयरधारकों, बॉण्डधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निराकरण-तंत्र की जांच-पड़ताल का कार्य समिति करती है।

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	सुश्री एम जी जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नानुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं :

30.04.2024	27.09.2024	04.11.2024	25.03.2025
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	सुश्री एम जी जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक (अध्यक्ष)	12.11.2024 से 31.03.2025	1	1
2	डॉ. चरन सिंह – पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष	01.04.2024 से 06.11.2024	3	3

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
3	डॉ. रामजस यादव – पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	1	1

4	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
5	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	16.08.2024 से 31.03.2025	3	3
6	श्री शंकर लाल अग्रवाल – पूर्व गैर सरकारी निदेशक	12.05.2024 से 20.12.2024	2	2
7	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – पूर्व शेयरधारक निदेशक	01.04.2024 से 11.05.2024	1	1
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	14.01.2025 से 31.03.2025	1	1

समिति, निवेशकों की शिकायतों के निराकरण की समयबद्ध तरीके से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त व निराकरण किए गए अनुरोध/ शिकायतों की संख्या का सारांश इस प्रकार है:

01.04.2024 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निराकृत	31.03.2025 को लंबित
0	1	1	0

31 मार्च, 2025 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 6 के अनुसार श्री साकेत मेहरोत्रा, कंपनी सचिव को "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

3.8 मानव संसाधन प्रबंधन समिति :

विकासशील एचआर योजनाओं को गति प्रदान करने तथा विभिन्न यूनिटों व संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बीआर संख्या 19841 दिनांकित 05.05.2012 (डीएफएस संचार एफ. सं. 9/18/2009-आईआर दिनांकित 21.10.2011 और डीएफएस पत्र एफ. सं. 9/18/2009-आईआर दिनांकित 21.03.2012 के अनुसार) के माध्यम से एचआर समिति का गठन किया गया है। आवश्यकतानुसार लेकिन तिमाही में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित की जा सकती है। 31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
5.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक
6.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की ग्यारह (11) बैठकें आयोजित की गईं :

15.04.2024	06.05.2024	06.06.2024	28.06.2024	20.08.2024	23.09.2024
29.10.2024	16.12.2024	27.01.2025	25.02.2025	25.03.2025	-

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष (दिनांक 06.11.2024 तक अध्यक्ष)	01.04.2024 से 06.11.2024	7	7

2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (दिनांक 12.11.2024 से अध्यक्ष)	01.04.2024 से 12.11.2024	7	7
		12.11.2024 से 31.03.2025	4	4
3	डॉ. रामजस यादव – पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	1	1
4	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	11	11
5	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	16.08.2024 से 31.03.2025	7	7
6	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	11	11
7	श्री टी आर मेन्दिरता – पूर्व शेयरधारक निदेशक	01.04.2024 से 11.05.2024	2	2
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल – पूर्व गैर सरकारी निदेशक	12.05.2024 से 20.12.2024	6	6
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	12.11.2024 से 31.03.2025	4	4

3.9 बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति :

आईटी पहल में तीव्रता लाने और प्रौद्योगिकियों के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति में न्यूनतम 3 निदेशक समाविष्ट होंगे।

आईटीएससी का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और उसके पास सूचना प्रौद्योगिकी पहल के प्रबंधन/मार्गदर्शन में पर्याप्त आईटी विशेषज्ञता होगी तथा सदस्य तकनीकी रूप से सक्षम होंगे। (आरबीआई परिपत्र डीओएससीओ, सीएसआईटीईजी/ एसईसी 7/31.01.015/2023-24 दिनांकित 07.11.2023 के अनुसार)

समिति के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:-

- सुनिश्चित करना कि बैंक के पास एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया है।
- बैंक के कारोबारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी समग्र रणनीति के साथ संरेखित आईटी रणनीति की तैयारी में मार्ग-दर्शन प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी अभिशासन प्रभावी और कुशल हो, उसके पास पर्याप्त कुशल संसाधन हों, संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए सुपरिभाषित उद्देश्य और स्पष्ट जिम्मेदारियां हों।
- सुनिश्चित करना कि बैंक के पास आईटी जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने की प्रक्रिया स्थापित हो।
- सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य के लिए बजटीय आबंटन, बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल डेपथ, खतरे के माहौल और उद्योग मानकों के अनुरूप है और इसका उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है; और
- बैंक की कारोबार निरंतरता योजना और आपदोपरांत बहाली प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना।

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ
3.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
4.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
5.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की नौ (09) बैठकें हुई :

12.04.2024	06.05.2024	28.06.2024	24.07.2024	21.08.2024
23.09.2024	04.11.2024	07.02.2025	25.03.2025	-

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष (दिनांक 06.11.2024 तक अध्यक्ष)	01.04.2024 से 06.11.2024	7	7
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (सदस्य)	01.04.2024 से 12.11.2024	7	7
		14.01.2025 से 31.03.2025	2	2
3	डॉ. रामजस यादव – पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	1	0
4	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 12.11.2024	7	7
		14.01.2025 से 31.03.2025	2	2
5	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	16.08.2024 से 12.11.2024	3	3
		14.01.2025 से 31.03.2025	2	2
6	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2024 से 12.11.2024	7	6
		14.01.2025 से 31.03.2025	2	2
7	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – पूर्व शेयरधारक निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	2	2
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल – पूर्व गैर सरकारी निदेशक	01.04.2024 से 06.06.2024	2	2
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक (सदस्य)	06.06.2024 से 12.11.2024	5	3
	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक (दिनांक 14.01.2025 से अध्यक्ष)	14.01.2025 से 31.03.2025	2	2

3.10 अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संव्यवहार हेतु समिति :

संकल्प संख्या 2025/01/01 दिनांकित 14.01.2025 के माध्यम से समिति को बोर्ड द्वारा सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई है।

3.11 वसूली की निगरानी के लिए समिति:

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक एफ. सं. 7/112/2012-बीओए दिनांकित 21.11.2012 के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों, वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक तथा स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक को समाविष्ट करते हुए निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक
4.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुईं:

21.06.2024	19.09.2024	16.12.2024	24.03.2025
------------	------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
2	डॉ. रामजस यादव – पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	0	0
3	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	4
4	श्री राजीवा – कार्यपालक निदेशक	16.08.2024 से 31.03.2025	3	3
5	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	4	3
6	श्री शंकर लाल अग्रवाल – पूर्व गैर सरकारी निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2024	3	3
7	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	14.01.2025 से 31.03.2025	1	1

3.12 इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति :

पक्षकार को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने के लिए ईडी द्वारा समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो गैर कार्यकारी/ स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की दो (02) बैठकें आयोजित हुईं :

21.06.2024	16.12.2024
------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष (दिनांक 06.06.2024 तक अध्यक्ष)	01.04.2024 से 06.06.2024	0	0
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (दिनांक 06.06.2024 से अध्यक्ष)	01.04.2024 से 06.06.2024	0	0
		06.06.2024 से 31.03.2025	2	2
3	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	2	2
4	श्री शंकर लाल अग्रवाल – पूर्व गैर सरकारी निदेशक	01.04.2024 से 20.12.2025	2	2
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	06.06.2024 से 31.03.2025	2	2

3.13 नामांकन और पारिश्रमिक समिति :

आरबीआई अधिसूचना संख्या आरबीआई/2021-22/24 डीओआर जीओवी.आरईसी. 8/29.67.001/2021-22 दिनांकित 26.04.2021 तथा डीएफएस अधिसूचना एफ. सं.16/19/2019-बीओ.1 दिनांकित 30.08.2019 के माध्यम से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था।

'नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति' का कार्य आरबीआई द्वारा निर्धारित 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंडों के अनुसार नामांकन, जांच की आवश्यक प्रक्रिया के लिए समुचित सावधानी आयोजित करना है।

दिनांक 01.04.2024 से 05.06.2024 और दिनांक 31.08.2024 से 31.03.2025 तक गणपूर्ति के अभाव में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया जा सका तथा संकल्प संख्या 2025/01/01 के माध्यम से समिति को बोर्ड में शामिल कर लिया गया है।

31 मार्च 2025 तक गणपूर्ति के अभाव में समिति का गठन नहीं किया जा सका।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.14 असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2014-15/362 डीबीआर. सं. सीआईडी. बीसी. 54/20.16.064/ 2014-15 दिनांकित 22.12.2014 के अनुसार किसी पक्षकार को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति गठित की गई थी।

समिति को आरबीआई/डीओआर/2024-25/122 डीओआर एफआईएन.आरईसी सं.31/20.16.003/2024-25 दिनांकित 30 जुलाई, 2024 के अनुसार निरस्त कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 09 मई, 2024 को समिति की एक (01) बैठक आयोजित हुई।

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		06.06.2024 से 30.07.2024	0	0
2	श्री टी आर मेन्दोरता – पूर्व शेयरधारक निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
3	श्री शंकर लाल अग्रवाल – पूर्व गैर सरकारी निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		06.06.2024 से 30.07.2024	0	0
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता – शेयरधारक निदेशक	06.06.2024 to 30.07.2024	0	0

3.15 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों के लिए) :

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकों तथा महाप्रबंधकों (आंतरिक नियंत्रण कार्यों के प्रभारी) के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को अभिलेखबद्ध करने के लिए वित्त मंत्रालय, डीएफएस पत्रांक एफ. सं. 9/5/2009-एचआर दिनांकित 30.08.2019 के अनुसार कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी एवं सीईओ तथा कार्यपालकों के लिए) गठित की गई थी।

दिनांक 31.03.2025 तक गणपूर्ति के अभाव के कारण समिति का गठन नहीं किया जा सका है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नांकित तिथियों को समिति की तीन (03) बैठकें आयोजित हुईं:

10.05.2024	29.10.2024	05.11.2024
------------	------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – पूर्व - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (दिनांक 06.11.2024 तक अध्यक्ष)	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 से 06.11.2024	2	2
2	सुश्री एम. जी. जयश्री –	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1

	एमओएफ. नामित निदेशक	31.08.2024 से 06.11.2024	2	2
3	श्री टी आर मेन्दीरता - पूर्व शेयरधारक निदेशक	01.04.2024 से 12.05.2024	1	1
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता - शेयरधारक निदेशक	31.08.2024 से 06.11.2024	2	2

3.16 बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 के खंड 13 के अनुसरण में, दो सौ पचास करोड़ रुपये तक के विभिन्न ऋण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा - कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीवा - कार्यपालक निदेशक
4.	श्री राजेश पाण्डेय - महाप्रबंधक (ऋण)
5.	श्री राजेन्द्र कुमार रेगर - महाप्रबंधक (पीएस एवं रेम)
6.	श्री धीरज कुमार गौड़ - मुख्य जोखिम अधिकारी
7.	श्री अर्नब गोरवामी - मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नांकित तिथियों पर इक्कीस (21) बैठके आयोजित हुई :

06.05.2024	08.05.2024	29.06.2024	18.07.2024	31.08.2024
17.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	11.10.2024
14.11.2024	17.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	28.01.2025
04.02.2025	17.02.2025	27.02.2025	05.03.2025	10.03.2025
29.03.2025	-	-	-	-

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठके	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	01.04.2024 से 31.03.2025	21	21
2.	डॉ. रामजस यादव - पूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 30.04.2024	0	0
3.	श्री रवि मेहरा - कार्यपालक निदेशक	01.04.2024 से 31.03.2025	21	21
4.	श्री राजीवा - कार्यपालक निदेशक	16.08.2024 से 31.03.2025	17	17
5.	श्री राजेश पाण्डेय - महाप्रबंधक (ऋण)	01.04.2024 से 31.03.2025	21	21

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
6.	श्री धीरज कुमार गौड़ – मुख्य जोखिम अधिकारी	01.04.2024 से 31.03.2025	21	19
7.	श्री अर्नब गोस्वामी – मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2024 से 31.03.2025	21	21
8.	श्री राजेन्द्र कुमार रेगर – महाप्रबंधक (पीएस एवं रेम)	17.09.2024 से 31.03.2025	16	16

3.17 शेयर अंतरण समिति :

संयोजक के रूप में कंपनी सचिव सहित जीएम, डीजीएम/ एजीएम को शामिल करते हुए अधिकारियों की समिति, पखवाड़े में न्यूनतम एक बार बैठक करती है। शेयर अंतरण समिति की बैठक के कार्यवृत्त आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शेयर अंतरण समिति की छब्बीस बैठकें आयोजित की गईं।

3.18 पूंजी निर्गमन समिति :

मूल्य निर्धारण, निर्गमन आरंभ करने, निर्गमन संवरण तथा अन्य निर्गमन संबंधी मामलों से संबंधित समस्त निर्णय लेने के लिए संकल्प दिनांकित 19.03.2025 के माध्यम से बोर्ड के अनुमोदन अनुसार समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)
2.	श्री रवि मेहरा – कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राजीव – कार्यपालक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, समिति की निम्नांकित तिथियों पर तीन (03) बैठकें आयोजित हुईं :

24.03.2025	27.03.2025	27.03.2025
------------	------------	------------

3.19 विगत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से तत्संबंधी परिवर्तन सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण :

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन में बैंक के समस्त महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक (स्वतंत्र प्रभार सहित), कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी समाविष्ट हैं।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	परिवर्तन का विवरण (यदि कोई हो)
1	श्री एस वी एम कृष्णा राव	महाप्रबंधक	28 फरवरी, 2025 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त
2	श्री गोपाल कृष्ण	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
3	श्री प्रवीण कुमार	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
4	श्री राजेन्द्र कुमार रेगर	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
5	श्री दिनेश कुमार गोयल	महाप्रबंधक	31 जनवरी, 2025 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त
6	श्री राजेश सी पाण्डेय	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
7	श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
8	श्री वमन लाल शीहमार	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य

क्र. सं.	नाम	पदनाम	परिवर्तन का विवरण (यदि कोई हो)
9	श्रीमती रश्मिता कात्रा	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
10	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
11	श्री नीलेन्द्र के प्रभात	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
12	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
13	श्री धीरज कुमार गौड़	मुख्य जोखिम अधिकारी	अप्रयोज्य
14	श्री संतोष कुमार नीरज	महाप्रबंधक	1 मार्च, 2025 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत
15	श्री रत्नेश चन्द्र	महाप्रबंधक	1 फरवरी, 2025 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत
16	श्री रवि गुप्ता	मुख्य अनुपालन अधिकारी	अप्रयोज्य
17	श्री अर्नब गोस्वामी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	दिनांक 03.04.2024 को बैंक सेवा में नियुक्त हुए।
18	सुश्री महिमा अग्रवाल	उप महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
19	श्री गुरदीप	उप महाप्रबंधक	अप्रयोज्य
20	श्री साकेत मेहरोत्रा	कंपनी सचिव	अप्रयोज्य

4) निदेशकों का पारिश्रमिक:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड 17 के निबंधन के अनुसार समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार गैर कार्यपालक निदेशकों को यात्रा और ठहराव व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों को वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (ओ) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है :

A) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदत्त बकाया सहित वेतन का विवरण :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	राशि (लाख में)
1	श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	40.37
2	श्री रवि मेहरा	कार्यपालक निदेशक	43.07
3	श्री राजीवा	कार्यपालक निदेशक	22.22
4	डॉ. रामजस यादव	पूर्व- कार्यपालक निदेशक	3.22
कुल			108.88

B) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदत्त कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का विवरण :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	राशि (लाख में)
शून्य			

C) बैंक, गैर-कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है। देय शुल्क निम्नानुसार है :

क्र. सं.	बैठक	प्रति बैठक देय बैठक शुल्क (₹)
1	बोर्ड	40,000
2	बोर्ड समिति	20,000
3	बोर्ड बैठक की अध्यक्षता के लिए	10,000 (उपरोक्त (1) के अतिरिक्त)
4	समिति की बैठक की अध्यक्षता हेतु	5,000 (उपरोक्त (2) के अतिरिक्त)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क निम्नानुसार है: (वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	भुगतान की गई राशि (लाख में)
1	डॉ. चरन सिंह	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	13.50
2	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता	पूर्व शेयरधारक निदेशक	3.75
3	श्री शंकर लाल अग्रवाल	गैर-सरकारी निदेशक	14.35
4	श्री आर पी गुप्ता	शेयरधारक निदेशक	12.40
कुल			44.00

D) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक कार्मिकों तथा बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प नहीं दिया गया।

5) सामान्य निकाय की बैठकें:

a) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है-

प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
12वीं वार्षिक सामान्य बैठक	मंगलवार, 12 जुलाई 2022	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा करना।
13वीं वार्षिक सामान्य बैठक	मंगलवार, 11 जुलाई 2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा करना। - अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थान के माध्यम से ₹250 करोड़ राशि तक की पूंजी जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।
14वीं वार्षिक सामान्य बैठक	गुरुवार, 24 जुलाई, 2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

b) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है-

प्रकृति	दिन एवं तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
असाधारण सामान्य बैठक	सोमवार, 17 मई, 2021	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) में से एक निदेशक का चुनाव करना। (श्री टी आर मेन्दीरत्ता को एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण तुरंत निर्वाचित किया गया और बैठक रद्द कर दी गई)
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 31 मार्च, 2022	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- विशेष संकल्प के माध्यम से नगद के लिए भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹4600/- करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के मूल्य वाले शेयरों को निर्गम मूल्य ₹16.88 (₹6.88 प्रति इकिटी शेयर के प्रीमियम सहित) पर कुल 2,72,51,18,483 इकिटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करना।
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 31 मई, 2024	पूर्वाह्न 11:00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित)	- बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) में से एक निदेशक का चुनाव करना (मतदान के बहुमत के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया)। - साधारण संकल्प के माध्यम से सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रवि मेहरा की नियुक्ति को अनुमोदन प्राप्त करना। - अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से ₹2000 करोड़ राशि की इकिटी पूंजी जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।

c) **डाक मतपत्र** : बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई व्यवसाय संचालित नहीं किया है और वर्तमान में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई व्यवसाय प्रस्तावित नहीं है।

6) संचार के माध्यम:

बैंक के त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रचार-प्रसार के लिए शेयर बाजारों (बीएसई और एनएसई) को प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। परिणाम, संपूर्ण भारत में या पर्याप्त रूप से प्रसारित होने वाले अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में तथा उस क्षेत्र की भाषा में जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है अर्थात् दिल्ली में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित होते हैं। बैंक अपने वित्तीय परिणामों और प्रबंधन दृष्टिकोण पर विश्लेषक बैठकें, निवेशकों/ विश्लेषकों के साथ बैठकें आदि भी आयोजित करता है।

बैंक की तिमाही/ इपर-टू-डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रेस-विज्ञप्ति और विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुति की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाओं को बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> तथा शेयर बाजारों अर्थात् www.nseindia.com और www.bseindia.com की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। विद्यमान सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से भेजी गईं तथा बैंक और शेयर बाजारों (रटॉक एक्सचेंज) की वेबसाइट यथा www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी होस्ट की गईं। सेबी दिशानिर्देशों के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां उन शेयरधारकों को प्रदान की गईं जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था।

7) सामान्य शेयरधारक जानकारी:

7.1 वित्तीय कैलेंडर (संभावित) :

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक

15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान	बैंक की 15वीं वार्षिक सामान्य बैठक, मंगलवार 05 अगस्त 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी तथा बैठक का मानित स्थान, बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
बही संवरण तिथि	बुधवार 30 जुलाई 2025 से मंगलवार 05 अगस्त 2025 तक
लाभांश के लिए निर्दिष्ट तारीख	मंगलवार 29 जुलाई 2025 तक
लाभांश भुगतान तिथि	15वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर

7.2 शेयर बाजारों में सूचीबद्धता :

बैंक के इक्विटी शेयर निम्नलिखित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं-

- बीएसई लिमिटेड (पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) - फिरोज जीजाभाय टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) - एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

आज दिनांक तक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान एनएसई तथा बीएसई को किया जा चुका है।

7.3 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निराकरण:

- बैंक के शेयर, बीएसई और एनएसई दोनों पर ISIN INE608A01012 के अंतर्गत डीमेट में व्यापार योग्य हैं। यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 (1) के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा स्थानांतरण हेतु प्राप्त अनुरोध के मामले के अतिरिक्त प्रतिभूतियों को केवल अमूर्त रूप में ही अंतरित किया जा सकता है। मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित कराएं।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि अमूर्त रूप में धारित शेयर्स के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में परिवर्तन की स्थिति में अभिलेख को अद्यतित कराने हेतु सीधे अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सूचित करें।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों का अंतरण, निक्षेपागार अर्थात् नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से किया जाता है जिसमें बैंक की कोई सहभागिता नहीं होती है।
- शेयरधारकों, बॉण्डधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निराकरण तंत्र की जांच-पड़ताल के लिए बोर्ड ने हितधारक संबंध समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समिति की बैठकें आयोजित होती हैं तथा समिति, निवेशकों के शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है।
- बैंक ने अपने शेयर अंतरण एजेंट के रूप में एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को नियुक्त किया है तथा अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में शेयर कक्ष के रूप में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है जहां शेयरधारक अपने अनुरोध/ शिकायतों के निराकरण के लिए मेल कर सकते हैं। संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूनिट: पंजाब एण्ड सिंध बैंक) नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएमसी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058 फोन: (011) 41410592 से 0594 फैक्स: (011) 41410591 ई-मेल: delhi@in.mfms.mufg.com	पंजाब एण्ड सिंध बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक 3, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 दूरभाष: (011) 40175169 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in
--	--

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 6 (2) (d) के अनुसार उपर्युक्त ई-मेल आई डी, निवेशकों की शिकायतों के लिए विशेष रूप से अभिहित है।

7.4 शेयरधारिता (शेयर) का संवितरण - 31 मार्च, 2025 तक त्रेणीवार

शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	कुल शेयर	कुल का %
1 - 500	180071	88.6525	16945434	0.2388
501 - 1000	11523	5.6730	9232050	0.1301
1001 - 2000	5896	2.9027	8861114	0.1249
2001 - 3000	2005	0.9871	5107454	0.0720
3001 - 4000	808	0.3978	2888067	0.0407
4001 - 5000	910	0.4480	4242796	0.0598
5001 - 10000	1236	0.6085	8880912	0.1251
10001 और उससे अधिक	671	0.3304	7,03,94,27,393	99.2086
कुल	203120	100.0000	7,09,55,85,220	100.0000

7.5 शेयरधारकों का भौगोलिक (राज्य वार) संवितरण - 31 मार्च, 2025 तक

क्र. सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयर	प्रतिशत*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31	3,366	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3,702	15,29,601	0.02
3	अरुणाचल प्रदेश	237	41,158	0.00
4	असम	1,635	3,11,912	0.01
5	बिहार	5,871	16,99,648	0.02
6	चंडीगढ़	1,051	4,07,526	0.01
7	छत्तीसगढ़	1,750	6,02,734	0.01
8	दादर नगर हवेली	41	17,368	0.00
9	दमन और दीव	25	8,229	0.00
10	दिल्ली	15,726	6,67,01,58,181	94.00
11	गोवा	433	86,597	0.00
12	गुजरात	23,293	72,55,553	0.10

क्र. सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयर	प्रतिशत*
13	हरियाणा	8,260	36,16,385	0.05
14	हिमाचल प्रदेश	1,118	3,44,918	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	823	2,97,872	0.00
16	झारखंड	2,740	7,55,538	0.01
17	कर्नाटक	9,444	46,24,531	0.07
18	केरल	4,218	15,30,562	0.02
19	लक्षद्वीप	1	70	0.00
20	मध्य प्रदेश	7,268	22,16,018	0.03
21	महाराष्ट्र	34,021	33,23,78,663	4.68
22	मणिपुर	129	44,999	0.00
23	मेघालय	71	10,848	0.00
24	मिजोरम	10	805	0.00
25	नागालैंड	73	19,829	0.00
26	ओडिसा	2,831	7,78,912	0.01
27	अन्य	1,542	99,95,079	0.14
28	पुदुचेरी	138	35,252	0.00
29	पंजाब	9,918	38,94,289	0.06
30	राजस्थान	15,716	47,32,898	0.07
31	सिक्किम	59	9,639	0.00
32	तमिलनाडु	10,445	2,71,85,828	0.38
33	तेलंगाना	6,159	91,96,999	0.13
34	त्रिपुरा	196	36,109	0.00
35	उत्तर प्रदेश	19,903	65,44,126	0.09
36	उत्तराखंड	1,815	4,92,301	0.01
37	पश्चिम बंगाल	12,427	47,20,877	0.07
कुल		2,03,120	7,09,55,85,220	100.00

* 0.00% उन मूल्यों को संदर्भित करता है जो 0.01% से कम हैं।

7.6 प्रतिभूतियों और चलनिधि का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयर, सेबी की अनिवार्य डीमेट सूची के अंतर्गत हैं तथा बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक अपने शेयरों को एनएसडीएल या सीडीएसएल के माध्यम से अमूर्तीकरण करा सकते हैं।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को बैंक के 7,09,55,85,220 इक्विटी शेयरों में से 7,09,55,04,140 शेयर अमूर्त रूप में हैं :

धारिता की प्रकृति	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
मूर्त	81,080	0.0011
अमूर्त		
एनएसडीएल	39,37,53,712	5.5493
सीडीएसएल *	6,70,17,50,428	94.4496
कुल योग	7,09,55,85,220	100.0000

* इसमें भारत सरकार द्वारा धारित 6,65,90,51,093 इकिटी शेयर शामिल हैं।

7.7 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या संपरिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है तथा दिनांक 31.03.2025 तक कोई अदत्त जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या संपरिवर्तनीय लिखत नहीं है।

7.8 वित्तीय वर्ष के दौरान पण्य कीमत जोखिम तथा पण्य बचाव-व्यवस्था गतिविधियां प्रयोज्य नहीं हैं।

7.9 संयंत्र स्थल: अप्रयोज्य

7.10 बैंक द्वारा प्राप्त साख श्रेणी निर्धारण

श्रेणी निर्धारण एजेंसी	टियर II बॉण्ड के लिए श्रेणी निर्धारण	दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड के लिए श्रेणी निर्धारण	जमा राशियों के प्रमाण-पत्र हेतु श्रेणी निर्धारण
सीएआरई	सीएआरई एए – सकारात्मक दिनांकित 05.09.2024 (पुनः अभिपुष्ट किया गया)	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
सीआरआईएसआईएल	सीआरआईएसआईएल एए स्थिर 20.09.2024 (पुनः अभिपुष्ट किया गया)	सीआरआईएसआईएल एए स्थिर 20.09.2024 (नया)	अप्रयोज्य
आईसीआरए	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	आईसीआरए ए1+ (पुनः अभिपुष्ट किया गया) दिनांकित 10.03.2025
इनफोमेरिक	आईवीआर एए स्थिर (पुनः अभिपुष्ट किया गया) दिनांकित 03.03.2025		अप्रयोज्य
भारत रेटिंग्स	अप्रयोज्य	आईएनडी एए स्थिर 23.10.2024 (नया)	अप्रयोज्य

8) अन्य प्रकटीकरण :

- कोई भी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेन-देन नहीं है जिसका व्यापक रूप से बैंक हितों के साथ मतभेद होने की संभावना हो सकती है।
- विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर शेयर बाजार (ओं) या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए शास्ति, आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	विवरण
1	2022-23	- एनएसई ने विनियमन 60 (2) के अनुसार ब्याज भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि की सूचना में 1 दिन के विलंब के लिए जुर्माना लगाया था। शेयर बाजार ने जुर्माना माफ कर दिया। - बीएसई और एनएसई ने विनियमन 29 (2) के अनुसार दिनांक 21.01.2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक की सूचना देने में 1 दिन के विलंब के लिए शास्ति लगाया था।

- बैंक की पर्दाफाश नीति है तथा किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति के अभिगमन से वंचित नहीं किया गया है।
- विवेकाधीन एवं अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति का विवरण नीचे बिंदु n तथा o में दिया गया है।
- महत्वपूर्ण सहायक और संबद्ध पक्षकार लेनदेन नीति निर्धारित करने की नीति बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/content/policies> पर उपलब्ध है।
- लाभांश सवितरण नीति, बैंक की वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/content/policies> पर उपलब्ध है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान पण्य कीमत जोखिम तथा पण्य बचाव-व्यवस्था गतिविधियां प्रयोज्य नहीं हैं।
- बैंक द्वारा अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से एकत्रित धनराशि का उपयोग बैंक के सामान्य कारोबार उद्देश्य के लिए किया गया है।
- व्यवहारतः कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र लिया गया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से न तो वर्जित किया गया और न ही अयोग्य ठहराया गया है।
- यह पुष्टि की जाती है कि ऐसा कोई दृष्टांत नहीं हुआ, जहां बोर्ड द्वारा बोर्ड की किसी भी समिति की किसी अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया हो जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनिवार्यतः रूप से आवश्यक था।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण

प्रकृति	राशि (₹ में)
सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक	6,64,35,985
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक	1,69,01,280

- कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

दिनांक 01.04.2024 तक लंबित शिकायतों की संख्या	5
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिकार) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	4
वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	7
दिनांक 31.03.2025 को लंबित शिकायतों की संख्या	2

m) बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

n) विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन:

बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के अनुसार लागू अज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II (विनियमन 27 (1)) के भाग-E के अनुसार विवेकाधीन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का विस्तार-क्षेत्र इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवेकाधीन अपेक्षाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बोर्ड – गैर कार्यकारी अध्यक्ष, सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय को अनुरक्षित करने का पात्र है तथा उसे अपने कर्तव्य-निर्वहन में वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है।	डॉ. चरन सिंह, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 06.11.2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक के बोर्ड में कोई गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है।
2.	शेयरधारकों का अधिकार - विगत छह माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा, शेयरधारकों को भेजी जाए।	तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम शेयर बाजारों को प्रेषित किए जाते हैं, प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है तथा शेयरधारकों के सूचनार्थ बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत – कंपनी, असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणी की व्यवस्था का चयन कर सकती है।	लेखा परीक्षकों ने बैंक की वित्तीय विवरणी पर असंशोधित राय व्यक्त की है।
4.	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग-अलग पद - सूचीबद्ध इकाई, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है ताकि अध्यक्ष a) एक गैर-कार्यकारी निदेशक होगा; तथा b) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित शब्द "संबंधी" की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित नहीं होगा।	पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग-अलग पद हैं। तथापि, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. चरन सिंह के दिनांक 06.11.2024 को कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त होने के पश्चात गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त है।
5.	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग – आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

o) कंपनी अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण :

पंजीकरण सं.	शीर्षक/ संक्षिप्त वर्णन	अनुपालन स्थिति
17 व 17 A	निदेशक-मंडल	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत हमारा बैंक तदनुसार नया बैंक है। शेयरधारक निदेशक के अतिरिक्त बैंक के समस्त निदेशक, अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित हैं। डॉ. चरन सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त है। इसके अतिरिक्त, बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक भी नहीं है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बोर्ड विचार-विमर्श का अधिकांश समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, अभिशासन और जोखिम प्रोफाइल पर व्यतीत किया जाता है। बोर्ड की कार्य पद्धति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।
18	लेखापरीक्षा समिति	निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बैंक, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित करने की स्थिति में नहीं है।
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें, आरबीआई निर्देशों/दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में चयनित होने वाले व्यक्तियों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति के निर्धारण के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करती है। बैंक के पास समिति का गठन करने के लिए पर्याप्त संख्या में निदेशक नहीं हैं।
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया।
21	जोखिम प्रबंधन समिति	निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बैंक, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने की स्थिति में नहीं है।
22	विजिल तंत्र	अनुपालन किया गया।
23	संबद्ध पक्षकार लैनदेन	अनुपालन किया गया।
24	सूचीबद्ध इकाई की अनुषंगी के संबंध में कंपनी अभिशासन अपेक्षाएं	लागू नहीं।
24 A	सचिवालय लेखापरीक्षा	अनुपालन किया गया।
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया।
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों तथा प्रवर्तकों सहित कार्मिकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया।
27	अन्य कंपनी अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया।
46 (2) (b) से (i)	वेबसाइट	अनुपालन किया गया।

9) अदावी लाभांश:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार बैंक को संबंधित असंदत लाभांश लेखा में अंतरित लाभांश राशि जो अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत/अदावाकृत है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना आवश्यक है:

क्र.सं.	अदावी लाभांश का विवरण	दिनांक 31.03.2025 को शेष
1	लाभांश 2021-22	7,04,611.53
2	लाभांश 2022-23	7,92,669.24
3	लाभांश 2023-24	2,73,060.60

10) बैंक द्वारा जारी बॉण्ड हेतु डिबेंचर ट्रस्टी निम्नलिखित है:

बॉण्डधारकों के लिए ट्रस्टी

 IDBI trustee IDBI Trusteeship Services Ltd आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड यूनीवर्सल इन्श्योरेंस बिल्डिंग, भू-तल, सर पी एम रोड, फोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र - 400 001 दूरभाष संख्या 022-40807000, ई-मेल: itsl@idbitrustee.com	 AXIS TRUSTEE एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाईंग मिल परिसर, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग वर्ली, मुंबई - 400 025 दूरभाष: +91 22 62260054/ 6226 0050 ई-मेल: debenturetrustee@axistrustee.in	 VISTRA ITCL विस्तरा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड द आईएल एण्ड एफएस वित्तीय केंद्र प्लॉट संख्या सी-22, जी ब्लॉक, छठा तल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 दूरभाष: +91 22 69300000 फैक्स: +91 22 28500029 ई-मेल: mumbai@vistra.com
--	---	--

11) निलंब खाते में आबंटितियों के अदावी शेषों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट (31.03.2025):

क्र. सं.	विवरण	एनएसडीएल IN301330-21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उच्चत खाते में रखे हुए शेषों की संख्या	1172	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या तथा उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयरों को उच्चत खाते से अंतरित किया गया	--	--
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उच्चत खाते में रखे हुए शेषों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर मताधिकार, उक्त शेयरों के वास्तविक स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अवरोधित रहेंगे।

12) 31 मार्च, 2025 तक शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	इक्विटी का %
1	भारत के राष्ट्रपति	1	6659051093	93.85
2	समाशोधनकर्ता सदस्य	9	899	-
3	अन्य निगमित निकाय	330	6915611	0.10
4	हिंदू अविभक्त परिवार	4746	2106656	0.03
5	म्यूचुअल फंड	12	2011330	0.03
6	राष्ट्रीयकृत बैंक	12	131631282	1.85
7	गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	3	11988531	0.17
8	अनिवासी भारतीय	712	1186604	0.02
9	अनिवासी(गैर-प्रत्यावर्तनीय)	764	658824	0.01
10	जनता	196464	66586717	0.94
11	न्यास	10	157586	0.00
12	बीमा कंपनियां	11	141205372	1.99
13	निगमित निकाय-लिमिटेड देयता साझेदारी	15	324957	0.00
14	अदावी शेयर्स	2	2402	-
15	एफपीआई (कॉरपोरेट) - I	20	52073231	0.73
16	वैकल्पिक निवेश निधि - I	1	6515506	0.09
17	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	1	6000	0.00
18	वैकल्पिक निवेश निधि - III	4	9121817	0.13
19	एफपीआई (कॉरपोरेट) - II	1	1188	-
20	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी	2	4039614	0.06
कुल		203120	7095585220	100.00

13) कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, प्राप्त किया गया है तथा नीचे उपलब्ध कराया गया है।



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र
(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 34 (3) तथा
अनुसूची V, अनुच्छेद सी, खंड (10) (i) के अनुसार)

सदस्य
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
बैंक हाउस, 21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली - 110008

हमने, पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय एनबीसीसी कार्यालय परिसर, प्रथम तल, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 (यहाँ इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) में है, के प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणियों तथा निदेशकों से प्राप्त प्रकटनों की जांच की है जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उप खंड (10) (i) के साथ पठित विनियमन 34 (3) के अनुसार में इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित) एवं बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद द्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताए गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2	श्री रवि मेहरा	कार्यपालक निदेशक
3	श्री राजीव	कार्यपालक निदेशक
4	सुश्री एम जी जयश्री	गैर कार्यपालक - नामित निदेशक
5	श्री आर पी गुप्ता	गैर कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक
6	श्री विवेक श्रीवास्तव	गैर कार्यपालक - नामित निदेशक

नियुक्ति की पात्रता सुनिश्चित करने/बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखने का उत्तरदायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर विचार प्रकट करें। यह प्रमाण-पत्र, भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वसन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

कृते आर एस कथुरिया एण्ड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

आर. एस. कथुरिया
प्रोपराइटर
एफसीएस 5217; सीपी संख्या : 3112
यूडीआईएन : F005217G000223886



**सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत
कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र**

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमारे द्वारा यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (एतदपश्चात "सूचीबद्धता विनियम" के रूप में संदर्भित) के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की गई है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कंपनी अभिशासन के प्रमाणन पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई थी और यह कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित के अतिरिक्त बैंक ने यथा संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का खंडन नहीं किए जाने की सीमा तक सूचीबद्धता विनियम में अनुबद्ध अनुसार समस्त महत्वपूर्ण पहलुओं में कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

- सूचीबद्धता विनियम द्वारा अपेक्षित अनुसार बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक तथा अध्यक्ष नहीं है।
- बैंक के बोर्ड में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (e), 9 (3) (f), 9 (3) (g) के अंतर्गत एक-एक निदेशक तथा धारा 9 (3) (h) के अंतर्गत पाँच निदेशकों के पद रिक्त थे।
- दिनांक 12.05.2024 से 30.08.2024 तक और दिनांक 21.12.2024 से 31.03.2025 तक निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया जा सका। तथापि, बैंक ने दिनांक 21.04.2025 से बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है।
- दिनांक 12.05.2024 से 05.06.2024 तक और दिनांक 21.12.2024 से 31.03.2025 तक निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका। तथापि, बैंक ने दिनांक 21.04.2025 से बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।
- दिनांक 01.04.2024 से 05.06.2024 तक और दिनांक 31.08.2024 से 31.03.2025 तक निदेशकों की अपर्याप्त संख्या के कारण बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया जा सका।

यह प्रमाण-पत्र, बैंक के सदस्यों को संबोधित है तथा उन्हें केवल कंपनी अभिशासन से संबंधित सूचीबद्धता विनियम की अपेक्षाओं को समझने में सक्षम करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है तथा इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे यह प्रमाण-पत्र दिखाया गया है या जिनके पास हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना यह प्रमाण-पत्र हो सकता है, के लिए कोई दायित्व या विधिक कर्तव्य स्वीकार अथवा या ग्रहण नहीं करते हैं। प्रमाण-पत्र के जारी होने के पश्चात होने वाली किसी भी घटना या परिस्थिति के लिए इस प्रमाण-पत्र को अद्यतित करने की हमारी कोई जवाबदेही नहीं है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता से संबंधित है।

एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 000346N (सनदी लेखाकार प्रतीक गुप्ता) साझेदार एम सं. 566023 यूडीआईएन: 255660238MOURJ7800	गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन : 001466N (सनदी लेखाकार विनय सराफ) साझेदार एम सं. 087262 यूडीआईएन: 250872628BMKQMR6204
---	--



ओ. पी. तोतला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 000734C	एनबीएस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 110100W
(सनदी लेखाकार नवीन कुमार सोमानी) साझेदार एम सं. 429100 यूडीआईएन : 25429100BMKSQJ6711	(सनदी लेखाकार प्रदीप शेट्टे) साझेदार एम सं. 046940 यूडीआईएन : 25046940BMLNAK9807

दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

स्थान : नई दिल्ली



निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषय : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 की अनुसूची-V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए घोषणा।

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के समस्त बोर्ड सदस्यों और उच्च प्रबंधन कार्मिकों ने शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीयन करार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 की अनुसूची-V के अनुसरण में 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। उक्त आचार संहिता को बैंक वेबसाइट <https://punjabandsindbank.co.in/> पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.04.2025

(स्वरूप कुमार साहा)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषय: वर्ष 2024-25 के लिए सीएफओ/ सीईओ प्रमाणीकरण।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के अनुपालन प्रमाण-पत्र की अनुसूची-II कंपनी अभिशासन भाग-बी के अनुसरण में हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

- (A) हमने वर्ष के वित्तीय विवरणियों तथा नगदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- 1) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या इनमें किसी महत्वपूर्ण/ तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या इनमें ऐसे विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो।
 - 2) ये अभिकथन/विवरण कुल मिलाकर बैंक के कार्यकलापों का सही एवं निष्पक्ष/स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखा-मानकों, प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- (B) हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध हो या जिनसे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो।
- (C) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने की व उन्हें बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के स्वरूप व प्रचालन संबंधी कमियों (यदि कोई हो), जो हमारे संज्ञान में है, के संबंध में और इन कमियों को दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को प्रकटीकरण कर दिया है।
- (D) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्न के विषय में अवगत कराया है :
- 1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - 2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा
 - 3) हमारे संज्ञान में आए कपट के महत्वपूर्ण दृष्टांत तथा उसमें प्रबंधन या किसी कार्मिक की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.04.2025

(अर्नब गोस्वामी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(स्वरूप कुमार साहा)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



मेसर्स एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 31-एफ, कर्नॉट प्लेस, रेडियल रोड नंबर-7 नई दिल्ली-110001	मेसर्स गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार 142, सेक्टर-3, त्रिकुटा नगर, जम्मू-180012
मेसर्स ओ. पी. तोतला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 302, अलंकार प्लाईट, गीता भवन स्कैयर इंदौर-452001 (मध्यप्रदेश)	मेसर्स एनबीएस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 14/2, वेस्टर्न इंडिया हाउस, सर पी.एम. रोड फोर्ट, मुंबई-400001

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

अभिमत

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक ('बैंक') की वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2025 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणियों पर नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है जिनमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएं और कोष विभाग तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 398 शाखाएं और 42 कार्यालय/ प्रसंस्करण केंद्र के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। वित्तीय विवरणियों में उन 1192 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं जिनका लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं से अग्रिम का 21.08 प्रतिशत, जमा राशियों का 43.54 प्रतिशत, ब्याज आय का 15.16 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 35.05 प्रतिशत भाग संबंधित है।
- हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, यथा संशोधित ('अधिनियम') द्वारा यथा आवश्यकतानुसार बैंक के अनुरूप जानकारी देती हैं और यह भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:
 - टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2025 को बैंक के क्रियाकलापों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से तैयार किया गया है;
 - टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक संतुलन प्रदर्शित करता है; और
 - नकदी प्रवाह विवरणी, उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह प्रस्तुत करती है।

अभिमत का आधार

- हमने अपना लेखापरीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों ('एसए') के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जवाबदेही में आगे वर्णित किया गया है। हम, आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं जो सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र व दिशानिर्देश शामिल हैं, के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों में हम अलग से कुछ विचार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों का निर्धारण किया है जिनका विवरण इस प्रकार है -

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में हमारे मामले के संबंध में किस प्रकार कार्रवाई की गई
अग्रिम – वर्गीकरण और प्रावधान (लेखांकन नीति संख्या 3 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एनपीए) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित/ जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य प्रासंगिक निर्देशों/ दिशानिर्देशों (विवेकपूर्ण मानदंड) के अनुसार किया जाता है। वर्गीकरण और प्रावधान, बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकृत आईटी सॉफ्टवेयर द्वारा किए जाते हैं। विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत एनपीए के प्रावधान का विस्तार मुख्य रूप से इसके काल-प्रभावन और रेखांकित प्रतिभूति की प्रतिलब्धता पर आधारित है। प्रतिभूति के मूल्यांकन में उच्च परिमाण के प्रावकलन और निर्णय अंतर्भूत होने के कारण विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित अनुप्रयोग या प्रतिभूति के त्रुटिपूर्ण मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का वहन मूल्य, व्यक्तिशः या समग्रतः तात्त्विक रूप में गलत हो सकता है और वित्तीय विवरणों में अग्रिमों की राशि अर्थात् कुल आस्ति का 60.13% के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अग्रिमों के वर्गीकरण और उस पर प्रावधान को हमारे लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया : हमने आस्तियों के वर्गीकरण एवं इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और आरबीआई के दिशा-निर्देशों, बैंक के आंतरिक निदेशों व प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित नियामक या अन्य प्राधिकरण/ निकायों की जानकारी प्राप्त की है तथा निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अंगीकृत की है : - अग्रिम निगरानी, पहचान/वर्गीकरण, प्रासंगिक डाटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण न्यूनता का मूल्यांकन और सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट/ विद्यमान वास्तविक डाटा की समीक्षा के संबंध में सिस्टम नियंत्रण और अन्य प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण। - किसी भी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या अशक्ति का पता लगाने के लिए वृहत एवं दबावग्रस्त अग्रिमों की नमूना जांच के आधार पर प्रलेखीकरण, परिचालनों/ निष्पादनों का सत्यापन/ समीक्षा और अग्रिम खातों की निगरानी, ताकि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं/ कार्यक्षेत्र के संबंध में, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार इनका वर्गीकरण सुनिश्चित हो सके। शाखा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हमें उनकी रिपोर्टों पर विश्वास है। - किसी प्रतिकूल संकेत/ टिप्पणी वाले अग्रिमों का पता लगाने के लिए ऋण लेखापरीक्षा, निरीक्षण लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, विनियामक लेखापरीक्षा और किसी भी अन्य लेखापरीक्षा/ निरीक्षण तंत्र की रिपोर्टों की समीक्षा और इस प्रकार के अग्रिमों का उचित वर्गीकरण और उनका प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए बैंक के नियंत्रण तंत्र की समीक्षा। - प्रणाली/सीबीएस में प्रगति और प्रावधान का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड स्वचालन की प्रभावशीलता पर बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट की समीक्षा। लेखापरीक्षा के दौरान जहां भी उचित समझा गया, आवश्यकतानुसार परिवर्तन/ सुधार किए गए तथा जहां भी आवश्यक हुआ, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में इसके प्रभाव को विधिवत रूप से शामिल किया गया।

निवेश – मूल्यांकन, वर्गीकरण और पहचान तथा अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान (लेखांकन नीति संख्या 2 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 का संदर्भ लें) बैंक के निवेश संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों, बॉण्ड्स, ऋण पत्र, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिन्हें तीन वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है यथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिज्जी हेतु उपलब्ध (एएफएस) तथा लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य की उप-श्रेणी के रूप में व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) शामिल है। निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान और आय का तदनुसूची अस्वीकरण और उन पर प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। उपरोक्त प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन, आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों यथा एफबीआईएल दर, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दर, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण, प्रतिभूति पावती के प्रकरण में एनएवी इत्यादि से डाटा/ सूचना का संग्रहण सम्मिलित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, कतिपय निवेश ऐसे होते हैं जिनका मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर किया जाता है तथापि कतिपय निवेश, मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित होते हैं जिनमें अंतर्निहित पूर्वानुमान वाले सांख्यिकीय प्रतिमान, वित्तीय विवरणों के आधार पर मूल्यांकन के लिए मूल्य का प्राक्कलन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसलिए, इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए ज्ञात मूल्य, वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं वरन वर्तमान तिथि में निवेश का उचित मूल्यांकन मात्र हो सकता है। इसलिए निवेश के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और आगे वित्तीय विवरणों में निवेश की राशि अर्थात् कुल आस्तियों का 28.99% के महत्व के मद्देनज़र, इसे हमारे लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया : आरबीआई परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में रूपरेखा की समीक्षा और परीक्षण, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश के अभিনিर्धारण, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से – - हमने, मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश के अभিনিर्धारण, निवेश से संबंधित प्रावधान/ मूल्यहास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है तथा उसे समझा है। - हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और उनका मूल्यांकन किया है। - निवेश के चयनित नमूने (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निवेश की समस्त श्रेणियों को शामिल करते हुए) के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/ निर्देशों के अनुसार प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्निष्पादन मूल्यांकन करके आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुसरण में सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया है। - हमने, एनपीआई के अभিনিर्धारण की प्रक्रिया तथा आय के तदनुसूची व्युत्क्रमण और प्रावधान के सृजन का निर्धारण और मूल्यांकन किया है। - हमने, सृजित किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं कार्यान्वित की हैं। लेखापरीक्षा के दौरान यथास्थान आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं और लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए वित्तीय दक्तव्यों में इसके प्रभाव को विधिवत रूप से शामिल किया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले नियंत्रण बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियां, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और सीबीएस से संबद्ध या स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अन्य आईटी प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर हैं। हमारा केंद्रित क्षेत्र, प्रणाली में प्रदाय किए जाने वाले तर्क, डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता, अभिगम प्रबंधन और कर्तव्यों के पृथक्करण से संबंधित हैं। ये अंतर्निहित सिद्धांत	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया - व्यवसाय प्रक्रिया की विभिन्न श्रेणियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कोडिंग प्रणाली को समझना। - परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित सीबीएस नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा करना।

महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि अनुप्रयोगों और डाटा में परिवर्तन उपयुक्त, प्राधिकृत, परिमार्जित एवं परिवीक्षित हैं जिससे प्रणाली, सटीक एवं विश्वसनीय रिपोर्ट/ विवरणी और अन्य वित्तीय एवं गैर-वित्तीय जानकारी प्रदान करे जिनका उपयोग वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए किया जाता है।	- प्रणाली में डाटा प्रविष्टि को समझना तथा बैंक में विद्यमान आईटी प्रणाली से वित्तीय जानकारी और विवरणियां निकालने की प्रक्रिया की जांच करना। - बैंक के विनियम/ नीति में किसी भी परिवर्तन की आवश्यकताओं की जांच करना तथा आईटी में उसके कॉन्फिगरेशन/प्रभाव की जांच करना। - नमूना आधार पर प्रणाली द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की समीक्षा करना। - आईएस लेखापरीक्षा, प्रणाली संगत लेखापरीक्षा और प्रमुख टिप्पणियों पर रिपोर्ट की समीक्षा तथा प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन के विषय में आईटी विभाग के साथ विचार-विमर्श। - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों तथा निवेश मूल्यांकन/ वर्गीकरण इत्यादि के आईटी अनुप्रयोग/ समाधान सहित आईटी प्रणाली/ नियंत्रण के विषय में आईटी विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श और उनकी रिपोर्ट की समीक्षा।
वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं, दैनिक आधार पर व्यापक परिमाण में कार्य करती हैं और विविध और जटिल लेनदेन को संसाधित करती हैं जो आईटी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं।	
एक जोखिम यह है कि स्वचालित लेखांकन प्रक्रियाएं एवं संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को यथार्थतः परिकल्पित नहीं किया गया हो और प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हों, तथा हो सकता है कि डाटा को सही ढंग से प्रविष्ट, संसाधित और उत्पन्न/निष्कर्षित नहीं किया गया हो।	
उपरोक्त को मद्देनज़र इसे हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है।	इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। प्रणाली से इनपुट/ आउटपुट डाटा की कमियों को नियंत्रित करने के लिए इसकी प्रभावकारिता को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

मामले की प्रमुखता

- हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट संख्या 14 (i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अनुमानित अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में है जोकि ₹236.84 करोड़ है। जैसा कि इसमें कहा गया है, बैंक ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में ₹47.37 करोड़ की राशि प्रभारित की है तथा ₹47.37 करोड़ की अशोधित व्यय राशि को आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांकित 04 अक्टूबर, 2021 के अनुसार आगे बढ़ाया गया है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कंपनी अभिशासन रिपोर्ट सम्मिलित है जिसे हमने इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी करने के समय प्राप्त की थी। अन्य जानकारी में अपेक्षित अनुलग्नकों (परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है) जिसे इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराया जाना प्रत्याशित है, सहित निदेशकों की रिपोर्ट भी समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारियों तथा बासल III के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटीकरण को शामिल नहीं करता है तथा हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणियों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त चिह्नित की गई अन्य जानकारियों का अध्ययन करना है तथा ऐसा करते समय विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी, वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में संज्ञान में आई हमारी जानकारी के साथ तात्त्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्त्विक रूप से असंगत प्रतीत होते हैं।

लेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी पर हमने जो कार्य किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में वस्तुगत त्रुटि है तो उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य जानकारी के अध्ययन में यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है तो हमें इस मामले को अभिशासन प्रभारी को सूचित करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी के उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा नगदी प्रवाह की वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों; उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जिन्हें लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, के अनुसरण में उपयुक्त लेखांकन अभिलेखों को अनुरक्षित करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा भी लागू है, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हों या ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण, समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिबश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है क्योंकि धोखाधड़ी में षड़यंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई जा सके।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन पद्धतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलन और संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के विद्यमान होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें, हमारे लेखापरीक्षक

की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है तथापि, भविष्य की घटनाएं या मामले बैंक की संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारी और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करना।

परिमाण (मेटेरिएलिटी), वित्तीय विवरणों में गलत जानकारी का स्तर है जो अकेले या समग्र रूप से ऐसी स्थिति पैदा करने की संभावना रखता है कि वित्तीय विवरणों के पर्याप्त जानकारी प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य की व्यापकता की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में तथा (ii) एकल वित्तीय विवरणों में चिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषयों के साथ लेखापरीक्षा की नियोजित स्वरूप एवं समय-सीमा तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में चिह्नित किसी महत्वपूर्ण अनियमितताओं सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अभिशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारी को इस विवरण से भी सूचित करते हैं कि हमने निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों व अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं और संबंधित रक्षा उपायों, जहाँ भी लागू है, का अनुपालन किया है।

अभिशासन प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखापरीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई विधि या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से अधिक ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. हमने, बैंक के वित्तीय विवरणों में समाविष्ट 398 शाखाओं तथा 42 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों की वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणों/ जानकारी, दिनांक 31.03.2025 को ₹22,980.28 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹1046.35 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जैसा कि इन वित्तीय विवरणियों में सुविचारित है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा इन शाखाओं के संबंध में समाविष्ट राशि और प्रकटीकरण से संबंधित हमारा अभिमत पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।
10. हम इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित आंकड़े, बैंक के पूर्व में जारी किए गए वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं, जिनका लेखापरीक्षा दो पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी एलएलपी और मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स के साथ-साथ दो वर्तमान लेखा परीक्षकों मेसर्स एस पी चोपड़ा एण्ड कंपनी और मेसर्स गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स द्वारा किया गया था जिन्होंने उन वित्तीय विवरण दिनांकित 10.05.2024 पर असंशोधित राय अभिव्यक्त की थी।

उक्त मामले के संबंध में हमारे अभिमत को आशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तैयार किए गए हैं;
12. उपर्युक्त अनुच्छेद 7 से 10 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अनुसार और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के भी अधीन और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - a) हमने अपने लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, वे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं और उन्हें संतोषजनक पाया गया है;

- b) हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेनदेन, बैंक के विवेकाधिकार में हैं ; और
- c) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त हैं।
13. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - एससीए के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं" पर पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. नंबर 6270/08.91.001/2019-20 आरबीआई द्वारा जारी दिनांकित 17.03.2020 की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं कि :
- a) हमारे अभिमत में, उपरोक्त वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं होने की सीमा तक आईसीएआई द्वारा जारी प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- b) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई पर्यावलोकन या टिप्पणी नहीं है जो बैंक के कार्यकरण पर कोई विपरीत प्रभाव डालते हों।
- c) चूंकि बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की निरर्हता, बैंक के लिए अप्रयोज्य है।
- d) खातों के प्रबंधन और तत्संबंधी अन्य मामलों के संबंध में कोई विशिष्टता, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- e) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक - ए में दी गई है जो 31 मार्च, 2025 के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है।
14. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
- a) हमारे अभिमत में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित खाता बहियां उचित रूप से बैंक में रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता है उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं;
- b) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नगदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए शाखाओं से प्राप्त खाता बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं;
- c) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा निरीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों की लेखा रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उन्हें उचित रूप से व्यवहृत किया गया है ; और
- d) हमारे अभिमत में तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते और नगदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखांकन मानकों का, आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।



कृते एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 000346N (सीए. प्रतीक गुप्ता) साझेदार एम. नं. 566023 यूडीआईएन: 25566023BMOURI3177	कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन : 001466N (सीए. विनय सर्राफ) साझेदार एम. नं. 087262 यूडीआईएन: 25087262BMKQMQ2449
कृते ओ.पी. तोतला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 000734C (सीए. नवीन कुमार सोमानी) साझेदार एम. नं. 429100 यूडीआईएन: 254291008MKSQK4232	कृते एनबीएस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 110100W (सीए. प्रदीप शेट्टे) साझेदार एम. नं. 046940 यूडीआईएन: 25046940 BMLNAI7539

दिनांक : 29 अप्रैल, 2025
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(पंजाब एण्ड सिंध बैंक की सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 13 (e) के अंतर्गत "अन्य विधिक तथा विनियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" का संदर्भ ले।)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र डीओएस.ए.आर.जी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट

हमने, संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक ("बैंक") की वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा से संयोजन में 31 मार्च, 2025 को बैंक की वित्तीय विवरण के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जिसमें चयनित बैंक शाखाओं की वित्तीय विवरणियों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा जो "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण" पर आधारित है। इन उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाए हुए था। इस उत्तरदायित्व में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देशों द्वारा यथा आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की यथासमय उपक्रम भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट ("गाइडेंस नोट") तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एसए), प्रयोज्य सीमा तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त निर्देशन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व अनुरक्षित किया गया है और यदि ऐसे सभी नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पक्षों में प्रभावी ढंग से परिचालित हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई महत्वपूर्ण दोष विद्यमान है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होगी जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण त्रुटि के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित अनुच्छेद में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुरूप जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय विवरणों के संबंध में किसी बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों तैयार करने के प्रयोजन से अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं जो (1) उन

अभिलेख के रखरखाव से संबंधित हैं जो पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों के संव्यवहार और निपटान को यथार्थतः व निष्पक्ष रूप में दर्शाते हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया गया है तथा बैंक की प्राप्तियाँ तथा व्यय, बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा (3) बैंक आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, उपभोग या निपटान की रोकथाम या यथासमय पता लगाने के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे जिनका वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों पर हावी होने सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि उनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान इस जोखिमों के अर्थों है कि वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर न्यून हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधित अनुच्छेद में संदर्भित शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आलोक के आधार पर बैंक ने वित्तीय विवरणी के संबंध में समस्त महत्वपूर्ण पक्षों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, "भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए मापदंड" के आधार पर 31 मार्च, 2025 को प्रभावी रूप से कार्यरत है।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक 398 शाखाओं और 42 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों की वित्तीय विवरणी के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, वह उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को आशोधित नहीं किया गया है।



कृते एस. पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन : 000346N (सीए. प्रतीक गुप्ता) साझेदार एम. नं. 566023 यूडीआईएन: 255660238MOURI3177	कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन : 001466N (सीए. विनय सराफ) साझेदार एम. नं. 087262 यूडीआईएन: 25087262BMKQMQ2449
कृते ओ.पी. तोतला एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 000734C (सीए. नवीन कुमार सोमानी) साझेदार एम. नं. 429100 यूडीआईएन: 254291008MKSQK4232	कृते एनबीएस एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन: 110100W (सीए. प्रदीप शेठे) साझेदार एम. नं. 046940 यूडीआईएन: 25046940 BMLNAI7539

दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

स्थान : नई दिल्ली



पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2025 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		₹	₹
पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची संख्या	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
पूंजी	1	70955852	67777864
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	62591713	87556407
जमा राशियां	3	1297740219	1194095543
उधार	4	142295201	97708561
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	44568695	29426884
कुल		1618151680	1476565259
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	6	87938011	73124645
बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	262630	705474
निवेश	8	469123086	495991569
अग्रिम	9	972999019	827363762
अचल आस्तियां	10	17788633	17557825
अन्य आस्तियां	11	70040301	61821984
कुल		1618151680	1476565259
आकस्मिक देयताएं	12	53350334	66596787
वसूली के लिए बिल		8648798	9694446
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		
अनुसूची 1 से 18 के प्रपत्र लेखा का अभिन्न भाग हैं			



अर्नब गोस्वामी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

शंकर लाल अग्रवाल
निदेशक

विवेक श्रीवास्तव
निदेशक

राजीव
कार्यपालक निदेशक

राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
निदेशक

रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

एम.जी. जयश्री
निदेशक

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000346N

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001466N

(सीए प्रतीक गुप्ता)
साझेदार
एम.सं. 566023
यूडीआईएन: 255660238MOUR73177

(सीए विनय सराफ)
साझेदार
एम.सं. 087262
यूडीआईएन: 250872628BMKQMQ2449

कृते ओ.पी. लोतला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 000734C

कृते एनबीएस एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 110100W

(सीए नवीन कुमार सोमानी)
साझेदार
एम.सं. 429100
यूडीआईएन: 254291008BMKSQK4232

(सीए प्रदीप शेट्टे)
साझेदार
एम.सं. 046940
यूडीआईएन: 25046940BMLNAI7539

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

		र	र
		31.03.25 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	114813003	96939756
अन्य आय	14	15676508	12214692
कुल		130489511	109154448
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	76976410	68529339
परिचालन व्यय	16	32763879	29315740
आकस्मिक व्यय एवं प्रावधान		10590913	5355170
कुल		120331202	103200249
III. लाभ/हानि			
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (-)		10158309	5954199
पिछला अग्रानीत लाभ/हानि (-)		13945575	13563689
कुल		24103884	19517888
मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)		1.50	0.88
IV. विनियोजन			
अंतरण :			
सांविधिक आरक्षित निधि		2540000	1490000
पूँजी आरक्षित निधि [निवेश]		360626	223120
धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		0	103300
कर्मचारी कल्याण न्यास		25000	25000
निवेश उच्चावचन आरक्षित निधियाँ		724487	477109
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि		20370	447
लाभांश		1355557	3253337
शेष को तुलन पत्र में ले जाया गया		19077844	13945575
कुल		24103884	19517888
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
खातों पर टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 के प्रपत्र लेखा का अभिन्न भाग हैं			



अर्नब गोस्वामी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

शंकर लाल अग्रवाल
निदेशक

विवेक श्रीवास्तव
निदेशक

राजीवा
कार्यपालक निदेशक

राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
निदेशक

रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

एम.जी. जयश्री
निदेशक

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000346N

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001466N

(सीए प्रतीक गुप्ता)
साझेदार
एम.सं. 566023
यूडीआईएन: 25566023BMOUR73177

(सीए विनय सराफ)
साझेदार
एम.सं. 087262
यूडीआईएन: 25087262BMKQMQ2449

कृते ओ.पी. तोतला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 000734C

कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 110100W

(सीए नवीन कुमार सोमानी)
साझेदार
एम.सं. 429100
यूडीआईएन: 25429100BMKSQK4232

(सीए प्रदीप शेट्टे)
साझेदार
एम.सं. 046940
यूडीआईएन: 25046940BMLNAI7539

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 1-पूँजी	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
प्राधिकृत पूँजी :		
I. इकिटी शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹ 10 के 1000,00,00,000 शेयर)	1000000000	1000000000
	1000000000	1000000000
निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी:		
I. प्रत्येक ₹10/- के 7,09,55,85,220 इकिटी शेयर पूँजी (विगत वर्ष 6,77,77,86,447) [केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹10/- के 6,65,90,51,093 (विगत वर्ष 6,65,90,51,093) शेयर सहित]	70955852	67777864
कुल	70955852	67777864

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
I. सांविधिक आरक्षित निधियां		
अधिशेष	17226906	15736906
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	2540000	1490000
कम : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
उप-योग I	19766906	17226906
II. पूँजी आरक्षित निधियां:		
a. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (अचल आस्तियां):		
अधिशेष	10663859	9122246
योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	1573787
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-29274	-32174
उप-योग II.a	10634585	10663859
b. पूँजी आरक्षित निधि [निवेश]		
अधिशेष	7751460	7528340
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	360626	223120
उप-योग II.b	8112086	7751460
III. शेयर प्रीमियम :		
अधिशेष	31319785	31319785
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	9015952	0
कम : वर्ष के दौरान कटौती	-149421	0
उप-योग III	40186316	31319785
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि		



a). सामान्य आरक्षित निधि		
अथशेष	1089003	1089003
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	333218	0
कम : वर्ष के दौरान कटौती	-43354796	0
उप-योग IV.a	-41932575	1089003
b). राजस्व आरक्षित निधि:		
अथशेष	460503	428329
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	29274	32174
कम : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
उप-योग IV.b	489777	460503
c). धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि:		
अथशेष	2108118	2004818
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	103300
उप-योग IV.c	2108118	2108118
d). निवेश आरक्षित निधि		
अथशेष	333218	333218
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
कम : वर्ष के दौरान कटौती	-333218	
उप-योग IV.d	0	333218
e). निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		
अथशेष	2657980	2180871
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	724487	477109
उप-योग IV.e	3382467	2657980
f). बिक्री के लिए उपलब्ध आरक्षित निधि		
अथशेष	0	0
योग : वर्ष के दौरान परिवर्धन	766189	0
उप-योग IV.f	766189	0
V. लाभ एवं हानि खाते का शेष	19077844	13945575
कुल [I से V]	62591713	87556407

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 3 - जमाराशियां	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
A	I. मांग जमाराशियां		
	i. बैंकों से	1619593	980053
	ii. अन्य से	53097327	50780547



	II. वचत बैंक जमाराशियां	353182469	335321934
	III. आवधिक जमाराशियां		
	i. बैंकों से	11222449	7681956
	ii. अन्यो से	878618381	799331053
	कुल [I+II+III]	1297740219	1194095543
B	i. भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	1297740219	1194095543
	ii. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	0	0
	कुल	1297740219	1194095543

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 4 - उधार	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	23500000	6000000
ii) अन्य बैंक	0	0
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	76422201	79335561
iv) गौण ऋण	12373000	12373000
v) दीर्घकालिक बुनियादी संरचना बांड	30000000	0
II. भारत के बाहर से उधार राशियां	0	0
कुल [I व II]	142295201	97708561
उपरोक्त I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	99922201	85335561

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
I. देय बिल	2757975	2500800
II. अंतर कार्यालय समायोजन [निवल]	14401296	457640
III. प्रोदभूत ब्याज	11668698	10317051
V. अन्य (प्रावधान सहित)	15740726	16151393
कुल	44568695	29426884

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और इतिशेष	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
I. रोकड़ शेष [विदेशी मुद्रा नोट सहित]	2265552	2622745
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	52272459	53501900
ii) अन्य खातों में	33400000	17000000
कुल [I व II]	87938011	73124645

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]



I. भारत में		
i) बैंकों के पास शेष राशि		
a) चालू खातों में	13644	151827
b) अन्य जमा खातों में	0	0
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि		
a) बैंकों के पास	0	0
b) अन्य संस्थाओं के पास	0	0
उप-योग [I]	13644	151827
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	248985	553647
ii) अन्य जमा खातों में	0	0
iii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	0	0
उप-योग [II]	248985	553647
कुल [I व II]	262630	705474

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 8 - निवेश	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियां **	331069473	321198226
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0	0
iii) शेयर	3879606	1609569
iv) डिबेंचर तथा बॉण्ड	124145091	163341504
v) सहायक इकाइयां, तथा/या संयुक्त उद्यम	0	0
vi) अन्य :		
a) वाणिज्यिक पत्र/ सीडी/ प्रतिभूति रसीदें/ आरआईडीएफ	8665078	9583804
b) यूटीआई के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड/ वीसी	1363838	258466
उप-योग [I]	469123086	495991569
II. भारत के बाहर निवेश	शून्य	शून्य
कुल [I + II]	469123086	495991569
भारत में निवेश		
सकल मूल्य	476938881	506676135
मूल्य हास का प्रावधान [-]	7815796	10684566
शुद्ध निवेश	469123086	495991569

** इनमें ₹4989.86 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं [अंकित मूल्य ₹5026.75 करोड़] पिछले वर्ष यह ₹6251.75 करोड़ [अंकित मूल्य ₹6316.88 करोड़] था।

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 9 - अग्रिम	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
A i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	22021405	10363025
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	287572603	271123011
iii) मीयादी ऋण	663405011	545877726
कुल	972999019	827363762
B i) मूल्य आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	744081509	619180985
ii) बैंक/ सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा अनुरक्षित	135765798	134791151
iii) अप्रतिभूत	93151712	73391626
कुल	972999019	827363762

C	I. भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	352384095	309738026
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	210797872	148060621
	iii) बैंक	9999972	5053370
	iv) अन्य	399817080	364511745
	कुल	972999019	827363762
C	II. भारत के बाहर अग्रिम	0	0
	कुल (C I व II)	972999019	827363762

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
I. परिसर		
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	4215080	4215080
पुनर्मूल्यन के कारण लागत-वृद्धि	10848051	9274264
उप-योग		13489344
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत	666812	0
पुनर्मूल्यन लागत	0	1573787
वर्ष के दौरान कटौतियां		
वास्तविक लागत	0	0
पुनर्मूल्यन लागत	0	0
इस तिथि तक घटाए गए मूल्यहास		
वास्तविक लागत	-643868	-512878
पुनर्मूल्यन लागत	-213466	-184192
कुल-I	14872609	14366061
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं जुड़नार सहित)		
पिछले वर्ष की 31 मार्च की लागत पर	11518350	9305979
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1036357	2297867
वर्ष के दौरान कटौतियां	-89558	-85495
इस तिथि को मूल्यहास	-9549125	-8326587
कुल II	2916024	3191764



कुल। व II	17788633	17557825
-----------	----------	----------

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
I. अंतर कार्यालय समायोजन [निवल]	0	0
II. प्रोदभूत ब्याज	7958520	7997866
III. अग्रिम भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों को घटाकर)	4892985	7012809
IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	47755	51467
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियां	0	0
VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	12985172	16202340
VII. अन्य \$\$	44155870	30557502
कुल	70040301	61821984

\$\$ आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि ₹ 1368.64 करोड़ [पिछले वर्ष ₹ 1673.84 करोड़]

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं	31.03.25 तक [लेखा परीक्षित]	31.03.24 तक [लेखा परीक्षित]
I. बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	7179	67830
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	301961	438424
III. बकाया वायदा विनिमय सविदाओं के कारण देयता	12755101	21402772
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी		
a) भारत में	25026759	27062890
b) भारत के बाहर	0	0
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	2738100	2679417
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	12521234	14945454
कुल	53350334	66596787

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज	31.03.25 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. ब्याज/ अग्रिम राशि पर छूट/ बिल	81577381	69512373
II. निवेशों पर आय	32249100	26560319
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	170256	220293
IV. अन्य	816266	646771
कुल	114813003	96939756

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 14 - अन्य आय	31.03.25 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	1353917	1350358
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ [₹92,723 हजार की निवल हानि, पिछले वर्ष: ₹4,54,692 हजार]	3171891	1010742
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ [₹2,71,993 हजार की निवल हानि, पिछले वर्ष: ₹19,72,974 हजार]	574250	-896835
III. भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ [₹4,571 हजार की निवल हानि, पिछले वर्ष: ₹2,804 हजार]	-1975	4396
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	202216	274158



[₹460 हजार की निवल हानि, पिछले वर्ष: ₹3,30,512 हजार]		
V. विविध आय	10376209	10471873
कुल	15676508	12214692

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज	31.03.25 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. जमाराशियों पर ब्याज	70779439	63118656
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	2560396	2916871
III. अन्य	3636575	2493812
कुल	76976410	68529339

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय	31.03.25 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.24 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I. कार्मिकों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	20884841	19442027
II. किराया, कर और बिजली	1469047	1392376
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	126359	116690
IV. विज्ञापन और प्रचार	114628	74342
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	1450846	1500843
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और खर्च	6555	8151
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	125385	145444
VIII. विधि प्रभार	175294	152136
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि खर्च	544212	449586
X. मरम्मत एवं रखरखाव	369368	304011
XI. बीमा	1881249	1555817
XII. अन्य व्यय	5616096	4174317
कुल	32763879	29315740

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

A. पृष्ठभूमि

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (पीएसबी या बैंक), बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े निगमों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का कार्य कर रहा है। यह बैंक, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है।

B. उपक्रम का आधार

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ("बैंक") के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत व्यवसाय के अंतर्गत, लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर, चालू चिंता के आधार पर तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं और सभी मूल पहलुओं में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। वे भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांत (जीएपी), वैधानिक प्रावधान, निर्धारित नियामक मानदंड और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश और दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक भारत में बैंकिंग उद्योग में बैंक और प्रचलित मान्यताओं के लिए प्रासंगिक और लागू होने के अनुरूप हैं।

C. प्राक्कलन का उद्देश्य

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को आकलन करने और धारणाओं को सृजित करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणियों की तिथि अनुसार आस्तियों तथा देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की प्रतिवेदित राशि और रिपोर्टिंग अवधि हेतु प्रतिवेदित आय और व्यय को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम उक्त आकलनों से भिन्न भी हो सकते हैं। आकलनों में किसी भी संशोधन या वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकृति दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात/मूर्त होते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

D. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. राजस्व निर्धारण

1.1. जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय (पैराग्राफ 1.2 में उल्लिखित मद के अलावा) और व्यय को उपव्यय आधार पर लिया गया है।

1.2. शुल्क के रूप में आय, सभी कमीशन (सरकारी व्यवसाय और म्यूचुअल फंड सहित अन्य पक्ष के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त कमीशन को छोड़कर), गारंटी और साख पत्रों पर कमीशन, लॉकर किराया, विभिन्न जमा उत्पादों पर सेवा शुल्क, धन अंतरण सेवाएं, शेयरों पर लाभांश, खरीदे गए और भुनाए गए अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, म्यूचुअल फंड उत्पादों की इकाइयों से आय और कार्ड के लिए एएमसी प्रभार सहित एटीएम परिचालन के आय की प्राप्ति की गणना की जाती है।

1.3. आयकर प्रतिदान पर ब्याज उस वर्ष में लगाया जाता है जिस वर्ष में बैंक को आदेश प्राप्त होता है।

1.4. एनपीए खातों में वसूली का विनियोजन-

1.4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय जिसमें अग्रिम और निवेश शामिल हैं, वसूली के आधार पर निर्धारित है।

1.4.2 गैर निष्पादित आस्तियों (अनुच्छेद 1.4 में वर्णित के अतिरिक्त) में आंशिक वसूली निम्नानुसार होगा

- वसूली के लिए बैंक द्वारा किए गए व्यय/ जेब से किए गए खर्च/प्रभार
- उसके बाद ब्याज अनियमितताओं/उपार्जित ब्याज

c. खाते में बकाया मूल अनियमितताएं यानी एनपीए

1.4.3 एनसीएलटी के माध्यम से समझौता, समाधान/निपटान के मामले में, तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) और सीजीटीएमएसई/ ईसीजीसी/ जीईसीएल/ सीजीएमएफ्यू के कारण प्राप्त क्रेडिट और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में विनियोजित किया जाएगा।

1.4.3 वाद दायर किए जाने/निर्णय आने की स्थिति में, वसूली निम्नानुसार की जाएगी:

a. संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार।

b. इस संबंध में न्यायालय से विशेष निर्देशों के अभाव में, जैसा कि ऊपर पैरा 1.4.3 में उल्लेख किया गया है, प्रभावी होगा।

1.5 मानक खातों में वसूली का विनियोजन: मानक खातों में वसूली का विनियोजन निर्धारित की गई मांग की तिथि के अनुसार किया जाता है और सबसे प्रारंभिक मांग निम्नलिखित क्रम में पूरी की जाती है -

a. बैंक द्वारा लागतों/प्रभारों/व्ययों हेतु भुगतान या वहन की गई।

b. तत्पश्चात बैंक को देय ब्याज/अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो।

c. मूल राशि के भुगतान के लिए।

1.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक खातों पर प्रायोजित ब्याज की दर पर की जाती है।

1.7 टीयर -II पूंजी जुटाने हेतु बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को पाँच वर्ष की अवधि हेतु बट्टे खाते में रखे जाने वाले स्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

1.8 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

1.9 कॉम्प्रोमाइज़्ड खातों पर छूट का लेखा-जोखा खाते के पूर्ण और अंतिम समायोजन के समय किया जाता है।

1.10 बट्टे खाते में डाले गए खराब ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को वसूल किए गए वर्ष में राजस्व के रूप में माना जाता है।

2. निवेश

आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का लेखांकन, वर्गीकरण और मूल्यांकन किया जाता है जो 23 सितंबर, 2023 के मास्टर परिपत्र मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के माध्यम से जारी किए गए हैं।

2.1 वर्गीकरण

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में, निवेश पोर्टफोलियो को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (स्वयं की सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश को छोड़कर) अर्थात् -

2.1.1 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक धारण करने का इरादा रखता है, अर्थात्, वित्तीय आस्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारण किया जाता है और प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') किया जाता है।

2.1.2 बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) : प्रतिभूतियाँ जो संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने या दोनों उद्देश्य से प्राप्त की जाती हैं और प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं। बशर्ते कि प्रारंभिक मान्यता के अनुसार, बैंक इकिटी उपकरण को जिसे व्यापार के उद्देश्य से नहीं रखा गया है, के वर्गीकृत हेतु अपरिवर्तनीय चुनाव किया जाता रहा है। एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के साथ-साथ आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियाँ शामिल होंगी जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं, जहाँ बैंक का उद्देश्य उसे परिपक्वता तक धारण करने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला है।

निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया है, उसके बावजूद उनके एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण वे एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण होने के पात्र नहीं होंगे:

- i) अनिवार्य रूप से, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले उपकरण।
- ii) बेसल III पूंजी विनियमन के अंतर्गत टियर 1 और टियर 2 के लिए अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने वाले जैसे कि संविदात्मक हानि, अवशोषण विशेषताओं वाले उपकरण।
- iii) ऐसे उपकरण जिनके कूपन भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2023 के खंड 4(a) (xviii) में परिभाषित ब्याज की प्रकृति के अनुसार नहीं हैं।
- iv) अधिमानी शेयर और इक्विटी शेयर।

2.1.3 लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) को एफवीटीपीएल के भीतर निवेश हेतु अलग उप श्रेणी के रूप में शामिल किया है -

वे प्रतिभूतियाँ एचटीएम या एएफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i) इक्विटी शेयर, (a) सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (b) इक्विटी शेयरों को छोड़कर, जहाँ प्रारंभिक मान्यता के अनुसार, एएफएस में वर्गीकृत करने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है।
- ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश निधि, रियल एस्टेट निवेश न्यास, आधारभूत संरचना निवेश न्यास आदि में निवेश।
- iii) प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन में इक्विटी अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन हेतु वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ अंशों में निवेशों के किशतों की समीक्षा की आवश्यकता होगी।
- iv) बॉण्ड डिबेंचर आदि, जहाँ ब्याज दर भुगतान बंधमार्क के बजाय किसी विशेष सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में होने वाले उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है।

2.1.3.1 एचएफटी (ट्रेडिंग के लिए धारित): एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी नाम से एक अलग उप-श्रेणी बनाई गई है। निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली प्रतिभूतियों को एचएफटी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

a) बैंक द्वारा निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए रखे गए किसी भी उपकरण को, जब वह पहली बार अपनी खाता-बहियों में मान्यता प्राप्त करता है, एचएफटी उपकरण के रूप में नामित किया जाएगा।

- i) अल्पकालिक पुनर्विक्रय।
- ii) अल्पावधि कीमत हलचल से लाभ कमाना।
- iii) आर्बिट्रिज लाभ को लॉक करना; या
- iv) उपरोक्त (i), (ii) या (iii) को पूरा करने वाले उपकरणों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से प्रतिरक्षा।

b) निम्नलिखित उपकरण एचएफटी श्रेणी में शामिल नहीं किए जाएंगे -

- i) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी और सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश।
- ii) प्रतिभूतिकरण भंडारण के लिए नामित उपकरण।
- iii) रियल एस्टेट की प्रत्यक्ष स्वामित्व और रियल एस्टेट की प्रत्यक्ष स्वामित्व पर व्युत्पन्नी।
- iv) किसी फंड में इक्विटी निवेश, जब तक कि बैंक निम्नलिखित शर्तों में से कम से कम एक को पूरा न करे :

- बैंक अलग-अलग घटकों के फंड को देखने में सक्षम है और फंड की संरचना के बारे में बैंक को पर्याप्त और लगातार जानकारी प्रदान की जाती है, जिसे किसी स्वतंत्र अन्य पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- बैंक फंड के लिए दैनिक मूल्य उद्धरण प्राप्त करता है और उसके पास फंड के अधिदेश में या ऐसे निवेश फंडों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय विनियमों में निहित जानकारी तक पहुंच होती है।

v) व्युत्पन्न उपकरण और फंड जिनके उपकरण प्रकार अंतर्निहित आस्तियों के रूप में ऊपर (i) से (iv) तक निर्दिष्ट हैं; या

vi) ऊपर (i) से (v) तक निर्दिष्ट उपकरणों में किसी स्थिति के किसी विशेष जोखिम को किसी प्रकार से बचाव-व्यवस्था करने के उद्देश्य से रखे गए उपकरण।

2.1.4 श्रेणियों के बीच स्थानांतरण: किसी निवेश को उसकी खरीद के समय उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। बैंक अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति के बिना निवेश को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेगा। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व स्वीकृति की भी आवश्यकता होगी।

यदि पुनर्वर्गीकरण किया जाता है (उपरोक्त बिंदु से अनुमोदन के अनुसार) तो इसे पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू किया जाएगा।

एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में निवेशों के पुनर्वर्गीकरण के संदर्भ में, लेखांकन पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2023 में निहित निर्देशों के अनुसार होगा।

2.1.5 तुलन पत्र में प्रकटीकरण हेतु, उपरोक्त वर्गीकरण के अंतर्गत निवेश को भारत में तथा भारत के बाहर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत में निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

- i. सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- iii. शेयर
- iv. डिबेंचर और बॉण्ड
- v. अनुषांगिक इकाइयाँ/संयुक्त उपक्रम तथा
- vi. अन्य

भारत से बाहर निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

- i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)
- ii. अनुषांगिक इकाइयाँ/संयुक्त उपक्रम तथा
- iii. अन्य निवेश

2.2 निवेशों का लेखा-जोखा:

2.2.1 सभी प्रतिभूतियों के लेन-देन निपटान तिथि के दिन दर्ज किए जाते हैं, अर्थात् किसी आस्तियों की पहचान उस दिन से की जाती है जिस दिन वह इकाई द्वारा प्राप्त की जाती है तथा किसी आस्तियों की मान्यता रद्द करना और निपटान पर किसी लाभ या हानि की पहचान, उस दिन की जाती है जिस दिन वह इकाई द्वारा वितरित की जाती है।

2.2.2 अधिग्रहण की लागत: लागत का निर्धारण भारत औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है। सदस्यता हेतु प्राप्त ब्रोकरेज/कमीशन को लागत से घटा दिया जाता है। निवेशों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को पूर्व में ही व्यय किया जाता है और इसे लागत के अतिरिक्त रखा जाता है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री की तिथि तक अर्जित ब्याज, अर्थात् ऋण उपकरणों पर खंडित अवधि ब्याज को अधिग्रहण लागत/बिक्री प्रतिफल से बाहर रखा जाता है तथा उसे ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है।

2.3 मूल्यांकन:

2.3.1 प्रारंभिक मान्यता : प्रारंभिक मान्यता के अनुसार सभी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाए कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है।

ऐसी स्थितियाँ जहाँ प्रकल्पना का परीक्षण किया जाना है, उनमें शामिल हैं:

- (a) लेन-देन संबंधित पक्षों के बीच है।

- (b) लेन-देन दबाव में हो रहा है, जहां एक पक्ष को लेन-देन में कीमत स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- (c) उस वर्ग की प्रतिभूतियों के लिए लेन-देन मुख्य बाजार के बाहर किया जाता है।
- (d) अन्य स्थितियाँ, जहाँ पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियाँ अनुमान के परीक्षण की आवश्यकता होती हैं।

- 1) आरबीआई द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), अंतरण परिचालन और खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य होगा।
- 2) जहाँ प्रतिभूतियाँ उद्धृत की गई हैं या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि वृद्धि वक्र, ऋण प्रसार आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, वहाँ किसी भी 1 दिन के लाभ/हानि को अनुसूची 14 के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी: 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' उपशीर्षक के अंतर्गत 'अन्य आय', जैसा भी मामला हो।
- 3) लेवल 3 निवेशों के माध्यम से किसी भी दिन होने वाले 1 हानि को तुरंत मान्यता दी जाएगी।
- 4) लेवल 3 निवेशों के माध्यम से किसी भी दिन होने वाले 1 लाभ को स्थगित कर दिया जाएगा।

ऋण साधनों के मामले में, 1 लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इकिटी साधनों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

2.3.2 अनुवर्ती माप

2.3.2.1 एचटीएम

एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाएगा और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा (एमटीएम)। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम उपकरण के शेष जीवन के अनुसार परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद ॥ 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में; अनुसूची 8 में 'अर्जित ब्याज' प्रतिपक्षी के साथ; निवेश दर्शाई जाएगी।

2.3.2.2 एफएस

- a) यदि अधिक बार नहीं हो सके तो भी एफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा। एफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट प्रीमियम उपकरण के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। वित्तीय विवरणों में परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद ॥ 'निवेश पर आय' के अंतर्गत; 'निवेश' 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 में अनुबंध के साथ दर्शाई जाएगी।
- b) एफएस के अंतर्गत रखे गए सभी प्रदर्शनकारी निवेशों के मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण के बावजूद (पानी, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड और डिबेंचर आदि) को एकत्रित किया जाएगा। शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास 11 को लाभ और हानि खाते के माध्यम से हस्तांतरित किए बिना सीधे एफएस रिजर्व नामक रिजर्व खाते में जमा या नामे किया जाएगा।
- c) एफएस-रिजर्व में हस्तांतरित अप्राप्त लाभ किसी भी वितरण जैसे कि अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
- d) एफएस श्रेणी में किसी ऋण साधन की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/ हानि को एफएस रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद ॥ लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।
- e) प्रारंभिक मान्यता के समय एफएस के तहत नामित इकिटी साधनों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसे लाभ या हानि को एफएस-रिजर्व से पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा।

2.3.2.3 एफवीटीपीअल

- एफवीटीपीअल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे किया जाएगा। एफवीटीपीअल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाएगा, जबकि एफवीटीपीअल में अन्य प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन कम से कम तिमाही आधार पर किया जाएगा, यदि अधिक बार-बार नहीं किया जाता है।
- एफवीटीपीअल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम साधन के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाएगी; निवेश पर 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 के प्रतिपक्षी।

2.3.3 एचटीएम में निवेश की बिक्री

- एचटीएम से कोई भी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि अनुसूची 14 के मद II: 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होगी। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से नीचे 'पूँजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि करें और सांविधिक आरक्षित में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर शुद्ध की जाएगी।

2.3.4 निवेशों का उचित मूल्य

'बिक्री के लिए उपलब्ध' और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) और एचटीएम श्रेणियों में शामिल निवेशों के मूल्यांकन के उद्देश्य से 'बाजार मूल्य/उचित मूल्य' स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड/कोट्स, आरबीआई की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीआई) द्वारा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) के साथ संयुक्त रूप से घोषित कीमतों से उपलब्ध स्क्रिप का बाजार मूल्य है।

गैर-उद्धृत प्रतिभूतियों के संबंध में, 'बाजार मूल्य/उचित मूल्य' निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाता है :

a.	सरकारी प्रतिभूतियां:	
	i. केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	निश्चित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) तथा फाइनेंशियल बैंचमार्क इंडिया प्रा.वि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित के अनुसार बाजार मूल्य/वाईटीएम पर है। एफआईएमएमडीए/पीडीआई/एफबीआईएल द्वारा निर्धारित दरों पर है।
	ii. राज्य सरकार प्रतिभूतियां	
b.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बॉण्ड (अग्रिम की प्रकृति के नहीं) द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां	एफआईएमएमडीए/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर उचित वृद्धि के आधार पर।
c.	इकिटी शेयर	
	i. सूचीबद्ध	i. सूचीबद्ध इकिटी शेयरों का मूल्यांकन एनएसई और बीएसई की निम्नतम दरों के आधार पर किया जाता है।
	ii. गैर सूचीबद्ध	ii. नवीनतम तुलन पत्र के आधार पर विश्लेषित (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व पर विचार रहित) जो मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, पर विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां शेयरों का मूल्य ₹1 प्रति कंपनी है।
d.	अधिमानी शेयर	
		a) जब किसी अधिमानी शेयर का मूल्यांकन तिथि से 15 दिन के भीतर एक्सचेंज में कारोबार किया गया हो, तो उसका मूल्य उस कीमत से अधिक नहीं होगा जिस पर शेयर का कारोबार किया गया था।
		b) गैर उद्धृत अधिमानी शेयर का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए

		एफबीआईअल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की वाईटीएम दरों पर उचित मूल्यवृद्धि होगा, बशर्ते कि ऐसे अधिमानी शेयर का मूल्यांकन उसके मोचन मूल्य से अधिक न किया जाए। रेटिंग एजेंसियों द्वारा अधिमानी शेयर को दी गई रेटिंग के अनुसार मूल्यवृद्धि को वर्गीकृत किया जाएगा और यह निम्नलिखित के अधीन होगा: (i) भारत सरकार के प्रतिभूति के लिए मूल्यवृद्धि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात्, वाईटीएम दर समतुल्य परिपक्वता की कूपन दर/वाईटीएम से कम नहीं होगी। (ii) बिना रेटिंग वाले अधिमानी शेयरों के लिए वाईटीएम हेतु प्रयुक्त दर समतुल्य परिपक्वता के रेटिंग वाले अधिमानी शेयरों पर लागू दर से कम नहीं होगी तथा बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को उचित रूप से दर्शाएगी। (iii) जहाँ अधिमानी शेयरों में निवेश किसी समाधान के भाग के रूप में किया जाता है, वहाँ मूल्यवृद्धि 1.5 प्रतिशत अंकों से कम नहीं होगा। c) जहाँ अधिमानी लाभांश/ कूपन बकाया है, वहाँ उपार्जित लाभांश/ कूपन के लिए कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए तथा वाईटीएम आधार पर उपर्युक्त रूप से निर्धारित मूल्य पर कम से कम 15 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया एक वर्ष के लिए है, 25 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, यदि बकाया दो वर्षों इत्यादि के लिए है, (अर्थात् 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ)। मूल्यांकन जोखिम को प्रतिबिंबित करने के लिए सर्वोपरि सिद्धांत यह होना चाहिए कि उचित छूट दरों के साथ नकदी प्रवाह के रूढ़िवादी आकलन पर आधारित होना चाहिए। सांविधिक लेखा परीक्षकों को भी विशेष रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या मूल्यांकन ऐसे उपकरणों से जुड़े जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। गैर-निष्पादित शेयरों के संबंध में जहाँ लाभांश बकाया है, प्राप्त मूल्यहास/ प्रावधान आवश्यकता, को वरीयता शेयरों पर मूल्यवृद्धि के विरुद्ध मुआवजा के रूप में रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
e.	बॉण्ड तथा डिबेंचर (अग्रिम की प्रकृति का नहीं)	आरबीआई/ एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता उचित वृद्धि के आधार पर।
f.	म्यूचुअल फंड इकाई, उद्यमों हेतु पूंजी निधि तथा प्रतिभूति जमा।	पुनः क्रय-लागत या निवल आस्ति मूल्य पर।
g.	राजकोष, नगद प्रबंधन बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनर्पूँजीकरण बॉण्ड, सहायक, संयुक्त उद्यम तथा प्रायोजित संस्थान	रखाव लागत पर
h.	अन्य निवेश	मूल्य में कम घटाव रखाव लागत पर

2.4 गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)

एनपीआई वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, उचित निवेश प्रावधान/ आय के गैर स्वीकरण के अधीन है। गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास/ प्रावधान को अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता।

यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त कोई क्रेडिट सुविधा, बैंक की बहियों में गैर निष्पादित आस्ति है तो उसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी गैर निष्पादित निवेश और इसके विपरीत क्रम में माना जाएगा। यद्यपि, अधिमानी शेयर के संबंध में जहां लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, संबंधित क्रेडिट सुविधा को गैर निष्पादित आस्ति नहीं माना जाता।

2.5 निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित

जब तक कि आईएफआर की राशि एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए, आईएफआर में से निम्न में से कम से कम राशि स्थानांतरित करके बैंक तब तक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित (आईएफआर) बनाएगा।:

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ।
- वर्ष के दौरान अनिवार्य विनियोजन को घटाकर शुद्ध लाभ।

3 ऋण/अग्रिम और उस पर प्रावधान

3.1 ऋण और अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर "निष्पादित" और "गैर-निष्पादित" आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे अग्रिमों पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं।

3.2 सभी अग्रिमों को उधारकर्ता के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।

3.3 आरबीआई द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं जो नीचे उल्लेखित आरबीआई निर्देशानुसार न्यूनतम प्रावधानों के अनुरूप हैं।

आस्तियों का वर्गीकरण	प्रावधान मानदंड
अवमानक	- कुल बकाया पर सामान्य प्रावधान का 15% - ऐसे एक्सपोजर के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारंभ में अप्रतिभूत हैं (यथा जहां प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य आरंभिक रूप से 10% से अधिक नहीं है) - बुनियादी ढांचे के अग्रिमों के संबंध में अप्रतिभूत जोखिम जहां एस्को खाते जैसे कुछ सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं-20%
संशयात्मक आस्तियां	
सुरक्षित अंश	- एक वर्ष तक : 25% - एक से तीन वर्ष : 40% - तीन वर्षों से अधिक : 100%
असुरक्षित अंश	100%
हानि आस्तियां	100%

3.4 अग्रिमों पर विशिष्ट ऋण हानि (एनपीए के मामले में) प्रावधानों, पुनर्गठित अग्रिमों के मूल्य में कमी हेतु किए गए प्रावधान, अभिज्ञापित ब्याज को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 गैर निष्पादित आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मौजूदा भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान "अन्य देनदारियां और प्रावधान" के अंतर्गत शामिल हैं और निवल गैर निष्पादित आस्तियों की गणना हेतु इन पर विचार नहीं किया जाता है।

3.6 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पुनर्गठित/ पुनर्निर्धारित अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है।

3.7 गैर निष्पादित आस्तियों की बिक्री की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न रूप से की जाती है:

- जब बैंक प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियों का विक्रय करता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।
- यदि बिक्री का मूल्य कुल बही मूल्य (एनबीवी) (यथा बही मूल्य में कम प्रावधान किया गया है) से कम है तो इस कमी को बिक्री के वर्ष के लाभ-हानि खाते से डेबिट किया जाता है।

- iii यदि बिक्री का मूल्य, कुल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

4 अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों का सृजन करने और उसका उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों का आकलन किया जाता है। अस्थायी प्रावधानों का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से ही किया जाता है।

5 अचल आस्तियां

- 5.1 अचल आस्तियों को ऐतिहासिक लागत (पुनर्मूल्यांकित परिसर को छोड़कर जो पुनर्मूल्यांकित राशि पर बताए गए हैं) घटाकर संचित मूल्यहास/परिशोधन के रूप में वर्णित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन राशि के कारण वृद्धिशील मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है और समान राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि से राजस्व और अन्य निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

अचल आस्तियों की लागत में खरीद की लागत और उसके उपयोग में आने तक उस पर किया गया प्रासंगिक व्यय शामिल होता है। आस्तियों पर किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसी आस्तियां या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य में होने वाले लाभ में वृद्धि होती है।

- 5.2 जहां भूमि और अधिसंरचना के बीच लागत का पृथक्करण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, वहां अधिसंरचना पर लागू दर पर समग्र लागत का मूल्यहास किया जाता है।
- 5.3 स्थाई पट्टे पर लिए गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है तथा इनका मूल्यहास नहीं किया जाता।
- 5.4 बैंक प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत एक बार अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का मूल्यांकन उसके उपरांत प्रत्येक तीन वर्ष पर किया जाता है।

6 अचल आस्तियों पर मूल्यहास

- 6.1 अचल आस्तियों में मूल्यहास आस्तियों के उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली पर, मूल लागत के पाँच प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रभाषित किया गया है। उपयोगी अवधि तथा मूल्यहास दर निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	उपयोगी जीवनावधि	मूल्यहास दर
1	परिसर	60	1.58%
2	फर्नीचर और जुड़नार	10	9.50%
3	संयंत्र तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

- 6.2 कंप्यूटरों का आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33% पूर्ण मूल्यहास होता है।
- 6.3 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन का मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, चाहे इसके परिवर्धन की तिथि कुछ भी हो।
- 6.4 ऐसे परिसर की शेष उपयोगी अवधि पर पुनर्मूल्यांकित परिसर का मूल्यहास किया जाता है।
- 6.5 वर्ष के दौरान विक्रय की गई/निस्तारित आस्तियों का कोई मूल्यहास नहीं किया गया।
- 6.6 पट्टाधारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

7 रोजगार लाभ

- 7.1.1 दीर्घकालिक कार्मिक लाभ:



भविष्य निधि और नई पेंशन योजना (उन कार्मिकों पर लागू होती है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल हुए हैं) परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं क्योंकि बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान तक ही सीमित है। उक्त योगदान लाभ और हानि खाते से किया जाता है।

7.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

आईसीआई द्वारा जारी एएस 15 “कार्मिक लाभ” के अनुसार उपदान, पेंशन और अवकाश नकदीकरण देनदारियां लाभ दायित्व के रूप में परिभाषित हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं को बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और अलग-अलग न्यासों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। संबंधित न्यास द्वारा धारित निधि की तुलना में देनदारी की कमी/ अधिकता का वित्तीय वर्ष के अंत में देनदारी/ संपत्ति के रूप में लेखांकन किया जाता है।

अन्य दीर्घकालिक कार्मिक लाभ जैसे सिल्वर जुबली बोनस और सेवानिवृत्ति उपहार बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

7.2 अल्पकालिक कार्मिक लाभ

अल्पकालिक कार्मिक लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

8 विदेशी विनिमय अंतरण

8.1 विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफडीडीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार मौद्रिक आस्तियां एवं देनदारियां, गारंटी, स्वीकृत इंडिया, अभिलेखन और अन्य दायित्व तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों के समान भारतीय मुद्रा में उलथा किए जाते हैं।

8.2 अचल आस्तियों के अतिरिक्त अन्य गैर-मौद्रिक वस्तुएं जो परंपरागत लागत पर ली जाती हैं, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर उलथा की जाती हैं।

8.3 वायदा विनिमय अनुबंधों और बिलों का, प्रचलित विनिमय दरों की तिथि पर परिवर्तन किया जाता है। बकाया विदेशी मुद्रा अनुबंधों और बिलों का परिवर्तन एफडीडीआई द्वारा अधिसूचित दरों पर तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/ हानि को राजस्व में लिया जाता है।

8.4 आय और व्यय मदों का अंतरण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर अभिलेखित किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं की उन दरों से भिन्न दरों पर निपटान पर सृजित विनिमय अंतर, जिस पर वे आरंभ में लेखांकित किए गये थे, आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में माने जाते हैं जिसमें वे सृजित होते हैं।

मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति की विनिमय दरों में बदलाव के कारण होने वाले लाभ/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह के साथ किया जाता है तथा ऐसे लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते के रूप में माना जाता है।

8.5 विदेशी मुद्राओं में गारंटियों और क्रेडिट पत्र सहित स्वीकृत इंडियों, अनुमोदनों और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देनदारियों को अनुमानित दरों के समय लेखांकन प्रस्तुत करने वाले संग्रहण हेतु बिलों के अतिरिक्त एफडीडीआई अंतिम हाजिर दरों का उपयोग करके तुलन पत्र की तिथि में रिपोर्ट किया जाता है।

9 आयकर

आयकर व्यय न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) सहित, जहां प्रयोज्य हो तथा स्थगित कर सम्मिलित वर्तमान कर की कुल राशि है। आयकर अधिनियम 1961 और आईसीआई द्वारा जारी आयकर के लिए एएस 22 लेखांकन के मानकों के अनुसार जहां भी लागू हो वर्तमान कर और स्थगित कर का निर्धारण किया जाता है।

वर्तमान कर का निर्धारण वर्ष के लिए देय कर की राशि के रूप में किया जाता है और तदनुसार कर का प्रावधान किया जाता है।

समयांतर के कारण उत्पन्न होने वाली स्थगित कर आस्तियां और देनदारियां जो आगामी अवधि में निरसन करने में सक्षम हैं, उन्हें कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो तुलन पत्र की तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। स्थगित कर आस्तियों को तभी स्वीकार किया जा सकता है यदि आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो।

एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में केवल तब तथा उस सीमा तक स्वीकार किया जाता है यदि इसके ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो कि आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा।

10 आस्तियों की क्षति

यदि आस्तियों का किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे आईसीएआई द्वारा जारी आस्तियों की हानि पर एएस 28 के अनुसार मान्यता दी जाती है और उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है। आस्तियों को वहन करने की लागत की प्रत्येक तुलन पत्र में समीक्षा की जाती है। यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर क्षति का कोई संकेत प्राप्त होता है तो क्षति को तब स्वीकार किया जाता है यदि किसी आस्ति की वहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। वसूली योग्य राशि आस्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक है। प्रचलित मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

क्षति के पश्चात, आस्ति की संशोधित वहन लागत पर उसकी शेष प्रयोगशील अवधि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है, यदि कोई हो। परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर पूर्व में स्वीकृति प्राप्त क्षति की हानि बढ़ या व्युत्क्रमित हो जाती है। यद्यपि व्युत्क्रमण के पश्चात वहन लागत को उस वहन लागत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता जो कि किसी प्रकार की क्षति न होने पर सामान्य मूल्यहास प्रभावित कर प्रचलित होता है।

11 खंड अभिलेखन

बैंक, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता दी गई है। चूंकि बैंक की कोई विदेशी शाखा/परिचालन नहीं है इसलिए कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

12 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप, बैंक प्रावधानों को तभी स्वीकृति प्रदान करता है यदि किसी विगत प्रसंग के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व हो, यह संभव है कि एक बहिर्वाह दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों की आवश्यकता होगी और उस समय दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देयता को तब तक उद्घाटित किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना दूर-दूर तक न हो।

इसके अतिरिक्त, हालांकि जो मामले बैंक के विरुद्ध दायर किए गए हैं, लेकिन ऐसे मामलों में बैंक पर कोई दायित्व उत्पन्न होने की संभावना दूर-दूर तक नहीं है, उन्हें आकस्मिक देयता में शामिल नहीं किया जाएगा।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। चूंकि इसके परिणामस्वरूप आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी प्राप्य नहीं हो सकती।

13 पट्टा

परिचालन पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान को भौतिकता की अवधारणा पर विचार करते हुए पट्टा अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।



14 प्रति शेयर आय

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत एवं तनुकृत आय की रिपोर्ट करता है। अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध आय को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की गई है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना की गई है।

अनुसूची 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ

A) बहियों का शेष मिलान एवं समाधान

- कतिपय शाखाओं में, नियंत्रण खातों का सहायक बही खातों के साथ मिलान/समाधान का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- अंतर शाखा खातों (आईबीआर+डीडी) में पुरानी प्रविष्टियों के डेबिट एवं क्रेडिट बकाया का प्रारंभिक मिलान, सीबीएस प्रणाली से पूर्व का है। दिनांक 31.03.2025 तक समायोजन (पुरानी बकाया प्रविष्टियाँ सहित) कर लिया गया है तथा समाधान का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- देय ड्राफ्टों, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस/ एनएफटी (उत्तृत) का समाधान कार्य प्रक्रियाधीन है। आरबीआई नियमानुसार प्रावधान किए गए हैं। दिनांक 31.03.2025 तक नोस्ट्रो खातों का समाधान कर दिया गया है।

प्रबंधन की राय में, उपरोक्त अनुच्छेद (i) से (iii) का, लाभ एवं हानि खातों और तुलन-पत्र पर प्रभाव, यदि कोई हो, यद्यपि मात्रात्मक नहीं है, भौतिक नहीं होगा।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार दिनांक 30.09.2024 तक की अवधि तथा दिनांक 31.03.2025 तक शेष बकाया से संबद्ध अंतर शाखा खातों में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का विसंयोजन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप या तो कतिपय शीर्ष में निवल डेबिट या अन्य शीर्ष में निवल क्रेडिट है। छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया निवल डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किया जाना है। अग्रदाय समाशोधन खातों के लिए भी इन्हीं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

अंतर शाखा खाते में निवल क्रेडिट शेष है, अतः प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

- दिनांक दिनांक 01.01.2015 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए अवरुद्ध अदावाकृत जमा खाता (नया अवरुद्ध खाता) में बकाया ₹58115 की क्रेडिट प्रविष्टियाँ मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डीईएफ खाते में अंतरित कर दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त विभाग, तिमाही आधार पर 10 वर्ष से अधिक पुरानी असमाधानित प्रविष्टियों को डीईएफ खाते में अंतरित करता है।

दिनांक 31.03.2025 तक, 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अवधि से संबंधित ₹86446 राशि की असमाधानित क्रेडिट प्रविष्टियाँ 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं तथा फलस्वरूप इन प्रविष्टियों को अवरुद्ध अदावाकृत जमा खाते (नए अवरुद्ध खाते) में अंतरित कर दिया गया है।

- दिनांक 31.03.2025 तक बैंक की 2 संपत्तियों, जिनका मूल मूल्य ₹2.87 करोड़ और पुनर्मूल्यांकित मूल्य (सकल) ₹74.23 करोड़ तथा संचित मूल्यहास ₹1.32 करोड़ है, उनके संबंध में कानूनी औपचारिकताएँ अभी पूर्ण की जानी शेष है। (विगत वर्ष बैंक की 2 संपत्तियाँ जिनकी मूल लागत ₹2.87 करोड़ और पुनर्मूल्यांकन राशि ₹74.23 करोड़ थी)।

1. नियामक पूंजी

A) नियामक पूंजी की संरचना

(राशि करोड़ में)			
क्र. स.	विवरण	चालू वर्ष (2024-25)	विगत वर्ष (2023-24)
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)*	11789.78	9251.94
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी*	0.00	0.00
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	11789.78	9251.94
iv)	टियर 2 पूंजी	1368.81	1519.35
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	13158.59	10771.29

vi)	कुल जोखिम भारित आस्ति (आरडब्ल्यूए)	75602.31	62776.74
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)*	15.59	14.74
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	15.59	14.74
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	1.81	2.42
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	17.41	17.16
xi)	लीवरेज अनुपात	7.03	6.23
xii)	a) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	93.85	98.25
xiii)	वर्ष के दौरान एकत्र की गई चुकता इकिटी पूंजी की राशि	1219.39	0.00
xiv)	वर्ष के दौरान एकत्र की गई गैर-इकिटी टियर 1 पूंजी की राशि	0.00	0.00
xv)	वर्ष के दौरान एकत्र की गई टियर 2 पूंजी की	0.00	0.00

*पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर विचार करने के पश्चात ज्ञात किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव को 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पूंजी निधि का निर्धारण करने में शामिल किया गया है।

*पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III) वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज वाले पुनर्पूँजीकरण बांड के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर विचार करने के पश्चात ज्ञात किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव को 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पूंजी निधि का निर्धारण करने में शामिल किया गया है।

- बैंक ने 27 मार्च, 2025 को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से ₹1219.39 करोड़ की इकिटी शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाई है। बैंक ने ₹28.37 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹10 प्रति शेयर के 31,77,98,773 इकिटी शेयर जारी एवं आवंटित किए हैं। तदनुसार, 31 मार्च, 2025 तक बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता घटकर 93.85% रह गई है।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निम्न बांड जुटाए हैं:

श्रृंखला	प्रकार	आईएसआईएन	जारी करने की तिथि	अवधि	राशि (करोड़ में)	कूपन दर (%)	परिपक्वता-पूर्व मोचन की तारीख
1	दीर्घकालीन अवसंरचना बांड	INE608A08058	20.12.2024	10 वर्ष	3000	7.74	लागू नहीं

- बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बांड नहीं भुनाया है।

b) आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदार को भुगतान के लिए सामान्य आरक्षित निधि से दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान शून्य रुपये की राशि (वित्त वर्ष 31.03.2024 तक शून्य रुपये) आहरित की गई है।

2. आस्ति देयता प्रबंधन

a) दिनांक 31.03.2025 तक आस्ति एवं देयता की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

परिपक्वता प्रकार (समयावधि)	जमा राशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	(राशि करोड़ में)	
					विदेशी मुद्रा	
					आस्तियां	देयताएं
1 दिन	686.51	694.94	0.00	15.00	58.78	12.77
2-7 दिन	2782.44	1589.24	155.83	4212.39	20.44	2.88
8-14 दिन	700.29	721.62	0.00	32.75	25.43	4.40

15-30 दिन	2097.39	3994.23	293.76	0.00	88.32	16.30
31 दिन से 02 माह	5260.32	2423.25	270.09	37.37	108.17	11.99
2 माह से अधिक और 3 माह तक	5573.62	2129.54	582.45	94.98	87.98	4.56
3 माह से अधिक और 6 माह तक	16347.12	7163.03	865.50	1216.55	74.95	32.31
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	28231.59	8205.97	2169.82	1709.84	1.03	67.97
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	34201.64	38643.44	5624.31	3121.36	0.00	67.34
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5684.89	10626.15	6431.05	784.29	0.00	11.06
5 वर्ष से अधिक	28208.21	21108.49	30519.50	3004.99	0.00	0.00
कुल	129774.02	97299.90	46912.31	14229.52	465.10	231.57

b) दिनांक 31.03.2024 तक आस्ति एवं देयता की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(राशि करोड़ में)

परिपक्वता प्रकार (समयावधि)	जमा राशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					आस्तियां	आस्तियां
1 दिन	597.17	532.94	0.00	0.00	227.93	67.35
2-7 दिन	1210.89	812.32	321.63	6204.57	16.41	2.01
8-14 दिन	907.73	597.25	72.12	44.75	27.97	1.75
15-30 दिन	3172.88	2154.55	246.92	0.00	64.14	3.49
31 दिन से 02 माह	7197.58	1404.36	399.14	121.61	46.20	12.92
2 माह से अधिक और 3 माह तक	7877.22	3544.48	626.80	105.46	101.16	4.57
3 माह से अधिक और 6 माह तक	19421.26	7423.02	671.14	294.49	27.74	33.40
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	31981.37	7768.26	1135.23	566.13	0.00	35.43
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	45683.19	31267.44	6261.11	1645.49	11.09	57.72
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	1022.79	10138.74	4864.32	51.06	0.00	0.94
5 वर्ष से अधिक	337.47	17093.02	35000.75	737.30	0.00	0.00
कुल	119409.55	82736.38	49599.16	9770.86	522.64	219.58

वचत बैंक और चालू जमा का यह वर्गीकरण बोर्ड/एएलसीओ द्वारा अनुमोदित व्यवहार स्वरूप पर आधारित है।

c) चलनिधि कवरेज अनुपात		(राशि करोड़ में)			
		30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	31.03.2025
		कुल अभारित मूल्य (असति)	कुल भारित मूल्य (असति)	कुल भारित मूल्य (असति)	कुल भारित मूल्य (असति)
उत्पन्न गुणवत्ता चल अतिरिक्त					
1	कुल उत्पन्न गुणवत्ता चल अतिरिक्त (पक्षधर/एलएच)	27833.75	27516.08	29069.07	28636.25
नकदी प्रवाह					
2	खुदरा जमा एवं छोटे व्यापारी ग्राहकों से जमा, जिसमें से	80158.31	82284.47	84664.59	85734.90
(i)	स्तर जमा राशियाँ	826.94	861.19	883.05	928.13
(ii)	कम स्तर जमा राशियाँ	79331.37	81423.28	83811.54	84806.77
3	अर्धित यौक्त निधि, जिसमें से	21441.59	20485.29	21075.97	20996.02
(i)	परिचालनगत जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0
(ii)	नैर-परिचालनगत जमा राशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	21441.59	20485.29	21075.97	20996.02
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0
4	प्रत्याभूत यौक्त निधियन	0	0	0	0
5	अतिरिक्त आवरणकताएँ, जिसमें से	1247.83	1248.23	1350.89	1434.40
(i)	युवज जोखिमों से संबंधित बहिर्वाह और अन्य सार्वजनिक आवरणकताएँ	151.00	162.86	122.39	103.75
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविचार	1096.82	1085.37	1228.50	1330.64
6	अन्य श्रद्धिदातृ निधियन दायित्व	695.25	572.65	504.65	503.06
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	13311.51	12965.82	12733.35	12201.37
8	कुल नकदी बहिर्वाह	22309.33	21702.40	22706.15	22800.26
नकदी अंतर्वाह					
9	प्रत्याभूत उधार (तथा रिटर्न रेफो)	19.14	27.29	50.22	7.25
10	पूँतिपा कार्य निष्पादन एक्सपोजर से अंतर्वाह	2074.07	1141.46	1339.09	2628.54
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	242.22	308.65	218.95	391.37
12	कुल नकदी अंतर्वाह	2335.44	1377.46	1608.26	3027.15
13	कुल एलएच/एलए	27833.75	27516.08	29069.07	28636.25
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह	20931.87	20395.26	21694.67	21109.76
15	चलनिधि व्यापार अनुपात (%)	132.97%	134.91%	133.95%	135.65%

d) ਚਲਨਿਧਿ ਕਰਦੇ ਅਨੁਪਾਤ		(ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋੜ ਰੋ)			
		30.06.2023	30.09.2023	31.12.2023	31.03.2024
		ਕੁਲ ਅਮਾਰਿਤ ਮੁੱਲ (ਐਸਟ)	ਕੁਲ ਅਮਾਰਿਤ ਮੁੱਲ (ਐਸਟ)	ਕੁਲ ਅਮਾਰਿਤ ਮੁੱਲ (ਐਸਟ)	ਕੁਲ ਅਮਾਰਿਤ ਮੁੱਲ (ਐਸਟ)
ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧਾ					
1	ਕੁਲ ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧਾ (ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ)	25829.09		27412.09	27307.61
ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ					
2	ਖੁਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਏ ਕੀਤੇ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ	75791.45	77156.65	79243.90	79751.09
(i)	ਸਿਰਫ਼ ਖਰਾਬ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ	961.65	961.92	938.32	928.52
(ii)	ਕਮ ਖਰਾਬ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ	74829.80	76194.73	78305.58	78822.57
3	ਅਰਥਿਕ ਖਰਾਬ ਨਿਧਿਯੋਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ	27239.66	31107.46	26335.38	25392.65
(i)	ਚਰਿਤਾਵਨਤਾ ਖਰਾਬ ਨਿਧਿਯੋਗ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤਿਪੱਕਾਰ)	0	0	0	0
(ii)	ਮੈਰਿਟਾਵਨਤਾ ਖਰਾਬ ਨਿਧਿਯੋਗ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤਿਪੱਕਾਰ)	27239.66	31107.46	26335.38	25392.65
(iii)	ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰਾਬ	0	0	0	0
4	ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰਾਬ ਨਿਧਿਯੋਗ	0	0	0	0
5	ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ	3565.10	2323.44	1306.65	1197.97
(i)	ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ	0	0	0	0
(ii)	ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ	3565.10	2323.44	1306.65	1197.97
(iii)	ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ	0	0	0	0
6	ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪੱਕਾਰ ਨਿਧਿਯੋਗ	3250.71	2229.82	1078.22	1038.47
7	ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪੱਕਾਰ ਨਿਧਿਯੋਗ	9576.03	403.01	11930.70	12205.28
8	ਕੁਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ	22970.59	26649.74	24099.82	23153.50
ਨਕਦੀ ਅੰਤਰਵਾਹ					
9	ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰਾਬ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤਿਪੱਕਾਰ)	17.29	9.10	0	17.24
10	ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰਾਬ ਨਿਧਿਯੋਗ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤਿਪੱਕਾਰ)	2084.90	2152.91	1645.70	1499.65
11	ਅਨੁਸਾਰੀ ਅੰਤਰਵਾਹ	392.28	185.34	279.43	440.11
12	ਕੁਲ ਨਕਦੀ ਅੰਤਰਵਾਹ	2494.47	2347.35	3026.91	1957.00
13	ਕੁਲ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ	25829.09		27412.09	27307.61
14	ਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ	21519.82		22181.53	21784.05
15	ਚਲਨਿਧਿ ਘਾਟਿ ਅਨੁਪਾਤ (%)	120.02%		123.58%	125.36%

डाटा विगत तिमाही के दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसत के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अर्थात औसत की गणना 90 दिनों की अवधि पर की गई है)। सामान्य औसत की गणना विगत तिमाहियों के दैनिक अवलोकनों के आधार पर की जाती है। अंतर्वाह एवं बहिर्वाह के अभाजित मूल्य की गणना विभिन्न श्रेणियों या प्रकार की देनदारियों, तुलन पत्र से बाहर की वस्तुओं या संविदात्मक प्राप्तियों के बकाया शेष के रूप में की जाती है। एचक्यूएलए के भाजित मूल्य की गणना हेयरकट लागू होने के बाद के मूल्य के रूप में की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के लिए भाजित मूल्य की गणना अंतर्वाह और बहिर्वाह दोनों के लागू होने के बाद के मूल्य के रूप में की जाती है। कुल एचक्यूएलए तथा कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह को समायोजित मूल्य के रूप में प्रकट किया जाता है, जहाँ एचक्यूएलए का समायोजित मूल्य इस फ्रेमवर्क में बताए गए अनुसार लेवल 2B और लेवल 2 परिसंपत्तियों पर दोनों हेयरकट और किसी भी लागू कैप के आवेदन के बाद कुल एचक्यूएलए का मूल्य है। शुद्ध नकद बहिर्वाह के समायोजित मूल्य की गणना अंतर्वाह पर कैप लागू होने के बाद की जाती है, यदि लागू हो।

बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात पर गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात: एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त स्तर पर अभाजित उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को बनाए रखे, जिन्हें बिना किसी मूल्य हानि के नकदी में आसानी से परिवर्तित किया जा सके, ताकि चलनिधि संबंधी दबाव की स्थिति में 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के लिए बैंक की चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एलसीआर के दो घटक हैं:

- i. अंश-गणक के रूप में उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य।
- ii. कुल निवल नकदी बहिर्वाह: दबाव की स्थिति में, आगामी 30 कैलेंडर दिनों हेतु कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह में से कुल अपेक्षित अंतर्वाह को विभाजक के रूप में घटाया जाता है।

चलनिधि कवरेज अनुपात की परिभाषा (एलसीआर):

$$\frac{\text{उच्च-गुणवत्ता चलनिधि आस्तियाँ (एचक्यूएलए)}}{\text{आगामी 30 कैलेंडर दिनों पर कुल निवल नकदी बहिर्वाह}} \geq 100\% \text{ (दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी)}$$

मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 100% की नियामक मांग के विपरीत 135.65% था (दिनांक 01.01.2025 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान दैनिक अवलोकन के सामान्य औसत पर आधारित)

बैंक की एलसीआर के मुख्य संचालक उच्च गुणवत्ता चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए) हैं जो सदैव बैंक की चलनिधि आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं तथा खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों से आधारभूत वित्तपोषण प्राप्त करती हैं।

i) एलसीआर के मुख्य संचालक:

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने समेकित आधार पर ₹28636.25 करोड़ का औसत एचक्यूएलए (हेयरकट के पश्चात) बनाए रखा था। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों, अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों, एमएसएफ के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक और चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा द्वारा संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के पास संरक्षित नकदी, अतिरिक्त सीआरआर लेवल 1 एचक्यूएलए के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं।

लेवल 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से वाणिज्यिक पत्रों सहित कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ शामिल थीं।

ii) समय के साथ-साथ अवधि के भीतर होने वाले परिवर्तन :

जनवरी 2025, फरवरी 2025 और मार्च 2025 को समाप्त होने वाले महीनों के लिए एलसीआर क्रमशः 128.25%, 142.64% और 149.14% थी, जबकि नियामक आवश्यकता 100% है।

iii) उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)

एचक्यूएलए के अंतर्गत लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त लेवल 2 आस्तियों में उनकी बाजारक्षमता तथा कीमतों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, लेवल 2A एवं लेवल 2B में विभाजित किया गया है। मार्च 2025 तिमाही की समाप्ति हेतु एचक्यूएलए का कुल भारित मूल्य (औसत) ₹28636.25 करोड़ है।

एचक्यूएलए में निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं:

(राशि करोड़ में)

	अभारित मूल्य	भारित मूल्य
कुल लेवल 1 आस्तियां	28458.66	28458.66
कुल लेवल 2 आस्तियां	189.85	161.37
कुल लेवल 2बी आस्तियां	32.44	16.22

निवल नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की देनदारियों (जमा, अप्रत्याभूत एवं प्रत्याभूत थोक उधार) के साथ-साथ अप्रयुक्त प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न-संबंधित जोखिमों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को लागू करके की जाती है जिसे 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से अंतर्वाह द्वारा शुद्ध किया जाता है। 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 135.65% है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है।

iv) निधियन स्रोतों का संकेंद्रण :

महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष को एकल प्रतिपक्ष या संयुक्त या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बैंक की कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए सकल रूप से उत्तरदायी होते हैं। बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता (जमा प्रमाणपत्र के अलावा) हमारी कुल जमा राशियों का 9.43% हिस्से का निर्माण करते हैं जो एएलएम नीति के अनुसार 25% की सीमा के अंतर्गत है।

v) व्युत्पन्न जोखिम और संभावित संपार्श्विक मांग:

व्युत्पन्न एक्सपोजर को 30 दिनों के भीतर निवल व्युत्पन्न नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। व्युत्पन्न एक्सपोजर से अंतर्वाह अग्रिम परिपक्वता के कारण उत्पन्न हुआ।

vi) एलसीआर में मुद्रा का बेमेल होना

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जबकि एलसीआर मानक को एक ही मुद्रा पर पूर्ण किया जाना आवश्यक है, संभावित मुद्रा बेमेल को उच्च स्तरीय रूप से अधिकृत करने हेतु प्रत्येक मुद्रा के अंतर्गत एलसीआर की निगरानी की जानी चाहिए। तदनुसार बैंक, दैनिक आधार पर भारतीय मुद्रा (आईएलआर) में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखता है तथा इसकी तुलना विनियामक आवश्यकता से की जाती है। इसके अतिरिक्त बैंक का किसी अन्य विशेष मुद्रा में जोखिम नहीं है*, अतः एलसीआर भारतीय मुद्रा हेतु निर्मित किया जाता है। (*उक्त एक विशेष मुद्रा है जिसमें मुद्रा में नामित कुल देनदारियां बैंक की कुल देनदारियों का 5% या उससे अधिक होती हैं)

vii) समूह की इकाइयों के मध्य चलनिधि प्रबंधन तथा पारस्परिक विमर्श के केंद्रीकरण के स्तर का विवरण: शून्य

बैंक के लिए उद्यम-व्यापी आधार पर चलनिधि प्रबंधन निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है। निदेशक मंडल द्वारा अपने दायित्वों को बोर्ड की एक समिति को सुपुर्द किया गया है जिसे "बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति" कहा जाता है। यह समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों और चलनिधि पर इसके प्रभाव के बीच अंतर-संबंधों की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

बैंक के समक्ष एएलएम नीति है जो व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है जिसके तहत समूह के अंतर्गत सभी संस्थाएं चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के संदर्भ के रूप में परिचालन करती हैं।

एलसीआर की गणना एवं निगरानी बैंक द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है तथा इसे चलनिधि प्रबंधन के लिए कोष/मध्य कार्यालय के साथ साझा किया जाता है तथा निवेश समिति में इस पर चर्चा की जाती है।

इसके अतिरिक्त विगत माह की तुलना के साथ नवीनतम माह के लिए एलसीआर मासिक आधार पर एएलसीओ के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य चलनिधि मापदंडों के साथ एलसीआर स्थिति भी आरएमसी के समक्ष रखी जाती है।

viii) वर्ष की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2025 के लिए आकस्मिक देनदारियों से उत्पन्न औसत बहिर्वाह (राशि करोड़ में) का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	अभारित मूल्य	भारित मूल्य
वर्तमान में अप्रयुक्त प्रतिबद्ध ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं प्रदान की गईं	5921.24	1330.64
खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहक	1617.32	80.87
गैर-वित्तीय कारपोरेट, संप्रभु एवं केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - ऋण सुविधाएं	1875.56	187.56
गैर-वित्तीय कारपोरेट, संप्रभु एवं केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - चलनिधि सुविधाएं	693.55	208.07
बैंक	0.00	0.00
अन्य वित्तीय संस्थान (सुरक्षा कंपनियां, बीमा कंपनियों सहित) - ऋण सुविधाएं	1467.75	587.10
अन्य वित्तीय संस्थान (सुरक्षा कंपनियां, बीमा कंपनियों सहित) - ऋण सुविधाएं	140.62	140.62
अन्य विधिक इकाई ग्राहक	126.44	126.44
अन्य आकस्मिक निधियन देनदारियां	12201.37	536.27
गारंटी, ऋण पत्र तथा व्यापार वित्त	3690.12	110.70
प्रतिसंहरणीय ऋण एवं निधियन सुविधाएं	8511.25	425.56
अन्य	0.00	0.00

उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां (एचव्यूएलए)

एचव्यूएलए के अंतर्गत लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त लेवल 2 आस्तियों में उनकी बाजार क्षमता तथा कीमतों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, लेवल 2A एवं लेवल 2B में विभाजित किया गया है। मार्च 2025 तिमाही की समाप्ति हेतु एचव्यूएलए का कुल भारित मूल्य(औसत) ₹28636.25 करोड़ है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन का ब्यौरा औसत एचव्यूएलए नीचे दिया गया है:

उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां(एचव्यूएलए)	एचव्यूएल में औसत % आयु योगदान
लेवल 1 आस्तियां	
रोकड़ शेष	1.21%
सीआरआर शेष अधिकता	0.27%
न्यूनतम एसएलआर मांग से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	17.80%
अनिवार्य एसएलआर मांग के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां, एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक (वर्तमान में एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	8.90%
बेसल II मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत 0% जोखिम भारित विदेशी राष्ट्रिक द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां	0.00%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा- एफएलएलसीआर(वर्तमान में एनडीटीएल के 16 प्रतिशत की सीमा तक)	71.20%
कुल लेवल 1 आस्तियां	99.38%
कुल लेवल 2A आस्तियां	0.56%
कुल लेवल 2B आस्तियां	0.06%
एचव्यूएलए का कुल स्टॉक	100.00%

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान दैनिक अवलोकन का ब्यौरा औसत एचव्यूएलए नीचे दिया गया है:

उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां(एचक्यूएलए)	एचक्यूएल में औसत % आयु योगदान
लेवल 1 आस्तियां	
रोकड़ शेष	1.54%
सीआरआर शेष अधिकता	0.13%
न्यूनतम एसएलआर मांग से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां	19.32%
अनिवार्य एसएलआर मांग के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां, एमएसएफ के अंतर्गत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक (वर्तमान में एनडीटीएल की 2 प्रतिशत सीमा तक)	8.60%
बेसल II मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत 0% जोखिम भारित विदेशी राष्ट्रिक द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां	0.00%
चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा- एफएलएलसीआर(वर्तमान में एनडीटीएल के 16 प्रतिशत की सीमा तक))	68.78%
कुल लेवल 1 आस्तियां	98.37%
कुल लेवल 2A आस्तियां	1.57%
कुल लेवल 2B आस्तियां	0.06%
एचक्यूएलए का कुल स्टॉक	100.00%

a) निवल स्थिर निधियन अनुपात(एनएमएफआर)

(राशि करोड़ में)

विवरण	31-03-2024	30-06-2024	30-09-2024	31-12-2024	31-03-2025
उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ)	104223.37	101222.12	104528.83	110592.59	114080.83
अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ)	86928.39	81379.49	83687.86	86242.79	88723.64
एनएसएफआर% (एएसएफ/आरएसएफ)	119.90%	122.90%	123.30 %	128.23%	128.58%

(राशि करोड़ में)

विवरण	31-03-2023	30-06-2023	30-09-2023	31-12-2023	31-03-2024
उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ)	98493.57	98714.32	101536.58	106676.41	104223.37
अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ)	80049.78	84879.45	84324.28	87767.47	86928.39
एनएसएफआर% (एएसएफ/आरएसएफ)	123.04%	116.30%	120.41%	121.54%	119.90%

दिनांक 31.03.2025 को निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि करोड़ में)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
विवरण	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य	
	परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से <1 वर्ष	≥1 वर्ष		
उपलब्ध स्थिर निधियां						
1	पूंजी : (2+3)	11921.29	0.00	0.00	1237.30	13158.59
2	नियामक पूंजी	11921.29	0.00	0.00	1237.30	13158.59
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा व्यापार तथा लघु कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां: (5+6)	36154.83	52089.99	122.42	295.48	79875.58
5	स्थिर जमाराशियां	777.75	214.04	0.00	0.01	942.21
6	कम स्थिर जमाराशियां	35377.08	51875.94	122.42	295.48	78933.37

7	धोक निधियन : (8+9)	5599.33	27308.35	7646.74	2881.33	16790.25
8	प्रचालन जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य धोक निधियन	5599.33	27308.35	7646.74	2881.33	16790.25
10	अन्य देयताएं : (11+12)	0.00	3300.86	1714.52	2877.83	4256.41
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं तथा इकट्टी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	0.00	3300.86	1714.52	2877.83	4256.41
13	कुल एसएफ (1+4+7+10)					114080.83
अपेक्षित स्थिर निधियां						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्वएलए)					1463.65
15	प्रचालन उद्देश्य हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं में धारित जमाराशियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	0.00	24484.10	12912.63	55158.78	61542.93
17	लेवल 1 एचक्वएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-लेवल 1 एचक्वएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अनारक्षित निष्पादित ऋण	0.00	500.02	501.26	0.29	325.92
19	गैर-वित्तीय कोरपोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा तथा लघु कारोबारी ग्राहकों को ऋण तथा सार्वजनिक, केन्द्रीय बैंक एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	23895.61	12368.43	48193.73	56477.45
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	3271.92	397.26	13096.20	10347.12
21	निष्पादित आवासीय ऋण, जिनमें से:	0.00	88.46	42.94	6964.76	4739.56
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	83.46	42.12	6230.92	4112.88
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं तथा विनिमय-व्यापार इकट्टी सहित एचक्वएलए के रूप में योग्य नहीं है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अन्य आस्तियां : (पंक्ति 25 से 29 का योग)	6436.93	1183.31	679.46	19140.50	24865.18
25	भौतिक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं, स्वर्ण सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	व्युत्पन्नी संप्रदाओं हेतु आरंभिक सीमांत के रूप में पोस्ट की गयी आस्तियां तथा सीसीपी (यों) की चूक निधियों में योगदान	556.60	0.00	0.00	0.00	473.11
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	0.00	252.79	0.00	0.00	252.79
28	विभिन्न सीमांत की कटौती से पूर्व पोस्ट की एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गयी	5880.33	930.52	679.46	19140.50	24139.28
30	तुलनपत्रेतर मर्दे	18495.55	0.00	0.00	0.00	851.87
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	31892.58	30503.03	15283.61	99681.31	88723.64
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					128.58%

दिनांक 31.03.2024 को निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

दिनांक 31.03.2024 को निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि करोड़ में)

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट						
विवरण		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से <1 वर्ष	≥1 वर्ष	
उपलब्ध स्थिर निधियां						
1	पूंजी : (2+3)	14935.21	0.00	0.00	1237.30	16172.51
2	नियामक पूंजी	14935.21	0.00	0.00	1237.30	16172.51
3	अन्य पूंजी लिखत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा व्यापार तथा लघु कारोबारी ग्राहकों से जमाशायियां : (5+6)	35447.65	46777.12	74.20	286.57	74398.60
5	स्थिर जमाशायियां	557.89	301.57	0.02	0.10	816.60
6	कम स्थिर जमाशायियां	34889.76	46475.55	74.18	286.47	73582.00
7	थोक निधियन : (8+9)	3254.43	27418.39	5347.29	798.48	12603.79
8	प्रचालन जमाशायियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधियन	3254.43	27418.39	5347.29	798.48	12603.79
10	अन्य देयताएं : (11+12)	0.00	6053.62	438.00	604.95	1048.48
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं तथा इकिटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	0.00	6053.62	438.00	604.95	1048.48
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					104223.37
अपेक्षित स्थिर निधियां						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता बलनिधि आशिया (एचक्यूएलए)					1402.51
15	प्रचालन उद्देश्य हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं में धारित जमाशायियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23)	0.00	25099.71	10331.01	45263.28	53289.38
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा आरक्षित वित्तीय संस्थाओं को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों की अनारक्षित निष्पादित ऋण	0.00	0.00	505.34	0.00	252.67
19	गैर वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा तथा लघु कारोबारी ग्राहकों को ऋण तथा राष्ट्रिक, केन्द्रीय बैंक एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से	0.00	24993.75	9781.75	38748.46	48582.12
20	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	3579.50	281.85	8709.10	7591.59
21	निष्पादित आवासीय बंधक, जिनमें से:	0.00	105.96	43.92	6514.82	4454.59
22	ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत पद्धति के तहत 35% के समान या जोखिम भार से कम सहित	0.00	101.10	41.10	5789.75	3834.44
23	प्रतिभूतियां जो चुक में नहीं हैं तथा विनिमय-व्यापार इकिटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अन्य आस्तियां (पंक्ति 25 से 29 का योग)	10674.90	1365.05	427.73	22222.04	31333.36
25	भौतिक रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं, स्वर्ण सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	व्युत्पन्न संबिदाओं हेतु आरंभिक सीमांत के रूप में पोस्ट की गयी आस्तियां तथा सीसीपी(यों) की चुक निधियों में योगदान	546.41	0.00	0.00	0.00	464.45
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां	0.00	200.64	0.00	0.00	200.64
28	विभिन्न सीमांत की कटौती से पूर्व पोस्ट की एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गयी	10128.49	1164.41	427.73	22222.04	30668.27
30	तुलनापत्रेतर मदें	19654.67	0.00	0.00	0.00	903.14
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	35942.30	29428.42	11776.42	91760.51	86928.39
32	निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)					119.90

निवल स्थिर निधियन अनुपात का गुणात्मक प्रकटीकरण

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की मात्रा के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एनएसएफआर के लिए विचारित समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है जो एक वर्ष तक विस्तारित होता है। किसी विशिष्ट संस्था के लिए अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण की मात्रा



("अपेक्षित स्थिर निधियन") (आरएसएफ), उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की निधियन विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ उसके तुलनपत्रेतर (ओबीएस) जोखिमों पर निर्भर करती है।

एनएसएफआर की न्यूनतम अपेक्षा निरंतर आधार पर कम से कम 100% के समान होनी चाहिए।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधियन [एएलएफ]}}{\text{अपेक्षित स्थिर निधियन [आरएसएफ]}} \geq 100\%$$

1 अक्टूबर, 2021 से एकल बैंक तथा समूहों के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम एनएसएफआर अपेक्षा 100% है।

31 मार्च, 2025 को, पीएसबी ने ₹88723.64 करोड़ के भारित अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) की अपेक्षा ₹114080.83 करोड़ का भारित उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) बनाए रखा। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही हेतु एनएसएफआर, 119.90% था।

31 मार्च, 2024 को, पीएसबी ने ₹86928.39 करोड़ के भारित अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) की अपेक्षा ₹104223.38 करोड़ का भारित उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) बनाए रखा। 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही हेतु एनएसएफआर 119.90% था।

बैंक के एनएसएफआर का संक्षिप्त विवरण

उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण (एएसएफ) में मुख्य रूप से पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्तपोषण तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्तपोषण शामिल होता है। उचित भार लागू करने के पश्चात, कुल अपेक्षित स्थिर निधियन (एएसएफ) की पूंजी आधार लगभग 11.53%, रहा, खुदरा जमा (छोटे कारोबारी ग्राहकों जमाराशियों सहित) 70.02%, रहा तथा थोक निधियन 14.72% रहा है, अपेक्षित स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) में 34.33% हिस्सा "मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भाररहित निष्पादित ऋण और एक वर्ष या अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण के अतिरिक्त" क्रमिक मद के अंतर्गत है।

एनएसएफआर के प्रमुख संचालक:

31 मार्च 2025 तक बैंक ने ₹114080.83 करोड़ का एएसएफ बनाए रखा था। एएसएफ में 68.93% खुदरा एवं छोटे कारोबारी ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमा तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमा से है और 0.83% खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमा और एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमा शामिल है।

आरएसएफ में 34.33% हिस्सा "मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य अभारित निष्पादित ऋण एवं एक वर्ष या उससे अधिक की शेष परिपक्वता अवधि, वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण के अतिरिक्त" क्रमिक मद के अंतर्गत है।

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 128.58% है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है।

एनएसएफआर 31.03.2024 के 119.90% से बढ़कर 31.03.2025 तक 128.58% हो गया है, जिसका मुख्य कारण ₹1219 करोड़ के क्यूआईपी और ₹3000 करोड़ के दीर्घकालिक इन्फ्रा बॉन्ड द्वारा बैंक के पूंजी आधार में वृद्धि है।

चूंकि बैंक अपनी वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से तिमाही आधार पर एनएसएफआर प्रकटीकरण प्रकाशित कर रहा है अतः वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण वार्षिक आधार पर दिया गया है।

3. निवेश

a) दिनांक 31.03.2025 को निवेश संविभाग की संरचना



(राशि करोड़ में)

	भारत में निवेश						भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	बोण्ड	सहायक इकाइयाँ तथा/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय निकायों सहित)	सहायक इकाइयाँ तथा/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता तक धारित											
सकल	21581.91	0.00	8418.06	0.00	0.00	29999.97	0.00	0.00	0.00	29999.97	
घटा: गैर-निष्पक्षित निवेश हेतु प्रयोजन (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल	21581.91	0.00	8418.06	0.00	0.00	29999.97	0.00	0.00	0.00	29999.97	
चिकी हेतु उपलब्ध											
सकल	7687.18	0.00	3920.56	0.00	466.59	12074.33	0.00	0.00	0.00	12074.33	
घटा: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	590.07	0.00	0.00	590.07	0.00	0.00	0.00	590.07	
निवल	7687.18	0.00	3330.49	0.00	466.59	11484.26	0.00	0.00	0.00	11484.26	
कारोबार के लिए धारित											
सकल	3837.85	0.00	667.95	0.00	536.30	5679.59	0.00	0.00	0.00	5679.59	
घटा: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	189.52	0.00	0.00	191.51	0.00	0.00	0.00	191.51	
निवल	3837.85	0.00	478.43	0.00	536.30	5488.08	0.00	0.00	0.00	5488.08	
कुल निवेश	33106.94	0.00	13006.57	0.00	1002.89	47693.89	0.00	0.00	0.00	47693.89	
घटा: गैर-निष्पक्षित निवेश के लिए प्रयोजन	0.00	0.00	592.06	0.00	0.00	781.58	0.00	0.00	0.00	781.58	
घटा: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल	33106.94	0.00	12414.51	0.00	1002.89	46912.31	0.00	0.00	0.00	46912.31	

दिनांक 31.03.2024 को निवेश सविभाग की संरचना

(राशि करोड़ में)

	भारत में निवेश					भारत के बाहर निवेश					कुल निवेश	
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुयोजित प्रतिभूतियाँ	सेपर	डिबेंचर एवं बॉण्ड	सहायक इकाइयाँ तथा/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय निकायों सहित)	सहायक इकाइयाँ तथा/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	24608.57	0.00	0.00	11674.83	0.00	25.85	36509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36509.25
घटा: गैर निश्चित निवेश के लिए प्रत्याभूति (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	24608.57	0.00	0.00	11674.83	0.00	25.85	36509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36509.25
विक्री हेतु उपलब्ध												
सकल	7607.46	0.00	362.66	5338.91	0.00	1049.33	14358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14358.36
घटा: गुरुनगल तथा एनपीआई के लिए प्रत्याभूति	96.21	0.00	201.70	879.59	0.00	90.95	1068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.46
निवल	7511.25	0.00	160.96	4659.32	0.00	958.37	13289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13289.90
कारोबार के लिए धारित												
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटा: गुरुनगल तथा एनपीआई के लिए प्रत्याभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	32216.03	0.00	362.66	17013.74	0.00	1075.18	50667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50667.61
घटा: गैर निश्चित निवेश के लिए प्रत्याभूति (एनपीआई)	0.00	0.00	189.52	621.69	0.00	0.00	811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	811.41
घटा: गुरुनगल तथा एनपीआई के लिए प्रत्याभूति	96.21	0.00	12.18	57.70	0.00	90.95	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04
निवल	32119.82	0.00	160.96	16334.15	0.00	984.23	49599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49599.16

b) मूल्यहास एवं निवेश अस्थाई आरक्षित के प्रावधानों का संचलन

(राशि करोड़ में)

	विवरण	2024-25	2023-24
i)	निवेश पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
	a) आरंभिक शेष	1068.46	625.91
	b) जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	20.74	710.73
	c) घटा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बढ़े में डालना/प्रतिलेखन #	307.62	268.18
	d) अंतिम शेष	781.58	1068.46
ii)	निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित का संचलन		
	a) आरंभिक शेष	265.80	218.09
	b) जमा : वर्ष के दौरान अंतरित राशि	72.44	47.71
	c) घटा : आहरण द्वारा कमी	0.00	0.00
	d) अंतिम शेष	338.24	265.80
iii)	एफएस तथा एफबीटीपीएल(एचएफटी सहित)/वर्तमान श्रेणी में निवेश* के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2%	2%

उपरोक्त में आरबीआई के दिनांक 12.09.2023 के संशोधित समीक्षित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर परिवर्तन के दौरान सामान्य आरक्षित में अंतरित की गई ₹256.02 करोड़ की राशि शामिल है।

*निवल मूल्यहास घटाकर वहन मूल्य (निवल अधिमूल्यन की उपेक्षा करना) अर्थात तुलन-पत्र में परिलक्षित निवल राशि।

वर्ष 2024-25 के दौरान निवेश अस्थाई आरक्षित में अंतरित राशि ₹724487285/- है।

c) एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण

- (i) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2025 को आरबीआई के संशोधित मूल्यांकन दिशानिर्देशों में संशोधित अंश के रूप में पुनर्वर्गीकृत प्रतिभूतियों के अतिरिक्त परिपक्वता तक धारित से बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में और इसके विपरीत स्थानांतरित नहीं किया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक ने "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में ₹790.00 करोड़ के अंकित मूल्य (₹794.01 करोड़ बही मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियां स्थानांतरित की है जबकि "बिक्री के लिए उपलब्ध" से "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में कोई प्रतिभूतियां स्थानांतरित नहीं की गई है। एचटीएम से एफएस में प्रतिभूतियों के स्थानांतरण पर लाभ को अग्रिम रूप से बुक नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि की पहचान की गई थी।

- (ii) वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से स्थानांतरण/बिक्री का मूल्य(वर्ष के आरंभ में एकमुश्त स्थानांतरण तथा पूर्व-घोषित ओएमओ नीलामियों के अंतर्गत बिक्री के अतिरिक्त), वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही-मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

d) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
a)	आरंभिक शेष	830.16	482.60
b)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	1.99	512.37
c)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	50.57	164.81
d)	अंतिम शेष	781.58	830.16
e)	धारित कुल प्रावधान	781.58	811.41



ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी तौर पर निवेश आबंटन		निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूति आबंटन		अश्रेणीकृत प्रतिभूति आबंटन		असूचीबद्ध प्रतिभूति का आबंटन	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
a)	सार्वजनिक उपक्रम	8506.67	12711.55	8378.06	12451.38	0.00	0.00	8378.12	12451.38	8340.61	12399.82
b)	वित्तीय संस्थाएं	1848.38	2160.97	167.29	14.70	0.00	0.00	169.82	14.70	167.29	283.05
c)	बैंक	1005.13	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.99	400.57
d)	निजी कॉर्पोरेट	2788.93	2443.25	957.24	1005.66	908.16	920.12	1046.25	957.34	1314.44	1153.30
e)	अनुयोजित/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	अन्य	437.83	116.80	437.82	116.80	399.92	21.37	437.83	116.80	437.83	116.80
g)	मूल्यहास हेतु किए गए प्रावाधान (एनपीए सहित)	(781.58)	(972.24)	(781.58)	(795.69)	(781.58)	(896.25)	(781.58)	(932.06)	(781.58)	(831.52)
	कुल	13805.36	17479.33	9158.84	12792.85	526.50	45.24	9250.44	12608.16	9650.58	13522.02

e) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेपो संव्यवहार(अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च, 2025 को बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
i) रेपो के तहत विक्रय की गई प्रतिभूतियां								
a) सरकारी प्रतिभूतियां	78.22	77.25	2720.52	2700.47	1169.56	1146.68	2364.00	2363.93
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के तहत क्रय की गई प्रतिभूतियां								
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट : एफवी : अंकित मूल्य

एमवी : बाजार मूल्य

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		31 मार्च, 2024 को बकाया	
	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी	एफवी	एमवी
i) रेपो के तहत विक्रय की गई प्रतिभूतियां								
a) सरकारी प्रतिभूतियां	382.72	357.84	1129.67	1074.04	742.54	703.40	657.21	612.12
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रिर्व्स रेपो के तहत क्रय की गई प्रतिभूतियां								
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
b) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-	-

f) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) अंतरण (बाजार मूल्य के अनुसार)

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	31 मार्च, 2025 को बकाया
जीएसएल अंतरण के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	शून्य				
जीएसएस अंतरण के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां					
जीएसएस अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां					
जीएसएल अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की गई प्रतिभूतियां					

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी प्रतिभूति ऋण(जीएसएल) अंतरण

(राशि करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान कुल धारिता का अंतरण	31 मार्च, 2024 को बकाया
जीएसएल अंतरण के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	शून्य				
जीएसएस अंतरण के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां					
जीएसएस अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गयी प्रतिभूतियां					
जीएसएल अंतरण के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की गयी प्रतिभूतियां					

4. आस्ति गुणवत्ता

a) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार						
	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	81299.13	870.53	2849.46	945.36	4665.35	85964.47
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					822.42	
घटा : वर्ष के दौरान कमी					2117.71	
अंतिम शेष	96234.94	631.40	2252.14	486.52	3370.06	99605.00
निम्न के कारण सकल एनपीए में अपचयन :						
i) उन्नयन					256.99	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					339.57	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					1103.24	
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते में डालना					417.91	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	571.08	185.72	2095.35	945.30	3226.37	3797.45
जमा : वर्ष के दौरान किये गये नए प्रावधान						
घटाए : उत्क्रमित अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गये ऋण						
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	686.16	213.91	1603.48	486.48	2303.87	2990.03
निवल एनपीए						
आरंभिक शेष					1350.46	
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					428.55	
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					841.94	
अंतिम शेष					937.07	
अस्थायी प्रावधान						
आरंभिक शेष						
जमा : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
घटाए : वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम राशि						
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						
तकनीकी बट्टे खाते डालना तथा उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गये खातों का आरंभिक शेष						7275.88
जोड़े : वर्ष के दौरान तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना						1103.24
घटाए : वर्ष के दौरान पूर्व में ही तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गए खातों से की गई वसूली						883.93
अंतिम शेष						7495.19



धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ में)

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार						
	मानक	अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	75333.52	893.21	2893.27	1861.73	5648.21	80981.73
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					971.19	
घटा : वर्ष के दौरान कमी					1954.05	
अंतिम शेष	81299.13	870.53	2849.46	945.36	4665.35	85964.47
निम्न के कारण सकल एनपीए में अपचयन :						
i) उन्नयन					249.38	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					908.71	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बड़े खाते में					754.62	
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बड़े खाते में डालना					41.34	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	644.69	171.77	2126.28	1861.73	4159.78	4804.47
जमा : वर्ष के दौरान किये गये नए प्रावधान					636.16	
घटाए : उत्क्रमित अतिरिक्त प्रावधान/बड़े खाते में डाले गये ऋण					1569.57	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	571.08	185.72	2095.35	945.30	3226.37	3797.45
निवल एनपीए						
आरंभिक शेष					1411.50	
जमा : वर्ष के दौरान परिवर्धन					723.54	
घटाए : वर्ष के दौरान कमी					784.58	
अंतिम शेष					1350.46	
अस्थायी प्रावधान						
आरंभिक शेष						
जमा : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						
घटाए : वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम राशि						
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						
तकनीकी बड़े खाते डालना तथा उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/पूडेंशियल बड़े में डाले गये खातों का आरंभिक शेष						7257.41
जोड़े : वर्ष के दौरान तकनीकी/पूडेंशियल बड़े खाते में डालना						754.62
घटाए : वर्ष के दौरान विगत तकनीकी/ पूडेंशियल बड़े खाते से वसूली						736.15
अंतिम शेष						7275.88

अनुपात (%)	2024-25 (%)	2023-24 (%)
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	3.38	5.43
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	0.96	1.63
प्रावधान कवरेज अनुपात (डब्ल्यूटीओ सहित)	91.38	88.69



प्रावधान कवरेज अनुपात (डब्ल्यूटीओ रहित)

72.19

71.05

b) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2024-25			2023-24		
		बकाया कुल अग्रिम*	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में सकल एनपीए प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम*	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में सकल एनपीए प्रतिशत
i)	प्राथमिकता क्षेत्र	36801.97	2740.28	7.45	32635.81	2887.63	8.85
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	13455.90	1263.72	9.39	12523.73	1227.98	9.81
b)	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र उद्यम क्षेत्रों को अग्रिम	6294.63	404.00	6.42	4596.64	438.30	9.54
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
b.i)	कपड़ा	835.82	155.65	18.62	940.25	158.66	16.87
b.ii)	अभियांत्रिकी	572.29	24.71	4.32	513.81	65.10	12.67
b.iii)	धातु एवं धातु उत्पाद	815.45	43.39	5.32	584.04	24.95	4.27
c)	सेवाएं	13224.47	950.48	7.19	11748.40	1007.19	8.57
d)	व्यक्तिगत ऋण	3826.97	122.08	3.19	3767.04	214.17	5.69
	उप योग (i)	36801.97	2740.28	7.45	32635.81	2887.63	8.85
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	62803.03	629.78	1.00	53328.66	1777.71	3.33
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	1.98	0.28	14.14
b)	उद्योग	19565.25	307.31	1.57	18014.21	833.84	4.63
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
b.i)	बिजली एवं ऊर्जा	6144.30	41.26	0.67	5485.45	42.51	0.77
b.ii)	जल स्वच्छता	2791.55	0.0	0.00	3899.33	0.00	0.00
b.iii)	सड़क एवं राजमार्ग	2962.78	17.76	0.60	3531.78	559.33	15.84
c)	सेवाएं	24995.12	51.95	0.21	23051.94	589.77	2.56
जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
c.i)	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	14276.37	46.80	0.33	11832.60	510.94	4.32
d)	व्यक्तिगत ऋण	18242.66	270.52	1.48	12260.53	353.82	2.89
	उप-योग (ii)	62803.03	629.78	1.00	53328.66	1777.71	3.33
	कुल (i + ii)	99605.00	3370.06	3.38	85964.47	4665.34	5.43

* बकाया कुल अग्रिम, सकल अग्रिम को संदर्भित करता है।

c) विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
कुल आस्ति	24.89	55.36
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.48	1.14

f) संकल्प योजना और पुनर्संरचना का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा पर आरबीआई परिपत्र डीबीआर सं. बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांकित 7 जून, 2019 की शर्तों के अनुसार, बैंक के पास 1 उधार खाते के संबंध में ₹23.57 करोड़ राशि के अतिरिक्त मानक आस्तियों का प्रावधान धारित है (विगत वर्ष 31.03.2024 के लिए ₹24.48 करोड़)। विवरण इस प्रकार है :

(राशि करोड़ में)

भा. रि. बैं. परिपत्र द्वारा अंतर्घटित ऋण राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली ऋण राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (B) में से 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ऋण राशि	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत रक्षित ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान	(D) में से दिनांक 31.03.2025 तक पूर्व में ही किए गए प्रावधान
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
66.58	—	—	23.57	23.57

(राशि करोड़ में)

भा. रि. बैं. परिपत्र द्वारा अंतर्घटित ऋण राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाने वाली ऋण राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (B) में से 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ऋण राशि	आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत रक्षित ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान	(D) में से दिनांक 31.03.2024 तक पूर्व में ही किए गए प्रावधान
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
69.16	-	-	24.48	24.48

(राशि करोड़ में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
पुनर्गठन आदि के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि।	69	1376.48	144	73.54
पुनर्गठन आदि के अधीन मानक परिसंपत्तियों की राशि	17	979.84	122	42.94
पुनर्संरचना आदि के अधीन अवमानक परिसंपत्तियों की राशि	52	396.64	22	30.60
वर्ष के दौरान पुनर्संरचना पर इकिटी के रूपांतरण के कारण शेयरों का अधिग्रहण	1	10.41	1	0.01

e) आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन के अनुसार आरबीआई मास्टर परिपत्र संख्या डीओआर. एसीसी. आरईसी. संख्या 45/21.04.018/2021-22 दिनांकित 30.08.2021 (दिनांक 15.11.2021 को अद्यतित, आगे दिनांक 01.04.2024 को अद्यतित) के अनुसार बैंकों को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए। निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होने पर बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए :

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में चिह्नित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक है।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसार बैंक में विचलन, प्रारंभिक सीमा के भीतर हैं। इसलिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

f) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/2021-22 दिनांकित 24 सितंबर, 2021 के अनुसरण में, दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित/ अधिग्रहित ऋण के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है :

- दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के दौरान बैंक ने विशेष उल्लिखित खाते (एसएमए), हस्तांतरित और अधिग्रहित नहीं किए हैं। (31 मार्च, 2024 को शून्य)

(b) 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही/वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निम्नांकित गैर-निष्पादित आस्तियों का हस्तांतरण किया है:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तांतरित एनपीआई का विवरण			
(समस्त राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का औसत बकाया मूलधन	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	-	-	-
विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	-	-	-

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हस्तांतरित एनपीआई का विवरण			
(समस्त राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	1	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	14.83	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित कुल अवशिष्ट अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0	-	-
कुल प्रतिफल	1.67*	-	-
विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	-	-
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	-	-	-

* 31.03.2024 तक ₹0.25 करोड़ का नकद घटक प्राप्त हुआ। यद्यपि, ₹1.42 करोड़ की प्रतिभूति रसीद अभी भी प्राप्त होना शेष है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण			
(समस्त राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	3	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	275.23	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित कुल अवशिष्ट अवधि	-	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0.00	शून्य	शून्य
औसत प्रतिफल	491.88	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा	237.70	-	-
वर्ष के दौरान अधिग्रहीत ऋणों का विवरण			
एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) से			एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्थानांतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण			
(समस्त राशि करोड़ में)	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को
खातों की संख्या	3	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	186.30	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	लागू नहीं	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	0.00	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	134.23	शून्य	शून्य
विगत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अधिग्रहित ऋणों का विवरण			
एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई तथा एचएफसी सहित एनबीएफसी			एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य		शून्य
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य		शून्य
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य		शून्य

(c) समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित 'चूक' में नहीं' ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण(2024-25)	राशि करोड़ में
अधिग्रहित ऋणों की कुल राशि	3754.67
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में)	192.64
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (माह में)	37.64
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	10%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	202.81

विवरण(2023-24)	राशि करोड़ में
अधिग्रहित ऋणों की कुल राशि	-
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (माह में)	-
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (माह में)	-
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	-
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	-

(d) समनुदेशन/ नवीयन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से उपार्जित मानक आस्तियों का विवरण (सह-उधार) :

(राशि करोड़ में)			
विवरण	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	1354	17117	11505
कुल बकाया	354.67	3293.20	2293.46



भारित औसत परिपक्वता अवधि (माह में)	169.83	176.02	166.82
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	0.90	13.29	8.27
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	एमएसएमई - 20% एचएल - 25%	एमएसएमई - 20% एचएल - 25%	एमएसएमई - 20% एचएल - 25%
मूर्त जमानत व्याप्ति की व्याप्ति	188.77	192.55	186.19

(राशि करोड़ में)			
विवरण	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	3219	11505	3931
कुल बकाया	631.96	2293.46	964.56
भारित औसत परिपक्वता अवधि (माह में)	167.94	166.82	158
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	0.80	8.27	5.16
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	एमएसएमई - 20% एचएल - 25%	एमएसएमई - 20% एचएल - 25%	एमएसएमई - 20% एचएल - 25%
मूर्त जमानत व्याप्ति की व्याप्ति	175.01	186.19	147.40

(e) समनुदेशन/ नवीयन तथा ऋण सहभागिता के माध्यम से उपाजित मानक आस्तियों का विवरण (पुल बाय-आउट)

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क्रय किए गए खातों की संख्या	1477	6994	शून्य
कुल बकाया ऋण (राशि करोड़ में)	738.12	3754.67	शून्य
भारित औसत परिपक्वता अवधि (माह में)	179.11	192.64	शून्य
भारित औसत धारण अवधि (माह में)	1.03	5.76	शून्य
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण	10%	10%	शून्य
मूर्त जमानत व्याप्ति की व्याप्ति (%)	273.42	202.81	शून्य

विवरण	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य		
कुल बकाया ऋण (राशि करोड़ में)			
भारित औसत परिपक्वता अवधि (माह में)			
भारित औसत धारण अवधि (माह में)			
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण			
मूर्त जमानत व्याप्ति की व्याप्ति (%)			

गैर-कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए होने के कारण उपाजित ऋणों का दर्जा निर्धारण नहीं किया जाता है।

(ii) 31 मार्च, 2025 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को समनुदेशित रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित इस प्रकार के एसआर का सवितरण:

वसूली रेटिंग बैंड	(राशि करोड़ में)	
	31.03.2025 (बही मूल्य)	31.03.2024 (बही मूल्य)
आरआर 1+	शून्य	शून्य
आरआर 1	9.06	21.37
आरआर 2	शून्य	शून्य
आरआर 3	शून्य	शून्य
आरआर 4	शून्य	शून्य
आरआर 5	शून्य	शून्य
रेटिंग आहरण	शून्य	शून्य
अनिर्धारित	390.86	68.06
कुल	399.92	89.43

बैंक ने मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2025 तक उल्लिखित प्रतिभूति रसीदों के विरुद्ध शून्य प्रावधान किया है।

बैंक ने दिनांक 31.03.2024 तक उल्लिखित प्रतिभूति रसीदों के विरुद्ध 100% प्रावधान किया है।

(iii) प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:

विवरण		विगत 5 वर्षों में जारी एसआर		5 वर्ष से अधिक समय से पूर्व लेकिन विगत 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर		8 वर्षों से अधिक जारी एसआर	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
a)	एसआर का बही मूल्य जहां बैंक द्वारा विक्रय की गई गैर निष्पादित आस्तियां अंतर्निहित हैं	399.92	68.06	0.00	21.37	0.00	0.00
	(a)के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	एसआर का बही मूल्य जहां अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई गैर निष्पादित आस्तियां अंतर्निहित हैं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b)के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (a) + (b)		399.92	68.06	0.00	21.37	0.00	0.00

प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

विवरण		2024-25	2023-24
(i)	बैंक द्वारा अंतर्निहित के रूप में विक्रय गैर निष्पादित आस्तियों द्वारा समर्थित	399.92	89.43
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अंतर्निहित के रूप में विक्रय गैर-निष्पादित आस्तियों द्वारा समर्थित	-	-
कुल		399.92	89.43

'सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) के लिए संशोधित मानदंडों' पर आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 के अनुसार, बैंक ने मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों को मान्यता दी है।

इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान ऋण जोखिमों के हस्तांतरण के विरुद्ध प्राप्त ₹399.92 करोड़ की सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य आय और ब्याज आय में क्रमशः ₹145.10 करोड़ और ₹254.82 करोड़ की वृद्धि हुई है।

ग) धोखाधड़ी खाते

विवरण	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी प्रकरणों की संख्या	248	245
धोखाधड़ी में शामिल राशि	679.70	43.55
इस प्रकार के धोखाधड़ी प्रकरणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि	388.18	34.67
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	0.00	0.00

h) 1) "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों का पुनर्गठन" पर आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019, डीओआर. सं.बीपी.बीसी.34/21.4.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और डीओआर.सं.बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

इस तिथि को	पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि करोड़ में	धारित प्रावधान(राशि करोड़ में)
31.03.2025	3288	172.08	75.49
31.03.2024	4061	236.96	54.10

2) "समाधान रूपरेखा-2.0: व्यक्तियों एवं लघु व्यवसायों के कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान" पर दिनांक 05.05.2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22" के अनुसार, आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 तथा "समाधान रूपरेखा 2.0 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान" पर दिनांक 04.06.2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.21/21.04.048/2021-22, उन उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए तथा ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कुल जोखिम निम्नानुसार हैं :-

इस तिथि को	पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि करोड़ में	धारित प्रावधान (राशि करोड़ में)
31 मार्च, 2025	5517	625.38	107.99
31 मार्च, 2024	6642	786.84	120.40

3) कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण

i) आरबीआई परिपत्र दिनांकित 6 अगस्त, 2020 (आरएफ 1.0) तथा 05 मई, 2021 (आरएफ 2.0) के अनुसार कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण नीचे दिया गया है: -

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - विगत छमाही (30.09.2024) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही (31.03.2025) के अंत तक स्थिति।
व्यक्तिगत ऋण	680.81	13.81	0.00	44.94	631.29
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	632.44	5.50	0.00	270.05	373.34
जिसमें से एमएसएमई	264.92	5.50	0.00	40.23	214.83
अन्य	26.07	1.88	0.00	3.60	21.19
कुल	1339.32	21.19	0.00	317.99	1025.82

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।

दिनांक 30.09.2024 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - विगत छमाही (31.03.2024) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही (30.09.2024) के अंत तक स्थिति।
व्यक्तिगत ऋण	748.90	38.58	0.00	53.87	680.81
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	712.26	34.03	0.00	94.35	632.44
जिसमें से एमएसएमई	320.76	33.76	0.00	29.09	264.92
अन्य	31.44	3.23	0.00	1.84	26.07
कुल	1492.60	75.84	0.00	150.06	1339.32

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - विगत छमाही (30.09.2023) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही (31.03.2024) के अंत तक स्थिति।
(i) व्यक्तिगत ऋण	816.32	33.46	0.00	52.72	748.90
(ii) कॉर्पोरेट व्यक्ति*	803.53	26.56	0.00	60.08	712.26
जिसमें से एमएसएमई	426.27	26.24	0.00	36.03	320.76
(iii) अन्य	33.50	0.87	0.00	1.64	31.44
कुल	1653.35	60.89	0.00	114.44	1492.60

* जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।

दिनांक 30.09.2023 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - विगत छमाही 31.03.2023 के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही (30.09.2023) के अंत तक स्थिति।
(i) व्यक्तिगत ऋण	916.20	44.25	0.00	58.60	817.28
(ii) कॉर्पोरेट व्यक्ति*	1041.82	141.35	0.00	119.07	802.57
जिसमें से एमएसएमई	534.56	57.61	0.00	68.99	426.27
(iii) अन्य	33.34	0.69	0.00	1.79	33.50
कुल	1991.36	186.29	0.00	179.46	1653.35

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।

5. एक्सपोजर:

a) रियल स्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोजर

(राशि करोड़ में)

श्रेणी	2024-25	2023-24
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(a) आवासीय बंधक		
i. आवासीय संपत्ति पर ऋण जो बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है जो उधारकर्ता द्वारा अरिक्त है या अरिक्त किया जाएगा या किराए पर दिया है।	13553.54 [^]	9114.95
ii. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण-सीमाएं भी सम्मिलित होंगी।	6894.18 [^]	3764.41
(b) वाणिज्यिक रियल स्टेट		
वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापार स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल-गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण-सीमाएं भी सम्मिलित होंगी।	1365.21 [^]	479.17
(c) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश	-	-
a. - आवासीय	-	-
b. - वाणिज्यिक रियल स्टेट	-	-
ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर		
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	3663.78*	4496.58*
रियल स्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	18582.53	14090.70

* इसमें एनएचबी एवं आवास वित्त कंपनियों में निवेश के माध्यम से ₹937.98 करोड़ (विगत वर्ष ₹781.04 करोड़) शामिल हैं।

[^] एससीए के निर्देशानुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ₹0.92 करोड़ के आवास ऋण को वाणिज्यिक अचल संपत्ति में स्थानांतरित किया गया है।

b) पूंजी बाज़ार के लिए एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

विवरण		2024-25	2023-24
1	इकिटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आधारभूत निधि विशेष रूप से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	928.01	705.62
2	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को या शेयरों/ बॉण्ड्स/ डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या स्पष्ट आधार पर अग्रिम	0.03	0.00
3	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
4	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों की संपादिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहाँ शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति, अग्रिमों को पूर्णतया कवर नहीं करती हैं।	-	-
5	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
6	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इकिटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के जमानत के एवज में या बेजमानती आधार पर कॉरपोरेट(ओ) को स्वीकृत ऋण;	-	-
7	अपेक्षित इकिटी प्रवाह/ निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण;	-	-
8	शेयर या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इकिटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
9	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	-	-
10	उद्यम पूंजी निधि हेतु समस्त एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	68.07	27.37
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र		996.11	732.99

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए ऋणदाताओं को मौजूदा विनियमों एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी के इकिटी जारी करके उनकी क्षति / त्याग (निवल वर्तमान मूल्य शर्तों में खाले के उचित मूल्य में कमी) के लिए आंशिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है। यदि इकिटी शेयरों के ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार जोखिम (सीएमई) सीमा से अधिक हो जाती है, तो इसका प्रकटीकरण वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'नोट्स टू अकाउंट्स' में किया जाएगा। बैंक रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के भाग के रूप में ऋण को इकिटी में रूपांतरण के विवरण का भिन्न रूप से प्रकटीकरण करेगा जो सीएमई सीमाओं से मुक्त है।

c) जोखिम श्रेणी-वार देश में बैंक का एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

ईसीजीसी वर्गीकरण	जोखिम श्रेणी	दिनांक 31.03.2025 को एक्सपोज़र (निवल)	दिनांक 31.03.2025 को धारित प्रावधान	दिनांक 31.03.2024 को एक्सपोज़र (निवल)	दिनांक 31.03.2024 को धारित प्रावधान
A1	नगण्य	84.41	शून्य	131.50	शून्य
A2	न्यून	24.40	शून्य	17.51	शून्य
B1	सामान्य न्यून जोखिम	5.44	शून्य	57.79	शून्य
B2	सामान्य न्यून जोखिम	74.79	शून्य	0	शून्य
C1	सामान्य उच्च जोखिम	0.00	शून्य	0	शून्य
C2	उच्च जोखिम	0.00	शून्य	0	शून्य
D	अति उच्च जोखिम	0.00	शून्य	0	शून्य
कुल		189.04		206.8	

प्रत्येक देश के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित बैंक का शुद्ध देश-वार वित्त पोषित एक्सपोजर, बैंक के कुल आस्ति के 1% के अंतर्गत है। इसलिए, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

d) गैर-प्रतिभूत अग्रिम

विवरण	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	10248.31	7964.12
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां यथा अधिकार पर प्रभार, अनुज्ञप्ति, प्राधिकरण इत्यादि ली गई हैं।	0.00	0.00
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	0.00	0.00

e) आदत (फेक्टोरिंग) एक्सपोजर : वित्त वर्ष 2024-25 में शून्य (विगत वर्ष 2023-24 में शून्य)

f) अंतर-समूह एक्सपोजर

क्र. सं.	विवरण	(राशि करोड़ में)			
		2024-25		2023-24	
		स्वीकृति ऋण/ सीमा	वकाया शेष	स्वीकृति ऋण/ सीमा	वकाया शेष
(a)	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(b)	शीर्ष-20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(c)	उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के संबंध में अंतर-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(d)	अंतर-समूह एक्सपोजर सीमा के उल्लंघन का विवरण और उस पर विनियामकीय कार्रवाई, यदि कोई हो।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

g) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

वृद्धिशील प्रावधान (कुल ऋण जोखिम पर 0 से 80 बीपीएस तक, मानक परिसंपत्ति प्रावधान के अतिरिक्त) और पूंजी की आवश्यकता संभावित हानि (विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण) पर निर्भर करेगी, जिसका सामना उधारकर्ताओं को अपने खातों में असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम के कारण करना पड़ सकता है। बैंक ऐसे जोखिमों के लिए भिन्न प्रभार एवं प्रावधान की आवश्यकता रखता है जो उधारकर्ताओं की लागत को प्रभावित कर सकते हैं। बैंक के वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकटीकरण किया है।

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
वृद्धिशील प्रावधान (देशीय)	0.52	0.38
वृद्धिशील प्रावधान (विदेशी)	0.00	0.00
कुल वृद्धिशील प्रावधान	0.52	0.38
जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	-	-
आरडब्ल्यूए धारित वृद्धिशील पूंजी (@11.50%)	-	-

परिपत्र डीओआरएमआरजी.आरईसी. 76/00-00-007/2022-23 दिनांकित 11 अक्टूबर, 2022 के माध्यम भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर बचाव/अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर) निदेश, 2022 के अनुसार बैंक ने गैर-बचाव विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के प्रति देयता का अनुमान लगाया है तथा 31 मार्च, 2025 तक ₹0.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (31.03.2024 को ₹0.38 करोड़ था)

गैर बचाव (अनहेज्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की राशि ज्ञात करने हेतु विधि:

गैर बचाव (अनहेल्ड) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की जानकारी तिमाही आधार पर ग्राहकों से प्राप्त की जाती है तथा ग्राहकों से दो भागों में जानकारी प्राप्त कर उसका मापन किया जाता है- i) जहां सभी बैंकों को सम्मिलित कर उधारकर्ता का एक्सपोजर ₹50 करोड़ तक है और ii) जहां सभी बैंकों को सम्मिलित कर उधारकर्ता का एक्सपोजर ₹50 करोड़ से अधिक है।

विदेशी मुद्रा में कुल गैर बचाव (अनहेल्ड) एक्सपोजर को संबंधित तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर एफईडीआई हाजिर दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

बैंक संबंधित इकाई से यूएफसीई के बारे में जानकारी प्राप्त करके एफसीई वाली संस्थाओं के गैर बचाव (अनहेल्ड) विदेशी मुद्रा जोखिम (यूएफसीई) का आकलन करेगा। बशर्ते कि यूएफसीई के बारे में जानकारी संबंधित इकाई द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा स्व-घोषणा तिमाही आधार पर संस्थाओं से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि यूएफसीई जानकारी को कम से कम वार्षिक आधार पर संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।

संभावित हानि के प्रभाव का अनुमान ज्ञात करने की विधि:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी.स.बीपी.बीसी 116/21.06.200/2013-14 में गैर बचाव (अनहेल्ड) विदेशी मुद्रा जोखिम (यूएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए पूंजी एवं प्रावधान आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है जिसमें यूएसडी/आईएनआर वार्षिक अस्थिरता के लिए दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है तथा एफईडीआई को आरबीआई संदर्भ दर के आधार पर यूएसडी/ आईएनआर वार्षिक अस्थिरता प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है जिसका उपयोग संभावित हानि की गणना के लिए किया जाना है।

एफईडीआई प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर 10 वर्ष (120 माह रोलिंग) एलएवी दरों की घोषणा करता है। इन दरों पर, बैंक संभावित नुकसान (एफईडीआई द्वारा दी गई दर) की गणना करता है, वर्तमान दर समस्त बैंकों सहित उद्यम के कुल गैर-बचाव (अनहेल्ड) एक्सपोजर का 12.23% है।

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

a) जमाओं का संकेंद्रण

विवरण	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	13413.98	9825.34
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत (%)	10.33	8.23

b) अग्रिमों का संकेंद्रण

विवरण	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	23528.41	21201.80
बैंक की कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत (%)	23.62	23.60

c) एक्सपोजर का संकेंद्रण *

विवरण	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	21471.43	21112.86
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत (%)	16.41	17.51

* केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की गारंटी के लिए एक्सपोजर को सम्मिलित नहीं किया गया है।

d) एनपीए संकेन्द्रण

विवरण	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
बीस शीर्ष एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	555.77	1444.41
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत (%)	16.49	30.96

7. डेरिवेटिव

डेरिवेटिव के अंतर्गत बैंक, केवल व्यापारी वायदा संविदा में व्यापार करता है और बकाया वायदा संविदा का मूल्य ₹335.51 करोड़ है (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹496.05 करोड़)।

a) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वेप

क्र. सं.	विवरण	(राशि करोड़ में)	
		2024-25	2023-24
i)	स्वेप करारों का आनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii)	स्वेप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	स्वेप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	शून्य	शून्य
v)	स्वेप बुक का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

b) विनिमय व्यापार ब्याज-दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	(राशि करोड़ में)	
		2024-25	2023-24
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि बकाया जो कि 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट वैल्यू बकाया जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य

c) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

i) मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान वायदा दर करार/ ब्याज दर की अदला-बदली/ विनिमय ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में व्युत्पन्न लेनदेन में प्रविष्टी नहीं की है। तदनुसार, डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	(राशि करोड़ में)			
		2024-25		2023-24	
		मुद्रा व्युत्पत्ती	ब्याज दर व्युत्पत्ती	मुद्रा व्युत्पत्ती	ब्याज दर व्युत्पत्ती
	व्युत्पत्ती (अनुमानिक मूलधन राशि)	-	-	-	-

a)	i) वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था हेतु	-	-	-	-
	ii) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
b)	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित	-	-	-	-
	i) आस्ति (+)	-	-	-	-
	ii) देयता (-)	-	-	-	-
c)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
d)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV 01)	-	-	-	-
	i) व्युपत्री वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था पर	-	-	-	-
	ii) व्युपत्री ट्रेडिंग पर	-	-	-	-
e)	वर्ष के दौरान देखा गया अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01	-	-	-	-
	i) वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था पर	-	-	-	-
	ii) ट्रेडिंग पर	-	-	-	-

d) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप

वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने किसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप में प्रविष्टि नहीं की है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/ राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए आसति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीई की सूचना दी जानी है)	शून्य	शून्य
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत आसति की कुल राशि	शून्य	शून्य
3.	तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षाओं (एमआरआर) का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल	शून्य	शून्य
	a) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य
	b) तुलन-पत्र का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य
4.	एमआरआर से इतर प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	शून्य	
	a) तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य
	ii) अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	b) अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य
	c) तुलन-पत्र का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य
	ii) अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	* मूल हानि	शून्य	शून्य
	* अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूतिकृत आसतियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतिकरण के बाद आसति सेवा आदि के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)	शून्य	शून्य
7.	प्रत्येक सुविधा यथा ऋण संवृद्धि, चलनिधि समर्थन, सर्विसिंग एजेंट इत्यादि के लिए प्रदान की गई सुविधा का कार्य-निष्पादन। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। A) भुगतान की गई राशि B) प्राप्त पुनर्भुगतान C) बकाया राशि	शून्य	शून्य
8.	पूर्व में आलोकित किए गए निवेश सूची की ओसत डिफॉल्ट दर। (प्रत्येक आसति श्रेणी जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्यौरा प्रदान करें।)	शून्य	शून्य

9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए अतिरिक्त/ टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। (प्रत्येक आस्ति श्रेणी जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्यौरा प्रदान करें।)	शून्य	शून्य
10.	निवेशकर्ताओं की शिकायतें		
	(a) प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त तथा ;	1	0
	(b) लंबित शिकायतें	शून्य	0

9. तुलन-पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित

(राशि करोड़ में)

प्रायोजित एसपीवी का नाम			
घरेलू		विदेशी	
31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में अंतरण

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
i)	डीईए निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	607.53	500.24
ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	224.19	139.01
iii)	घटाएं : दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	18.86*	31.72*
iv)	डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष	812.86	607.53

*मूलधन

डीईए फंड में स्थानांतरित की गई राशि का अंतिम शेष, जैसाकि ऊपर वर्णित किया गया है, 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं - अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएं - अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत भी सम्मिलित है।

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

a) बैंक को ग्राहकों से तथा बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	170	86
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	12005*	14354
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	12062	14270
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	1219	663
4	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	113*	170
	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें		
5	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त अनुरक्षण योग्य शिकायतों की संख्या	466	485
5.1	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	175	198
5.2	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/ मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	291	287
5.3	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

6	निर्धारित समय में क्रियान्वित नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णयों के अतिरिक्त)	शून्य	शून्य
---	---	-------	-------

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायतों के आधार (अर्थात शिकायत किससे संबंधित है)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	विगत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/ कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	कॉलम संख्या 5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
2024-25					
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	30	3433*	8.50%#	24	शून्य
एटीएम/ डेबिट कार्ड	49	3335*	(16.77) %#	16	शून्य
ऋण और अग्रिम	18	990*	41.43%#	17	शून्य
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोज़र प्रभारों की उगाही	13	832*	28.99%#	10	शून्य
कार्मिकों का व्यवहार	12	178*	18.67%#	2	शून्य
अन्य	48	3237*	17.54%#	44	शून्य
कुल	170	12005*	5.12%#	113	शून्य
2023-24					
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	14	4727	12.52%	30	शून्य
एटीएम/ डेबिट कार्ड	30	4611	(58.21) %	49	शून्य
इंटरनेट/ मोबाइल/ ऋण और अग्रिम	16	821	28.68%	18	2
बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोज़र प्रभारों की उगाही	1	758	24.67%	13	शून्य
कार्मिक व्यवहार	2	160	32.23%	12	1
अन्य	23	3277	33.86%	48	7
कुल	86	14354	(24.65) %	170	10

* उन शिकायतों के अतिरिक्त जिनका समाधान प्राप्ति के टी+1 दिनों के भीतर कर दिया गया हो।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भिन्नता की गणना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्ति के टी+1 दिनों से इतर समाधान की गई शिकायतों पर विचार किया जाएगा।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा निम्नलिखित 2 प्रकरणों में दंड लगाया गया (2 दृष्टांत – विगत वर्ष 2023-24)

विवरण	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
A. आरबीआई के आदेश दिनांकित दिनांक 24.03.2025 के अनुसार ₹5 करोड़ और उससे अधिक के गैर-निधि आधारित जोखिम वाले सात उधारकर्ताओं की सीआरआईएलसी को रिपोर्ट न करने के कारण ₹36.40 लाख (छत्तीस लाख चालीस हजार रुपये मात्र) का दण्ड आरोपित किया गया।	0.36	0.00

B. भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश दिनांक 24.03.2025 के अनुसार बैंक में पहले से बीएसबीडी खाता धारण करने वाले ग्राहकों के अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए ₹31.80 लाख (केवल इकतीस लाख अस्सी हजार रुपये) का दण्ड आरोपित किया गया।	0.32	0.00
C. बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए के प्रावधान के अनुसार निर्धारित अवधि के मध्य 263865 खातों में जमा ₹70.65 करोड़ की राशि को डीईएफएफ निधि में जमा करने में विफल रहने के कारण आरबीआई द्वारा दिनांक 25.09.2023 के पत्र के माध्यम से दण्ड आरोपित लगाया गया।	लागू नहीं	1.00
D. (B) 'ऋण और अग्रिम - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीआई द्वारा जारी कतिपय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए आदेश दिनांकित 03.01.2024 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दंड लगाया गया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधान के अनुसार आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत लगाया गया है।	लागू नहीं	1.00

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण - बैंक के लिए लागू नहीं है।

14. अन्य प्रकटन

a) व्यापार अनुपात

विवरण	2024-25	2023-24
i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.57	6.68
ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	1.03	0.84
iii) जमा लागत (%)	5.74	5.55
iv) निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.85	2.45
v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	1.37	0.78
vi) आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.67	0.41
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) (राशि करोड़ में)	25.71	23.35
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (राशि करोड़ में)	0.11	0.07

b) बैंक-बीमा के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

	2024-25	2023-24
A. जीवन बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	23.08	23.70
B. सामान्य बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	4.04	3.59

c) विपणन और संवितरण कार्य (बैंकएशयोरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/ पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

	2024-25	2023-24
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पर कमीशन	0.00	0.46
एसबीए पर कमीशन	0.03	0.01
एसबीआईसीपीएसएल पर कमीशन	0.52	0.81
एपीवाई पर कमीशन	1.50	1.19
एफआईएसडीओएस पर कमीशन	0.01	0.00

d) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) कृषि के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के दौरान क्रमशः ₹1600 करोड़ तथा ₹2695 करोड़ और लघु और सीमांत कृषकों के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹800 करोड़ के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) क्रय किए हैं।

बैंक ने लघु और सीमांत कृषकों के अंतर्गत ₹300.00 करोड़ के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के अंतर्गत 1200 इकाइयों विक्रय की है और दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹6.75 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

बैंक ने लघु और सीमांत कृषकों के अंतर्गत ₹850.00 करोड़ के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के अंतर्गत 3400 इकाइयों विक्रय की है और दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹9.74 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने कृषि और लघु एवं सीमांत कृषकों के अंतर्गत 20440 इकाइयाँ (कृषि में 12000 इकाइयाँ और लघु एवं सीमांत कृषकों में 8440 इकाइयाँ) क्रय की है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹23.23 करोड़ (कृषि में ₹8.99 करोड़ और लघु एवं सीमांत कृषकों में ₹14.24 करोड़) की लागत वहन की है।

e) प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते के नामे किया गया प्रावधान	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
एनपीआई के लिए प्रावधान	(29.83)	352.86
एनपीए के लिए प्रावधान	176.48	(178.80)
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	321.72	341.56
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	590.72	19.90

लाभ और हानि खाते में ध्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का अलग-अलग विवरण/आंकड़े	(राशि करोड़ में)	
	2024-25	2023-24
अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान	176.48	(178.80)
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	115.08	(73.61)
एफवी पुनर्संचित अग्रिमों में हास के लिए प्रावधान	(0.50)	(0.79)
अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	(29.83)	352.86
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	0.00	0.22
अग्रिमों पर छूट	417.91	41.35
अन्य प्रावधान	58.23	52.73
कर-निर्धारण के लिए प्रावधान:		
वर्तमान कर	0.00	220.45
आस्थगित कर	321.72	224.02
एमएटी क्रेडिट पात्रता – वर्तमान वर्ष	0.00	(102.91)
एमएटी क्रेडिट पात्रता –प्रतिलोमित	0.00	0.00
कुल	1059.09	535.52

f) भारतीय लेखांकन मानक (भारत- लेखांकन मानदंड) अभिसरण आईएफआरएस का कार्यान्वयन

बैंक, आईएनडी-एस के संबंध में सांविधिक प्राधिकरणों की रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं का अनुपालन कर रहा है। आईएनडी-एस वित्तीय विवरणी प्रोफार्मा छमाही आधार पर आरबीआई को प्रेषित किया जाता है। बैंक ने आईएनडी-एस के कार्यान्वयन के क्षेत्र में वृहत अनुभव रखने वाले परामर्शदाता को नियुक्त किया है। परामर्शदाता, आईएनडी-एस के सुचारू कार्यान्वयन के संबंध में रोडमैप तैयार करने में बैंक की सहायता कर रहे हैं।

g) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	172.23	158.14
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

h) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी गई सुविधाओं का प्रकटीकरण : बैंक में लागू नहीं

i) बैंकों कार्मिकों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण धन के परिशोधन पर प्रकटीकरण

पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप अनुमानित अतिरिक्त पेंशन देनदारी ₹236.84 करोड़ थी। आरबीआई ने अपने परिपत्र भारिबै/2021-22/105 विवि.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांकित 04 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से भारतीय बैंक संघ के समस्त सदस्यों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी थी, बशर्ते प्रत्येक वर्ष, कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग परिशोधित किया जाए। बैंक, उक्त देयता को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित करेगा जो प्रतिवर्ष न्यूनतम ₹47.37 करोड़ के अधीन है। 31 मार्च, 2024 तक शेष अपरिशोधित राशि ₹94.73 करोड़ थी। तदनुसार, बैंक ने चालू तिमाही और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में क्रमशः ₹11.37 करोड़ और ₹47.37 करोड़ की राशि प्रभारित की है तथा शेष ₹47.37 करोड़ की अपरिशोधित राशि को अग्रणीत किया गया है। यदि बैंक ने संपूर्ण अतिरिक्त देयता को लाभ और हानि खाते में प्रभारित कर दिया होता तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात) ₹30.82 करोड़ कम हो जाता।

j) बैंक द्वारा चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, अन्य बैंकों से ली गई गैर-निधि सुविधा सहित ऋण सुविधा के विरुद्ध शून्य रुपये की राशि का चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी किया गया।

गैर-निधि ऋण सुविधाओं के लिए अन्य बैंकों को ₹3.45 करोड़ के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए हैं जो उधारकर्ताओं को जारी कुल ऋण सुविधाओं (निधिक/गैर-निधिक) का भाग है और दिनांक 31.03.2024 तक बकाया है।

k) हरित जमाराशिओं से एकत्रित धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तर की सूचना

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	(राशि करोड़ में) संचयी
कुल एकत्रित हरित जमा (A)	2.73	0.00	2.73
हरित वित्त जमा का उपयोग			
(1) नवीकरणीय उर्जा	0.00	0.00	0.00
(2) उर्जा दक्षता	0.00	0.00	0.00
(3) स्वच्छ परिवहन	2.73	0.00	2.73
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	0.00	0.00	0.00
(5) सतत जल एवं जल प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
(6) प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण	0.00	0.00	0.00
(7) हरित इमारतें	0.00	0.00	0.00
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
(9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण	0.00	0.00	0.00
कुल हरित जमा निधि आवंटन (B = 1 से 9 का योग)	2.73	0.00	2.73
हरित जमा निधि की आवंटित नहीं की गई राशि (C = A - B)	0.00	0.00	0.00
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं को आवंटित किए जाने तक हरित जमा राशि के अस्थायी आवंटन का विवरण	0.00	0.00	0.00

आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.45/21.04.018/2021-22 दिनांकित 01 अप्रैल, 2024 का आबंटन:

i) कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक वाले "अनुसूची 14-अन्य आय" शीर्ष के तहत "विविध आय" उपशीर्ष के अंतर्गत मर्दे

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	कुल आय में से %	2023-24	कुल आय में से %
1	तकनीकी रूप से बढ़े में डाले गए खातों में वसूली	550.79	4.22	691.42	6.33
2	विविध आय	231.84	1.78	143.36	1.31

ii) कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक वाले "अनुसूची 16-परिचालन व्यय" शीर्ष के तहत उपशीर्ष "अन्य व्यय" के अंतर्गत मर्दे : शून्य

iii) कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक वाले शीर्ष "अनुसूची 5 (IV)- अन्य देनदारियाँ और प्रावधान- "अन्य (प्रावधानों सहित)" के अंतर्गत मर्दे: शून्य

iv) कुल आस्तियों के 1% (एक प्रतिशत) से अधिक वाले "अनुसूची 11(VI)-अन्य आस्तियाँ-"अन्य" शीर्ष के अंतर्गत मर्दे

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	कुल आस्ति में से %	2023-24	कुल आस्ति में से %
1	ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)	1368.64	0.85	1673.84	1.13

15. लेखांकन मानक (एस) के अनुसार प्रकटीकरण

15.1 लेखांकन मानक-3 नकदी प्रवाह विवरणी

बैंक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके एस-3 की आवश्यकताओं के अनुरूप नकदी प्रवाह विवरणी निर्मित करता है।

15.2 लेखांकन मानक 5 : अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मर्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

15.2.1 नोट में अन्यत्र उद्धाटित को छोड़कर आरबीआई निर्देशों के साथ पठित एस-5 के अनुसार लाभ-हानि खाते में सम्मिलित किसी भी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

15.3 लेखांकन मानक 9 : राजस्व अभिज्ञान

आय की कतिपय मर्दों को अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के मद संख्या D.1 - "राजस्व अभिज्ञान" में उद्धाटित अनुसार उगाही आधार पर अभिज्ञापित किया गया है। तथापि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

15.4 लेखांकन मानक 10 : संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर/अचल आस्ति/ परिसंपत्ति

बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है। दिनांक 31.03.2025 को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का अंतिम शेष (राजस्व आरक्षित में हस्तांतरित राशि को घटाकर) ₹1063.46 करोड़ है। (विगत वर्ष ₹1066.39 करोड़)

परिसर में दिनांक 31.03.2025 तक ₹6.25 करोड़ का पूंजीगत कार्य प्रक्रियाधीन है (दिनांक 31.03.024 विगत वर्ष में ₹37.26 करोड़)।

15.5 लेखांकन मानक 15 – कार्मिक हितलाभ

आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक (एएस-15) के अनुसार पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा अन्य दीर्घकालीन लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्र में अभिज्ञात नियोजन पश्चात लाभों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1 अप्रैल को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	4913.43	4698.52	349.43	321.37	307.80	272.22
ब्याज लागत	308.32	319.23	23.13	21.96	20.57	18.91
गत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	186.98	195.63	31.22	26.73	74.74	58.18
प्रदत्त लाभ	(554.13)	(517.03)	(37.16)	(34.39)	(27.14)	(20.49)
दायित्वों पर बीमाकिक हानि/ (लाभ)	175.25	217.08	104.79	13.76	9.19	(21.02)
31 मार्च को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	5029.85	4913.43	471.40	349.43	385.15	307.80

योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1 अप्रैल को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4664.41	4432.10	340.09	318.26	288.23	269.60
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	372.69	354.12	27.20	25.56	24.90	18.63
अंशदान	372.62	381.81	103.04	28.11	76.17	20.62
प्रदत्त लाभ	(554.13)	(517.03)	(37.16)	(34.39)	(27.14)	(20.49)
बीमाकिक लाभ/(हानि)	(1.30)	13.41	3.66	2.55	0.51	(0.13)
31 मार्च को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4854.29	4664.41	436.84	340.09	362.67	288.23
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	371.39	367.53	30.86	28.11	25.41	18.50

निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
दायित्व पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (A)	175.56	217.08	104.79	13.76	9.19	(21.02)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (B)	1.30	(13.41)	(3.66)	(2.55)	(0.51)	0.13
निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)	176.86	203.67	101.12	11.21	8.68	(20.89)
अवधि में अभिज्ञापित बीमांकिक हानि/ (लाभ) (A+B)	176.86	203.67	101.12	11.21	8.68	(20.89)
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक हानि/ (लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन-पत्र में अभिज्ञापित राशि

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
31 मार्च को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	5029.85	4913.43	471.40	349.43	385.15	307.80
घटाएं : 31 मार्च को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4854.29	4664.41	436.84	340.09	362.67	288.23
तुलन पत्र में मान्य अतिरिक्त निवल आस्ति/ (अनिधिक देयता)	(175.56)	(249.02)	(34.56)	(9.34)	(22.48)	(19.57)
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता	--	--	--	--	--	--
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	--	--	--	--	--	--
तुलन पत्र में मान्य अतिरिक्त निवल आस्ति/ (अनिधिक देयता)	(175.56*)	(249.02)*	(34.56)	(9.34)	(22.48)	(19.57)

* ₹47.37 करोड़ की आस्थगित पारिवारिक पेंशन देयता सहित (विगत वर्ष हेतु ₹94.73 करोड़)

लाभ-हानि खाते में अभिज्ञापित व्यय

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्तमान सेवा लागत	186.98	195.63	31.22	26.73	74.74	58.18
विगत सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
ब्याज लागत	308.32	319.23	23.12	21.96	20.57	18.91
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	(372.67)	(354.12)	(27.20)	(25.56)	(24.90)	(18.63)
वर्ष के दौरान मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	176.54	203.67	101.12	11.21	8.68	(20.89)
आस्थगित पेंशन व्यय	--	--	--	--	--	--
निवल (लाभ)/व्यय	299.16	364.41	128.27	34.34	79.08	37.57

तुलन-पत्र में अभिज्ञापित देयताओं में उतार-चढ़ाव

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
प्रारंभिक निवल देयता/ (आस्ति)	249.02	266.42	9.34	3.11	19.57	2.62
जोड़ें : आस्थगित पेंशन व्यय	---	---	---	---	---	---
जोड़ें : निवल लाभ व्यय	299.16	364.41	128.27	34.34	79.08	37.57
घटाएं : प्रदत्त अंशदान	372.62	381.81	103.04	28.11	76.17	20.62
समापन देयता/ (आस्ति)	175.56	249.02	34.56	9.34	22.48	19.57
जोड़ें : रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संवरण देयताएं/ (आस्ति)	175.56*	249.02*	34.56	9.34	22.48	19.57

* ₹47.37 करोड़ की आस्थगित पारिवारिक पेंशन देयता सहित (विगत वर्ष हेतु ₹94.73 करोड़)

न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	4.21	5.73	-	---	---	---
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	7.83	9.12	15.74	19.85	---	---
उच्च सुरक्षा बॉण्ड/ टीडीआरएस	7.75	9.64	15.66	19.62	93.29	88.86
अन्य निवेश	80.21	75.51	68.60	60.53	6.71	11.14

तुलन-पत्र तिथि को मूल बीमांकिक पूर्वानुमान

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
रियायती दर	6.65	7.19	6.99	7.22	6.99	7.22
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	7.99	7.99	8.00	8.03	8.64	6.91
वेतनवृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
हास-दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
मार्टेलिटी तालिका	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

मानित बीमांकिक पूर्वानुमानों का आधार

विवरण	पूर्वानुमान का आधार
रियायती दर	रियायती दर का निर्धारण, देयता के अनुमानित अवधि की शर्तों के अनुरूप शासकीय बॉण्ड्स पर तुलन-पत्र की तिथि को बाजार प्रतिफल के संदर्भ में किया गया है।
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	संबंधित देयता की संपूर्ण कार्यकाल पर प्रतिफल के लिए, अवधि के आरंभ में, योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल, बाजार की प्रत्याशा पर आधारित है।
वेतनवृद्धि दर	बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में भविष्य में वृद्धि का प्राक्कलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा प्रासंगिक कारकों यथा कर्मचारी बाजार में मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

हास-दर	हास-दर का निर्धारण विगत और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के द्वारा किया गया है तथा इसमें मृत्यु के अतिरिक्त (लेकिन दिव्यांगता कारक शामिल है) समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है।
मार्टेलिटी तालिका	मार्टेलिटी तालिका, जिसे जीवन तालिका या बीमांकिक तालिका के रूप में भी जाना जाता है, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान परिभाषित जनसंख्या में होने वाली मृत्यु दर या जन्म से मृत्यु तक जीवित रहने की दर को दर्शाता है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(राशि करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नगदीकरण		रजत जयंती बोनस		चिकित्सा लाभ*		सेवानिवृत्ति उपहार	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
देयता का वर्तमान मूल्य	8.00	7.75	1.47	1.39	1.25	0.81	1.32	1.28
परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अमान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में मान्य देयता	8.00	7.75	1.47	1.39	1.25	0.81	1.32	1.28

तुलन-पत्र तिथि को मूल बीमांकिक पूर्वानुमान

(राशि करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण		रजत जयंती बोनस		सेवानिवृत्ति उपहार	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
रिघायती दर	6.99	7.22	6.99	7.22	6.99	7.22
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
हास-दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
मार्टेलिटी तालिका	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

15.6 लेखांकन मानक- 17 – खंड रिपोर्टिंग:

भाग A : कारोबार खंड

(राशि करोड़ में)

कारोबार खंड	कोष		कोरपोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग कारोबार		कुल	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
राजस्व	3599.53	2667.42	4224.7	3967.80	5194.84	4251.75	29.88	28.48	33048.95	10915.45
परिणाम	889.77	553.36	937.37	681.49	1152.63	732.40	29.88	28.48	3009.65	1997.73
गैर-आवृत्त व्यय									934.73	866.79

परिचालनगत लाभ									2074.92	1130.94
प्रायधान व आकस्मिकताएं									737.37	193.96
आपकर									321.72	341.56
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ/हानि									1015.83	595.42
अन्य जानकारी										
खंड आस्ति	47653.22	50360.82	49987.58	45386.04	61466.49	48634.09	0.00	0.00	159107.29	144380.95
गैर आबंटित आस्तियां									2707.88	3275.58
कुल आस्तियां									161815.17	147656.53
देयताएं खंड	44033.12	46069.25	46190.14	41518.41	56797.02	44489.67	0.00	0.00	147020.28	132077.33
गैर आबंटित देयताएं									1440.13	45.77
कुल देयताएं									148460.41	132123.10

क्र. सं.	विवरण	राजस्व खंड		परिणाम खंड		आस्ति खंड		देयताएं खंड	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1.	डिजिटल बैंकिंग	0.29	0.17	(1.49)	(1.36)	2.18	1.58	3.67	2.94
2.	अन्य खुदरा बैंकिंग	5194.55	4251.58	1154.12	733.76	61464.31	48632.51	56793.35	44486.73
3.	खुदरा बैंकिंग	5194.84	4251.75	1152.63	732.4	61466.49	48634.09	56797.02	44489.67

नोट : आईसीएआई के लेखांकन मानदंड -17 की शर्तों के अनुसार तथा आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए, बैंक के कारोबार को चार खंडों यथा [a] राजकोष परिचालन, [b] कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, [c] खुदरा बैंकिंग (आगे डिजिटल बैंकिंग और अन्य खुदरा बैंकिंग में उप-विभाजित) तथा [d] अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है।

कॉर्पोरेट/ थोक तथा खुदरा बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति व देयताओं को इन खंडों के एक्सपोजर के आधार पर विभाजित किया गया है।

भाग B – भौगोलिक खंड:

अभी तक बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग अप्रयोज्य है।

15.7 लेखांकन मानक 18 – संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

श्री स्वरूप कुमार साहा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री कोत्लेगाल वी राघवेन्द्र	दिनांक 30.06.2023 तक कार्यपालक निदेशक
डॉ. रामजस यादव	दिनांक 30.04.2024 तक कार्यपालक निदेशक
श्री रवि मेहरा	दिनांक 09.10.2023 से कार्यपालक निदेशक
श्री राजीव	दिनांक 09.08.2024 से कार्यपालक निदेश



केएमपी से संबंधित पक्ष

डॉ. रामजस यादव	श्रीमती कृष्णा यादव	पत्नी
	श्री सौरभ यादव	पुत्र
श्री रवि मेहरा	श्रीमती बबिता मेहरा	पत्नी
	सुश्री नंदिनी मेहरा	पुत्री
	सुश्री परंजया मेहरा	पुत्री
श्री स्वरूप कुमार साहा	श्री सुमित साहा	पुत्र

मद/ संबंधित पक्ष	(राशि लाख में)	
	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधी
शेष बकाया	31.03.2025	31.3.2024
जमाराशि	110.30	205.31
अग्रिम	48.00	59.24
वर्ष के दौरान किए गए संव्यवहार		
प्रदत्त ब्याज	5.44	5.05
प्राप्त ब्याज	1.72	3.04
प्रदत्त पारिश्रमिक (नीचे दिए गए विवरण का संदर्भ लें)	107.73	112.50
श्री स्वरूप कुमार साहा	40.37	42.35
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	0.00	12.66
डॉ. रामजस यादव (30.04.2024)	3.22	38.61
श्री राजीवा	22.22	0.00
श्री रवि मेहरा	41.92	18.88

नोट: संबंधित पक्ष संबंध, बैंक द्वारा निर्धारित है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा उस पर विश्वास किया गया है।

31.03.2025 के अनुसार बकाया:

मदें/ संबंधित पक्ष	(राशि करोड़ में)					
	मूल (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)	रियायत	सहयोगी/संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार	कुल
उधार						
जमा				1.06	0.00	
जमाराशि का स्थानन						
अग्रिम				0.09	0.12	
निवेश						
गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएँ						

पट्टा उधार/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया						
प्रदान की गई पट्टा उधार/एचपी व्यवस्था						
अचल संपत्तियों की खरीद						
अचल आस्तियों का विक्रय						
भुगतान किया गया ब्याज				0.06	0.00	
प्राप्त ब्याज				0.00	0.01	
सेवाएं प्रदान करना						
सेवाएं प्राप्त करना						
प्रबंधन संविदा						

15.8 लेखांकन मानक 19 – पट्टा/ लीज़

परिचालन पट्टे में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कार्मिकों के आवास शामिल होते हैं जिन्हें सामान्यतः पट्टा अवधि के अंत में बैंक/पट्टादाता के विकल्प पर नवीकृत किया जा सकता है।

- उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक रह न करने योग्य पट्टा : शून्य (विगत वर्ष: शून्य)
- परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में अनुसूची-16- "II- किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था" के अंतर्गत मान्य पट्टा भुगतान की राशि निम्नानुसार है :

(राशि करोड़ में)	
दिनांक 31.03.2025 को समाप्त चालू वर्ष	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हुआ पिछला वर्ष
146.90	139.23

15.9 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

(राशि करोड़ में)		
विवरण	2024-25	2023-24
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात निवल लाभ	1015.83	595.42
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	678.13	677.78
प्रति शेयर मूलभूत एवं तनुकृत आय (₹)	1.50	0.88
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

15.10 लेखांकन मानक 21 – समेकन वित्तीय विवरण

बैंक की कोई अनुबंधी/ सहयोगी नहीं है अतः एएस 21 अप्रयोज्य है।

15.11 लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन

15.11.1 आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के अनुपालन में बैंक ने आयकर के लिए लेखांकन किया है।

15.11.2 आस्थगित कर आस्तियां/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ में)

शीर्ष		आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	0.00	0.00	18.63	13.80
2	धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियां	0.00	0.00	73.67	73.67
3	निवेश पर एनपीए के लिए प्रावधान	273.12	283.54	0.00	0.00
4	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	0.00	105.01	0.00	0.00
5	अग्रिमों के लिए प्रावधान	974.73	1318.55	0.00	0.00
6	पुनर्संचित अग्रिमों के एफवी में हास के लिए प्रावधान	43.03	0.60	0.00	0.00
7	संचित हानि	142.53	0.00	0.00	0.00
कुल		1390.81	1707.70	92.29	87.47

15.11.3 बैंक द्वारा धारित आयकर तथा आस्थगित कर के लिए प्रावधान को विधि विशेषज्ञों के अभिमत तथा अनुकूल न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना गया है।

15.11.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार समय के अंतर के विरुद्ध संभावित कर लाभ के बैंक प्रबंधन के अनुमान के आधार पर आस्थगित कर आस्तियां की समीक्षा की गई है और 31 मार्च 2025 तक ₹1298.52 करोड़ की शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां को मान्यता दी गई है (31 मार्च 2024 तक ₹1620.23 करोड़) थी।

15.11.5 अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय/ न्यायिक घोषणाओं/ विधि विशेषज्ञों की राय के मद्देनजर ₹977.18 करोड़ (विगत वर्ष ₹887.01 करोड़) की कुल आय की विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

15.11.6 भारत सरकार ने करधान कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, आयकर अधिनियम 1961 में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से धारा 115बीएए सम्मिलित किया है। बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीएए के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का मूल्यांकन किया और पूर्व में गए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर कर के अभिज्ञान को जारी रखने के विकल्प का चयन किया है।

15.12 लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एएस 23 लागू नहीं है।

15.13 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियां

बैंक में उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर आंतरिक तंत्र में ही विकसित किए गए हैं तथा समय के साथ विकसित हुए हैं। इसलिए, सॉफ्टवेयर की लागत, बैंक परिचालन व्यय यथा वेतन का अनिवार्य हिस्सा है और इसलिए लाभ-हानि खाते में व्यय के संबंधित शीर्ष पर प्रभारित किया जाता है।

15.14 लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षीणता

बैंक के पास विद्यमान अचल संपत्तियों को एस-28 में परिभाषित अनुसार 'निगमित आस्तियों' के रूप में माना गया है न कि 'नकद उत्पादक इकाइयों' के रूप में। प्रबंधन की राय में दिनांक 31.03.2025/31.03.2024 तक महत्वपूर्ण राशि की 'अचल आस्तियों' की कोई क्षीणता, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 की शर्तों के अनुसार अभिज्ञापित करना आवश्यक नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों सहित अन्य आस्तियों की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

15.15 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां प्रावधान,

15.15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है -

- पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसके विद्यमानता की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है, या
- विगत घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको अभिज्ञापित नहीं किया गया है क्योंकि :
 - यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या
 - देयता राशि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयता के रूप में अभिलिखित किया गया है। इसका आकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं का केवल वह भाग जिसमें आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, प्रावधान किया जाता है।

15.15.2 आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

विवरण	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कमी		अंतिम शेष	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	29.63	26.96	34.52	2.71	4.09	0.04	60.06	29.63
आह्वानकृत बैंक गारंटी	8.03	7.65	शून्य	0.38	0.38	शून्य	7.65	8.03
अवक्रमित साख पत्र	शून्य							

15.16 अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियों में उपयुक्त स्थानों पर प्रस्तुत किया गया है।

16. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान की गई खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम के अनुसार वेंडर्स को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई विलंब नहीं हुआ था इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

17. पत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांकित 23 जून, 2017 और डीबीआर सं. बीपी: 1907/ 21.04. 048/2017-18 दिनांकित 28 अगस्त 2017 के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया -प्रावधानीकरण मानदंड आरंभ करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने उपरोक्त परिपत्रों में निर्दिष्ट एनपीए उधार खातों के संबंध में 31 मार्च, 2024 को ₹230.05 करोड़ (31 मार्च, 2023- ₹265.44 करोड़) की बकाया राशि के विरुद्ध ₹230.05 करोड़ (31 मार्च, 2023 - ₹265.44 करोड़) का प्रावधान किया है।

18. एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण, जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया :

वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने निम्न प्रकरणों में आरबाई द्वारा एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता के लिए निर्धारित एलईए सीमा का अधिक्रमण किया है :



उधारकर्ता का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा	एआईएफ के अनुसार एक्सपोजर सीमा (%)	31.03.2025 को सीमा/ देयता	31.03.2024 को टीयर 1 पूंजी के संबंध में एक्सपोजर (%)
शून्य				

19. बैंक ने दो उधार खातों में में ₹99.98 करोड़ का निधिक एक्सपोजर किया है जो मुकदमेबाज़ी के अधीन हैं और संबंधित निर्णायक प्राधिकारियों ने डाउनग्रेडिंग पर रोक लगा दी है। बैंक ने खातों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।

20. आरबीआई परिपत्र दिनांकित 19.12.2023 के अनुसरण में, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के संबंध में, 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के दौरान शून्य (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹0.50 करोड़) का प्रावधान आवश्यक है और इसका प्रावधान किया गया है।

21. बैंक के बोर्ड ने 29 अप्रैल 2025 को बोर्ड मीटिंग में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 0.70% अर्थात ₹0.07 प्रति इक्विटी शेयर (₹10/- प्रति शेयर का अंकित मूल्य) लाभांश का प्रस्ताव रखा है @ 2% यानी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹0.20 प्रति इक्विटी शेयर) शेयरधारकों से अपेक्षित अनुमोदन के अधीन।

22. बैंक 31 मार्च 2025 तक ₹8.51 करोड़ (31 मार्च 2024 तक ₹9.21 करोड़) का प्रावधान कर रहा है जो आरबीआई के पत्र संख्या के अनुसार पंजाब राज्य सरकार द्वारा लिए गए बकाया खाद्य ऋण का 5% है। डीबीआर (बीपी) संख्या 7201. 21.04.132 /2017 -18 दिनांक 08.02.2018 अग्रणी बैंक एसबीआई को जारी किया गया।

23. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण उन्हीं लेखांकन नीतियों और मान्यताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त विगत वर्ष में अपनाई गई थीं, इसके अतिरिक्त :

a. वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर जारी मास्टर दिशानिर्देश संख्या आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24 के अनुसार है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 12 सितंबर, 2023 को जारी किया गया और दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को ढांचे में परिवर्तन होने पर, संशोधित वहन मूल्य और निवेश पोर्टफोलियो के पिछले वहन मूल्य के बीच कर प्रभाव को घटाकर ₹4,249.54 करोड़ (डेबिट) का शुद्ध अंतर इस ढांचे के अनुसार सामान्य रिज़र्व में समायोजित/डेबिट कर दिया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 तक निवेश रिज़र्व खाते (आईआरए) में ₹33.32 करोड़ की शेष राशि को राजस्व/सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि बैंक आईएफआर की न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2025 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान निवेश और एफएस रिज़र्व पर आय में क्रमशः ₹454.72 करोड़ और ₹76.62 करोड़ की वृद्धि हुई है।

b. दिनांक 31 मार्च, 2024 तक लेखांकन नीति के अनुसार, गैर-निष्पादित आस्तियों (आरबीआई द्वारा शुरू की गई विशेष योजनाओं, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन, दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में बदलाव, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना के बाहर जहां बाद में खाता एनपीए हो जाता है, के तहत शामिल किए गए विषयों को छोड़कर) में वसूली पहले मूलधन के लिए और उसके बाद ब्याज और शुल्कों के लिए विनियोजित किया गया।

बेहतर वित्तीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने और उद्योग प्रथा के अनुरूप चालू वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल, 2024 से उक्त विनियोग नीति में बदलाव किया है और गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में वसूली में पहले मूलधन के प्रति विनियोजित किया है। तदनुसार प्रभार, लागत ब्याज अनियमितताओं/उपार्जित ब्याज आदि।

इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय और एनपीए में ₹48.07 करोड़ की वृद्धि हुई है और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान में ₹23.15 करोड़ की वृद्धि हुई है।

24. लेखांकन मानक 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव : वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में जमा किए गए विनिमय अंतर के कारण शुद्ध आय ₹11.95 करोड़ (₹20.91 करोड़) है।

25. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ '000s)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (विगत वर्ष)
A. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार शुद्ध लाभ	1,01,58,309	59,54,199
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,05,90,913	53,55,170
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	14,50,846	15,00,843
आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	1,975	(4,396)
बॉण्ड पर ब्याज	17,07,323	10,61,335
आरक्षित निधियों से अंतरण	(45,370)	(25,447)
निवेशों के उचित मूल्यांकन के कारण आरक्षित निधियों में वृद्धि/कमी	(4,25,88,607)	-
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	(1,87,24,611)	1,38,41,704
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
जमा राशियों में वृद्धि/(कमी)	10,36,44,676	9,74,40,643
उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	1,45,86,640	75,24,729
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1,36,33,731	34,57,870
निवेशों में वृद्धि/(कमी)	2,69,41,810	(5,15,81,747)
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(15,15,74,249)	(5,77,87,068)
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	(1,80,62,439)	79,92,355
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर)	66,19,400	(34,24,654)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A)	(2,29,35,042)	1,74,63,832
B. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	(16,74,100)	(22,90,653)
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	(1,975)	4,396
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B)	(16,76,075)	(22,86,257)
C. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नकदी के लिए इक्विटी शेयर(अंकित मूल्य) का निर्गम	31,77,987	-
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	90,15,952	-
अधिमानी निर्गम व्यय	(1,49,421)	-
गौण बॉण्ड का निर्गम	3,00,00,000	-
बॉण्ड पर ब्याज	(17,07,323)	(10,61,335)
इक्विटी पर लाभांश	(13,55,557)	(32,53,337)
वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (C)	3,89,81,638	(43,14,672)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(2,29,35,042)	1,74,63,832
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(16,76,075)	(22,86,257)
वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	3,89,81,638	(43,14,672)



नकदी और नकदी समतुल्य में वृद्धि	1,43,70,521	1,08,62,903
नकदी और बैंक शेष (प्रारंभिक) (संदर्भ हेतु अनुसूची 6 तथा 7)	7,38,30,119	6,29,67,216
नकदी और बैंक शेष (अंतिम) (संदर्भ हेतु अनुसूची 6 तथा 7)	8,82,00,640	7,38,30,119

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां : अनुसूची 17
खातों की टिप्पणी : अनुसूची 18

अर्नब गोस्वामी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

शंकर लाल अग्रवाल
निदेशक

विवेक श्रीवास्तव
निदेशक

राजीव
कार्यपालक निदेशक

राजेंद्र प्रसाद गुप्ता
निदेशक

रवि मेहरा
कार्यपालक निदेशक

एम.जी. जयश्री
निदेशक

स्वरूप कुमार साहा
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

समिति पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. चोपड़ा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000346N

कृते गुप्ता शर्मा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001466N

(सीए प्रतीक गुप्ता)
साक्षेदार
एम.सं. 566023
यूडीआईएन: 25566023BMOUR73177

(सीए विनय सराफ)
साक्षेदार
एम.सं. 087262
यूडीआईएन: 25087262BMKQMQ2449

कृते ओ.पी. तोतला एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 000734C

कृते एनबीएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए: 110100W

(सीए नवीन कुमार सोमानी)
साक्षेदार
एम.सं. 429100
यूडीआईएन: 25429100BMKSQK4232

(सीए प्रदीप शेठे)
साक्षेदार
एम.सं. 046940
यूडीआईएन: 25046940BMLNAI7539

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल, 2025



Punjab & Sind Bank
(A Government of India Undertaking)
Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110 008
Corporate Office: NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023
<https://punjabandsindbank.co.in/>

NOTICE

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM) on **Tuesday, the 5th August, 2025 at 11.00 a.m.** (the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following business(es):

Ordinary Business:

Item No 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2025, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2025, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No 2: To approve and declare dividend for the Financial Year 2024-25.

Special Business:

Item No 3: To approve appointment of Shri Rajeeva as an Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of **Shri Rajeeva**, as an Executive Director of the Bank under clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification no.eF.no.4/5(ii)/2023-BO.I dated August 9, 2024 issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.

Item No 4: To approve appointment of Shri Vivek Srivastava as the RBI Nominee Director of the Bank

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of **Shri Vivek Srivastava**, as RBI Nominee Director of the Bank under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref F.No.6/3/2011-BO-I dated December 12, 2024 issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved.



Item No 5: To approve the reappointment of Shri Shankar Lal Agarwal as a Part-time Non-Official Director of the Bank

To consider and if thought fit to pass the following as a Special Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with Regulation 25 (2A) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the re-nomination of **Shri Shankar Lal Agarwal**, as part-time Non-Official Director of the Bank under clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref F.No.6/1(viii)/2024-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services dated April 11, 2025 for a period of 1 year from the date of the notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.

Item No 6: To approve extension of tenure of Shri Swarup Kumar Saha as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the extension of tenure of Shri Swarup Kumar Saha, as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref eF.No.4/3/2024-BO-I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services dated June 02, 2025 beyond the current notified term till the date of his superannuation i.e. up to February 28, 2027 or until further orders, be and is hereby approved.

Item No 7: To approve the Appointment of M/s R S Kathuria & Co, Practising Company Secretary as the Secretarial Auditor for carrying out Secretarial Audit and Issuance of Annual Secretarial Compliance Report for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws, if any, the relevant circulars issued by SEBI (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) approval of the members of the Bank be and is hereby accorded, for appointment of M/s R S Kathuria & Co, Practising Company Secretary (Firm Regn. No S1999DE877800) as Secretarial Auditor of the Bank for a period of 5 years commencing from FY 2025-26 till FY 2029-2030.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 14.07.2025

Saket Mehrotra
Company Secretary

NOTES

1. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Pursuant to Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs, the 15th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 15th AGM shall be the Head Office of the Bank at New Delhi. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

2. APPOINTMENT OF PROXIES: A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on **Thursday, 31st July 2025**.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, July 30, 2025 to Tuesday, August 05, 2025** (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

5. The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/>. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.



6. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Record date for payment of Dividend will be **Tuesday, July 29, 2025**.

The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.0.07 per equity share of Rs.10 each for the Financial Year ended 31st March 2025, subject to the approval of shareholders at the 15th Annual General Meeting. The payment of dividend, if declared by the shareholders in the Annual General Meeting will be made to those shareholders whose names appear:

- a. As beneficial owners as at the close of business hours on **Tuesday, July 29, 2025** as per the records of NSDL / CDSL in respect of the shares held in electronic form, or
- b. In the Register of Shareholders as on **Tuesday, July 29, 2025**, after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of **Tuesday, July 29, 2025**

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their Bank Account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e., MUFG Intime India (Pvt) Ltd before the date of payment of dividend to the registered address of the shareholders who have not updated their Bank Account details.

The Dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 15th Annual General Meeting.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete Bank details:

- i) With their Depository Participant (s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in dematerialized mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant (s), and
- ii) With the Bank / Bank's RTA, if the shares are held in physical mode, by submitting:
 - a. Copy of the signed request letter containing the Shareholders name, Folio number, Bank details (Bank Account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details)
 - b. Self-attested copy of the PAN card, and
 - c. Cancelled cheque leaf.

7. Payment of Dividend to Shareholders holding Share in physical form (Share Certificate):

In terms of SEBI Master Circular SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, it is mandatory for all shareholders holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details (Postal Address with PIN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding Folio numbers. Further with effect from 01.04.2024, dividend to such shareholders will be paid only through electronic mode, i.e. direct credit into Bank Account. Dividend Warrant will not be sent towards payment of dividend.

The dividend to those shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) and have/has not submitted the documents prescribed by SEBI, i.e. proper Bank details, PAN, KYC documents and Nomination details shall be deemed to have been paid on dividend payment date, however the dividend amount will remain lying in Bank's Dividend Account unless complete documents/ details

proper Bank details are provided by the shareholder(s). Once the proper Bank details, other KYC documents and Nomination details are received by the Bank/ Bank's RTA, dividend will be remitted directly to Bank Account of the respective Shareholder(s).

In view of the above, Shareholder(s) holding shares in physical form (Share Certificate) are requested to furnish proper Bank details, other KYC and Nomination details at the earliest to the Bank/ Bank's RTA so as to get his/her dividend remitted electronically in his/her Bank Account on dividend payment date itself.

8. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

i. Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

ii. A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations by uploading them on <https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html>. The relevant documents / forms are available on the website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/>.

iii. The shareholders are requested to submit the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), **Tuesday, July 29, 2025** on the website of the RTA viz. <https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / with holding tax rate.

9. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM) and vote on the items on the agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.



10. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is **Tuesday, July 29, 2025**.
- II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

III. The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- I. The remote e-voting period begins at **10:00 a.m. on Friday, 1st August, 2025** and ends at **05:00 p.m. on Monday, 4th August, 2025**. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of **Tuesday, 29th July, 2025**, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote during the meeting.
- iii. Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020**, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

- iv. In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on Login icon & New System MyeasiTab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-Voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-Voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered

Type of shareholders	Login Method
	Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS" Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- v. Login method for remote e-Voting and joining virtual meeting for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**
 1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 2. Click on "Shareholders" module.
 3. Now enter your User ID
 - i. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
 4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
 6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- vi. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- vii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- viii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- ix. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- x. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- xi. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- xii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xiii. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xiv. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xv. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xvi. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- xvii. Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians - For remote Voting only
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping.
 - It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

- Alternatively Non Individual shareholders are required to mandatorily send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders – Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to complianceofficer@psb.co.in/delhi@in.mpms.mufg.com
2. For Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance by **21st July 2025** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at



complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries **21st July 2025** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1-800-22-5533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800225533.

11. SCRUTINIZER

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

12. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023.

13. OTHER INFORMATION

- a) In compliance with the SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2024-25 containing the Notice of the 15th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "MUFG Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).

- b) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@in.mpms.mufig.com). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.
- c) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA for consolidation into a single folio.

14. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Punjab & Sind Bank, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

MUFG Intime India Pvt Ltd. Unit: Punjab & Sind Bank Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591 Email: delhi@in.mpms.mufig.com	The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, NBCC Office Complex, 1st Floor, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023, Telephone: 011-40175169, E-mail: complianceofficer@psb.co.in
--	--

SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/72 dated June 08, 2023 had advised RTA's to set up a user-friendly online mechanism or portal for service requests/ complaints.

As advised by SEBI, Bank's RTA (M/s MUFG Intime India Private Limited) has launched '**SWAYAM**', a brand-new Investor Self-Service Portal.

'**SWAYAM**' is a secure, user-friendly web-based application that empowers shareholders to effortlessly access various services. We request you to get registered and have first-hand experience of the portal.

This application can be accessed at <https://swayam.in.mpms.mufig.com/>

- Effective Resolution of Service Request -Generate and Track Service Requests/Complaints through SWAYAM.
- Features - A user-friendly GUI.
- Track Corporate Actions like Dividend/Interest/Bonus/split.

16. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

- a) SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to Demat their physical holding immediately.
- b) In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.
- c) Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only. In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares. Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:
 - i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;
 - ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;
 - iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

17. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which the shareholder(s) hold shares in Punjab & Sind Bank.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. For shareholders already having a Demat account:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Punjab & Sind Bank. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

- PAN-based investments - Provides access to PAN linked accounts, Company wise holdings and security valuations.
- Effortlessly raise request for Unpaid Amounts.
- Self-service portal – for securities held in demat mode and physical securities, whose folios are KYC compliant.
- Statements - View entire holdings and status of corporate benefits.
- Two-factor authentication (2FA) at Login - Enhances security for investors.

15. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:

Sl No	Form	Purpose
1	Form ISR-1	To register / update PAN, KYC details
2	Form ISR-2	To confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH-13	Nomination Form
5	Form SH-14	Cancellation or variation of Nomination (if any)

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) are available on our website at https://punjabandsindbank.co.in/system/uploads/document/2150_2021123116360123014.pdf.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at MUFG Intime India Pvt. Ltd., Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/ CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of—

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002



The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. M/s MUFG Intime India Private Limited or Bank at address mentioned above.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi
Date:14.07.2025

Saket Mehrotra
Company Secretary

EXPLANATORY STATEMENT

Item No 3: To approve appointment of Shri Rajeeva as an Executive Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required for appointment of Shri Rajeeva as Executive Director of the Bank w.e.f August 9, 2024.

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide Notification no.eF.no.4/5(ii)/2023-BO.I dated August 9, 2024 has appointed Shri Rajeeva as Executive Director of Punjab & Sind Bank, w.e.f. the date of assumption of office i.e. August 9, 2024 or until further orders, whichever is earlier.

Details of Director seeking appointment at the EGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Name of Director: Shri Rajeeva
Age: 57 years

Brief Profile of Shri Rajeeva

Educational Qualification: Postgraduate in Arts, Master of Business Administration in Banking & Finance and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Shri Rajeeva has assumed charge as an Executive Director of the Bank today. Prior to his elevation as Executive Director of Punjab & Sind Bank, he was Chief General Manager of Punjab National Bank. Shri Rajeeva, a postgraduate in Arts, is also a Master of Business Administration in Banking & Finance and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

He joined the services of Punjab National Bank in 1993. In a career spanning over three decades, Shri Rajeeva gained expertise in almost all the key areas of banking, having served in Rural and Urban Branches. He has a specialization in Credit, more specifically Corporate Credit. He has headed the PNB's overseas subsidiary PNB (International) Limited.

He has undergone "Aarohan" training jointly conducted by McKinsey and FSIB

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri Rajeeva has ceased to be Director in the past three years: Nil
- e. Shareholding in Punjab & Sind Bank: Nil

Shri Rajeeva is entitled to Remuneration / Compensation as per Government of India guidelines.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Rajeeva or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 3 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 4: To approve appointment of Shri Vivek Srivastava as the RBI Nominee Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required for appointment of Shri Vivek Srivastava as RBI Nominee Director of the Bank w.e.f December 12, 2024.

In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide Notification Ref F.No.6/3/2011-BO-I dated December 12, 2024 has appointed Shri Vivek Srivastava as RBI Nominee Director of Punjab & Sind Bank, with immediate effect and until further orders.

Details of Director seeking appointment at the EGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Name of Director: Shri Vivek Srivastava

Age: 57 years

Educational Qualification: M.Sc from University of Lucknow-

Brief Profile of Shri Vivek Srivastava

Shri Vivek Srivastava is a career Central Banker, having joined Reserve Bank of India in November 1990, fresh out of University. He has served across centres and departments in the RBI, having served in Delhi, Bengaluru, Mumbai and is currently posted as the Regional Director of its Chandigarh Regional Office. He has worked in areas like Currency Management, Public Debt Management, and Human Resources among others. He has served major part of the career in Central Office Departments in Mumbai working for long in key departments like the Department of Regulation and Foreign Exchange Department. He has been a key personnel in the landscape of KYC, AML, CFT, was part of country delegate to the Financial Action Task Force

having attended several FATF Plenary meetings and was a member of the Joint Working Group of the Govt., representing RBI, on assessment of country- risk. He has been a speaker in various national and international fora in the area of AML. He has also worked in other regulatory areas like Banking Subsidiaries, Financial Services, Bank assurance, Wealth Management and Export Credit. He has worked extensively in the Foreign Exchange Department; International Trade has been an area of specialization. He played a key role in formulating the policy of settlement of international trade in INR.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri Vivek Srivastava has ceased to be Director in the past three years: Nil
- e. Shareholding in Punjab & Sind Bank: Nil

Remuneration / Compensation payable to Shri Vivek Srivastava is as per Government of India guidelines.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Vivek Srivastava or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 5: To approve the reappointment of Shri Shankar Lal Agarwal as a Part-time Non-Official Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Further, Regulation 25 (2A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 requires that the appointment, reappointment or removal of an independent director of a listed entity shall be subject to approval of the shareholders by way of a special resolution. Accordingly, approval of shareholders by way of special resolution is required in the AGM for reappointment of Shri Shankar Lal Agarwal as part-time Non-Official Director on the Board of the Bank w.e.f April 11, 2025.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification eF.No.6/1(iii)/2024-BO.I dated April 11, 2025 has renominated Shri Shankar Lal Agarwal as Part-time Non-Official Director on the Board of Punjab & Sind Bank, w.e.f. April 11, 2025 for a period of 1 year from the date of the notification or until further orders, whichever is earlier.



Details of Director seeking re-appointment at the AGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Name of Director: Shri Shankar Lal Agarwal

Age: 65 years

Educational Qualification: Chartered Accountant

Brief Profile of Shri Shankar Lal Agarwal

Shri Shankar Lal Agarwal is a Practicing Chartered Accountant and Senior Partner of S Garg & Company since 1989. He has done B.Com and LLB from University of Rajasthan. He has vast experience in the field of accounts, Taxation, Budgeting and public finance. He has been member in various committees namely; State Public Redressal & Grievance Committee of Govt. of Rajasthan, Academic Committee and Project Committee of ICAI, Committee of Public finance and Government accounting of ICAI, Co-coordinator in regional State wise PDC Sub Committee Rajasthan of ICAI, Technical advisor Government Entrepreneur, VAT advisory & Grievance Committee, Finance & Budget Advisory Committee, Executive member of Rajasthan Tax Consultants Association. He visited USA, Canada, UAE, Thailand, Malaysia, Singapore Tashkent(Uzbekistan), Bali(Indonesia) Hong Kong, Macao, Hungary(Budapest), Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany, etc. in various study groups. He has written various books and also written editorials for many renowned magazines. He was an Independent Director of Hindustan Salt Ltd. and Sambhar Salt Ltd., Govt. of India undertaking.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri Shankar Lal Agarwal has ceased to be Director in the past three years: Punjab & Sind Bank
- e. Shareholding in Punjab & Sind Bank: Nil

No Remuneration / Compensation besides sitting fee is payable to Shri Shankar Lal Agarwal by the Bank.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Shankar Lal Agarwal or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.



Item No 6: To approve extension of tenure of Shri Swarup Kumar Saha as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for Extension of Tenure of Shri Swarup Kumar Saha as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank upto February 28, 2027

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification F.No.4/3/2024-BO.I dated 02.06.2025 has Extended The Tenure of Shri Swarup Kumar Saha as Managing Director and Chief Executive Officer of Punjab & Sind Bank, beyond the current notified term till the date of his superannuation i.e. up to February 28, 2027 or until further orders,

Details of Director seeking extension of tenure at the AGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI LODR) and Secretarial Standard 2

Name of Director: Shri Swarup Kumar Saha

Age: 58 years

Educational Qualification: Graduate in Science, CAIIB, Diploma in Treasury, Investment and Risk Management from IIBF, Certificate in Risk in Financial Services from IIBF.

Brief Profile of Shri Swarup Kumar Saha

Shri Swarup Kumar Saha assumed the charge as Managing Director & Chief Executive Officer of Punjab & Sind Bank on 3rd June, 2022. Prior to his elevation as MD & CEO of Punjab & Sind Bank, Shri Saha was Executive Director of Punjab National Bank since March 10, 2021.

Shri Saha, a graduate in Science from University of Calcutta, started his career in Banking in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1990 as Probationary Officer. He is a Certified Associate member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) and Certificate in Risk in Financial Services from IIBF in collaboration with CISI, London.

In a career spanning over three decades, he has vast experience and expertise in Human Resource Development, Treasury, International Banking, Credit, Risk Management, Organization Restructuring and Board matters.

While working as Executive Director at Punjab National Bank, he made significant contribution to Treasury & International Business, Recovery, Retail, Agriculture & MSME (RAM) Credit, Digital Banking, FinTech & Digital collaborations, Fee Income and Group Business. Shri Saha also served as Chairman on the Boards of PNB Gilts Limited and PNB Cards & Services Limited.

Shri Saha was one of the participants for the flagship Leadership Development Program of Banks Board Bureau (BBB) in 2019 conducted through IIM, Bangalore. He has also participated in Advanced Management



Program conducted by CAFRAL/Stern Business School, New York and Leadership Development Program conducted by NIBM/ Kellogg School of Management, USA.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri Swarup Kumar Saha has ceased to be Director in the past three years: Nil
- e. Shareholding in Punjab & Sind Bank: Nil

Shri Swarup Kumar Saha is entitled to Remuneration / Compensation as per Government of India guidelines.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Swarup Kumar Saha or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 7: To appoint M/s R S Kathuria & Co as the Secretarial Auditor for carrying out Secretarial Audit and Issuance of Annual Secretarial Compliance Report for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30.

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, every listed entity and its material unlisted subsidiaries incorporated in India shall undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor and shall annex a Secretarial Auditor Report in such forms as specified, with the annual report of the listed entity.

On the basis of recommendation of Board of Directors, a listed entity shall appoint or re-appoint

- (i) an individual as Secretarial Auditor for not more than one term of five consecutive years; or
- (ii) a Secretarial Audit firm as Secretarial Auditor for not more than two terms of five consecutive years.

Brief profile of M/s. R S Kathuria & Co is as under:

Sh. R S Kathuria is a Practising Company Secretary and established the firm in April 1999. He has more than 25 years' experience and specializes in professional advisory services and secretarial services with respect to Corporate Laws, Securities Laws, Mergers, Amalgamations, Demerger, Contracts & Litigations, Statutory Compliance Audit of MNC subsidiaries in India, Liaison for Government Approvals, setting up of New Business etc.

Based on request of the Bank, they have consented to act as Secretarial Auditor of the Bank at a fee of



Board of Directors of the Bank in its meeting held on June 20, 2025 has recommended appointment of M/s. R S Kathuria & Co, Practicing Company Secretary, as Secretarial Auditor of the Bank for a consecutive period of 5 years from FY 2025-26 to FY 2029-30 as per the fees mentioned above, subject to approval of the shareholders in the ensuing AGM.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date:14.07.2025

Saket Mehrotra

Company Secretary



DIRECTOR'S REPORT 2024-25

To Our Valued Stakeholders,

The Board of Directors present its report on the performance of Punjab & Sind Bank for the Financial Year 2024-25. This report provides an overview of the global and domestic economic conditions, the Bank's financial achievements, and key strategic initiatives undertaken.

1. Global Economic Outlook:

The global economic outlook remains uncertain amid the changes of administration in the US, ongoing wars and escalated trade tensions that have intensified risks to growth and inflation.

The global economic outlook has been shifting rapidly in recent months. Recent trade tariff-related actions have intensified uncertainties, casting a shadow over economic prospects across regions and introducing fresh challenges to global growth and inflation. Amid this volatility, the U.S. dollar has weakened significantly, equity markets have seen notable corrections, and crude oil prices have declined to their lowest levels in recent times.

Despite these headwinds, the global economy grew by 3.3% in 2024, slightly down from 3.5% in 2023. The IMF projects global growth at 2.8% in 2025 and 3% in 2026. Inflation is expected to ease from 4.9% in 2024 to 4% in 2025 and 3.4% in 2026.

2. Domestic Economic Outlook:

The domestic economy is gaining momentum, supported by easing inflation and robust sectoral performance. CPI-based headline inflation stood at 2.8% in May 2025, a six year low. Market volatility has eased in the recent period with equity markets staging a recovery, dollar index and crude oil softening though gold prices remain high. Consumer Price Index (CPI) inflation for 2025-26 is projected at 3.7 per cent, with quarterly estimates at 2.9 per cent in Q1, 3.4 per cent in Q2, 3.9 per cent in Q3, and 4.4 per cent in Q4.

The Reserve Bank of India has maintained its real GDP growth projection at 6.5% for 2025-26, with quarterly forecasts of 6.5% in Q1, 6.7% in Q2, 6.6% in Q3, and 6.3% in Q4. This includes a downward revision of 20 basis points from earlier estimates due to global volatility.

Economic growth is expected to be driven by a strong agricultural sector, supported by promising Rabi crop prospects and a projected normal monsoon. Industrial activity in India is set to rebound, while the service

prospects and a projected normal monsoon. Industrial activity in India is set to rebound, while the service sector remains the primary engine of growth. Overall, India is poised to maintain its status as the world's fastest-growing economy.

3 Banking Sector:

I. Recent global banking events and impact on Indian Banking

The financial soundness of the banking sector remains strong, with liquidity buffers well above regulatory requirements and healthy profitability indicators reflecting operational efficiency. Non-Banking Financial Companies (NBFCs) also exhibit stable system-level parameters. While banks are in a stable position, revenue models face pressure amid modest organic growth, policy shift and limited capital availability, prompting a search for alternative value sources. Rapid technological advancements, particularly in AI, machine learning, open data, and digital currencies—are reshaping banking operations. Institutions are responding by strengthening their digital capabilities and risk management frameworks to adapt to these evolving dynamics.

ii. Indian Banking Scenario:

In FY 2024-25, global uncertainties intensified due to the change in administration in the U.S., ongoing conflicts, and escalating trade tensions. While the Indian economy felt the impact, it displayed resilience in the face of these global challenges. The banking industry also experienced moderation, with credit growth slowing as banks grappled with liquidity constraints and managed their high Credit Deposit ratios. Despite these pressures, Indian banks remained profitable and well capitalized. To sustain healthy credit growth without compromising liquidity, banks must strengthen their deposit mobilization efforts. As the RBI persists with its rate easing cycle, banks are expected to face pressure on their Net Interest Margins. Since advances are tied to the External Benchmark, they will be repriced at lower rates immediately, additionally, Banks will continue to face severe competition in attracting deposits.

4. Highlights of the Bank's performance

The following key performance indicators reflect the Bank's performance during the financial year 2024-25:

I. Total Business

The Total Business increased by 11.69% (YoY) and stood at Rs.229379 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs.205374 crore as on 31.03.2024.



ii. Deposits

- The Total Deposits increased by 8.68% (YoY) and stood at Rs. 129774 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs. 119410 crore as on 31.03.2024.
- CASA deposits increased by 5.38% (YoY) and stood at Rs.40790 crore as on 31.03.2025, as compared to Rs.38708 crore as on 31.03.2024.

iii. Advances

- The Total Advances increased by 15.87% (YoY) and stood at Rs.99605 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs.85964 crore as on 31.03.2024.
- The Advances Mix as on 31.03.2025 comprised of RAM (Retail, Agri and MSME) advances of 55.15% and Corporate Advances of 44.85%.

iv. Priority Sector Advances: During FY 2024-25, the Bank reinforced its commitment to inclusive growth by significantly scaling up credit deployment in priority sectors, especially agriculture, MSMEs, and weaker sections. Focused outreach programs and partnerships were undertaken to ensure timely and adequate credit delivery to underserved segments. We are proud to declare that our total Priority Sector Advances increased by 6.51% and stood at Rs.41666 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs.39120 crore as on 31.03.2024. The detailed performance in the RAM segment is as under:

- **Retail:** The Retail Advances increased by 37.65% (YoY) and stood at Rs.22070 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs.16034 crore as on 31.03.2024. The percentage of Retail credit (Rs.22070 crore) to Gross Advances (Rs.99605 crore) was 22.16% as on 31.03.2025 as compared to 18.65% as on 31.03.2024.
- **Agri:** The Agri Advances increased by 7.44% (YoY) and stood at Rs.13456 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs.12524 crore as on 31.03.2024.
- **MSME:** The MSME advances grew by 21.98% (YoY) and stood at Rs.19406 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs.15909 crore as on 31.03.2024. The share of MSME Credit to Gross Advances was 19.48% as on 31.03.2025.
- **MUDRA:** Bank surpassed MUDRA loan target for FY 2024-25 achieving 103% by disbursing Rs. 2571 Cr. against the target of Rs. 2500 Cr.
- **Stand-Up India:** Bank sanctioned 4257 loans under Stand-Up India in FY 2024-25 against the target of 3060 loans thus achieving 139% of the allocated target.

v. Profitability

The Bank pursued a calibrated strategy to enhance profitability through asset quality improvement, cost optimization, and a sharper focus on high-yielding advances. Below is a glimpse of the Key Performance Indicators that reflects our operational efficiency, prudent risk management, and effective strategy execution:

- The Operating profits stood at Rs.2075 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs. 1131 crore as on 31.03.2024 registering a growth of 83.47 % (YoY)
- Net profit stood at Rs.1016 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs. 595 crore as on 31.03.2024 registering a growth of 70.76% (YoY).
- Return on Assets (ROA) stood at 0.67 % in FY 2024-25 as compared to 0.41% in FY 2023-24.
- The Earnings per share stood at Rs.1.50 per share for FY 2024-25 as compared to Rs.0.88 per equity share for FY 2023-24. The Net Interest Income stood at Rs.3784 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs.2841 crore as on 31.03.2024.
- The Net Interest Margin stood at 2.85% as on 31.03.2025 as compared to 2.45% as on 31.03.2024

5. Dividend

The Board of the Bank has declared a dividend of Rs.0.07/- per equity share for the Financial Year ended March 31, 2025 subject to the approval of the shareholders at the ensuing AGM.

6. Net Worth and Capital Adequacy: Our Bank maintained a strong capital position during FY 2024-25, with healthy capital adequacy ratios well above regulatory thresholds. To further strengthen its stability, the Bank raised Equity Share Capital (including premium) of Rs. 1219 crore in Q-4 of FY 2024-25. The Bank also issued Infrastructure Bonds of Rs. 3000 crore in Q-3 of FY 2024-25. Glimpse of the Bank's capital strength is as follows:

- The Net Worth stood at Rs.10945 crore as on 31.03.2025 as compared to Rs. 7836 crore as on 31.03.2024.
- Total Capital Adequacy Ratio stood at 17.41% as on 31.03.2025 as compared to 17.16% as on 31.03.2024
- The CET-1 Ratio stood at 15.59% as on 31.03.2025 as compared to 14.74% as on 31.03.2024.

7. Asset Quality

High quality asset portfolio, is the cornerstone for long-term financial stability. We are pleased to present a promising highlight of our Asset Quality maintained in the Financial Year 2024-25.

i. Performance

- Gross NPAs of the Bank stood at Rs.3370 crore (3.38 %) as on 31.03.2025 as compared to Rs. 4665 crore (5.43%) as on 31.03.2024.
- Net NPAs of the Bank stood at Rs.937 crore (0.96%) as on 31.03.2025 as compared to Rs. 1350 crore (1.63%) as on 31.03.2024.
- Provision Coverage Ratio of the Bank improved to 91.38 % as on 31.03.2025 as compared to 88.69 % as on 31.03.2024
- Slippage Ratio of the Bank stood at 0.99% as on 31.03.2025 as compared to 1.28% as on 31.03.2024.



ii. Recovery Strategy

- **Specialized Recovery Team:** Bank has specially dedicated team in the name of War room officials at every Zonal office which looks after the Recovery of that particular Zone.
- **Asset Recovery Branches:** Bank has 7 specialized Recovery Branches which specially focuses on Non Performing Suit filed assets portfolio pending before DRT.
- **SAMVERT (Stressed Asset Management Vertical):** Bank has separate vertical at Head office which looks after recovery in NPA/TWO accounts with Book outstanding of Rs. 25 Crore and above.
- **Transfer of accounts to ARCs/NARCL:** Transfer of NPA accounts to ARCs/NARCL is being utilized when all other recovery tools failed. During F.Y. 2024-25 bank has transferred 3 accounts to ARC/NARCL for ₹491.86 Crore.
- **Special Short term Settlement Scheme (RIN MUKTI III):** Bank launched special short term Non-discretionary settlement scheme in the name of RIN MUKTI-III in FY 2024-25 to facilitate debt resolution to eligible borrowers, in which bank settled 3332 accounts with Settlement amount of Rs. 67.79 Crore.
- Bank successfully launched e-OTS (Nidaan) portal for OTS calculation, sanction and monitoring in month of July 2024.
- Bank has also implemented Credit Mid Office for ensuring compliance of pre and post disbursement terms and conditions in new/enhancement sanctions.

8. Business Initiatives: During the financial year 2024-25, the Bank implemented a range of initiatives aimed at enhancing customer convenience and strengthening its competitive position. Key initiatives include:

i. Digitization of Loan:

A key area of focus remained digitization of lending processes across RAM (Retail, Agriculture, and MSME) segments. The Bank introduced paperless, end-to-end digital loan journeys that enhanced turnaround time, improved customer experience, and reduced operational risks. Following digital Loan products were launched for our customers:

- **PSB e-Apna Ghar:** As the economy continues to grow, the bank has launched e- Apna Ghar to meet the evolving housing finance needs. The product provides end-to-end digital journey simplifying loan process for loan amounts above ₹10 lakh and up to ₹100 lakh.
- **PSB e-Apna Vahan:** The Bank introduced PSB e- Apna Vahan, a new digital initiative designed to offer a fully online experience for 2 wheeler and 4 wheeler loans with financing available up to Rs. 25 lakh.
- **e- Shishu Mudra :** Moving a step ahead in participating in country's financial inclusion mission, the Bank launched e-Shishu Mudra which provides fully digital loans up to ₹50,000 for micro entrepreneurs.
- **e- KCC:** Bank has launched hassle-free facility of e-KCC up to Rs. 2.00 lakh (New applications) with minimal paperwork and eligibility check using digital land records available with the state Revenue department.

ii. Customer Centric Products:

In alignment with evolving customer preferences, the Bank introduced a bouquet of innovative, need-based products tailored for various customer segments, including youth, women, farmers, small businesses, and salaried individuals.

Some of the products launched to facilitate services that align with customer needs are mentioned below:

- **PM KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan):** This scheme aims to increase the farmer's income by providing reliable source of irrigation and de-dieselize the farm sector by financing solar power projects.
- **PSB Samraddh Mahilla Loan Scheme:** The product aims to uplift women entrepreneurs through accessible finance, skill development and business growth opportunities, creating a one stop solution for women looking to start, scale or sustain their business.
- **PSB Lakhpati Didi:** To provide financial assistance to enable the women members of Self-Help Group (SHG) to generate income and become Lakhpati Didi.
- **PSB Business Loan Scheme for Young India:** This product is designed to provide financial assistance to young entrepreneurs between the ages of 18-35 years. This product aims to support the growth and innovation of youth led businesses by offering flexible, accessible and competitive financing options.
- **e- BG:** Our Bank has introduced an e-Bank Guarantee (e-BG) facility in collaboration with National e-Governance Services Ltd (NeSL) on November 03, 2024. This new system replaces traditional paper-based bank guarantees with e-stamping and e-signatures. This initiative is designed to enhance security and transparency while saving time and effort for beneficiaries by eliminating the need for physical verification of bank guarantees.
- **Lease Rental Discounting for Corporate Borrowers:** Lease Rental Discounting (LRD) is essentially a loan facility availed by a company/firm against the rental from commercial properties earning a specified amount of rentals at scheduled intervals.
- **PSB Shubh Arambh CA Product:** A new Current Account tailored specially for startups to support their business growth. This Product offers Current Deposit Account for new business/ entrepreneurs started within a year.
- **PSB RERA Plus Current Account:** A Special Current Account to meet the requirements of promoters/realty sector/builders to meet the provisions of RERA Act 2016.
- **PSB Executives Salary Account:** A tailor made salary product for the employees of the Punjab Civil Services (PCS) loaded with several attractive features including life insurance and personal accident insurance coverage.
- **PSB Gaurav Bachat SB Product:** An exclusive Savings Salary Product for all Serving & Retired Defence personnel including Paramilitary forces, Agniveers & Veer Nari with coverage of group accidental insurance of 1cr and other benefits.



iii. **Tie-ups and Collaborations:** In line with our vision to be a comprehensive financial partner for our customers, the Bank has established strategic alliances with key entities across various sectors. Some of them are mentioned as under:

- **Bank signed MoUs with Defence establishments for salary accounts:** Our Bank signed MoU with different Defence sectors like Indian Army, Indian Airforce, Indian Navy, Indian Coast Guard, Assam Rifles and ITBP to offer them tailor made retail lending products, salary accounts, and pension accounts etc.
- **Mutual Fund Business:** The Bank introduced Mutual Fund Business in partnership with Finwizard Technology Private Limited (FISDOM) which besides adding to non-fund income will also help in augmenting and retention of CASA.
- **Nestlé India Ltd.:** MoU signed with Nestlé India Ltd for financing farmers who supply milk to Nestlé India Ltd (up to ₹25 lakh).
- **Preet Tractors Pvt. Ltd.:** MoU signed with Preet Tractors Pvt. Ltd for Tractor financing under the Agriculture Infrastructure Fund, increasing loan leads and farmer outreach.
- **Preet Agro Industries & Malkit Agro Tech:** MoU signed with Preet Agro Industries & Malkit Agro Tech financing agricultural for equipment, and expanding credit access for agri- businesses.
- **Tie-Up with SIDBI** for guarantee coverage for MSME SPICE and MSME GIFT Schemes.
- **Tie-Up with CIMSME** (Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises) for lead generation under MSME lending.
- **Maruti Suzuki India Ltd.:** Vehicle loan sourcing, enhancing market penetration.
- **Mahindra & Mahindra:** Vehicle loan sourcing, enhancing market penetration.
- **DSA Model:** Bank extended the DSA Model for MSME loans which will not only improve our competitive edge in the market but also increase our market share in MSME Credit products and help in penetration of the new customer segment at lower cost.

iv. Highlights of some of the digital services being provided are mentioned below:

- **PSB UnIC Biz app:** Bank launched PSB UnIC Biz app, a unified digital banking application meticulously designed for corporate customers. Corporate users can now use PSB UnIC Biz mobile app which provides a secure, efficient, and comprehensive digital ecosystem that caters to the diverse and complex requirements of modern businesses.
- **ASBA:** PSB UnIC users can now apply for IPOs using PSB UnIC. Users may edit /delete the submitted IPO application and can also check the status of allotment under history option available under ASBA menu.
- **Loan Calculator:** PSB UnIC customers can now calculate EMI and generate loan amortization chart through PSB UnIC.

- **Multilingual support in WhatsApp Banking:** Customers can now avail WhatsApp banking services in multiple languages i.e. Hindi, Punjabi & English.
- **Bill Payment:** PSB UnIC users can pay their bills such as telephone, broadband, credit card bills etc using BBPS option. They may also register the billers for getting reminders.
- **Check Currency Rates:** PSB UnIC retail users can now check the forex rates in multiple currencies.
- **Digital Saving Bank account:** Our Bank introduced VKYC to facilitate online full KYC Saving Bank account through Video KYC.
- **Investment Advisor (Goal Based Calculator):** PSB UnIC customers can now explore various investment options based on their selected maturity value and tenure

9. Environmental and Social Initiatives: The Bank continued to integrate environmental and social considerations into its operations by financing green and sustainable projects, promoting digital banking to reduce carbon footprint, and participating in ESG awareness drives.

i. **Environmental Initiatives:** Our environmental initiatives contributing to greener economy include:

a) Green Financing: The bank has committed to sanctioning the green finance segment. Under green financing the bank approved in various sectors, Rs. 1680 Crore (under corporate segment) till March 2025, to align with the government's policy towards green energy.

b) PSB MSME Green Investment and Financing for Transformation Scheme (MSME-GIFT Scheme): To provide support to the MSMEs in accessing institutional finance at a concessional rate for adopting clean / green technologies and help them to transform into green and sustainable business operations.

c) PSB MSE Scheme For Promotion And Investment In Circular Economy (MSE-SPICE): The MSE-SPICE Scheme aims to encourage Micro & Small Enterprises (MSEs) to adopt Circular Economy practices, focusing on sectors like Plastic, Rubber, and Electronics Waste Management to comply with international environmental goals and improve operational efficiency which enables MSEs to comply with Extended Producers Responsibility (EPR) and waste Recycling targets set for Industries.

d) PSB Business Loan Scheme Go Green: Finance for Green Projects/activities which encourages energy efficiency in resource utilization, reduce carbon emissions and greenhouse gases, promote climate resilience and improve natural ecosystems and biodiversity.

e) PSB Green Earth Deposit Product: Green deposits are interest bearing fixed deposits denominated in Indian rupees similar to regular fixed deposits. The proceeds from green deposits are earmarked for allocation into projects or activities that yield environmental benefits, ensuring Bank's adoption of "Green Deposit Policy and Green Financing Framework of the Bank".

ii. Corporate Social Responsibility (CSR): Our Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives are an integral part of our core strategy aiming to address critical societal challenges and contribute to India's inclusive growth. Various initiatives in the domains of education, healthcare, sanitation, and community



- development have been undertaken during the financial year.

iii. Financial Inclusion & Government Business:

Our commitment to financial inclusion is at the core of our mission, driving us to ensure that banking services are available, accessible, and affordable to all sections of society, especially the unbanked population across India. The Bank continued its active role in financial inclusion by expanding outreach under PMJDY, PM SVANidhi, and various Jan Suraksha Schemes. Glimpse of our initiatives focusing on empowering every citizen with the knowledge to manage their finances effectively, and participate in the mainstream economy is as under:

• Business Correspondents

Our Bank is aggressively working on the implementation of the BC network. Presently, we are having 2,083 BCs (As on March '25) as against 1709 BCs as on March '24.

- **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):** During the financial year 2024-25, our RSETIs had conducted 94 training programs wherein 3018 candidates were trained. Out of 3018 candidates, 2290 candidates belong to SC/ ST category, 2608 belong to BPL & 2309 candidates are women beneficiary.
- **Financial Literacy Centres (FLCs) and Centre for Financial Literacy (CFL):** Bank in coordination with 24 Financial Literacy Centres (FLCs) took the initiative to spread financial literacy among rural population by conducting Financial Literacy Camps in the villages where Basic Banking Services along with other financial schemes like PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, PMJDYOD, Digital Banking etc. are discussed with the villagers, so that they are able to avail these services as per their requirements. A total of 217 awareness camps were organized in FY 2024-25 wherein 4456 people actively participated.

RBI has associated our Bank as a sponsor Bank to implement Phase 1 and 3 of the scaled-up Centre for Financial Literacy (CFL) project to be set up in 17 CFLs in 17 blocks in the state of Punjab to serve 51 blocks wherein 8272 camps were organized and training were imparted to 180952 individuals.

• Performance under Government Schemes:

- 101.26% target achieved in Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for policy year ended 31.05.2025
- 100.20% target achieved in Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for policy year ended 31.05.2025.
- 105% target achieved in Atal Pension Yojana (APY) Active Enrolment for financial year ended 2024-25.

10. Human Resource Initiatives

i. Promoting gender diversity

With a view to promote gender diversity in the Bank following women centric initiatives have been taken by the Bank:

- Webinar on providing 'Post Maternity Counselling and supports' to women employees.
- Special Training Program on Leadership for Woman from Apex Institutions like Manipal Academy of BFSI, CAB Pune etc.

ii. Other HR initiatives

- **New Staff Training College:** Establishment of New Staff Training College at Chandigarh has been approved. This will help to cater more than 4000 employees of our Bank which are posted in zones under FGM Chandigarh.
- **Foreign training programs:** Senior officials of the Bank attended foreign trainings like SIBOS Conference, Aarohan Leadership Development Program, Board Leadership Program for FIs, FEDAI Annual Conference in FY 2024-25.
- **Scheme for Reimbursement of course fees offered by Apex Institutes and Ed-Tech Platforms:** 90% of the fees of courses opted by the employees is borne by the Bank on successful completion of the course. 658 employees have been approved for enrollment of courses amounting to fee value of Rs. 142.44 Lacs.
- Leadership development programs from renowned institution such as IIM Ahmedabad, State Bank Institute of Leadership-Kolkata, MDI Gurgaon etc.

11. Bank's network across India:

The physical presence of branches remains a crucial pillar of trust, accessibility and personalised service, particularly in the diverse Indian market. To enhance accessibility and deepen market penetration, the Bank expanded its branch network across aspirational districts and underserved regions. Emphasis was placed on rural and semi-urban locations in alignment with business potential and financial inclusion goals.

Highlights of the expansion of branches and zones are mentioned below:

- **Zonal Offices:** Abiding by the Bank's strategy to reach the remote areas, the Bank opened 4 new Zonal offices in **Moga, Patna, Agra and Varanasi**. The opening of Zonal Offices aim at increasing Bank's Branch footprint in the unreached areas and better control mechanism.
- Our Bank continued to focus on branch expansion and considering the skewed geographical conditions, **52 branches** were opened during the FY 2024-25 aligning with the government vision of



- Financial Inclusion. The total branches of the Bank stood at 1610 as on 31.03.2025.
- **MID Corporate Branches:** Our Bank has increased the total mid-corporate branches (MCBs) from 4 to 15, to ensure a faster turnaround time in the credit decision-making process and focused approach towards mid-corporate customers.

12. Boosting Compliance Culture

Banking compliance is an intricate and essential aspect of the banking industry, intertwining adherence to a diverse array of rules, regulations, and standards. In order to achieve the highest industry standards in compliance function, our Bank has taken various steps and initiatives:

i. Automation of the Compliance Function: For end to end digitizing the enterprise wide compliance function, Bank has procured Compliance Solution ECG (Empowering Compliance & Governance). The solution has capability for comprehensive monitoring, tracking for implementing regulatory compliance along with interactive dashboards and reporting.

ii. Placement of Dedicated Compliance Officer (DCO): Bank has placed Dedicated Compliance Officers in Zones for exclusively dealing with the compliance related obligations, thereby improving the oversight and effective decision making at the corporate level through the independent information and feedbacks received from DCOs. Presently Bank has 15 DCO covering all Zones.

iii. Development of Data Quality Index (DQI) based on Data Integrity Rules (DIR): A framework based on the Data Integrity Rules (DIR) has been approved to assess the **Data Quality Index (DQI)**.

13. Call Centre

Bank has set up a dedicated Call Centre to cater to its customers' queries, complaints, customer acquisition and lead generation. We are in process of revamping the Call-Centre to further improve the quality of services.

14. Official Language

- Bank was awarded 'Second Prize' under Region 'A' in the review meeting held at Chandigarh by the Department of Financial Services, Ministry of Finance for the best execution of Official Language Policy during the year 2023-24
- Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee awarded 'Second Prize' to the Bank's Head Office for outstanding Official Language Implementation in the financial year 2023-24 and the 'Third Prize' to the Bank's Hindi quarterly magazine Rajbhasha Ankur under the House-Journal category.
- The Bank's Zonal Offices Chandigarh, Kolkata and Bareilly were awarded the Official Language Awards in the category of Administrative Offices by the respective Town Official Language Implementation Committee.

15. EASE Reforms: Enhanced Access and Service Excellence is a government reform for public Sector banks to facilitate customer-centric banking focusing on digital customer experience, managing operational risks effectively and catalysing new age capability building. **EASE 7.0** reforms was launched on 25th April 2024 with an emphasis on customer service excellence, adoption of new technology and banking towards ‘Viksit Bharat’.

For Ease 7.0 (FY 2023-24), the Bank has secured the 1st position as the Top Improver in the Annual Indexing Score among all the Public Sector Banks proving our continuous strive for improving customer services.

16. Other Awards & Accolades

- Bank received **Winner award** for creating awareness for **MSMEs & Runner-up award** in promoting Government Schemes by **CIMSME**.
- Bank received **Best Tech Talent & Organisation Award** in the category of Small Banks at 20th Banking Technology Conference organized by IBA.
- Bank was honoured with the “**Highest DQI Improvement Award**” in the PSU Commercial Segment for FY25.

17. Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies were framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India and were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of its profit and loss for the year ended March 31, 2025.
- Proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- Annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- The Internal financial controls system, to be followed by the Bank was laid down and such internal financial controls are adequate and are operating effectively,
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and such systems are adequate and operating effectively.



18. Acknowledgement

We extend our gratitude to Dr. Charan Singh, Non -Executive Chairman; Sh Ram Jass Yadav, Executive Director; Sh. K.P. Patnaik, RBI Nominee Director; Sh. S. L. Agarwal, Non Official Director; Sh. T.R. Mendiratta, Shareholder Director; and all the members of the Board, both past and present for their valuable insight, support, guidance, and contributions to the management in all endeavours. Furthermore, we express our sincere appreciation to all stakeholders and customers for their continued support and trust in our Bank. Finally, we would also like to take this opportunity to thank the Reserve Bank of India and the Government of India for their support and guidance.


R S KATHURIA & Co.

 Company Secretaries
 FCS, LL.B, Insolvency Professional

 A-215/55 & 67, Chawala Complex,
 Shakarpur, Delhi- 110092
 Tel:- 98-10544091
 E-mail: rsk04069@rediffmail.com

**FORM No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT**

**[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015]
For The Financial Year Ended 31st March 2025**

The Members,
 Punjab & Sind Bank
 "Bank House", 21, Rajendra Place,
 New Delhi 110 008

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2025, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2025 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA") and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act"):-

- (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR);
- (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
- (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **Not Applicable to the Bank during the financial year under review.**

(e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; **Not Applicable to the Bank during the financial year under review.**

(f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

(g) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz.

(a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

(b) The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

(c) Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008.

(d) The Banking Regulations Act, 1949

(e) The Reserve Bank of India Act, 1934

(f) Payment and Settlement Systems Act, 2007

Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.

4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the responsibility of the Management; our examination was limited to the verification of the procedures on test basis.

6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is not duly constituted with Executive Directors, Non-Executive Directors & Independent Directors as per Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR). **The following are the observations in respect of constitution of the Board of Directors and its committees thereof:**

a) **The positions of one director each under Section 9 (3) (e), 9 (3) (f), 9 (3) (g) and five directors under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 were vacant on the Board of the Bank.**

b) **There is no Woman Independent Director on the Board of the Bank, as mandated under Regulation 17(1)(a) of SEBI LODR.**

c) **The position of chairperson is vacant in the Bank. However, in terms of Clause 12(6) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, in absence of the chairperson, the meetings of the Board are being chaired by the MD & CEO.**

d) **As required under Regulation 18(1)(a) and (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Audit Committee was not duly constituted during the period from May 12, 2024 till August 30, 2024 and from December 21, 2024 till March 31, 2025, as the number of members were less than three and Independent Directors were also less than two in the Audit Committee.**

Further, the Chairperson of the Audit Committee is also not Independent during the above said period.

e) **As required under Regulation 19(1)(a) and (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Nomination and Remuneration Committee of the Bank was not duly constituted during the period from April 1, 2024 till June 5, 2024 and from August 31, 2024 till March 31, 2025, as the number of members were less than three in the Nomination and Remuneration Committee.**

Further, the Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee was not an independent director during the specified period.

No Nomination and Remuneration Committee meeting was held during the financial year.

f) **The Risk Management Committee could not be constituted in accordance with RBI Circular No. RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC.8/29.67.001/2021-22 dated April 26, 2021 due to non-appointment of sufficient number of Independent Directors.**

As explained by the Bank, the appointment of Directors shall be made by Government of India and the Bank had communicated to the Central Government time to time and the last communication was made vide its letter dated 08th January 2025, to appoint adequate number of Independent Directors/ Woman Independent Director as per SEBI (LODR) and other Directors as per Section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.



2. Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
3. Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank except the following:

- **The Reserve Bank of India has imposed the penalty of INR 68.20 Lakhs for non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Creation of a Central Repository of Large Common Exposures – Across Banks' read with 'Central Repository of information on Large Credits (CRILC) – Revision in Reporting' and 'Financial Inclusion - Access to Banking Services – Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA)'.**

We further report that during the audit period:

- a) The Bank has issued 31,77,98,773 equity shares of INR 10/- per share at a premium of INR 28.37 per share issued to Qualified Institutional Buyers (QIBs) through qualified institutional placement.
- b) The Bank has issued 3,00,000 Unsecured, Redeemable, Non-cumulative, Taxable, Non-convertible Bonds in the nature of Debentures of face value of INR 1,00,000, having maturity on 20th December 2034.

Place: Delhi
Date: 29th April 2025

For R S Kathuria & Co.
Company Secretaries

R.S. Kathuria
Proprietor
FCS 5217; CP No.: 3112
UDIN: F005217G000223864

Report on Corporate Governance (2024-25)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Equity Shares of the Bank are listed at Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). However, the Bank is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, The Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2025 is as under:

Sr. No	Name and Category of Director	No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2025	No. of members hip in Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
1.	Sh. Swarup Kumar Saha Managing Director & Chief Executive Officer	Nil	10	A	1. Management Committee of the Board (Chairperson) 2. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Fraud. 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and



					Departmental Enquires. (Chairperson) 4. Customer Service Committee of the Board (Chairperson) 5. IT Strategy Committee of the Board. 6. HR Committee of the Board (Chairperson) 7. Committee for Monitoring of Recovery (Chairperson) 8. Review Committee for Willful Defaulter (Chairperson) 9. Credit Approval Committee of the Board 10. Capital Issue Committee (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra Executive Director	397	10	B	1. Management Committee of the Board. 2. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Fraud 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires 4. Customer Service Committee of the Board 5. Stakeholder Relationship Committee of the Board 6. IT Strategy Committee of the Board 7. HR Committee of the Board 8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Credit Approval Committee of the Board 10. Capital Issue Committee
3.	Sh. Rajeeva Executive Director	Nil	10	C	1. Management Committee of the Board 2. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Fraud 3. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires 4. Customer Service Committee of the Board 5. Stakeholder Relationship Committee of the Board. 6. IT Strategy Committee of the Board. 7. HR Committee of the Board of the Board.

					8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Credit Approval Committee of the Board 10. Capital Issue Committee
4.	Ms. M.G. Jayasree Government of India Nominee Director	Nil	8	D	1. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires 2. IT Strategy Committee of the Board 3. Customer Service Committee of the Board 4. HR Committee of the Board 5. Committee for Monitoring of Recovery 6. Review Committee for Willful Defaulter 7. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Fraud 8. Stakeholders Relationship Committee (Chairperson)
5.	Sh. Vivek Srivastava Director (nominated by the Central Government on the recommendation of RBI)	Nil	2	E	1. Management Committee of the Board 2. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires
6.	Sh. Rajendra Prasad Gupta (Non-Official Director) (Shareholder Director)	225	8	F	1. Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up of cases of Fraud (Chairperson) 2. Customer Service Committee of the Board 3. Stakeholders Relationship Committee of the Board 4. IT Strategy Committee of the Board (Chairperson) 5. HR Committee of the Board 6. Review committee for Willful defaulter 7. Board Committee for monitoring of Recovery. 8. Management Committee of the Board.

Note: The name of the committees in which the Director is a Chairperson has been specifically indicated wherever applicable.



A. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/4/2021-BO.I dated 03.06.2022 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) for a period of three years w.e.f. the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

B. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/1(v)/2023-BO.I dated 09.10.2023 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Executive Director with effect from 09 October 2023 for the period of three years from the date of assumption of office (i.e 08.10.2026), or until further orders, whichever is earlier.

C. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/1(v)/2023-BO.I dated 09.08.2024 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Executive Director with effect from 09 August 2024 for the period of three years from the date of assumption of office (i.e 08.08.2027), or until further orders, whichever is earlier.

D. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.6/2/2022-BO-I dated 11.04.2022 under clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Director with immediate effect and until further orders.

E. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2011-BO.I dated 12.12.2024 under clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Director with immediate effect and until further orders.

F. Elected as shareholder director w.e.f.01.06.2024 under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for period of 3(Three) years till 31st May 2027. His appointment is subject to the final decision of the Hon'ble Delhi High Court in the writ petition challenging the decision of the Bank to withdraw the election process of shareholder-directors conducted in 2020 (vide order dated 19.04.2021)

2.1. **Appointment / Cessation of Directors during the year:**

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2024-2025:

[A] Appointment:

- Sh. Rajeeva appointed as Executive Director for a period of three years w.e.f the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier.
- Sh. Rajendra Prasad Gupta elected as Shareholder Director for period of three years till 31st May 2027.
- Sh. Vivek Srivastava appointed as RBI Nominee Director w.e.f 12.12.2024 until further orders.

[B] Cessation:

- Dr. Ram Jass Yadav, Executive Director was on the Board of the Bank up to 30.04.2024.
- Sh. Tirath Raj Mendiratta, Shareholder Director was on the Board of the Bank up to 11.05.2024
- Dr. Charan Singh, Non-Executive Chairman was on the Board of the Bank up to 06.11.2024
- Sh. Kamal Prasad Patnaik, RBI Nominee Director was on the Board of the Bank up to 12.12.2024.
- Sh.Shankar Lal Agarwal, Non Official Director was on the Board of the Bank up to 20.12.2024.

2.3. Details of membership / chairmanship of Directors in the Committee / Board of other listed entities

Sr No	Name of Director	Name and category directorship in other listed entity	Membership of committees
1.	Ms. M.G. Jayasree	India Infrastructure Finance Co. Ltd. Nominee Director	(i) Audit Committee of the Board (ii) Stakeholders Relationship Committee

2.4. Profile of Directors appointed during 2024-25:

Sh. Rajeeva (Executive Director):-

Sh. Rajeeva has assumed charge as Executive Director of the Bank on 09.08.2024. Prior to his elevation as Executive Director of Punjab & Sind Bank, he was Chief General Manager of Punjab National Bank. Sh. Rajeeva, a postgraduate in Arts, is also a Master of Business Administration in Banking & Finance and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

He joined the services of Punjab National Bank in 1993. In a career spanning over three decades, Sh. Rajeeva gained expertise in almost all the key areas of banking, having served in Rural and Urban Branches. He has a specialization in Credit, more specifically Corporate Credit. He has headed the PNB's overseas subsidiary PNB (International) Limited.

He has undergone "Aarohan" training jointly conducted by McKinsey and FSIB.

Sh. Vivek Srivastava (RBI Nominee Director):-

Sh. Vivek Srivastava is a career Central Banker, having joined Reserve Bank of India in November 1990. He has served across centres and departments in the RBI, having served in Delhi, Bengaluru, Mumbai and is currently posted as the Regional Director of its Chandigarh Regional Office. He has worked in areas like Currency Management, Public Debt Management and Human Resources among others. He joined Punjab & Sind Bank as RBI Nominee Director on 12.12.2024.

Sh. Rajendra Prasad Gupta: -

Sh. Rajendra Prasad Gupta is a seasoned insurance professional with over 36 years of extensive experience at Life Insurance Corporation (LIC) of India. He holds a Master of Science (M.Sc.) degree and is a distinguished Fellow of the Insurance Institute of India. He joined Punjab & Sind Bank as Shareholder Director on 01.06.2024.

2.5. BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2024-25, total 20 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

19.04.2024	30.04.2024	10.05.2024	18.05.2024	28.05.2024
13.06.2024	29.06.2024	26.07.2024	08.08.2024	30.08.2024



01.10.2024	19.10.2024	29.10.2024	05.11.2024	22.11.2024
20.12.2024	15.01.2025	27.01.2025	25.02.2025	25.03.2025

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

S No.	Name and category of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance at AGM held on 24.07.2024
1	Dr. Charan Singh – Chairman (Non-Executive)	01.04.2024 to 06.11.2024	14	14	Attended
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Member)	01.04.2024 to 06.11.2024	14	14	Attended
	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	06.11.2024 to 31.03.2025	6	6	
3	Dr. Ram Jass Yadav – Ex - Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	02	02	NA
4	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 31.03.2025	20	20	Attended
5	Sh Rajeeva – Executive Director	09.08.2024-31.03.2025	11	11	NA
6	Ms. M.G. Jayasree – MoF Nominee Director	01.04.2024 to 31.03.2025	20	19	Not Attended
7	Sh. Kamal Prasad Patnaik – Ex - RBI Nominee Director	01.04.2024 to 12.12.2024	15	11	Not Attended
8	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex - Non Official Director	01.04.2024 to 20.12.2024	16	16	Attended
9	Sh. T.R. Mendiratta – Ex - Shareholder Director	01.04.2024 to 11.05.2024	3	3	NA
10	Sh. Vivek Srivastava RBI Nominee Director	12.12.2024 to 31.03.2025	5	5	NA
11	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director	01.06.2024 to 31.03.2025	15	13	NA

2.6. The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between the directors inter-se.

2.7. The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website and can be viewed from the link <https://punjabandsindbank.co.in/content/familiarization-programmes-imparted-to-directors>

2.8. Chart / Matrix setting out the skill / expertise / competence of the Board of Directors

As per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, a director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, etc.

S. No	Name and Category of Director	Experience	Core Skills / Expertise / Competence
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	B. Sc. (Hons.), Diploma in Treasury, Investment & Risk Management (DTIRM), CAIIB, Certification in Risk in Financial Services. More than 34 years of Experience. Previously, he was Executive Director of Punjab National Bank	Banking and Finance
2	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	Post Graduate in Commerce and also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). More than 30 years of Banking Experience	Banking & Finance
3	Sh. Rajeeva – Executive Director	M.A, MBA (Banking & Finance), Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). More than 30 years of Banking experience.	Banking & Finance
4	Ms. M G Jayasree – MoF Nominee Director	M.Sc, Public Management and Governance, M.Sc Statistics MG University, Kerala. Deputy Director General in Department of Financial Services, Ministry of Finance.	Administration and Management
5	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director	MA from University of Allahabad, Regional Director in Reserve Bank of India, Chandigarh.	Banking and Finance
6	Sh. R.P Gupta – Shareholder Director	M.Sc (Physics), Fellow of Insurance Institute of India. 36 Years of experience in LIC of India in the field of marketing and administration.	Human Resources, Bancassurance

Further, it is:

- Confirmed that in the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the management, and
- Informed that there is no case of resignation of any independent director before the expiry of the tenure.

3. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectorial development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR/IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

S.No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board
2.	Audit Committee of the Board
3.	Special Committee of the Board for monitoring and follow-up cases of frauds
4.	Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires (Vigilance Committee of the Board)
5.	Risk Management Committee of the Board
6.	Customer Service Committee of the Board
7.	Stakeholders Relationship Committee of the Board
8.	HR Committee of the Board



9.	IT Strategy Committee of the Board
10.	Committee for dealing with the case of appeals and review
11.	Committee for Monitoring of Recovery
12.	Review Committee for Willful Defaulter
13.	Nomination & Remuneration Committee
14.	Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs)
15.	Credit Approval Committee of Board
16.	Review Committee for Non-cooperative Borrower*

*The Committee was repealed as per RBI/DoR/2024-25/122 Dor.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25 dated July 30, 2024.

Government of India, vide Gazette Notification No. F. No. 16/22/2019-BO.I(Part) dated 25.01.2021 has added the following paragraph below paragraph 14 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing"

In line with the above, Board may subsume the function of any such committee where the quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

3.1 Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (d), (e), (f), (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

S No	Name of the Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director
5.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

The composition of the Management Committee as on 31st March 2025 is as under:

During the Financial Year 2024-25, the Management Committee of the Board met on Fourteen (14) occasions on the

28.05.2024	12.06.2024	26.06.2024	23.08.2024	18.09.2024	06.11.2024
05.12.2024	19.12.2024	24.12.2024	30.12.2024	25.02.2025	04.03.2025
18.03.2025	25.03.2025	-	-	-	-

following dates:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2024 to 31.03.2025	14	14
2	Dr. Ram Jass Yadav – Ex – Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	-	-
3	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 31.03.2025	14	14
4	Sh. Rajeeva – Executive Director	16.08.2024 to 31.03.2025	11	11
5	Sh. Kamal Prasad Patnaik – Ex – RBI Nominee Director	01.04.2024 to 12.12.2024	7	7
6	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex - Non Official Director	12.05.2024 to 31.08.2024	4	4
7	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director	12.12.2024 to 31.03.2025	7	7
8	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director	14.01.2025 to 31.03.2025	4	4

are as under:

Note: Shri Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director was member in Management Committee of the Board from 14.01.2025 to 31.03.2025.

3.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India (RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC. 8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021), has constituted an Audit Committee of the Board.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Committee as on 31st March, 2025:

ACB could not be constituted due to want of quorum from 12.05.2024 to 30.08.2024 and from 21.12.2024 to 31.03.2025 and the Committee has been subsumed by the Board vide resolution no 2025/01/01.

During the Financial Year 2024-25, the Audit Committee of the Board (ACB) met on seven (07) occasions on:

10.05.2024	18.09.2024	01.10.2024	16.10.2024	19.10.2024	22.11.2024	19.12.2024
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex - Non Official Director (Chairperson)	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 to 20.12.2024	6	6
2	Sh. K. P. Patnaik – Ex – RBI Nominee Director	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 to 12.12.2024	5	5
3	Sh. T R Mendiratta – Ex – Shareholder Director	01.04.2024 to 11.05.2024	1	1
4	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director	31.08.2024 to 31.03.2025	6	6
5	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director	16.12.2024 to 31.03.2025	1	1

Note: Shri Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director was a member in the ACB from 31.08.2024 to 21.12.2024.

Sh. Saket Mehrotra, Company Secretary acts as the Secretary to ACB.

3.3 Special Committee of the Board for Monitoring and Follow-up cases of frauds

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/DOS/2024-25/118 DOS.CO.FMG.SEC.No.5/23.04.001/2024-25 dated 15th July, 2024 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases.

The major functions of the Committee, are as under:-

- Oversee the effectiveness of the fraud risk management in the Bank.

- b) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- c) identify the reasons for delay in detection/classification of frauds
- d) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- e) Identify the reasons for delay in examination/conclusion of staff accountability of fraud cases.
- f) Review the accounts marked as RFA by our Bank/other Bank.
- g) Review the accounts marked as RFA and stipulated timeline of 180 days of examination of fraud angle has been surpassed
- h) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal control.

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Rajendra Prasad Gupta (Chairperson) - Shareholder Director
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
4.	Sh. Rajeeva – Executive Director
5.	Ms.M.G Jayasree - MoF Nominee Director

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2024-25 as per the details below:

15.04.2024	23.09.2024	04.11.2024	24.03.2025
------------	------------	------------	------------

Note:

- (i) Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/DOS/2024-25/118DOS.CO.FMG.SEC.No.5/23.04.001/2024-25 dated 15th July, 2024 **superseded the previous guidelines regarding the Committee for Monitoring of Large Value Fraud and directed to constitute Special Committee of the Board for Monitoring and Follow- up cases of frauds.**
- (ii) The Committee has been subsumed by the Board from 12.05.2024 to 30.08.2024 due to want of quorum. The details of attendance of directors during their tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Dr. Charan Singh – Ex – Non Executive Chairman (Chairperson up to 06.11.2024)	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 to 06.11.2024	2	2
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 to 31.03.2025	3	3

4.	Dr. Ram Jass Yadav – Ex - Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	1	1
5.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 to 31.03.2025	3	3
6	Sh. Rajeeva – Executive Director	31.08.2024 to 31.03.2025	3	3
7.	Sh. T R Mendiratta – Ex - Shareholder Director	01.04.2024 to 11.05.2024	1	1
8.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex - Non Official Director	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 to 20.12.2024	2	2
9.	Sh. Rajendra Prasad Gupta Shareholder Director (Chairperson w.e.f 16.12.2024)	31.08.2024 to 31.03.2025	3	3
10	Ms. M.G Jayasree – MoF Nominee Director	14.01.2025 to 31.03.2025	1	0

3.4. **Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires (Vigilance Committee of the Board)**

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990.

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director
5.	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2024-25 as per the details below:

12.06.2024	19.09.2024	20.12.2024	25.02.2025
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.N.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4

2	Dr. Ram Jass Yadav – Ex - Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	0	0
3	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
4	Sh. Rajeeva – Executive Director	16.08.2024 31.03.2025	3	3
5	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director	01.04.2024 to 31.03.2025	4	3
6	Sh. Kamal Prasad Patnaik – Ex - RBI Nominee Director	01.04.2024 to 12.12.2024	2	2
7	Sh. Vivek Srivastava – RBI Nominee Director	16.12.2024 to 31.03.2025	2	2

3.5 Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank as per RBI guideline RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC. 8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

The composition of the Committee as on 31st March, 2025:

The Risk Management Committee could not be constituted due to want of quorum from 12.05.2024 to 05.06.2024 and from 21.12.2024 to 31.03.2025 and the Committee has been subsumed by the Board vide resolution no 2025/01/01.

The Committee met on eight (08) occasions during the Financial Year 2024-25 on:

05.04.2024	06.05.2024	09.05.2024	21.06.2024
03.08.2024	21.08.2024	27.09.2024	16.12.2024

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director (Chairperson)	06.06.2024 to 31.03.2025	5	5
2	Sh. T.R Mendiratta - Ex – Shareholder Director	01.04.2024 to 11.05.2024	3	3
3	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2024 to 12.05.2024	3	3
		06.06.2024 to 31.03.2025	5	5

4	Ms. M G Jayasree – MoF Nominee Director	01.04.2024 to 12.05.2024	3	3
		06.06.2024 to 31.03.2025	5	2
5	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex - Non Official Director	01.04.2024 to 12.05.2024	3	3
		06.06.2024 to 20.12.2024	5	5

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

3.6 Customer Service Committee:

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'.

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2024-25, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

The Committee has the following members as on 31st March, 2025:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director
5.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under: :

	13.06.2024	21.08.2024	04.11.2024	24.03.2025
Sl No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Ex – Non Executive Chairman (Chairperson up to 06.11.2024)	01.04.2024 to 06.11.2024	3	3

2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson w.e.f 12.11.2024)	01.04.2024 to 06.11.2024	3	3
		12.11.2024 to 31.03.2025	1	1
4	Dr. Ram Jass Yadav – Ex – Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	0	0
5	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
6	Sh. Rajeeva – Executive Director	16.08.2024 to 31.03.2025	3	3
7	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director	01.04.2024 to 31.03.2025	4	2
8	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director	12.11.2024 to 31.03.2025	1	1

3.7 Stakeholders Relationship Committee:

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR), 2015. The committee looks into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, bond holders and other security holders.

The composition of the Committee as on 31st March 2025 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Ms. M.G Jayasree – MoF Nominee Director (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

During the Financial Year 2024-25, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

30.04.2024	27.09.2024	04.11.2024	25.03.2025
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director (Chairperson)	12.11.2024 to 31.03.2025	1	1
2	Dr. Charan Singh – Ex – Non Executive Chairman	01.04.2024 to 06.11.2024	3	3
3	Dr. Ram Jass Yadav – Ex – Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	1	1



4	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
5	Sh. Rajeeva – Executive Director	16.08.2024 to 31.03.2025	3	3
6	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex - Non Official Director	12.05.2024 to 20.12.2024	2	2
7	Sh. T R Mendiratta – Ex - Shareholder Director	01.04.2024 to 11.05.2024	1	1
8	Sh. Rajendra Prasad Gupta Shareholder Director	14.01.2025 to 31.03.2025	1	1

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2024	Received during the year	Resolved during the Year	Pending as on 31.03.2025
0	1	1	0

No complaint was pending as on 31.03.2025. Sh. Saket Mehrotra, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

3.8 Human Resource Management Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 (As per DFS Communication F. No.9/18/2009-IR dated 21.10.2011 and DFS Letter F.No.9/18/2009-IR dated 21.03.2012) for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter.

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
5.	Ms. M. G. Jayasree – MOF Nominee Director
6.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

The Committee met on eleven (11) occasions during the Financial Year 2024-25 as per details given below:

15.04.2024	06.05.2024	06.06.2024	28.06.2024	20.08.2024	23.09.2024
29.10.2024	16.12.2024	27.01.2025	25.02.2025	25.03.2025	-

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Ex – Non Executive Chairman (Chairperson up to 06.11.2024)	01.04.2024 to 06.11.2024	7	7
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson w.e.f 12.11.2024)	01.04.2024 to 12.11.2024	7	7
		12.11.2024 to 31.03.2025	4	4
3	Dr. Ram Jass Yadav – Ex - Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	1	1
4	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 31.03.2025	11	11
5	Sh. Rajeeva- Executive Director	16.08.2024 to 31.03.2025	7	7
6	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director	01.04.2024 to 31.03.2025	11	11
7	Sh. T R Mendiratta – Ex - Shareholder Director	01.04.2024 to 11.05.2024	2	2
8	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex - Non Official Director	12.05.2024 to 20.12.2024	6	6
9	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director	12.11.2024 to 31.03.2025	4	4

3.9 IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of minimum 3 directors.

The Chairperson of the ITSC shall be an independent director and have substantial IT expertise in managing/guiding IT initiatives and Members are technically competent. (As per RBI Circular DoS.CO.csitg/sec.7/31.01.015/2023-24 dated 07.11.2023.)

The major functions of the Committee, are as under:-

- To ensure that the Bank has an effective IT strategic planning process.
- To provide guidance in preparation of IT Strategy aligning with the overall strategy of the Bank towards accomplishment of its business objectives.
- To ensure that the IT Governance is effective and efficient, has adequate skilled resources, well defined objectives and unambiguous responsibilities for each level in the organization.
- To ensure that the Bank has process for assessing and managing IT risks.
- To ensure that the budgetary allocations for IT function is commensurate with the Bank IT maturity, digital path, threat environment and industry standard and are utilized in a manner intended for meeting the stated objectives; and
- To review adequacy and effectiveness of the Business Continuity Planning and Disaster Recovery

Management of the Bank at least on an annual basis.

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Rajendra Prasad Gupta - Shareholder Director (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
4.	Sh. Rajeeva – Executive Director
5.	Ms. M G Jayasree – MoF Nominee Director

The Committee met on nine (09) occasions during the Financial Year 2024-25 as per details below:

12.04.2024	06.05.2024	28.06.2024	24.07.2024	21.08.2024
23.09.2024	04.11.2024	07.02.2025	25.03.2025	-

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Ex – Non Executive Chairman (Chairperson up to 06.11.2024)	01.04.2024 to 06.11.2024	7	7
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	01.04.2024 to 12.11.2024	7	7
		14.01.2025 to 31.03.2025	2	2
3	Dr. Ram Jass Yadav – Ex - Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	1	0
4	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 12.11.2024	7	7
		14.01.2025 to 31.03.2025	2	2
5	Sh. Rajeeva – Executive Director	16.08.2024 to 12.11.2024	3	3
		14.01.2025 to 31.03.2025	2	2
6	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director	01.04.2024 to 12.11.2024	7	6
		14.01.2025 to 31.03.2025	2	2
7	Sh. T. R. Mendiratta – Ex – Shareholder Director	01.04.2024 to 12.05.2024	2	2
8	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex – Non Official Director	01.04.2024 to 06.06.2024	2	2

9	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director (Member)	06.06.2024 to 12.11.2024	5	3
	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director (Chairperson w.e.f 14.01.2025)	14.01.2025 to 31.03.2025	2	2

3.10 Committee for dealing with the case of appeals and review:

The composition of the Committee as on 31st March, 2025:

The Committee has been subsumed by the Board vide resolution no 2025/01/01 dated 14.01.2025.

No meeting was held during the Financial Year 2024-25.

3.11 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors, Nominee Director of Ministry of Finance and Independent Shareholder Director has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2025 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director
5.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

The Committee met on four (4) occasions during the Financial Year 2024-25 as per details below:

21.06.2024	19.09.2024	16.12.2024	24.03.2025
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
2	Dr. Ram Jass Yadav – Ex – Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	0	0
3	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 31.03.2025	4	4
4	Sh. Rajeeva – Executive Director	16.08.2024 to 31.03.2025	3	3



5	Ms. M. G. Jayasree MoF Nominee Director	01.04.2024 to 31.03.2025	4	3
6	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex – Non Official Director	01.04.2024 to 20.12.2024	3	3
7	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director	14.01.2025 to 31.03.2025	1	1

3.12 Review Committee for Willful Defaulter:

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two non-executive/Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March, 2025 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director
3.	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director

The Committee met on two (02) occasions during the Financial Year 2024-25 as per details below:

21.06.2024	16.12.2024
------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh Ex – Non Executive Chairman (Chairperson up to 06.06.2024)	01.04.2024 to 06.06.2024	0	0
2	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson w.e.f 06.06.2024)	01.04.2024 to 06.06.2024	0	0
		06.06.2024 to 31.03.2025	2	2
3	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director	01.04.2024 to 31.03.2025	2	2
4	Sh. Shankar Lal Agarwal – Ex - Non Official Director	01.04.2024 to 20.12.2024	2	2
5	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director	06.06.2024 to 31.03.2025	2	2

3.13 Nomination & Remuneration Committee

The 'Nomination & Remuneration Committee' was constituted vide RBI Notification No.RBI/2021-22/24 DOR.GOV.REC. 8/29.67.001/2021-22 dated 26.04.2021 and DFS notification F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019.

The function of the 'Nomination & Remuneration Committee' is to take the due diligence for necessary process of Nomination, Screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI.

Nomination & Remuneration Committee could not be constituted due to want of quorum from 01.04.2024 to 05.06.2024 and 31.08.2024 to 31.03.2025 and the Committee has been subsumed by the Board vide resolution no 2025/01/01.

As on 31st March 2025 the Committee could not be constituted due to want of quorum

No meetings were held during the Financial Year 2024-25.

3.14 Review Committee for Non Co-operative Borrower

Review Committee for Non-Co-Operative Borrower was constituted in terms of RBI notification no RBI/2014-15/362 DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22 Dec 2014, for review of the orders of the Committee headed by ED for declaration of the party as Non-Co-Operative Borrower.

The Committee was repealed as per RBI/DoR/2024-25/122 Dor.FIN.REC.No.31/20.16.003/2024-25 dated July 30, 2024.

The committee met on one (01) occasion during the Financial Year 2024-25 on

09.05.2024

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure is as under

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha MD & CEO (Chairperson)	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		06.06.2024 to 30.07.2024	0	0
2	Sh. T. R. Mendiratta – Ex – Shareholder Director	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
3	Sh. Shankar Lal Agarwal Non Official Director	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		06.06.2024 to 30.07.2024	0	0
4	Sh. Rajendra Prasad Gupta – Shareholder Director	06.06.2024 to 30.07.2024	0	0

3.15 Board Committee for Performance Evaluation (for MD&CEO and EDs) was constituted in terms of Ministry of Finance, DFS letter F.No.9/5/2009-HR dated 30.08.2019 for recording of Annual Performance Appraisal Report (APARs) of Managing Director & CEO, Executive Directors and General Managers (in-charge of internal control functions) of Nationalized Banks.

As on 31.03.2025, Committee could not be constituted due to want of quorum.

The committee met on three (03) occasions during the Financial Year 2024-25 on

10.05.2024	29.10.2024	05.11.2024
------------	------------	------------



The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh – Ex - Non-Executive Chairman (Chairperson up to 06.11.2024)	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 to 06.11.2024	2	2
2	Ms. M. G. Jayasree – MoF Nominee Director	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
		31.08.2024 to 06.11.2024	2	2
3	Sh. T. R. Mendiratta – Ex - Shareholder Director	01.04.2024 to 12.05.2024	1	1
4	Sh. Rajendra Prasad Gupta- Shareholder Director	31.08.2024 to 06.11.2024	2	2

3.16 Credit Approval Committee of Board (CACB)

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Credit Approval Committee of the Board has been constituted to consider various credit proposals up to the two hundred fifty crore rupees.

The composition of the Committee as on 31st March 2025 is as under:

S. No.	Name of Member
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director
4.	Sh. Rajesh Pandey – General Manager (Credit)
5.	Sh. Rajendra Kumar Raigar – General Manager (PS & RAM)
6.	Sh. Dheeraj Kumar Gaur – Chief Risk Officer
7.	Sh. Arnab Goswamy - Chief Financial Officer

During the Financial Year 2024-25, the Credit Approval Committee of Board met on twenty one (21) occasions on following dates:

06.05.2024	08.05.2024	29.06.2024	18.07.2024	31.08.2024
17.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	11.10.2024
14.11.2024	17.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	28.01.2025
04.02.2025	17.02.2025	27.02.2025	05.03.2025	10.03.2025
29.03.2025	-	-	-	-

The details of attendance at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Member	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	01.04.2024 to 31.03.2025	21	21
2.	Dr. Ram Jass Yadav – Ex – Executive Director	01.04.2024 to 30.04.2024	0	0
3.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director	01.04.2024 to 31.03.2025	21	21
4.	Sh. Rajeeva – Executive Director	16.08.2024 to 31.03.2025	17	17
5.	Sh. Rajesh Pandey – General Manager (Credit)	01.04.2024 to 31.03.2025	21	21
6.	Sh. Dheeraj Kumar Gaur – Chief Risk Officer	01.04.2024 to 31.03.2025	21	19
7.	Sh. Anab Goswamy – Chief Financial Officer	01.04.2024 to 31.03.2025	21	21
8.	Sh. Rajendra Kumar Raigar – General Manager (PS & RAM)	17.09.2024 to 31.03.2025	16	16

3.17 Share Transfer Committee:

A committee of officials comprising of GMs, DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty six meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2024-25.

3.18 Capital Issue Committee – The Committee has been constituted in terms of the approval of the Board vide resolution dated 19.03.2025 to take all decisions related to pricing, issue opening, issue closure and other issue related matters.

The composition of the Committee as on 31st March 2025 is as under:

S. No.	Name of Member
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Ravi Mehra – Executive Director
3.	Sh. Rajeeva – Executive Director

During the Financial Year 2024-25, the Committee met on 3 occasions on following dates:

24.03.2025	27.03.2025	27.03.2025
------------	------------	------------

3.19 Particulars of Senior Management including changes therein since the close of the previous financial year: In terms of the Bank's Board approved policy, Bank's Senior Management comprises of all General Managers, Deputy General Manager (with independent charge), Company Secretary and Chief Financial Officer of the Bank.

Sl No	Name	Designation	Details of change, if any
1.	Sh. S V M Krishna Rao	General Manager	Retired on Superannuation on February 28, 2025
2.	Sh. Gopal Krishan	General Manager	NA



3.	Sh. Parveen Kumar	General Manager	NA
4.	Sh. Rajendra Kumar Raigar	General Manager	NA
5.	Sh. Dinesh Kumar Goyal	General Manager	Retired on Superannuation on January 31, 2025
6.	Sh. Rajesh C Pandey	General Manager	NA
7.	Sh. Gajraj Devi Singh Thakur	General Manager	NA
8.	Sh. Chaman Lal Shienhmar	General Manager	NA
9.	Smt. Rashmita Kwatra	General Manager	NA
10.	Sh. Manoj Kumar	General Manager	NA
11.	Sh. Nilendra K Prabhat	General Manager	NA
12.	Sh. Vinod Kumar Pandey	General Manager	NA
13.	Sh. Dheeraj Kumar Gaur	Chief Risk Officer	NA
14.	Sh. Santosh Kumar Neeraj	General Manager	Promoted as General Manager w.e.f March 1, 2025
15.	Sh. Ratnesh Chandra	General Manager	Promoted as General Manager w.e.f February 1, 2025
16.	Sh. Ravi Gupta	Chief Compliance Officer	NA
17.	Sh. Arnab Goswamy	Chief Financial Officer	Joined the services of the Bank on 03.04.2024
18.	Ms. Mahima Agarwal	Deputy General Manager	NA
19.	Sh. Gurdeep	Deputy General Manager	NA
20.	Sh. Saket Mehrotra	Company Secretary	NA

4. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended)

The Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director(s) is detailed below:

A.Salary including Arrears paid during the Financial Year 2024-25:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs in Lacs)
1	Sh. Swarup Kumar Saha	Managing Director & CEO	40.37
2	Sh. Ravi Mehra	Executive Director	43.07



3	Sh. Rajeeva	Executive Director	22.22
4	Dr. Ram Jass Yadav	Ex-Executive Director	3.22
	TOTAL		108.88

B. Details of Performance Linked Incentive paid during the Financial Year 2024-25

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs in Lacs)
		Nil	

C. The Bank does not pay remuneration to Non-Executive Directors except sitting fees approved by the Board in terms of Government of India guidelines, for attending the meetings of the Board and its Committees. The fees payable are as under:

SI No	Meeting	Sitting Fees payable per meeting (Rs.)
1.	Board	40,000
2.	Committee of Board	20,000
3.	For Chairing Board Meeting	10,000 (in addition to (1) above)
4.	For Chairing meeting of Committee	5,000 (in addition to (2) above)

The Sitting Fee paid to the Independent Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2024-25 is as under: (No sitting fee was paid to whole time directors, directors representing Reserve Bank of India and Government of India during the Financial Year 2024-25):

Sr. No	Name of the Director	Designation	Amount Paid (Rs. in Lacs)
1	Dr. Charan Singh	Non-Executive Chairman	13.50
2	Sh Tirath Raj Mendiratta	Shareholder Director	3.75
3	Sh. Shankar Lal Agarwal	Non-Official Director	14.35
4	Sh. R P Gupta	Shareholder Director	12.40
	TOTAL		44.00

D. No stock option was offered to Bank's Employees and Whole Time Directors of Bank during the FY 2024-25.

5. General Body Meetings:

a. Details of the Annual General Meetings held during the last three years are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
12 th Annual General Meeting	Tuesday, 12 th July 2022	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2022 - To declare dividend for the Financial Year 2021-22



13 th Annual General Meeting	Tuesday, 11 th July 2023	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2023 - To declare dividend for the Financial Year 2022-23 - To seek approval to raise capital up to an amount of Rs.250 crore by way of Qualified Institutions Placement
14 th Annual General Meeting	Wednesday, 24 th July 2024	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2024 - To declare dividend for the Financial Year 2023-24

b. Details of the Extraordinary General Meetings held during the last three years are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
Extraordinary General Meeting	Monday, 17 th May 2021	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To elect One Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) (Sh T R Mendiratta, being the only candidate, was elected forthwith and the meeting was cancelled).
Extraordinary General Meeting	Thursday, 31 st March 2022	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To create, offer, issue and allot 2,72,51,18,483 equity shares of Rs.10 each at an issue price of Rs.16.88 each (including premium of Rs.6.88 per equity share) aggregating to Rs.4600 crore for cash to Government of India on Preferential Basis by way of Special Resolution
Extraordinary General Meeting	Thursday, 31 st May 2024	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To elect One Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) (Based on majority of votes polled Sh Rajendra Prasad Gupta was elected as the shareholder director) - To seek approval of appointment of Sh. Ravi Mehra, as Executive Director of the Bank in terms of provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 by way of Ordinary Resolution - To seek approval for raising equity capital up an amount of Rs.2000 crore through Qualified Institutions Placement.

- a. **Postal Ballot:** Bank has not conducted any business by way of postal ballot during the Financial Year and at present no business is proposed to be conducted through postal ballot.

6. MEANS OF COMMUNICATION:

The Quarterly / Annual Financial Results of the Bank are submitted to the stock exchanges (BSE & NSE), where the securities of the Bank are listed, for dissemination. The results are also published in one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Delhi. The Bank also organizes analyst meets, meetings with investors / analysts etc on the Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to date / Annual Financial Results of the Bank, Press Release and the copy of the presentation made to the Analysts and other official announcements are posted on the Banks website <https://punjabandsindbank.co.in/> and the website of the Stock Exchanges viz www.nscindia.com and www.bscindia.com. In terms of the prevailing SEBI guidelines, the electronic copies of the Annual Report were sent to the shareholders through e-mail and were also hosted on the website of the Bank and the Stock Exchanges viz www.nscindia.com and www.bscindia.com. In line with SEBI guidelines, physical copies of the Annual Report were provided to the shareholders who had requested for them.

7. General Shareholder Information:

7.1. Financial Calendar :

Financial Year 1st April, 2024 to 31st March, 2025	
Date, Time and Venue of 15 th Annual General Meeting	15th AGM of the Bank will be held through VC at 1:00 am on Tuesday, August 05, 2025 and the deemed venue shall be the Head Office of the Bank.
Book Closure dates	Wednesday, July 30, 2025 to Tuesday, August 05, 2025
Cut-off date for dividend	29th July 2025
Dividend payment date	Within 30 days from the date of the 15th Annual General Meeting

7.2. Listing on Stock Exchanges:

The Bank's equity shares are listed on the following Stock Exchanges:

1. BSE Limited (Formerly Bombay Stock Exchange) – Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001
2. National Stock Exchange of India Limited (NSE) - Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

The Listing fee has been paid to the NSE & BSE up to date.

7.3. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

1. The Bank's shares are traded in demat mode under ISIN INE608A01012 on both BSE and NSE. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended securities can be transferred only in dematerialized form w.e.f. April 1, 2019, except in the case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings to dematerialized form.
2. Shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No., MICR Code, etc) for the shares held in dematerialized form.



3. Transfer of equity shares in electronic form is effected through the depositories i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) with no involvement of the Bank.
4. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, Bond holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed MUFG Intime India Private Limited (previously known as Link Intime India Private Limited) as its Share Transfer Agent and has established an Investor Grievances Cell at its Corporate Office as Shares Cell wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution. The contact details are as under:

MUFG Intime India Private Limited (Unit: Punjab & Sind Bank) Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110058 Phone: (011) 41410592 to 0594 Fax: (011) 41410591 E-Mail: delhi@in.mpms.mufg.com	Punjab & Sind Bank Corporate Office, NBCC Office Complex, Block 3, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 Telephone: (011) 40175169 E-mail: complianceofficer@psb.co.in
--	--

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

7.4. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2025

Holding of Shares	No. of shareholders	% of shareholders	Total Shares	% of Total
1 – 500	180071	88.6525	16945434	0.2388
501 – 1000	11523	5.6730	9232050	0.1301
1001 – 2000	5896	2.9027	8861114	0.1249
2001 – 3000	2005	0.9871	5107454	0.0720
3001 – 4000	808	0.3978	2888067	0.0407
4001 – 5000	910	0.4480	4242796	0.0598
5001 – 10000	1236	0.6085	8880912	0.1251
10001 & Above	671	0.3304	7,03,94,27,393	99.2086
TOTAL	203120	100.0000	7,09,55,85,220	100.0000

7.5. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2025

Sr No	State	Number of Shareholders	Shares held	Percentage*
1	Andaman and Nicobar Islands	31	3,366	0.00
2	Andhra Pradesh	3,702	15,29,601	0.02
3	Arunachal Pradesh	237	41,158	0.00

4	Assam	1,635	3,11,912	0.01
5	Bihar	5,871	16,99,648	0.02
6	Chandigarh	1,051	4,07,526	0.01
7	Chhattisgarh	1,750	6,02,734	0.01
8	Dadar Nagar Haveli	41	17,368	0.00
9	Daman and Diu	25	8,229	0.00
10	Delhi	15,726	6,67,01,58,181	94.00
11	Goa	433	86,597	0.00
12	Gujarat	23,293	72,55,553	0.10
13	Haryana	8,260	36,16,385	0.05
14	Himachal Pradesh	1,118	3,44,918	0.01
15	Jammu and Kashmir	823	2,97,872	0.00
16	Jharkhand	2,740	7,55,538	0.01
17	Karnataka	9,444	46,24,531	0.07
18	Kerala	4,218	15,30,562	0.02
19	Lakshadweep	1	70	0.00
20	Madhya Pradesh	7,268	22,16,018	0.03
21	Maharashtra	34,021	33,23,78,663	4.68
22	Manipur	129	44,999	0.00
23	Meghalaya	71	10,848	0.00
24	Mizoram	10	805	0.00
25	Nagaland	73	19,829	0.00
26	Orissa	2,831	7,78,912	0.01
27	Others	1,542	99,95,079	0.14
28	Pondicherry	138	35,252	0.00
29	Punjab	9,918	38,94,289	0.06
30	Rajasthan	15,716	47,32,898	0.07
31	Sikkim	59	9,639	0.00
32	Tamil Nadu	10,445	2,71,85,828	0.38
33	Telangana	6,159	91,96,999	0.13
34	Tripura	196	36,109	0.00
35	Uttar Pradesh	19,903	65,44,126	0.09
36	Uttarakhand	1,815	4,92,301	0.01
37	West Bengal	12,427	47,20,877	0.07
	Total	2,03,120	7,09,55,85,220	100.00

* 0.00% refers to values less than 0.01%

7.6. Dematerialization of Securities and liquidity:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2025 the Bank has 7,09,55,85,220 Number of Equity Shares of which 7,09,55,04,140 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	81,080	0.0011
Dematerialized		
NSDL	39,37,53,712	5.5493
CDSL *	6,70,17,50,428	94.4496
Grand Total	7,09,55,85,220	100.0000

* includes 6,65,90,51,093 equity shares held by the Government of India.



- 7.7. The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the Financial year 2024-25 and there are no outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments as on 31.03.2025.
- 7.8. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.
- 7.9. Plant Location: NA
- 7.10. **Credit ratings obtained by the Bank**

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for Long Term Infrastructure Bonds	Rating for Certificate of Deposits
CARE	CARE AA- Positive dated 05.09.2024 (reaffirmed)	NA	NA
CRISIL	CRISIL AA Stable 20.09.2024 (reaffirmed)	CRISIL AA Stable 20.09.2024 (Fresh)	NA
ICRA	NA	NA	ICRA A1+ (reaffirmed) dated 10.03.2025
Infomerics	IVR AA Stable (reaffirmed) dated 03.03.2025		NA
India Ratings	NA	IND AA Stable 23.10.2024 (Fresh)	NA

8. OTHER DISCLOSURES:

- a. There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b. Details of penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years is as under:

Sl No	Financial Year	Details
1.	2022-23	- NSE had imposed a fine for delay in intimation of Record date for payment of Interest by 1 day in terms of Regulation 60(2). The fine has been waived by the Stock Exchange. - BSE & NSE had levied a fine for delay in intimation of meeting of Board of Directors held on 21.01.2023 by 1 day as required in terms of Regulation 29(2).

- c. Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access to audit committee.
- d. The status of compliance of Discretionary and Mandatory requirements is detailed at point n & o below.
- e. The policy for determining Material Subsidiary and the Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/content/policies>
- f. Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at <https://punjabandsindbank.co.in/content/policies>
- g. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.
- h. The Funds raised by the Bank by way of Qualified Institutions Placement have been utilized for the general business purpose of the Bank.
- i. A certificate has been obtained from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of

- companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.
- j. It is confirmed that there was no instance where the Board did not accept any recommendation of any Committee of the Board which was mandatorily required during the financial year 2024-25.
- k. Details of fees paid to statutory auditors

Nature	Amount (Rs)
Statutory Branch Auditors	6,64,35,985
Statutory Central Auditors	1,69,01,280

- l. Disclosures in relation to the Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Number of complaints pending as on 01.04.2024	5
Number of complaints filed during the Financial Year under Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	4
Number of complaints disposed off during the year	7
Number of complaints pending as on 31.03.2025	2

- m. Bank does not have any subsidiaries.

- n. **Compliance of Discretionary Requirements:**

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II (Regulation 27(1)) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1.	The Board – A Non-executive Chairman may be entitled to maintain Chairperson's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his / her duties.	Dr. Charan Singh, Non-Executive Chairman retired on 06.11.2024 on completion of tenure. There is no Non-executive Chairman on the Board of the Bank as on 31.03.2025
2	Shareholders Rights – Half – Yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders	Quarterly / Half yearly / Yearly Financial Results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on the Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/ for information of the shareholders.
3.	Modified Opinion(s) in audit report – Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The Auditors have expressed an Unmodified opinion on the financial statements of the Bank.

4	Separate posts of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer - The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall – (a) be a non-executive director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.	Punjab & Sind Bank has separate posts of Chairperson and Managing Director and Chief Executive Officer. However, after the retirement of Dr. Charan Singh, Non-Executive Chairman on 06.11.2024 on completion of tenure, the post of Non-Executive Chairman is vacant.
5.	Reporting of internal auditor – The internal auditor may report directly to the audit committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

o. Disclosure of compliance with Corporate Governance requirements

Reg. No	Title / Brief description	Compliance Status
17 & 17A	Board of Directors	Our Bank is a Corresponding New Bank constituted under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. All Directors of the Bank, other than Shareholder Director, are appointed/nominated by the Central Government in terms of Sec 9(3) of the Act.
		After retirement of Dr Charan Singh, the post of Non-Executive Chairman of the Bank is vacant. Further, Bank also does not have an Independent Women Director on the Board of the Bank. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk profile of the Bank. Transparency and independence in the functioning of the Board is ensured.
18	Audit Committee	Due to insufficient number of directors, Bank is not in a position to constitute the Audit Committee of the Board.
19	Nomination and Remuneration Committee	The composition & terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee is governed by RBI Directives / Guidelines. As per the Reserve Bank of India Guidelines, the Nomination and Remuneration Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'Fit & Proper' status of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Act. Bank does not have sufficient number of directors to constitute the Committee.
20	Stakeholder Relationship Committee	Complied with

21	Risk Management Committee	Due to insufficient number of directors, Bank is not in a position to constitute the Risk Management Committee of the Board.
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Not Applicable
24A	Secretarial Audit	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	Complied with
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46 (2) (b) to (i)	Website	Complied with

9. UNCLAIMED DIVIDEND:

In terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013:

SI No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2025
1	Dividend 2021-22	7,04,611.53
2	Dividend 2022-23	7,92,669.24
3	Dividend 2023-24	2,73,060.60

10. The following are the Debenture Trustees for the Bonds issued by the Bank: TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS

 IDBI Trustee IDBI Trusteeship Services Ltd IDBI Trusteeship Services Limited Universal Insurance Building, Ground Floor Sir P.M Road, Fort Mumbai, Maharashtra – 400001 Tel No. 022-40807000 E-mail: itsl[at]idbitrustee.com	 AXIS TRUSTEE Axis Trustee Services Limited Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Phone: +91 22 6226 0054/ 6226 0050 Email: debenturetrustee[at]axistrustee.in	 VISTRA ITCL Visra ITCL (India) Limited The IL&FS Financial Center Plot No. C-22, G Block, 6th Floor Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400051 Tel: +91 22 69300000 Fax : +91 22 28500029 Email: mumbai[at]vistra.com
---	---	---


11. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2025):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

12. Shareholding Pattern as on 31st March 2025

S. No.	Category	No of shareholders	No of Shares	% to Equity
1	President of India	1	6659051093	93.85
2	Clearing Members	9	899	-
3	Other Bodies Corporate	330	6915611	0.10
4	Hindu Undivided Family	4746	2106656	0.03
5	Mutual Funds	12	2011330	0.03
6	Nationalised Banks	12	131631282	1.85
7	Non Nationalised Banks	3	11988531	0.17
8	Non Resident Indians	712	1186604	0.02
9	Non Resident (Non Repatriable)	764	658824	0.01
10	Public	196464	66586717	0.94
11	Trusts	10	157586	0.00
12	Insurance Companies	11	141205372	1.99
13	Body Corporate - Ltd Liability Partnership	15	324957	0.00
14	Unclaimed Shares	2	2402	-
15	FPI (Corporate) - I	20	52073231	0.73
16	Alternate Invst Funds - I	1	6515506	0.09
17	NBFCs registered with RBI	1	6000	0.00
18	Alternate Invst Funds - III	4	9121817	0.13
19	FPI (Corporate) - II	1	1188	-
20	Systemically Important NBFC	2	4039614	0.06
	Total	203120	7095585220	100.00

- 13 A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or are disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any other statutory authority have been obtained and is provided below


R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

*(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)*

The Members of
Punjab & Sind Bank
Bank House, 21, Rajendra Place
New Delhi- 110 008

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Punjab & Sind Bank and having corporate office at NBCC Office Complex, 01st Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the financial year ending on 31st March, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

S.No	Name of Director	Designation
1	Mr. Swarup Kumar Saha	Managing Director and Chief Executive Officer
2	Mr. Ravi Mehra	Executive Director
3	Mr. Rajeeva	Executive Director
4	Ms. M G Jayasree	Non-Executive – Nominee Director
5	Mr. R.P Gupta	Non-Executive – Independent Director
6	Mr. Vivek Srivastava	Non-Executive – Nominee Director



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries
FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex,
Shakarpur, Delhi- 110092
Tel:- 98-10544091
E-mail: rsk04069@rediffmail.com

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For R S Kathuria & Co.
Company Secretaries

Place: Delhi

Date: 29th April 2025

R.S. Kathuria
Proprietor
FCS 5217; CP No.: 3112
UDIN: F005217G000223886



Independent Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015

To the Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank (hereinafter referred to as "the Bank"), for the Financial Year ended on 31st March 2025 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (hereinafter referred to as "the Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has in all material aspects complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulations Act, 1949, as amended and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, except for the following:

- a) There is no Independent Woman Director and Chairman on the Board of the Bank as required by the Listing Regulations
- b) The positions of one director each under Section 9 (3) (e), 9 (3) (f), 9 (3) (g) and five directors under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 were vacant on the Board of the Bank.
- c) The Audit Committee of the Board could not be constituted due to insufficient number of directors from 12.05.2024 to 30.08.2024 and 21.12.2024 to 31.03.2025. However, Bank has constituted the Audit Committee of the Board w.e.f 21.04.2025.
- d) The Risk Management Committee of the Board could not be constituted due to insufficient number of directors from 12.05.2024 to 05.06.2024 and 21.12.2024 to 31.03.2025. However, Bank has constituted the Risk Management Committee of the Board w.e.f 21.04.2025.
- e) The Nomination and Remuneration Committee of the Board could not be constituted due to insufficient number of directors from 01.04.2024 to 05.06.2024 and 31.08.2024 to 31.03.2025.

The Certificate is addressed to and provided to the Members of the Bank solely for the purpose of enabling them to understand the requirements of the Listing Regulations related to Corporate Governance, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this Certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this certificate for any events or circumstances occurring after the date of this Certificate.



We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

S. P. CHOPRA & CO. Chartered Accountants FRN: 000346N (CA. Prateek Gupta) Partner M. No. 566023 UDIN: 25566023BMOURJ7800	GUPTA SHARMA & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN: 001466N (CA. Vinay Saraf) Partner M. No. 087262 UDIN: 25087262BMKQMR6204
O. P. TOTLA & CO. Chartered Accountants FRN: 000734C (CA. Naveen Kumar Somani) Partner M. No. 429100 UDIN: 25429100BMKSQJ6711	NBS & CO. Chartered Accountants FRN: 110100W (CA. Pradeep Shetty) Partner M. No. 046940 UDIN: 25046940BMLNAK9807

Dated: April 29, 2025
Place: New Delhi



The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration for 2024-25 as per Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2025 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website <https://punjabandsindbank.co.in/>.

For Punjab & Sind Bank

(Swarup Kumar Saha)

Managing Director & Chief Executive Officer

Place: New Delhi
Dated: 29.04.2025

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2024-25

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:

1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.

1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Place: New Delhi

For Punjab & Sind Bank
(Arnab Goswamy)
Chief Financial Officer

For Punjab & Sind Bank
(Swarup Kumar Saha)
Managing Director & Chief Executive Officer



S. P. Chopra & Co., Chartered Accountants, 31-F, Connaught Place, Radial Road no.7, New Delhi-110001	Gupta Sharma & Associates, Chartered Accountants, 142, Sector 3, Trikuta Nagar, Jammu - 180012
O. P. Totla & Co., Chartered Accountants, 302, Alankar Point, Geeta Bhawan Square, Indore – 452001 (MP)	NBS & Co., Chartered Accountants, 14/2, Western India House, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001

INDEPENDENT AUDITOR's REPORT

To
The Members of Punjab & Sind Bank

Opinion

1. We have audited the accompanying financial statements of **Punjab & Sind Bank**, (the 'Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included returns for year ended on that date of 20 branches and treasury division audited by us and 398 branches and 42 Offices / Processing Centers audited by Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ('RBI'). Also included in the financial statements are the returns from 1192 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches accounted for 21.08% of advances, 43.54% of deposits, 15.16% of interest income and 35.05% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as amended (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2025;
- b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended on that date; and
- c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing (“SAs”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (“the ICAI”). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars, directions and guidelines issued by the Reserve Bank of India (“RBI”) from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	How our matter was addressed in the audit
Advances – classification and provisioning (Refer Schedule 9 to the financial statements, read with the Accounting Policy No. 3) The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the Income Recognition, Assets Classification and Provisioning norms and other relevant directions / guidelines (Prudential Norms) as prescribed / issued by the Reserve Bank of India. The classification and provisioning is done by the Bank’s IT software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.	Our Audit Procedure: We obtained an understanding of the Bank’s software, circulars, guidelines and directives of the RBI, the Bank’s internal instructions and procedures, and the guidelines of other concerned regulatory or other authority / bodies in respect of the assets classification and its provisioning and adopted the following audit procedures: -Evaluation and testing of the effectiveness of the System controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification / classification, assessment of the loan impairment including testing of relevant data quality, and review of the real data entered / existing in the software.

In the event of any improper application of the Prudential Norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements i.e. 60.13 % of total assets, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.	-Verification / review of the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI, in respect of the branches / verticals audited by us. In respect of the branches audited by the branch statutory auditors, we have placed reliance on their reports. -Review of the reports of the credit audit, inspection audit, internal audit, concurrent audit, regulatory audit and other audit / inspection mechanisms to ascertain the advances having any adverse indication / comments, and review of the control mechanisms of the bank to ensure the proper classification of such advances and provisioning thereof. -Review of the report of the external agency on effectiveness of the Prudential Norms automation to ensure the proper classification of advances and provisioning in the system / CBS. Necessary changes / improvements were suggested wherever considered appropriate during the course of audit and the effect / impact wherever required was duly accounted for in the Financial Statements for the year under audit.
<u>Investments – valuation, classification and identification and provisioning for Non-Performing Investments</u> (Refer Schedule 8 to the financial statements, read with the Accounting Policy No. 2)	<u>Our Audit Procedure:</u> Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular,

Investment portfolio of the Bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under the categories of Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) with Held for Trading (HFT) as sub-category of FVTPL.

Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. The valuation of each category (type) of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. Hence, the price discovered for the valuation of these Investments may not be the true representative but only a fair assessment of the Investments as on date. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements i.e. 28.99% of total assets, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

- We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provisioning/ depreciation and appreciation related to Investments.

We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.

- For selected sample of investments (covering all categories of investments based on nature of security) we tested accuracy and compliance with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI Master Circular/ directions.

- We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision.

- We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created.

Necessary changes were carried out, wherever required, during the course of audit and the effect of the same was duly accounted for in the Financial Statements for the year under audit.

Information Technology (IT) and controls impacting financial Reporting

The Bank's financial accounting and reporting systems are highly dependent on the effective working of the Core Banking Solution (CBS) and other IT systems linked to the CBS or working independently.

Our areas of focus relate to the logic that is fed into the system, sanctity and reliability of the data, access management and segregation of duties. These underlying principles are important because they ensure that changes to applications and data are appropriate, authorized, cleansed and monitored, so that the system generates accurate and reliable reports / returns and other financial and non-financial information that is used for the preparation and presentation of the financial statements.

Technology (IT) systems are used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes generate extensive volume on daily basis and process varied and complex transactions which are highly dependent on IT systems.

There is a risk that automated accounting procedures and related internal controls may not be accurately designed and operating effectively, and that the data may have not been correctly entered, processed and generated / extracted.

Considering the above, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.

Our Audit Procedure:

- Understanding the coding system adopted by the Bank for various categories of business process.
- Reviewing the design, implementation and operating effectiveness of the CBS controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.
- Understanding the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the Bank.
- Checking of the requirements for any changes in the regulations / policy of the Bank and configuration / impact of the same in IT.
- Review of the reports generated by the system on sample basis.
- Review of the reports on IS Audit, System Logic Audit and the major comments and discussion with IT Department on compliance thereof with key IT controls.
- Discussions with and review of the reports of IT Experts regarding IT system / controls including IT application / solution of Income Recognition, Assets Classification and Provisioning norms and investment valuation / classification etc.

There is continuous improvements. The system needs to be further strengthened for its efficacy to further control deficiencies of input / output data

Emphasis of Matter

5. We draw attention to Note No. 14(I) of Schedule 18 of the financial statements, regarding amortization of estimated additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 236.84 crores. As stated therein, the Bank has charged amount of Rs. 47.37 crores to the Profit & Loss Account during the year ended 31st March, 2025 and the unamortized expense amounting to Rs. 47.37 crores has been carried forward in terms of RBI Circular No. RBI/ 2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 04, 2021.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issue of this Auditor's Report. The other information also includes the Directors' Report, including annexures, if any, thereon (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report.

Our opinion on the financial statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under the Basel III and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on the Other Information that we obtained prior to the date of this Auditors' Report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. Further, when we read the Other Information, which is expected to be made available to us after the date of this Auditor's Report if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charge with governance.

Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and

prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or

conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements / information of 398 Branches and 42 Offices / Processing Centers included in the financial statements of the Bank, which reflect total assets of Rs. 22,980.28 crores as at 31st March, 2025 and total revenue of Rs. 1046.35 crores for the year ended on that date, as considered in these financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

10. We draw attention to the fact that corresponding figures for the year ended 31st March, 2024 are based on previously issued financial statements of the Bank, that were audited by two predecessor auditors M/s. Chaturvedi & Co. LLP and M/s. Manohar Chowdhry & Associates, along with two present auditors M/s. S. P. Chopra & Co and M/s. Gupta Sharma & Associates, who had expressed an unmodified opinion on

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, as amended;

12. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 10 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as amended and subject also to the limitations of disclosure required therein, and as required by sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, as amended, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

13. As required by letter No. DOS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs" read with subsequent communication dated 19th May, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

- a) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.
- c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the dis-qualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Bank.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls with reference to Financial Statements is given in Annexure – A to this report expressing an unmodified opinion on the Bank's Internal Financial Control with reference to the financial statements as at 31st March, 2025.

14. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it



appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, as amended have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flows Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000346N

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001466N

(CA. Prateek Gupta)
Partner
M. No. 566023
UDIN: 25566023BMOURI3177

(CA. Vinay Saraf)
Partner
M. No. 087262
UDIN: 25087262BMKQMQ2449

For O. P. Tolla & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000734C

For NBS & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W

(CA. Naveen Kumar Somani)
Partner
M. No. 429100
UDIN: 25429100BMKSQK4232

(CA. Pradeep Shetty)
Partner
M. No. 046940
UDIN: 25046940BMLNAI7539

Date : 29th April, 2025
Place : New Delhi

ANNEXURE “A” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph 13(c) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ section of our report of even date of Punjab & Sind Bank)

Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements as required by the Reserve Bank of India Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020, as amended (the “RBI communication”)

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of Punjab & Sind Bank (the “Bank”) as of 31st March, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls with reference to financial statements of the selected branches of the Bank.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on “the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s internal financial controls with reference to Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Financial Statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of

internal financial controls with reference to Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements.

Meaning of Internal financial controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls with reference to Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal financial controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to Financial Statements and such internal financial controls with reference to Financial Statements were operating effectively as at



31st March, 2025, based on “the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India”.

Other Matter

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls with reference to Financial Statements of 398 branches and 42 Offices / Processing Centers is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000346N

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants
FRN: 001466N

(CA. Prateek Gupta)
Partner
M. No. 566023
UDIN: 25566023BMOURI3177

(CA. Vinay Saraf)
Partner
M. No. 087262
UDIN: 25087262BMKQMQ2449

For O. P. Totla & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000734C

For NBS & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W

(CA. Naveen Kumar Somani)
Partner
M. No. 429100
UDIN: 25429100BMKSQK4232

(CA. Pradeep Shetty)
Partner
M. No. 046940
UDIN: 25046940BMLNAI7539

Date : 29th April, 2025
Place : New Delhi

PUNJAB & SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2025

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE NO.	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
Capital	1	70955852	67777864
Reserves & Surplus	2	62591713	87556407
Deposits	3	1297740219	1194095543
Borrowings	4	142295201	97708561
Other liabilities & Provisions	5	44568695	29426884
TOTAL		1618151680	1476565259
ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	87938011	73124645
Balances with banks & money at call and short notice	7	262630	705474
Investments	8	469123086	495991569
Advances	9	972999019	827363762
Fixed Assets	10	17788633	17557825
Other Assets	11	70040301	61821984
TOTAL		1618151680	1476565259
Contingent Liabilities	12	53350334	66596787
Bills for Collection		8648798	9694446
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts.			

ARNAB GOSWAMY
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHANKAR LAL AGARWAL
DIRECTOR

VIVEK SRIVASTAVA
DIRECTOR

RAJEEVA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJENDRA PRASAD GUPTA
DIRECTOR

RAVI MEHRA
EXECUTIVE DIRECTOR

M.G.JAYASREE
DIRECTOR

SWARUP KUMAR SAHA
MANAGING DIRECTOR & CEO

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR S. P. CHOPRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000346N

FOR GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001466N

(CA PRATEEK GUPTA)
PARTNER
M. NO. 566023
UDIN: 25566023BMOURI3177

(CA VINAY SARAF)
PARTNER
M. NO. 087262
UDIN: 25087262BMKQMQ2449

FOR O P TOTLA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000734C

FOR NBS & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 110100W

(CA NAVEEN KUMAR SOMANI)
PARTNER
M. NO. 429100
UDIN: 25429100BMKSQK4232

(CA PRADEEP SHETTY)
PARTNER
M. NO. 046940
UDIN: 25046940BMLNAI7539

Place: New Delhi
Dated: April 29, 2025

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
			YEAR ENDED 31.03.25 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.24 [Audited]
I. INCOME				
Interest earned	13		114813003	96939756
Other income	14		15676508	12214692
TOTAL			130489511	109154448
II. EXPENDITURE				
Interest expended	15		76976410	68529339
Operating expenses	16		32763879	29315740
Provisions and contingencies			10590913	5355170
TOTAL			120331202	103200249
III. PROFIT/LOSS				
Net Profit/ Loss (-) for the period			10158309	5954199
Profit/ Loss(-) brought forward			13945575	13563689
TOTAL			24103884	19517888
Basic & Diluted Earnings per Share (EPS)			1.50	0.88
IV. APPROPRIATIONS				
Transfer to:				
Statutory Reserve			2540000	1490000
Capital Reserve [Investment]			360626	223120
Special Reserve u/s 36(1)(viii)			0	103300
Employees Welfare Trust			25000	25000
Investment Fluctuation Reserve			724487	477109
Corporate Social Responsibility Fund			20370	447
Dividend			1355557	3253337
Balance carried over to Balance Sheet			19077844	13945575
TOTAL			24103884	19517888
Significant Accounting Policies	17			
Notes on Accounts	18			
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts				

ARNAB GOSWAMY
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHANKAR LAL AGARWAL
DIRECTOR

VIVEK SRIVASTAVA
DIRECTOR

RAJEEVA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJENDRA PRASAD GUPTA
DIRECTOR

RAVI MEHRA
EXECUTIVE DIRECTOR

M.G.JAYASREE
DIRECTOR

SWARUP KUMAR SAHA
MANAGING DIRECTOR & CEO

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR S. P. CHOPRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000346N

FOR GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001466N

(CA PRATEEK GUPTA)
PARTNER
M. NO. 566023
UDIN: 25566023BMOURI3177

(CA VINAY SARAF)
PARTNER
M. NO. 087262
UDIN: 25087262BMKQMQ2449

FOR O P TOTLA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000734C

FOR NBS & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 110100W

(CA NAVEEN KUMAR SOMANI)
PARTNER
M. NO. 429100
UDIN: 25429100BMKSQK4232

(CA PRADEEP SHETTY)
PARTNER
M. NO. 046940
UDIN: 25046940BMLNAI7539

Place: New Delhi
Dated: April 29, 2025

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
	Authorised Capital :		
I.	Equity Share Capital 1000,00,00,000 shares of Rs.10/- each	100000000	100000000
		100000000	100000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 7,09,55,85,220 (Previous Year 6,77,77,86,447) shares of Rs.10/- each (including 6,65,90,51,093 (Previous Year 6,65,90,51,093) shares of Rs.10/- each held by Central Government)	70955852	67777864
	TOTAL	70955852	67777864

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	17226906	15736906
	Add: Addition during the year	2540000	1490000
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub Total I	19766906	17226906
II.	Capital Reserves:		
	a. Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	10663859	9122246
	Add: Addition during the year	0	1573787
	Less: Deduction during the year	-29274	-32174
	Sub Total II.a	10634585	10663859
	b. Capital Reserve (Investments)		
	Opening Balance	7751460	7528340
	Add: Addition during the year	360626	223120
	Sub-Total II.b	8112086	7751460



III.	Share Premium:		
	Opening Balance	31319785	31319785
	Add: Addition during the year	9015952	0
	Less: Deduction during the year	-149421	0
	Sub-Total III	40186316	31319785
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089003	1089003
	Add: Addition during the year	333218	0
	Less: Deduction during the year	-43354796	0
	Sub-Total IV.a	-41932575	1089003
	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	460503	428329
	Add: Addition during the year	29274	32174
	Less: Deduction during the year	0	0
	Sub-Total IV.b	489777	460503
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	2108118	2004818
	Add: Addition during the year	0	103300
	Sub-Total IV.c	2108118	2108118
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	333218	333218
	Add: Addition during the year	0	0
	Less: Deduction during the year	-333218	0
	Sub-Total IV.d	0	333218
	e). Investment Fluctuation Reserve		
	Opening Balance	2657980	2180871
	Add: Addition during the year	724487	477109
	Sub-Total IV.e	3382467	2657980
	f). AFS Reserve		

	Opening Balance	0	0
	Add: Addition during the year	766189	0
	Sub-Total IV.f	766189	0
V.	Balance in Profit & Loss Account	19077844	13945575
	Total [I to V]	62591713	87556407

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
A	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	1619593	980053
	ii. From others	53097327	50780547
	II. Savings Bank Deposits	353182469	335321934
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	11222449	7681956
	ii. From others	878618381	799331053
	TOTAL [I+II+III]	1297740219	1194095543
B	i. Deposits of branches in India	1297740219	1194095543
	ii. Deposits of branches outside India	0	0
	Total	1297740219	1194095543

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4 - BORROWINGS	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	23500000	6000000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	76422201	79335561



iv) Subordinated Debt	12373000	12373000
v) Long Term Infrastructure Bonds	30000000	0
II. Borrowings outside India	0	0
TOTAL [I & II]	142295201	97708561
Secured borrowings Included in I & II above	99922201	85335561

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
I. Bills Payable	2757975	2500800
II. Inter-office adjustments [net]	14401296	457640
III. Interest accrued	11668698	10317051
IV. Others (including provisions)	15740726	16151393
TOTAL	44568695	29426884

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2265552	2622745
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	52272459	53501900
ii) in Other Account	33400000	17000000
TOTAL [I & II]	87938011	73124645

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
I. In India		
i) Balance with banks		

a) in Current Accounts	13644	151827
b) in Other Deposit Accounts	0	0
ii) Money at call & Short notice		
a) with banks	0	0
b) with other institutions	0	0
SUB-TOTAL [I]	13644	151827
II. Outside India		
i) In Current Accounts	248985	553647
ii) In Other Deposit Accounts	0	0
iii) Money at call & Short notice	0	0
SUB-TOTAL [II]	248985	553647
TOTAL [I & II]	262630	705474
(000'S OMITTED)		
	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	AS ON 31.03.25	AS ON 31.03.24
	[Audited]	[Audited]
I. Investments in India in		
i) Government Securities **	331069473	321198226
ii) Other approved securities	0	0
iii) Shares	3879606	1609569
iv) Debentures & Bonds	124145091	163341504
v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures	0	0
vi) Others:		
a) Commercial Paper / CD / Securitised Receipts / RIDF	8665078	9583804
b) Units of UTI, other MF / VC	1363838	258466
SUB-TOTAL [I]	469123086	495991569
II. Investments outside India	NIL	NIL



TOTAL [I + II]	469123086	495991569
Investments in India		
Gross Value	476938881	506676135
Provision for Depreciation [-]	7815796	10684566
Net Investments	469123086	495991569

** Includes encumbered securities of Rs.4989.86 crore [Face Value Rs.5026.75 crore] Previous Year Rs.6251.75 crore [Face Value Rs. 6316.88 crore]

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 9 - ADVANCES	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
A	i) Bills purchased & discounted	22021405	10363025
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	287572603	271123011
	iii) Term Loans	663405011	545877726
	Total	972999019	827363762
B	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	744081509	619180985
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	135765798	134791151
	iii) Unsecured	93151712	73391626
	Total	972999019	827363762
C	I. ADVANCES IN INDIA		
	i) Priority Sector	352384095	309738026
	ii) Public Sector	210797872	148060621
	iii) Banks	9999972	5053370
	iv) Others	399817080	364511745
	Total	972999019	827363762
C	II. Advances outside India	0	0
	Grand Total (C I and II)	972999019	827363762

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
I. Premises		
At Cost as on 31 st March of preceding year	4215080	4215080
Appreciation in cost on account of revaluation	10848051	9274264
Sub-Total	15063131	13489344
Additions during the year		
Original Cost	666812	0
Revaluation Cost	0	1573787
Deductions during the year on		
Original Cost	0	0
Revaluation Cost	0	0
Less Depreciation to date on		
Original cost	-643868	-512878
Revaluation cost	-213466	-184192
Total-I	14872609	14366061
II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At Cost as on 31 st March of preceding year	11518350	9305979
Additions during the year	1036357	2297867
Deductions during the year	-89558	-85495
Depreciation to date	-9549125	-8326587
Total II	2916024	3191764
TOTAL I & II	17788633	17557825
(000'S OMITTED)		
	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]



I. Inter-office adjustments (net)	0	0
II. Interest accrued	7958520	7997866
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source (net of provisions)	4892985	7012809
IV. Stationery & Stamps	47755	51467
V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Deferred Tax asset (Net)	12985172	16202340
VII. Others \$\$	44155870	30557502
TOTAL	70040301	61821984

\$\$ Includes deposits placed with NABARD under RIDF Rs.1368.64 crore [Previous Year Rs.1673.84 crore]

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	AS ON 31.03.25 [Audited]	AS ON 31.03.24 [Audited]
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	7179	67830
II. Liability for partly paid investments	301961	438424
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	12755101	21402772
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	25026759	27062890
b) Outside India	0	0
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	2738100	2679417
VI. Other items for which the bank is contingently liable	12521234	14945454
TOTAL	53350334	66596787

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.25 [Audited]	Year Ended 31.03.24 [Audited]
I. Interest/discount on advances/ bills	81577381	69512373
II. Income on investments	32249100	26560319

III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	170256	220293
IV. Others	816266	646771
TOTAL	114813003	96939756

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	Year Ended 31.03.25 [Audited]	Year Ended 31.03.24 [Audited]
I. Commission, exchange and brokerage	1353917	1350358
II. Profit on sale of Investments [net of loss of Rs.92,723 Thousands, Previous year: Rs.4,54,692 Thousands]	3171891	1010742
III. Profit on Revaluation of Investments [net of loss of Rs.2,71,993 Thousands, Previous year: Rs. 19,72,974 Thousands]	574250	-896835
III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net of loss of Rs.4,571 Thousands, Previous year: Rs.2,804 Thousands]	-1975	4396
IV. Profit on exchange transactions [net of loss of Rs.460 Thousands, Previous year: Rs.3,30,512 Thousands]	202216	274158
V. Miscellaneous Income	10376209	10471873
TOTAL	15676508	12214692

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.25 [Audited]	Year Ended 31.03.24 [Audited]
I. Interest on deposits	70779439	63118656
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	2560396	2916871
III. Others	3636575	2493812
TOTAL	76976410	68529339

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
--	-----	-----



SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	Year Ended 31.03.25 [Audited]	Year Ended 31.03.24 [Audited]
I. Payments to and provisions for employees	20884841	19442027
II. Rent, taxes and lighting	1469047	1392376
III. Printing and stationery	126359	116690
IV. Advertisement & publicity	114628	74342
V. Depreciation on Bank's property	1450846	1500843
VI. Directors' fees, allowances and expenses	6555	8151
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors')	125385	145444
VIII. Law Charges	175294	152136
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	544212	449586
X. Repairs & maintenance	369368	304011
XI. Insurance	1881249	1555817
XII. Other expenditure	5616096	4174317
TOTAL	32763879	29315740



SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background

Punjab & Sind Bank (PSB or the Bank) is a banking and financial services statutory body engaged in providing a wide range of products and services to individuals, commercial enterprises, large corporates, public bodies, and institutional customers. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949.

B. Basis of Preparation

The financial statements of Punjab & Sind Bank (the "Bank") have been prepared and presented under historical cost convention, on accrual basis of accounting, ongoing concern basis, and conform in all material aspects, unless otherwise stated. **The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under Third Schedule of Banking Regulation Act, 1949.** They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, statutory provisions, regulatory norms prescribed and circulars, directions and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time, Banking Regulation Act, 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent relevant and applicable to the Bank and prevailing practices in the Banking Industry in India.

C. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively from the period in which the results are known / materialized, unless otherwise stated.

D. Significant Accounting Policies

1. Revenue Recognition

- 1.1 Income (other than item referred in Paragraph 1.2) and expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 1.2 Income by way of Fees, all commission (other than on Government business and commission from sale of third party products including Mutual funds), Commission on Guarantees and Letters of credits, Locker rent, Service charges on various Deposit Products, money transfer services, Dividend on shares, interest on overdue bills purchased and discounted, Processing fees, income from units of mutual fund products and income from ATM operations including AMC charges for cards are accounted for on receipt basis.
- 1.3 Interest on income tax refunds is accounted for in the year in which order is received by the bank.
- 1.4 Appropriation of recoveries in NPA accounts-
 - 1.4.1 Income on Non-Performing Assets (NPAs) comprising of advances and investments is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
 - 1.4.2 Appropriation of Recoveries in NPA accounts (other than stated in para 1.4.3) shall be as under:
 - a. Towards Expenditure/Out of Pocket Expenses/charges incurred by the bank for Recovery



- b. Thereafter towards the interest irregularities/accrued interest
- c. Principal irregularities i.e. NPA outstanding in the account

1.4.3 In case of Compromise, Resolution/Settlement through NCLT, Technically Written Off (TWO) & Credits received on account of CGTMSE/ ECGC/ GECL/ CGMFU and subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and interest.

1.4.4 In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:

- a. As per the directives of the concerned Court.
- b. In the absence of specific directives from the Court in this regard, as mentioned at para 1.4.3 above shall prevail.

1.5 Appropriation of Recoveries in Standard accounts: The appropriation of recovery in Standard accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is satisfied in the following order-

- a. Towards costs /charges / expenses paid or incurred by the bank
- b. Thereafter towards the interest/additional interest if any, due to the bank
- c. Towards payment of Principal amount

1.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Accounts.

1.7 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.

1.8 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account.

1.9 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.

1.10 Amount recovered against bad debts written off are recognized as revenue in the year of recovery.

2. **Investments**

Investments are accounted for in accordance with the extant RBI guidelines on investment classification and valuation issued vide Master Circular Master Direction - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated September 23, 2023.

2.1 **Classification:**

In compliance with the RBI guidelines, the Investment portfolio has been classified into 3 categories (except investments in own subsidiaries, joint ventures and associates) namely –

2.1.1 **Held to Maturity (HTM) comprising of Investments that the Bank intends to hold till maturity** i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows & the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ("SPPI")

Criterion") on specified dates.

2.1.2 Available for Sale (AFS): Securities that are acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities and the contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion'. Provided that on initial recognition, Bank to make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading. AFS securities shall *inter-alia* include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they shall not meet the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:

- i) Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
- ii) Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
- iii) Instruments whose coupons are not in the nature of interest as defined in Clause 4(a) (xviii) of Reserve Bank of India (Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks) Directions, 2023.
- iv) Preference shares and Equity shares.

2.1.3 Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL) with Held for Trading (HFT) being maintained as separate investment subcategory within FVTPL -

Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall *inter-alia* include:

- i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
- ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
- iii) Investment in securitization notes which represent the equity tranche of a securitization transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.
- iv) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

2.1.3.1 HFT (Held for Trading): A separate sub-category called HFT within FVTPL has been created. The securities which complies with the following requirements are classified under HFT.

- a) **Any instrument held by the bank for one or more of the following purposes shall, when it is first**



recognized on its books, be designated as a HFT instrument

- i) short-term resale
- ii) profiting from short-term price movements
- iii) locking in arbitrage profits; or
- iv) hedging risks that arise from instruments meeting (i), (ii) or (iii) above

b) The following instruments shall not be included in HFT category

- i) unlisted equities and equity investments in subsidiaries, associates and joint ventures
- ii) Instruments designated for securitization warehousing.
- iii) Direct holding of real estate and derivatives on direct holdings of real estate.
- iv) equity investments in a fund, unless the bank meets at least one of the following conditions:
 - Bank is able to look through the fund to its individual components and there is sufficient and frequent information, verified by an independent third party, provided to the bank regarding the fund's composition
 - Bank obtains daily price quotes for the fund and it has access to the information contained in the fund's mandate or in the national regulations governing such investment funds
- v) derivative instruments and funds that have instrument types specified from (i) to (iv) above as underlying assets; or
- vi) instruments held for the purpose of hedging a particular risk of a position in the types of instruments specified from (i) to (v) above.

2.1.4 Transfer between categories: An investment is classified under the above categories at the time of its purchase. Bank shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further, reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

The reclassification if done (as per approval from above point) to be applied prospectively from reclassification date.

In case of reclassification of investments from one category to another category, the accounting treatment shall be as per instructions contained in *Reserve Bank of India (Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks) Directions, 2023*.

2.1.5 For disclosure in the Balance sheet, the aforesaid Investments are classified as Investments in India and Outside India.

Investments in India are further categorized as under:

- i. Government Securities
- ii. Other approved securities
- iii. Shares
- iv. Debentures & Bonds
- v. Subsidiaries and/or Joint Ventures
- vi. Others (to be specified)

Investments Outside India are further categorized as under:

- i. Government Securities (including local authorities)

- ii. Subsidiaries, **associates** and Joint Ventures
- iii. Other **investments**

2.2 Accounting of Investments:

2.2.1 The transactions in all the securities are recorded on Settlement Date i.e. the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and de-recognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal, on the day it is delivered by the entity.

2.2.2 Cost of acquisition: The cost is determined on weighted average cost method. Brokerage / commission received on subscription is reduced from the cost. Brokerage, commission, Securities Transaction Tax (STT) etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost. Interest accrued up to the date of acquisition / sale of securities i.e. broken period interest on debt instruments is excluded from the acquisition cost / sale consideration and is treated as interest expense / income.

2.3 Valuation:

2.3.1 **Initial recognition:** All investments shall be measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value.

Situations where the presumption to be tested include where:

- (a) The transaction is between related parties.
- (b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- (c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- (d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

1. In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.
2. Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss shall be recognized in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.
3. Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognized immediately.
4. Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred.

In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognized.

2.3.2 Subsequent Measurement

2.3.2.1 HTM

Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after initial recognition. any

discount or premium on the securities under HTM shall be amortized over the remaining life of the instrument. The amortized amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'

2.3.2.2 AFS

- a) The securities held in AFS shall be fair valued at least on a quarterly basis, if not more frequently. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'
- b) The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. Net appreciation or depreciation¹¹ shall be directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve without routing through the Profit & Loss Account.
- c) The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- d) Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income.
- e) In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

2.3.2.3 FVTPL

- a) The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL shall be fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL shall be fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- b) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'

2.3.3 Sale of investments from HTM

- a) Any sales from HTM shall be as per a Board approved policy. Any profit or loss on the sale of investments in HTM shall be recognized in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investment in HTM shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

2.3.4 Fair Value of Investments

The 'market price / fair value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and FVTPL (Including HFT) & HTM categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the 'market price / fair value' is ascertained as under:

a.	Government Securities:	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) & Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL). At rates put out by FIMMDA/PDAI/FBIL
	i. Central Government securities	
	ii. State Government securities.	
b.	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/ RBI guidelines
c.	Equity Shares:	i. Listed equity shares are valued using lower of rates from NSE & BSE.
	ii. Unlisted	ii. At Break-up Value (without considering revaluation reserve) based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation is considered. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company.
d.	Preference shares	(a) When a preference share has been traded on exchange within 15 days prior to the valuation date, the value shall not be higher than the price at which the share was traded. (b) The valuation of unquoted preference shares shall be done on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities of equivalent maturity put out by the FBIL subject to such preference share not being



	valued above its redemption value. The mark-up shall be graded according to the ratings assigned to the preference shares by the rating agencies and shall be subject to the following: (i) The mark-up cannot be negative i.e., the YTM rate shall not be lower than the coupon rate/ YTM for a Central Government India security of equivalent maturity. (ii) The rate used for the YTM for unrated preference shares shall not be less than the rate applicable to rated preference shares of equivalent maturity and shall appropriately reflect the credit risk borne by the bank. (iii) Where the investment in preference shares is made as part of a resolution, the mark-up shall not be lower than 1.5 percentage points. (c) Where preference dividends/coupons are in arrears, no credit should be taken for accrued dividends/coupons and the value determined as above on YTM basis should be discounted further by at least 15 per cent if arrears are for one year, 25 per cent if arrears are for two years, so on and so forth (i.e., with 10 percent increments). The overarching principle should be that valuation shall be based on conservative assessment of cash flows with appropriate discount rates to reflect the risk. Statutory Auditors should also specifically examine as to whether the valuations adequately reflect the risk associated with such instruments. The depreciation / provision requirement arrived at in respect of non-performing shares
--	--

		where dividends are in arrears shall not be allowed to be set-off against appreciation on other performing preference shares.
e.	Bonds and debentures (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per RBI/FIMMDA guidelines.
f.	Mutual Fund Units, Venture Capital Funds and Security Receipt	At re-purchase price or Net Assets Value.
g.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.
h.	Other Investments	At carrying cost less diminution in value.

2.4 Non-Performing Investments (NPI)

Investments are subject to provisioning / de-recognition of income, as per prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. However, in respect of NPI preference share where the dividend is not paid, the corresponding credit facility is not treated as NPA.

2.5 Investment Fluctuation Reserve

Bank shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

- i. Net profit on sale of investments during the year.
- ii. Net profit for the year, less mandatory appropriations.

3 Loans / Advances and Provisions thereon:

3.1. Loans and Advances are classified as "Performing" and "Non-Performing" assets based on guidelines issued by RBI. The provisions on such advances are made in accordance with prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India.

3.2 All Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets, borrower wise.



3.3 Provisions for NPA are made as per the extant guidelines prescribed by RBI, subject to minimum provisions as per RBI Directions as prescribed below:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	i. A general provision of 15% on the total outstanding. ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (i.e. where realizable value of security is not more than 10% ab-initio). iii. Unsecured exposure in respect of infrastructure advances where certain safeguards such as escrow accounts are available-20%.
Doubtful Assets	
Secured Portion	i. Upto one year : 25% ii. One to three years : 40% iii. More than three years : 100%
Unsecured Portion	100%
Loss Assets	100%

3.4 Advances are stated net of specific loan loss provisions (in case of NPA), provision for diminution in fair value of restructured advances, unrealized interest.

3.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are included under Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities and Provisions" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

3.6 For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

3.7 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI, as under:

- When the Bank sells its financial assets to Securitization Company (SC) / Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
- If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit & Loss account of the year of sale.
- If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

4. Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created is assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

5. Fixed Assets

- 5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost (except revalued premises which are stated at revalued amount) net off accumulated depreciation / amortization and impairment losses, if any. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the incremental depreciation attributable to the revalued amount is debited to the Profit & Loss account and the equal amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue & Other Reserve.

Cost of fixed assets include cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset till the time of capitalization / put to use. Subsequent expenditure/s incurred on the assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

- 5.2 Where segregation of cost between land and superstructure cannot be ascertained, depreciation is provided on the composite cost at the rate applicable to superstructure.
- 5.3 Land included under Premises taken on perpetual lease is considered as freehold and not depreciated .
- 5.4 The bank revalues immovable properties once in every three years. Properties acquired during last three years are not revalued. Valuation of the revalued assets is done every three years there after.

6 Depreciation on Fixed Assets and Amortization

- 6.1 Depreciation on Fixed Assets (other than Computers) is charged on straight line method basis as per useful life of assets, considering residual value at 5% of original cost. The useful life and depreciation rate are given hereunder:

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation Rate
1	Premises	60	1.58%
2	Furniture and fixtures	10	9.50%
3	Plant & Machinery	15	6.33%
4	Vehicles	8	11.88%

- 6.2 Computers are fully depreciated at 33.33%, on straight-line method as per RBI guidelines
- 6.3 Revalued premises are depreciated over the balance useful life of such premises.
- 6.4 Additions during the year are depreciated for the full year irrespective of its date of addition.
- 6.5 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.
- 6.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortized over the period of the lease.



7. Employment Benefits

7.1 Long term Employee Benefits:

7.1.1. Defined Contribution Plan:

Provident Fund and New Pension Scheme (which is applicable to employees who have joined Bank on or after 01.04.2010) are defined contribution schemes, as the Bank pays fixed contribution at predetermined rates. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to the Profit and Loss Account.

7.1.2 Defined Benefit Plans:

Gratuity, Pension and Leave Encashment liabilities are defined benefit obligations and are provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year as per AS 15 "Employee Benefits" issued by ICAI. These schemes are funded by the Bank and are managed by separate trusts. The short / excess of the liability as compared to the fund held by the respective trust is accounted for as liability / assets as at the at the end of the financial year.

Other long term Employee benefits such as Silver Jubilee, Bonus and Retirement Gifts are provided for based on actuarial valuation.

7.2 Short Term employment benefits

Short term employee benefits (eg medical benefits) are recognized as an expense in the Profit and Loss account of the year in which the related services are rendered.

8 Foreign Exchange Transactions

8.1. Monetary assets and liabilities, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are translated in Indian Rupee equivalent at the exchange rates prevailing as on the Balance Sheet date as per Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) guidelines.

8.2. Non-monetary items other than fixed assets which are carried at historical cost are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.

8.3. Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are translated as on the Balance Sheet date at the rates notified by FEDAI and the resultant gain / loss is taken to revenue.

8.4. Income and expenditure items are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognized as income or as expense in the period in which they arise.

Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

8.5. Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and letter of credits in foreign currencies are reported at the Balance Sheet date using the FEDAI closing spot rates, except the Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax, including Minimum Alternate Tax (MAT), wherever applicable and Deferred tax. The current tax and deferred tax are determined in accordance with the provisions of Income tax act 1961 and AS 22 Accounting for Taxes on Income issued by ICAI.

Current tax is determined as the amount of tax payable for the year and accordingly provision for tax is made.

Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future.

MAT credit, wherever applicable, is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that there will be payment of normal income tax during the period specified under the Income Tax Act, 1961.

10. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on the assets are recognized in accordance with AS 28 on Impairment of Assets issued by ICAI and charged to Profit and Loss account. The carrying costs of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors an impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset.

After impairment, if any, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

11. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the business segment as the primary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI. As Bank has no overseas branch / operation, there is no geographical segment.

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In conformity with Accounting Standard 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Further, the cases which although have been filed against the bank but possibility of any obligation arising upon the bank in those case is remote, have not been construed and included in Contingent liability. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.



13. LEASES

Lease payments including cost escalations for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term considering the concept of materiality.

14. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard 20 "Earnings Per Share" issued by the ICAI. Basic earnings per equity share is arrived at by dividing net profit after tax with the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

SCHEDULE 18**NOTES TO ACCOUNTS****A) Balancing of Accounts and Reconciliation**

- i. In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- ii. Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), pertains prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) have been done up to 31.03.2025 and reconciliation is in progress.
- iii. Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2025.

In the opinion of the management, the impact of the above para (i) to (iii), if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.

- iv. In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2024 and remained outstanding as on 31.03.2025 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months. Similar guidelines have been followed for imprest clearing Account also.

In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.

- v. Credit entries outstanding in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) for the period 01.01.2015 to 31.03.2015 amounting to Rs. 58,115 have been transferred to DEAF account during fiscal year ended March 2025.

Further, the department transfers unreconciled entries pertaining to more than 10 years to DEAF account on quarterly basis.

As on 31.03.2025, un-reconciled credit entries amounting to Rs. 86446 pertaining to the period from 01.04.2014 to 31.03.2016 are outstanding for more than 3 years and hence these entries were transferred to Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked Account).

- B) Legal formalities are yet to be completed in respect of 2 Bank's properties having original value of Rs 2.87 crore and Revalued value (Gross) of Rs. 74.23 crore and Accumulated depreciation of Rs 1.32 crore as on 31.03.2025. (Previous year 2 Bank's properties having original cost of Rs.2.87 crore and Revaluation amount of Rs. 74.23 crore).

I. Regulatory Capital**a) Composition of Regulatory Capital**

(Amount in Rs. crore)			
Sr.No	Particulars	Current Year (2024-25)	Previous Year (2023-24)
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)*	11789.78	9251.94
ii)	Additional Tier 1 capital*	0.00	0.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	11789.78	9251.94
iv)	Tier 2 capital	1368.81	1519.35
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	13158.59	10771.29
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	75602.31	62776.74



vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)*	15.59	14.74
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	15.59	14.74
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.81	2.42
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	17.41	17.16
xi)	Leverage Ratio	7.03	6.23
xii)	Percentage of the shareholding of a) Government of India	93.85	98.25
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	1219.39	0.00
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	0.00	0.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	0.00	0.00

*Capital Adequacy Ratio (BASEL III) is arrived after considering the Net present value (NPV) of Non-Interest bearing Recapitalization Bonds infused as capital by the Govt. of India during FY 2020-21 & 2021-22. Further, the effect of proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of capital adequacy ratio as at 31st March 2024 and 31st March 2025.

- Bank has raised Equity Share Capital (including Share Premium) of Rs.1219.39 crore through Qualified Institutional Placements on March 27, 2025. The Bank has issued and allotted 31,77,98,773 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs.28.37 per share. Accordingly, the shareholding of Government of India in the Bank has been reduced to 93.85% as on March 31, 2025.
- The Bank has raised following bonds during the FY 2024-25 as under:

Series	Type	ISIN	Date of Issue	Tenure	Amount (Rs. In Crore)	Coupon Rate (%)	Call date
1	Long Term Infrastructure Bond	INE608A08058	20.12.2024	10 years	3000	7.74	NA

Bank has not redeemed any Bond during the FY 2024-25

b) Draw down from Reserve

A sum of Rs.Nil during financial year ended 31.03.2025 (Rs. NIL - PY 31.03.2024) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

2. Asset Liability Management

a. Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2025:

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	(Rs. in crore)	
					Foreign Currency Assets	Liabilities
1 day	686.51	694.94	0.00	15.00	58.78	12.77

2 – 7 days	2782.44	1589.24	155.83	4212.39	20.44	2.88
8 – 14 days	700.29	721.62	0.00	32.75	25.43	4.40
15 – 30 days	2097.39	3994.23	293.76	0.00	88.32	16.30
31 days to 2 months	5260.32	2423.25	270.09	37.37	108.17	11.99
Over 2 months & up to 3 months	5573.62	2129.54	582.45	94.98	87.98	4.56
Over 3 months & up to 6 months	16347.12	7163.03	865.50	1216.55	74.95	32.31
Over 6 months & up to 1 year	28231.59	8205.97	2169.82	1709.84	1.03	67.97
Over 1 year & up to 3 years	34201.64	38643.44	5624.31	3121.36	0.00	67.34
Over 3 years & up to 5 years	5684.89	10626.15	6431.05	784.29	0.00	11.06
Over 5 years	28208.21	21108.49	30519.50	3004.99	0.00	0.00
Total	129774.02	97299.90	46912.31	14229.52	465.10	231.57

b) Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2024:

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	(Rs. in crore) Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
1 day	597.17	532.94	0.00	0.00	227.93	67.35
2 – 7 days	1210.89	812.32	321.63	6204.57	16.41	2.01
8 – 14 days	907.73	597.25	72.12	44.75	27.97	1.75
15 – 30 days	3172.88	2154.55	246.92	0.00	64.14	3.49
31 days to 2 months	7197.58	1404.36	399.14	121.61	46.20	12.92
Over 2 months & up to 3 months	7877.22	3544.48	626.80	105.46	101.16	4.57
Over 3 months & up to 6 months	19421.26	7423.02	671.14	294.49	27.74	33.40
Over 6 months & up to 1 year	31981.37	7768.26	1135.23	566.13	0.00	35.43
Over 1 year & up to 3 years	45683.19	31267.44	6261.11	1645.49	11.09	57.72
Over 3 years & up to 5 years	1022.79	10138.74	4864.32	51.06	0.00	0.94
Over 5 years	337.47	17093.02	35000.75	737.30	0.00	0.00
Total	119409.55	82736.38	49599.16	9770.86	522.64	219.58

This classification of Saving Bank and Current Deposits is based on behaviour pattern approved by the Board/ALCO.

c) Liquidity Coverage Ratio		30.06.2024			30.09.2024			31.12.2024			31.03.2025		
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	
High Quality Liquid Assets													
Total High Quality Liquid Assets (HQLA)			27833.75			27516.08			29969.07			28636.25	
Cash Outflows													
Reserve deposits and deposits from small business customers, of which:													
(i)	Stable Deposits	80158.31	7974.48		82284.47	8185.39		84664.59	8623.81		85734.90	8527.08	
(ii)	Less stable deposits	826.94	41.35		861.19	43.06		853.05	42.65		928.13	46.41	
(iii)	Unsecured wholesale funding of which:	79331.37	7933.14		81421.28	8142.33		83811.54	8381.15		84806.77	8480.68	
(iv)	Operational Deposits (all counterparties)	21441.59	12490.77		20485.29	11798.34		21075.97	11868.40		20996.02	11799.45	
(v)	Non-operational deposits (all counterparties)	21441.59	12490.77		20485.29	11798.34		21075.97	11868.40		20996.02	11799.45	
(vi)	Unsecured debt	0	0		0	0		0	0		0	0	
(vii)	Secured wholesale funding	0	0		0	0		0	0		0	0	
(viii)	Additional requirements, of which:	1247.85	558.36		1248.28	576.19		5955.32	1350.89		6024.99	1434.40	
(ix)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	151.00	151.00		162.86	162.86		122.39	122.39		103.75	103.75	
(x)	Outflows related to loss of funding on debt product	0	0		0	0		0	0		0	0	
(xi)	Credit and liquidity facilities	1096.82	407.35		1085.37	413.32		5832.93	1228.50		5921.24	1336.64	
(xii)	Other contractual funding obligations	695.25	695.25		572.65	572.65		504.65	504.65		503.06	503.06	
(xiii)	Other contingent funding obligations	13311.51	590.48		12965.82	569.84		12733.35	558.40		12201.37	536.27	
(xiv)	Total Cash Outflows		22109.33			21702.40			22706.15			22800.76	
Cash Inflows													
(i)	Secured lending (e.g. reverse repo) exposures	19.14	0		27.39	0		50.22	0		7.25	0	
(ii)	Inflows from fully performing exposures	2074.07	1141.46		2039.93	1054.81		1339.09	799.56		2628.54	1357.95	
(iii)	Other Cash Inflows	242.22	236.00		308.65	252.33		218.95	211.92		391.37	337.34	
(iv)	Total Cash Inflows	2335.44	1377.46		2375.86	1307.14		1698.26	1011.48		3027.15	1695.49	
(v)	TOTAL HQLA		27833.75			27516.08			29969.07			28636.25	
(vi)	Total Net Cash Outflows		20931.87			20395.26			21694.67			21199.76	
(vii)	Liquidity Coverage Ratio (%)		132.97%			134.91%			133.99%			135.65%	

d) Liquidity Coverage Ratio		(Rs. in crore)					
		30.06.2023		30.09.2023		31.12.2023	
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High Quality Liquid Assets							
1.	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		25829.09		28978.51		27412.09
Cash Outflow							
2.	Retinal deposits and deposits from non-financial counterparties, of which:	75791.45	7231.06	71156.65	7667.57	79243.90	79751.09
(a)	Stable deposits	961.65	48.08	961.92	48.10	938.32	46.92
(b)	Less stable deposits	74829.80	7482.08	76194.73	7619.47	78305.58	7830.56
3.	Unsecured wholesale funding of which:	27229.66	13776.72	31167.46	17842.09	26335.38	14327.41
(i)	Operational deposits (off counterparty)	0	0	0	0	0	0
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	27229.66	13776.72	31167.46	17842.09	26335.38	14327.41
(iii)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0
4.	Secured wholesale funding		0		0		0
5.	Additional requirements, of which:	3565.10	1259.88	2523.44	836.94	1306.65	638.60
(a)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	314.39	314.39	93.62	93.62	228.43	228.43
(b)	Outflows related to loss of funding on debt product	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	3250.71	945.41	2529.82	743.32	1078.22	410.17
6.	Other institutional funding obligations	0	0	48.21	48.21	733.27	733.27
7.	Other non-institutional funding obligations	8576.03	403.01	10596.35	454.03	11930.70	533.06
8.	Total Cash Outflows		27970.59		26849.74		24099.82
Cash Inflow							
9.	Secured lending (e.g. reverse repo)	17.29	0	9.10	0	0	17.24
10.	Inflows from fully performing exposures	2084.90	1058.49	2153.91	1215.72	2747.48	1645.70
11.	Other Cash Inflows	392.28	392.28	185.34	178.28	279.43	272.59
12.	Total Cash Inflows	2494.47	1450.77	2347.35	1394.00	3026.91	1918.29
13.	TOTAL HQLA		25829.09		28978.51		27412.09
14.	Total Net Cash Outflows		21519.82		25455.74		22181.53
15.	Liquidity Coverage Ratio (%)		120.02%		113.84%		123.58%

Data is presented as simple averages of daily observations over the previous quarter (i.e. the average is calculated over a period of 90 days). The simple average are calculated on daily observations over the previous quarters. The un-weighted value of inflows and outflows are calculated as the outstanding balances of various categories or types of liabilities, off balance sheet items or contractual receivables. The weighted value of HQLA are calculated as the value after haircuts are applied. The weighted value for inflows and outflows are calculated as the value after the inflow and outflow rates are applied. Total HQLA and total net cash outflows are disclosed as the adjusted value, where the adjusted value of HQLA is the value of total HQLA after the application of both haircuts and any applicable caps on Level 2B and Level 2 assets as indicated in this Framework. The adjusted value of net cash outflows is calculated after the cap on inflows is applied, if applicable.

QUALITATIVE DISCLOSURE ON BANK'S LIQUIDITY COVERAGE RATIO

Liquidity Coverage Ratio: The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be readily converted into cash at little/no loss of value to meet its liquidity needs for a 30-calendar daytime horizon under a liquidity stress scenario.

LCR has two components:

- i. The value of the stock of High-Quality Liquid Assets (HQLA) as a Numerator.
- ii. Total Net Cash Outflows: Total expected cash outflows minus Total expected cash inflows, in stress scenario, for the subsequent 30 calendar days as a denominator.

Definition of Liquidity Coverage Ratio (LCR):

$$\frac{\text{Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} \geq 100\% \text{ (w.e.f 01.04.2021)}$$

The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended March 2025 was 135.65% (on basis of simple averages of daily observations during the period 01-01-2025 to 31-03-2025) against the regulatory requirement of 100%.

The main drivers of LCR of the bank are High Quality Liquid Assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times and basic funding from retail and small business customers.

i) Main drivers of LCR:

The Bank on a consolidated basis, during the quarter ended 31st March 2025, had maintained average HQLA (after haircut) of Rs.28,636.25 Crore. The HQLA is primarily driven by Government securities in excess of minimum SLR, Government securities within mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the facility to avail liquidity for Liquidity coverage ratio. Also, cash, excess CRR maintained with RBI are important factors for Level I HQLA.

Level 2 HQLAs primarily consisted of corporate debt securities including commercial papers.

ii) Intra-period changes as well as changes over time:

LCR were 128.25%, 142.64% and 149.14% for the months ending January 2025, February 2025 and March 2025 respectively as

against regulatory requirement of 100%.

i) Composition of High-Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprise of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility. Total weighted value (average) of HQLA for the quarter ended March 2025 is Rs. 28,636.25 Crore.

HQLAs consists of following components:

(Amount in INR Crore)

	Unweighted value	Weighted value
Level 1 assets	28458.66	28458.66
Level 2 A assets	189.85	161.37
Level 2 B assets	32.44	16.22

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days. Average LCR on a daily basis for the quarter ended 31st March 2025 is 135.65%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

iv) Concentration of funding sources:

A significant counter party is defined as a single counter party or group of connected or affiliated counter parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. Top 20 depositors (other than Certificate of Deposits) of the Bank constitute 9.43% of our total deposits which is well within limit of 25% as per ALM Policy.

v) Derivative exposures and potential collateral calls:

Derivative exposure is shown as Net Derivative cash inflows within 30 days. Inflows from derivative exposure arose due to maturing forwards.

vi) Currency mismatch in the LCR

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement. Further bank does not have exposure to any other significant currencies*, hence LCR is prepared for INR currency.



(*A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in the currency amount to 5% or more of the bank's total liabilities).

vii) A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: NIL

The liquidity management for the bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has ALM policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the group operate in terms of liquidity and interest rate risk.

LCR is computed and monitored on daily basis by the Bank and the same is shared with Treasury/Mid office for liquidity management and discussed in Investment committee.

Further LCR for the latest month along with comparison of previous months is placed before ALCO on monthly basis. Moreover, LCR position along with other liquidity parameters is also placed before RMC.

viii) Details of Average Outflows (Amt in Crore) arising from contingent liabilities for year-end 31.03.2025 are as under:

Particulars	Unweighted value	Weighted value
Currently undrawn committed credit and liquidity facilities provided to	5921.24	1330.64
Retail and small business clients	1617.32	80.87
Non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Credit facilities	1875.56	187.56
Non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Liquidity facilities	693.55	208.07
Banks	0.00	0.00
Other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Credit facilities	1467.75	587.10
Other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Liquidity facilities	140.62	140.62
Other legal entity customers	126.44	126.44
Other contingent funding liabilities	12201.37	536.27
Guarantees, Letters of credit and Trade Finance	3690.12	110.70
Revocable credit and liquidity facilities	8511.25	425.56
Any other	0.00	0.00

Composition of High-Quality Liquid Assets (HQLA)

HQLAs comprise of Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are further divided into Level 2A and Level 2B assets, keeping in view their marketability and price volatility. Total weighted value (average) of HQLA for the quarter ended

March 2025 is Rs. 28,636.25 crore.

Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2025, is given hereunder:

High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average % age contribution to HQLA
Level 1 Assets	
Cash in hand	1.21%
Excess CRR balance	0.27%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	17.80%
Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL)	8.90%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	0.00%
Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 16 per cent of NDTL)	71.20%
Total Level 1 Assets	99.38%
Total Level 2A Assets	0.56%
Total Level 2B Assets	0.06%
Total Stock of HQLAs	100.00%

Break-up of daily observation Average HQLA during quarter ended March 31, 2024, is given hereunder:

High Quality Liquid Assets (HQLAs)	Average % age contribution to HQLA
Level 1 Assets	
Cash in hand	1.54%
Excess CRR balance	0.13%
Government Securities in excess of minimum SLR requirement	19.32%
Government securities within the mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 per cent of NDTL)	8.60%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk-weight under Basel II Standardized Approach	0.00%
Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio – FALLCR (presently to the extent of 16 per cent of NDTL)	68.78%
Total Level 1 Assets	98.37%
Total Level 2A Assets	1.57%
Total Level 2B Assets	0.06%
Total Stock of HQLAs	100.00%

e) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(Rs. in crore)

Particulars	31-03-2024	30-06-2024	30-09-2024	31-12-2024	31-03-2025
Available Stable Funding (ASF)	104223.37	101222.12	104528.83	110592.59	114080.83
Required Stable Funding (RSF)	86928.39	81379.49	83687.86	86242.79	88723.64
NSFR% (ASF/RSF)	119.90%	122.90%	123.30 %	128.23%	128.58%



(Rs. in crore)

Particulars	31-03-2023	30-06-2023	30-09-2023	31-12-2023	31-03-2024
Available Stable Funding (ASF)	98493.57	98714.32	101536.58	106676.41	104223.37
Required Stable Funding (RSF)	80049.78	84879.45	84324.28	87767.47	86928.39
NSFR% (ASF/RSF)	123.04%	116.30%	120.41%	121.54%	119.90%

Net Stable Funding ratio (NSFR) as on 31.03.2025

(Rs. in crore)

NSFR Disclosure Template						
Particulars		Un-weighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity*	< 6 months	6 months to <1yr	≥1yr	
Available Stable Funds						
1	Capital:(2+3)	11921.29	0.00	0.00	1237.30	13158.59
2	Regulatory capital	11921.29	0.00	0.00	1237.30	13158.59
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers:(5+6)	36154.83	52089.99	122.42	295.48	79875.58
5	Stable deposits	777.75	214.04	0.00	0.01	942.21
6	Less stable deposits	35377.08	51875.94	122.42	295.48	78933.37
7	Wholesale funding:(8+9)	5599.33	27308.35	7646.74	2881.33	16790.25
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	5599.33	27308.35	7646.74	2881.33	16790.25
10	Other liabilities:(11+12)	0.00	3300.86	1714.52	2877.83	4256.41
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	3300.86	1714.52	2877.83	4256.41
13	Total ASF(1+4+7+10)					114080.83
Required Stable Funds						
14	Total NSFR high-quality liquid assets(HQLA)					1463.65
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Performing loans and securities:(17+18+19+21+23)	0.00	24484.10	12912.63	55158.78	61542.93
17	Performing loans to financial institutions secured by Level I HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level I HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	500.02	501.26	0.29	325.92
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	23895.61	12368.43	48193.73	56477.45
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	3271.92	397.26	13096.20	10347.12
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	88.46	42.94	6964.76	4739.56
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk	0.00	83.46	42.12	6230.92	4112.88
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	6436.93	1183.31	679.46	19140.50	24865.18
25	Physical traded commodities, including gold	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	556.60	0.00	0.00	0.00	473.11
27	NSFR derivative assets	0.00	252.79	0.00	0.00	252.79
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	5880.33	930.52	679.46	19140.50	24139.28
30	Off-balance sheet items	18495.55	0.00	0.00	0.00	851.87
31	Total RSF (14+15+16+24+30)	31892.58	30503.03	15283.61	99681.31	88723.64
32	Net Stable Funding Ratio (%)					128.58%

Net Stable Funding ratio (NSFR) as on 31.03.2024

(Rs. in crore)

NSFR Disclosure Template						
Particulars		Un-weighted value by residual maturity				Weighted value
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	1yr	
Available Stable Funds						
1	Capital: (2+3)	14935.21	0.00	0.00	1237.30	16172.51
2	Regulatory capital	14935.21	0.00	0.00	1237.30	16172.51
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	35447.65	46777.12	74.20	286.57	74398.60
5	Stable deposits	557.89	301.57	0.02	0.10	816.60
6	Less stable deposits	34889.76	46475.55	74.18	286.47	73582.00
7	Wholesale funding: (8+9)	3254.43	27418.39	5347.29	798.48	12603.79
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Other wholesale funding	3254.43	27418.39	5347.29	798.48	12603.79
10	Other liabilities: (11+12)	0.00	6053.62	438.00	604.95	1048.48
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	6053.62	438.00	604.95	1048.48
13	Total ASF (1+4+7+10)					104223.37
Required Stable Funds						
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					1402.51
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	25099.71	10331.01	45263.28	53289.38
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	505.34	0.00	252.67
19	Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	24993.75	9781.75	38748.46	48582.12
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	3579.50	281.85	8709.10	7591.59
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	105.96	43.92	6514.82	4454.59
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	101.10	41.10	5789.75	3834.44
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	10674.90	1365.05	427.73	22222.04	31333.36
25	Physical traded commodities, including gold	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	546.41	0.00	0.00	0.00	464.45
27	NSFR derivative assets	0.00	200.64	0.00	0.00	200.64
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	All other assets not included in the above categories	10128.49	1164.41	427.73	22222.04	30668.27
30	Off-balance sheet items	19654.67	0.00	0.00	0.00	903.14
31	Total RSF (14+15+16+24+30)	35942.30	29428.42	11776.42	91760.51	86928.39
32	Net Stable Funding Ratio (%)					119.90

QUALITATIVE DISCLOSURE ON NET STABLE FUNDING RATIO

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered for the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures. Minimum Requirement of NSFR should be equal to at least 100% on an ongoing basis.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding [ASF]}}{\text{Required Stable Funding [RSF]}} \geq 100\%$$

The minimum NSFR requirement set out in the RBI guideline for the standalone Bank and for Group is 100% w.e.f 1st October 2021.

As on 31st March 2025, PSB maintained weighted Available Stable Funding (ASF) of Rs. 114080.83 crore against the weighted Required Stable Funding (RSF) of Rs. 88723.64 crore. The NSFR for the quarter ended March 31st, 2025, was at 128.58%.

As on 31st March 2024, PSB maintained weighted Available Stable Funding (ASF) of Rs. 104223.38 crore against the weighted Required Stable Funding (RSF) of Rs. 86928.39 crore. The NSFR for the quarter ended March 31st, 2024, was at 119.90%.

Brief about NSFR of the Bank

The Available Stable Funding (ASF) mainly constitutes of the capital base, retail deposit base and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. After applying the relevant weights, the capital base remained around 11.53%, retail deposits (including deposit from small sized business customers) remained 70.02% and wholesale funding remained 14.72 % of the total Available Stable Funding (ASF),

Required Stable Funding (RSF) consists of 34.33% from "Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions" line item.

Main drivers of NSFR:

The Bank as on 31st March 2025, had maintained ASF of Rs. 114080.83 cr. ASF consists of 68.93% from less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers and 0.83 % from Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers.

RSF consists of 34.33% from "Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions" line item.

NSFR for the quarter ended 31st March 2025 is 128.58%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

NSFR has increased from 119.90% as of 31.03.2024 to 128.58% as of 31.03.2025 mainly due to increase in capital base of bank by

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio as on 31.03.2025

(Amount in ₹5. crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	21581.91	0.00	0.00	8418.06	0.00	0.00	29999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29999.97
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	21581.91	0.00	0.00	8418.06	0.00	0.00	29999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29999.97
Available for Sale												
Gross	7687.18	0.00	0.00	3920.56	0.00	466.39	12074.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12074.33
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	590.07	0.00	0.00	590.07	0.00	0.00	0.00	0.00	590.07
Net	7687.18	0.00	0.00	3330.49	0.00	466.39	11484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11484.26
Held for Trading												
Gross	3837.85	0.00	577.48	667.95	0.00	536.30	5619.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5619.59
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	189.52	1.99	0.00	0.00	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	191.51
Net	3837.85	0.00	387.96	665.96	0.00	536.30	5428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5428.08
Total Investments	33106.94	0.00	577.48	13006.57	0.00	1002.89	47693.89	0.00	0.00	0.00	0.00	47693.89
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	189.52	592.06	0.00	0.00	781.58	0.00	0.00	0.00	0.00	781.58
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	33106.94	0.00	387.96	12414.5	0.00	1002.89	46912.31	0.00	0.00	0.00	0.00	46912.31

Composition of Investment Portfolio as on 31.03.2024

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities # (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	24608.57	0.00	0.00	11674.83	0.00	25.85	36309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36309.25
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	24608.57	0.00	0.00	11674.83	0.00	25.85	36309.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36309.25
Available for Sale												
Gross	7607.46	0.00	362.66	5338.91	0.00	1049.33	14358.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14358.36
Less: Provision for depreciation and NPI	96.21	0.00	201.70	679.59	0.00	90.95	1068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.46
Net	7511.25	0.00	160.96	4659.32	0.00	958.37	13289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13289.90
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	32216.03	0.00	362.66	17013.74	0.00	1075.18	50667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50667.61
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	189.52	621.89	0.00	0.00	811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	811.41
Less: Provision for depreciation and NPI	96.21	0.00	12.18	57.70	0.00	90.95	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04
Net	32119.82	0.00	160.96	16334.15	0.00	984.23	49599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49599.16

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in Rs. crore)

	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	a) Opening balance	1068.46	625.91
	b) Add: Provisions made during the year	20.74	710.73
	c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year#	307.62	268.18
	d) Closing balance	781.58	1068.46

ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening balance	265.80	218.09
	b) Add: Amount transferred during the year	72.44	47.71
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing balance	338.24	265.80
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and FVTPL (including HFT)/Current category	2%	2%

#Includes an amount of Rs. 256.02 Crore transferred to General Reserve during transition on implementation of RBI's revised valuation guidelines dated 12.09.2023

*Carrying value less net depreciation (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the balance sheet.

Amount transferred to Investment Fluctuation Reserve during the year 2024-25 is Rs. 72,44,87,285/-

a) Sale and transfers to/from HTM category

i) During the year ended 31st March 2025 bank has not shifted securities from Held to Maturity to Available for Sale category and vice versa except those reclassified as part of transition to RBI's revised valuation guidelines on 01.04.2025.

During the year ended 31st March 2024 bank has shifted Government securities amounting to Rs 790.00 crore Face Value (Rs 794.01 crore Book Value) from Held to Maturity to Available for Sale category, whereas no security has been transferred from Available for Sale to Held to Maturity category. Gain on shifting of securities from HTM to AFS was not booked upfront and gain/loss was recognized on sale of such securities during the year.

ii) The value of shifting/ sales from HTM category (excluding onetime shifting at the beginning of year and sale under pre-announced Open Market Operations auctions) during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in Rs. crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
a)	Opening balance	830.16	482.60
b)	Additions during the year since 1 st April	1.99	512.37
c)	Reductions during the above period	50.57	164.81
d)	Closing balance	781.58	830.16
e)	Total provisions held	781.58	811.41

ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Rs. in crore)

(Rs. in crore)											
Sr. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
a)	PSUs	8506.67	12711.55	8378.06	12451.38	0.00	0.00	8378.12	12451.38	8340.61	12399.82
b)	FTIs	1848.38	2160.97	167.29	14.70	0.00	0.00	169.82	14.70	167.29	283.05
c)	Banks	1005.13	1019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.99	400.57
d)	Private Corporates	2788.93	2443.25	957.24	1005.66	908.16	920.12	1046.25	957.34	1314.44	1153.30
e)	Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Others	437.83	116.80	437.82	116.80	399.92	21.37	437.83	116.80	437.83	116.80
g)	Provision held towards depreciation (including NPA)	(781.58)	(972.24)	(781.58)	(795.69)	(781.58)	(896.25)	(781.58)	(932.06)	(781.58)	(831.52)
	Total	13805.36	17479.33	9158.84	12792.85	526.50	45.24	9250.44	12608.16	9650.58	13522.02

e) Repo transactions (in face value and market value terms) for FY 2024-25

(Rs. in crore)

	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2025	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities	78.22	77.25	2720.52	2700.47	1169.56	1146.68	2364.00	2363.93
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government securities	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: FV: Face Value

MV: Market Value

Repo transactions (in face value terms) FY 2023-24

(Rs. in crore)

	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31, 2024	
	FV	MV	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government securities	382.72	357.84	1129.67	1074.04	742.54	703.40	657.21	612.12
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government securities	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-	-	-	-	-

f) Government Security Lending (GSL) transactions for FY 2024-25 (in market value terms)

	(Rs. in crore)				
	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2025
Securities lent through GSL transactions	NIL				
Securities borrowed through GSL transactions					
Securities placed as collateral under GSL transactions					
Securities received as collateral under GSL transactions					

Government Security Lending (GSL) transactions for FY 2023-24

	(Rs. in crore)				
	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31, 2024
Securities lent through GSL transactions	NIL				
Securities borrowed through GSL transactions					
Securities placed as collateral under GSL transactions					
Securities received as collateral under GSL transactions					



4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

(Rs. in crore)

As on 31.03.2025						
	Standard	Non-Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	81299.13	870.53	2849.46	945.36	4665.35	85964.47
Add: Additions during the year					822.42	
Less: Reductions during the year					2117.71	
Closing balance	96234.94	631.40	2252.14	486.52	3370.06	99605.00
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					256.99	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					339.57	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1103.24	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					417.91	
Provisions (Excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	571.08	185.72	2095.35	945.30	3226.37	3797.45
Add: Fresh provisions made during the year						
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans						
Closing balance of provisions held	686.16	213.91	1603.48	486.48	2303.87	2990.03
Net NPAs						
Opening Balance					1350.46	
Add: Fresh additions during the year					428.55	
Less: Reductions during the year					841.94	
Closing Balance					937.07	
Floating Provisions						
Opening Balance						

Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made there on						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						7275.88
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						1103.24
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						883.93
Closing balance						7495.19

Classification of advances and provisions held

(Rs. in crore)

As on 31.03.2024						
	Standard	Non-Performing			Total	
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance:	75333.52	893.21	2893.27	1861.73	5648.21	80981.73
Add: Additions during the year:					971.19	
Less: Reductions during the year					1954.05	
Closing balance:	81299.13	870.53	2849.46	945.36	4665.35	85964.47
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					249.38	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					908.71	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					754.62	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					41.34	
Provisions (Excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	644.69	171.77	2126.28	1861.73	4159.78	4804.47



Add: Fresh provisions made during the year					636.16	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					1569.57	
Closing balance of provisions held	571.08	185.72	2095.35	945.30	3226.37	3797.45
Net NPAs						
Opening Balance					1411.50	
Add: Fresh additions during the year					723.54	
Less: Reductions during the year					784.58	
Closing Balance					1350.46	
Floating Provisions						
Opening Balance	NIL					
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made there on						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						7257.41
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						754.62
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						736.15
Closing balance						7275.88

Ratios (%)	2024-25 (%)	2023-24 (%)
Gross NPA to Gross Advances	3.38	5.43
Net NPA to Net Advances	0.96	1.63
Provision coverage ratio (With TWO)	91.38	88.69
Provision coverage ratio (Without TWO)	72.19	71.05

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Sector	2024-25			2023-24		
		Outstanding Total Advances*	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
i)	Priority Sector	36801.97	2740.28	7.45	32635.81	2887.63	8.85
a)	Agriculture and allied activities	13455.90	1263.72	9.39	12523.73	1227.98	9.81
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	6294.63	404.00	6.42	4596.64	438.30	9.54
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
b.i)	Textiles	835.82	155.65	18.62	940.25	158.66	16.87
b.ii)	Engineering	572.29	24.71	4.32	513.81	65.10	12.67
b.iii)	Metal and Metal Products	815.45	43.39	5.32	584.04	24.95	4.27
c)	Services	13224.47	950.48	7.19	11748.40	1007.19	8.57
d)	Personal loans	3826.97	122.08	3.19	3767.04	214.17	5.69
	Subtotal (i)	36801.97	2740.28	7.45	32635.81	2887.63	8.85
ii)	Non-priority Sector	62803.03	629.78	1.00	53328.66	1777.71	3.33
a)	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	1.98	0.28	14.14
b)	Industry	19565.25	307.31	1.57	18014.21	833.84	4.63
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
b.i)	Power & Energy	6144.30	41.26	0.67	5485.45	42.51	0.77
b.ii)	Water Sanitation	2791.55	0.00	0.00	3899.33	0.00	0.00
b.iii)	Roads and Highways	2962.78	17.76	0.60	3531.78	559.33	15.84
c)	Services	24995.12	51.95	0.21	23051.94	589.77	2.56
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
c.i)	NBFC	14276.37	46.80	0.33	11832.60	510.94	4.32
d)	Personal loans	18242.66	270.52	1.48	12260.53	353.82	2.89
	Sub-total (ii)	62803.03	629.78	1.00	53328.66	1777.71	3.33
	Total (i+ii)	99605.00	3370.06	3.38	85964.47	4665.34	5.43

*Outstanding total advance refers to Gross Advances.

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Rs. in Crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Assets	24.89	55.36
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.48	1.14

d) Particulars of resolution plan and restructuring

The Bank holds an additional standard asset provision in respect of 1 borrower's account, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on "Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets" amounting to Rs.23.57 Crore (Rs.24.48 crores PY 31.03.2024). The details are as under:-



(Rs. in crore)

Amount of Loans Impacted by RBI Circular (A)	Amount of Loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31.03.2025, out of (B) classified as NPA (C)	Addl. Provision required for loans covered under RBI Circular (D)	Provision out of (D) made by 31.03.2025 (E)
66.58	--	--	23.57	23.57

(Rs. in Crore)

Amount of Loans Impacted by RBI Circular (A)	Amount of Loans to be classified as NPA (B)	Amount of Loans as on 31.03.2024, out of (B) classified as NPA (C)	Addl. Provision required for loans covered under RBI Circular (D)	Provision out of (D) already made by 31.03.2024 (E)
69.16	-	-	24.48	24.48

(Amount in INR Crore)

Particulars	2024-25		2023-24	
	No. of Accounts	Amount	No. of Accounts	Amount
Total amount of Loan assets subjected to restructuring etc.	69	1376.48	144	73.54
The amount of standard assets subjected to restructuring etc	17	979.84	122	42.94
The amount of Sub-standard assets subjected to restructuring etc	52	396.64	22	30.60
Acquisition of shares due to conversion of equity on re-structuring during the year	1	10.41	1	0.01

e) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI Master Direction No. DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 15.11.2021, further updated on 01.04.2024 as per financial statements – presentation and disclosure, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergence, if either or both of the following conditions are satisfied:

(a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI as part of its supervisory process exceeds 5 percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and (b) the additional Gross NPAs identified by RBI as part of its supervisory process exceed 5 percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2023-24.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

(I) In accordance with RBI circular no.DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021; in respect of the details of loans transferred/acquired during the year ended 31st March 2025 are given below:

- (a) The bank has not transferred and acquired any Special Mention Account (SMA) during the quarter/ year ended 31st March 2025. (31st March 2024 – Nil)
- (b) The bank has transferred following Non Performing Assets (NPAs) during the quarter/ year ended 31st March 2025:

Details of NPI transferred during 2024-25			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other permitted transferees
No. of accounts	-	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	-	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	-	-	-
Aggregate consideration	-	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-	-
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	-	-	-

Details of NPI transferred during 2023-24			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other permitted transferees
No. of accounts	1	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	14.83	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0	-	-
Aggregate consideration	1.67*	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	-	-
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	-	-	-

*Cash component of Rs 0.25 Crore received till 31.03.2024. However, Security Receipt amounting to Rs.1.42 Crore is yet to be received.

Details of stressed loans (NPA) transferred during 2024-25			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other permitted transferees
No. of accounts	3	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	275.23	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	-	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	NIL	NIL
Aggregate consideration	491.88	NIL	NIL

Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	NIL	NIL
Quantum of excess Provision reversed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans	237.70	-	-
Details of loans acquired during the year			
From SCBs, RRBs, Co-operative banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)			From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired		NIL	NIL
Aggregate consideration paid		NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired		NIL	NIL

Details of stressed loans (NPA) transferred during 2023-24			
(All amounts in Rs. Crore)	To ARCs	To permitted	To other transferees
No. of accounts	3	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	186.30	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NA	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	NIL	NIL
Aggregate consideration	134.23	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Details of loans acquired during the year			
From SCBs, RRBs, Co-operative banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)			From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired		NIL	NIL
Aggregate consideration paid		NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired		NIL	NIL

(c) Details of loans not in default acquired through assignment are given below:

Particulars (2024-25)	Amounts in Crore
Aggregate amount of loans acquired	3754.67
Weighted average residual maturity (in months)	192.64
Weighted average holding period by originator (in months)	37.64
Retention of beneficial economic interest by the originator	10%
Tangible security coverage	202.81

Particulars (2023-24)	Amounts in Crore
Aggregate amount of loans acquired	-
Weighted average residual maturity (in months)	-
Weighted average holding period by originator (in months)	-
Retention of beneficial economic interest by the originator	-
Tangible security coverage	-

(d) Details of Standard assets acquired through assignment/ Novation and Loan Participation (Co-Lending):

(Amount in INR Crore)			
Particulars	Quarter ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
No. of accounts purchased during the year	1354	17117	11505
Aggregate outstanding	354.67	3293.20	2293.46
Weighted average maturity (in months)	169.83	176.02	166.82
Weighted average holding period (in months)	0.90	13.29	8.27
Retention of beneficial economic interest	MSME- 20% HL- 25%	MSME- 20% HL- 25%	MSME- 20% HL- 25%
Coverage of tangible security coverage (%)	188.77	192.55	186.19

(Rs. in crore)			
Particulars	Quarter ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
No. of accounts purchased during the year	3219	11505	3931
Aggregate outstanding	631.96	2293.46	964.56
Weighted average maturity (in months)	167.94	166.82	158
Weighted average holding period (in months)	0.80	8.27	5.16
Retention of beneficial economic interest	MSME- 20% HL- 25%	MSME- 20% HL- 25%	MSME- 20% HL- 25%
Coverage of tangible security coverage	175.01	186.19	147.40

(e) Details of Standard assets acquired through assignment/ Novation and Loan Participation (Pool Buy-out):

Particulars	Quarter ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024
No. of accounts purchased	1477	6994	NIL
Aggregate Loan outstanding (Rs. in crore)	738.12	3754.67	NIL
Weighted average maturity (in months)	179.11	192.64	NIL



Weighted average holding period (in months)	1.03	5.76	NIL
Retention of beneficial economic interest	10%	10%	NIL
Coverage of tangible security coverage (%)	273.42	202.81	NIL

Particulars	Quarter ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
No. of accounts purchased	NIL		
Aggregate Loan outstanding (Rs. in crore)			
Weighted average maturity (in months)			
Weighted average holding period (in months)			
Retention of beneficial economic interest			
Coverage of tangible security coverage (%)			

The loans acquired are not rated as these are to non-corporate borrowers.

(ii) The distribution of the Security Receipts (SRs) held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31st March 2025:

(Rs. in crore)

Recovery Rating Band	31.03.2025 (Book Value)	31.03.2024 (Book Value)
RR1+	Nil	Nil
RR1	9.06	21.37
RR2	Nil	Nil
RR3	Nil	Nil
RR4	Nil	Nil
RR5	Nil	Nil
Rating Withdrawn	Nil	Nil
Unrated	390.86	68.06
Total	399.92	89.43

The bank has provided NIL provision against the mentioned Security Receipts as on 31.03.2025 as per extant guidelines.

The bank has provided 100% provision against the mentioned Security receipts as on 31.03.2024.

(iii) Investments in Security Receipts (SRs):

Particulars		SRs issued within past 5 years		SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years		SRs issued more than 8 years ago	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
a)	Book value of SRs where NPAs sold by the bank are the underlying	399.92	68.06	0.00	21.37	0.00	0.00

	Provision held against (a)	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Book value of SRs where NPAs sold by other banks/ financial institutions/ nonbanking financial companies are the underlying	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (a) + (b)		399.92	68.06	0.00	21.37	0.00	0.00

Details of Book Value of Investments in Security Receipts

Particulars		2024-25	2023-24
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	399.92	89.43
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	-	-
Total		399.92	89.43

In terms of RBI Circular No. RBI/DOR/2024-25/135 DOR.STR.REC.72/21.04.048/2024-25 dated 29th March, 2025 on 'Revised norms for Government Guaranteed Security Receipts (SRs)', Bank has recognized Security Receipts guaranteed by Government of India as per extant guidelines.

This has resulted in an increase in Other Income and Interest Income by Rs. 145.10 Crore and Rs. 254.82 Crore respectively for the year ended 31st March 2025 in respect of the Government Guaranteed Security Receipts (SRs) of Rs. 399.92 Crore received against transfer of loan exposures during current year.

g) Fraud accounts

(Rs. in crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Number of frauds reported (Nos.)	248	245
Amount involved in fraud	679.70	43.55

Amount of provision made for such frauds	388.18	34.67
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	0.00	0.00

h) 1) In accordance with RBI circular no. DBR. No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, DOR.No.BP.BC.34/21.4.048/2019- 20 dated February 11, 2020 and DOR.No.BP. BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020 on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances", the details of MSME restructured accounts are as under:

As on	No. of Accounts Restructured	Amount in INR Crore	Provision held (Amount in INR Crore)
31.03.2025	3288	172.08	75.49
31.03.2024	4061	236.96	54.10

2) In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of Covid – 19 related stress of Individuals and Small Business", RBI Cir. No. DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 and RBI Cir. No. DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated 04.06.2021 on "Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid – 19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)", the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

As on	No. of Accounts Restructured	Amount (Rs. in crore)	Provision held (Rs. in crore)
31 st March, 2025	5517	625.38	107.99
31 st March, 2024	6642	786.84	120.40

3) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

1) Details of resolution plan implemented under the Resolution Framework for COVID-19 related stress as per RBI Circular dated August 6, 2020 (RF 1.0) and May 05,2021 (RF 2.0) are given below:-

For Half Year ended 31.03.2025

(Rs. in crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of the previous half year (30.09.2024) (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (31.03.2025)
Personal loans	680.81	13.81	0.00	44.94	631.29
Corporate persons [#]	632.44	5.50	0.00	270.05	373.34
Of Which MSME	264.92	5.50	0.00	40.23	214.83
Others	26.07	1.88	0.00	3.00	21.19
Total	1339.32	21.19	0.00	317.99	1025.82

[#]as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

For Half Year ended 30.09.2024

(Rs. in crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of half year ended 31.03.2024 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (30.09.2024)
(i) Personal loans	748.90	38.58	0.00	53.87	680.81
(ii) Corporate persons#	712.26	34.03	0.00	94.35	632.44
Of Which MSME	320.76	33.76	0.00	29.09	264.92
(iii) Others	31.44	3.23	0.00	1.84	26.07
Total	1492.60	75.84	0.00	150.06	1339.32
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

For Half Year ended 31.03.2024

(Rs. in crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of the previous half year (30.09.2023) (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (31.03.2024)
Personal loans	816.32	33.46	0.00	52.72	748.90
Corporate persons#	803.53	26.56	0.00	60.08	712.26
Of Which MSME	426.27	26.24	0.00	36.03	320.76
Others	33.50	0.87	0.00	1.64	31.44
Total	1653.35	60.89	0.00	114.44	1492.60
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

For Half Year ended 30.09.2023

(Rs. in crores)

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of half year ended 31.03.2023 (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (30.09.2023)
(i) Personal loans	916.20	44.25	0.00	58.60	817.28
(ii) Corporate persons#	1041.82	141.35	0.00	119.07	802.57
Of Which MSME	534.56	57.61	0.00	68.99	426.27
(iii) Others	33.34	0.69	0.00	1.79	33.50
Total	1991.36	186.29	0.00	179.46	1653.35
#as defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016					

5. Exposures:

a) Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in crore)

Category		2024-25	2023-24
i) Direct Exposure			
(a)	Residential Mortgages		
i.	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	13553.54 [^]	9114.95
ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	6894.18 [^]	3764.41
(b)	Commercial Real Estate		
	Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	1365.21 [^]	479.17
(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	-	-
a.	- Residential	-	-
b.	- Commercial Real Estate	-	-
ii) Indirect Exposure		3663.78 [*]	4496.58 [*]
Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)			
Total Exposure to Real Estate Sector		18582.53	14090.70

^{*} Includes Rs. 937.98 Crore (Previous year Rs. 781.04 crore) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

[^]Rs. 0.92 Crore of housing loans under the priority sector are transferred to commercial real estate as per instructions by SCA.

b) Exposure to Capital Market

Particulars		2024-25	2023-24
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	928.01	705.62
2	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.03	0.00

3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	-	-
6	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
7	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
8	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
9	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	68.07	27.37
Total Exposure to Capital Market		996.11	732.99

For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss / sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements. If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, the same shall be disclosed in the 'Notes to Accounts' in the Annual Financial Statements. Banks shall separately disclose details of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from CME limits.

c) Risk Category wise Country Exposure

(Amount in INR Crore)

ECGC Classification	Risk category	Exposure (net) as at 31.03.2025	Provision held as at 31.03.2025	Exposure (net) as at 31.03.2024	Provision held as at 31.03.2024
A1	Insignificant	84.41	NIL	131.50	NIL
A2	Low	24.40	NIL	17.51	NIL
B1	Moderately Low	5.44	NIL	57.79	NIL
B2	Moderate	74.79	NIL	0	NIL
C1	Moderately high	0.00	NIL	0	NIL
C2	High	0.00	NIL	0	NIL
D	Very High	0.00	NIL	0	NIL
	Total	189.04		206.8	

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the Total Assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

d) Unsecured Advances

(Rs. in crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total unsecured advances of the bank	10248.31	7964.12
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken	0.00	0.00
Estimated value of such intangible securities	0.00	0.00

e) Factoring Exposures: Nil FY 2024-25 (Nil – PY 2023-24)
f) Intra-Group Exposures

(Rs. in crore)

S. No.	Particulars	2024-25		2023-24	
		Sanctioned Loan/limit	Balance O/s	Sanctioned Loan/limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	NIL	NIL	NIL	NIL
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	NIL	NIL	NIL	NIL

g) Un-hedged Foreign Currency Exposure

The incremental provision (ranging from 0 to 80 bps on total credit exposure, over and above the standard asset provisioning) and capital requirement will depend on likely loss (due to foreign currency fluctuation), that borrowers may face due to their un-hedged forex exposure in their books. Bank maintains separate charge and provisioning requirement on account of such exposures which may impact the cost to the borrowers. Appropriate disclosures in the financial statements of the Bank have been made.

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Incremental Provision (Domestic)	0.52	0.38
Incremental Provision (Overseas)	0.00	0.00
Total incremental Provision	0.52	0.38
Risk Weighted Assets (RWA)	-	-
Incremental Capital held RWA (@11.50%)	-	-

The Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI (Unhedged Foreign Currency Exposure) Directions, 2022 vide circular DOR.MRG.REC.76/00-00-007/2022-23 dated October 11, 2022 and is holding a provision of Rs. 0.52 crore as on 31st March 2025. (Rs.0.38 crore as on 31.03.2024).

Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The information on Un-hedged Foreign Currency Exposure (UFCE) is obtained from customer on quarterly basis and is measured by obtaining the information from the clients in two parts- i) where Exposure of borrower is up to

Rs.50 crores with all the banks taken together and, ii) where Exposure of borrower is more than Rs.50 crores with all the banks taken together.

The total un-hedged exposure in foreign currency is converted to INR on FEDAI spot rate as on last working day of the corresponding quarter.

Banks shall assess the Un-hedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of entities with FCE by obtaining information on UFCE from the concerned entity. Provided that the information on UFCE shall be obtained from entities on a quarterly basis based on statutory audit, internal audit or self-declaration by the concerned entity. Provided further that UFCE information shall be audited and certified by the statutory auditors of the entity, at least on an annual basis.

Method to estimate the extent of likely loss:

Reserve Bank of India Circular DBOD.No.BP.BC116/21.06.200/2013-14 on Capital and Provisioning requirements for exposure to entities with un hedged foreign currency exposure stating about the guidelines for USD/INR annualized volatility and directed FEDAI to publish the USD/INR annual volatility based on the RBI reference rate which has to be used for computation of likely loss.

FEDAI announces the 10-year (120 months rolling) LAV rates on the last working day of every month. On these rates, the bank calculates the likely loss (rate as given by FEDAI), current rate 12.23% of total Un-hedged exposure of the entity with all the banks taken together.

6. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(Rs. in crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Deposits of the twenty largest depositors	13413.98	9825.34
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (%)	10.33	8.23

b) Concentration of Advances

(Rs. in crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Advances to twenty largest borrowers	23528.41	21201.80
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank (%)	23.62	23.60

c) Concentration of Exposures*

(Rs. in crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	21471.43	21112.86
Percentage of Exposures to the twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers (%)	16.41	17.51

*Exposure to Central Govt and Central Govt guaranteed have been excluded.

d) Concentration of NPAs

(Rs. in crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Total Exposure to the top twenty NPA Accounts	555.77	1444.41
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs (%)	16.49	30.96

7. Derivatives

Bank under derivatives only deals in merchant forward contract and the value of outstanding Forward contract is Rs.335.51 Crore (Rs. 496.05 Crore for FY 2023-24).

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

b) Exchange traded interest rate derivatives

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March (instrument wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

c) Disclosures on risk exposure in derivatives
i) Qualitative Disclosures

Bank has not entered into derivative transactions in respect of Forward rate agreement/Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives during the year 2024-25. Accordingly, qualitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

ii) Quantitative Disclosures

(Rs. in crore)

Sr. No	Particular	2024-25		2023-24	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)	-	-	-	-
	i) For hedging	-	-	-	-
	ii) For trading	-	-	-	-
b)	Marked to Market Positions	-	-	-	-
	i) Asset(+)	-	-	-	-
	ii) Liability(-)	-	-	-	-
c)	Credit Exposure	-	-	-	-
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	-	-	-	-
	i) on hedging derivatives	-	-	-	-
	ii) on trading derivatives	-	-	-	-
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	-	-	-	-
	i) on hedging	-	-	-	-
	ii) on trading	-	-	-	-

d) Credit default swaps

Bank has not entered into any Credit Default Swaps during the year 2024-25.

8. Disclosures relating to securitization

(Numbers/Rs in crore)

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
1.	No. of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with Minimum Retention Requirement (MRR) as on the date of balance sheet	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR		
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitizations	NIL	NIL
	* First loss	NIL	NIL
	* Others	NIL	NIL
5.	Sale consideration received for the securitized assets and gain/loss on sale on account of securitization	NIL	NIL
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post- securitization asset servicing, etc.	NIL	NIL
7.	Performance of facility provided for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	NIL	NIL

8.	Average default rate of portfolios observed in the past. (Breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.)	NIL	NIL
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. (Breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.)	NIL	NIL
10.	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and;	1	0
	(b) Complaints outstanding	NIL	0

9. Off balance sheet SPVs sponsored

(Rs. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
NIL	NIL	NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	607.53	500.24
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	224.19	139.01
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	18.86*	31.72*
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	812.86	607.53

* Principal

Closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, are also included under 'Schedule 12 - Contingent Liabilities - Other items for which the bank is contingently liable' or 'Contingent Liabilities - Others,' as the case may be.

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
	Complaints received by the bank from its customers		
1	Number of complaints pending at beginning of the year	170	86
2	Number of complaints received during the year	12005*	14354
3	Number of complaints disposed during the year	12062	14270
3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	1219	663
4	Number of complaints pending at the end of the year	113*	170
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		

5		Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	466	485
	5.1.	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	175	198
	5.2.	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	291	287
	5.3.	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	NIL	NIL
6		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	NIL	NIL

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
2024-25					
Internet/ Mobile/ Electronic Banking	30	3433*	8.50%#	24	Nil
ATM / Debit Cards	49	3335*	(16.77)%#	16	Nil
Loans and advances	18	990*	41.43%#	17	Nil
Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	13	832*	28.99%#	10	Nil
Staff behaviour	12	178*	18.67%#	2	Nil
Others	48	3237*	17.54%#	44	Nil
Total	170	12005*	5.12%#	113	Nil
2023-24					
Internet/Mobile/ Electronic Banking	14	4727	12.52%	30	NIL
ATM/Debit Cards	30	4611	(58.21) %	49	NIL
Loans and advances	16	821	28.68%	18	2
Levy of charges without prior notice/ excessive charges/ foreclosure charges	1	758	24.67%	13	NIL
Staff behavior	2	160	32.23%	12	1
Others	23	3277	33.86%	48	7
Total	86	14354	(24.65) %	170	10

*Excluding complaints which were resolved within T+1 days of its receipt.

#Considering complaints which were resolved beyond T+1 days of its receipt in the FY 2023-24 for calculation of variation for FY 2024-25

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India: During the year penalty was levied by RBI in following 2 instances (2 instances - PY 2023-24)

Particulars	(Rs. in crore)	
	2024-25	2023-24
A. Penalty imposed by RBI vide speaking order dated 24.03.2025 for Rs. 36.40 Lakh (Rupees Thirty Six Lakh Forty Thousand Only) on account for not reporting seven borrowers with non-fund based exposure of Rs. 5 Crore and above to CRILC	0.36	0.00
B. Penalty imposed by RBI vide speaking order dated 24.03.2025 for Rs. 31.80 Lakhs (Rupees Thirty One Lakh Eighty Thousand Only) on account for opening other saving bank deposit account of the customers already holding BSBD Account in the bank	0.32	0.00
C. Penalty imposed by RBI vide letter dated 25.09.2023 on account of Bank failing to credit an amount of Rs. 70.65 crore standing to the credit of 263865 accounts to DEAF Fund within the period prescribed under provision of Section 26A Banking Regulation Act, 1949.	N.A.	1.00
D. Penalty imposed by Reserve Bank of India (RBI) vide order dated 3rd January 2024 for non-compliance with certain directions issued by RBI on 'Loans & advances – Statutory and other Restrictions.' This penalty has been imposed in exercise of powers vested in RBI conferred under the provision of Section 47A (1) (c) read with section 46 (4) (i) and 51 (1) of the Banking Regulation Act 1949.	N.A.	1.00

13. Disclosures on Remuneration - Not Applicable to bank

14. Other Disclosures

a) Business Ratios

Particulars	2024-25	2023-24
i) Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	7.57	6.68
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.03	0.84
iii) Cost of Deposits (%)	5.74	5.55
iv) Net Interest Margin (%)	2.85	2.45
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.37	0.78
vi) Return on Assets (%)	0.67	0.41
vii) Business (deposits plus advances) per employee (in INR Crore)	25.71	23.35
viii) Profit per employee (in INR Crore)	0.11	0.07

b) Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

	(Rs. in crore)	
	2024-25	2023-24
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	23.08	23.70
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	4.04	3.59

c) Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Marketing and Distribution Function (Excluding Bancassurance Business)

(Rs. in crore)

	2024-25	2023-24
Commission on Sovereign Gold Bond Scheme	0.00	0.46
Commission on ASBA	0.03	0.01
Commission on SBICPSL	0.52	0.81
Commission on APY	1.50	1.19
Commission on FISDOM	0.01	0.00

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

Bank has purchased Priority Sector Lending Certificate (PSLC) Agriculture of Rs. 1600 Crore and Rs. 2695 Crore during the quarter and year ended March 31, 2025 respectively and Priority Sector Lending Certificate (PSLC) – Small & Marginal Farmers of Rs. 800 Crore during year ended March 31, 2025.

Bank has sold 1200 units under Priority Sector Lending certificates (PSLCs) to the tune of Rs 300.00 crore under Small & Marginal farmers and earned commission income of Rs 6.75 crore during year ended 31st March 2024.

Bank has sold 3400 units under Priority Sector Lending certificates (PSLCs) to the tune of Rs.850.00 crore under Small & marginal farmers and earned commission income of Rs.9.74 Crore during the year ended 31.03.2023.

Further, Bank has purchased 20440 units (12000 units in Agriculture and 8440 units in small & Marginal Farmers) under Agriculture and Small & Marginal farmers and incurred cost of Rs. 23.23 crore (Rs. 8.99 crore in Agriculture and Rs. 14.24 crore in Small & Marginal farmers) during year ended 31st March 2024.

e) Provisions and contingencies

(Rs. in crore)

Provision debited to Profit and Loss Account	2024-25	2023-24
Provisions for NPI	(29.83)	352.86
Provision towards NPA	176.48	(178.80)
Provision made towards Income tax	321.72	341.56
Other Provisions and Contingencies (with details)	590.72	19.90

(Rs. in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2024-25	2023-24
Provision for Non Performing Advances	176.48	(178.80)
Provision for Standard Advances	115.08	(73.61)
Provision for diminution in FV Restructured Advances	(0.50)	(0.79)

Provision for Non Performing Investments	(29.83)	352.86
Provision for Fraud	0.00	0.22
Rebate on Advances	417.91	41.35
Other Provisions	58.23	52.73
Provision for Taxation:		
Current Tax	0.00	220.45
Deferred Tax	321.72	224.02
MAT Credit Entitlement-Current Year	0.00	(102.91)
MAT Credit Entitlement Reversed	0.00	0.00
Total	1059.09	535.52

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (IndAS)

Bank is complying with the reporting requirements of statutory authorities in relation to IND-AS. The Proforma Ind AS Financial Statements are being submitted to RBI on half yearly basis. Bank has on boarded a consultant having considerable experience in the field of implementation of IND-AS. The consultant is assisting the bank in devising a road map with respect to smooth implementation of Ind AS.

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(Rs. in crore)			
Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	172.23	158.14
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	0.00	0.00

h) Disclosure of facilities granted to directors and their relatives : Not Applicable to bank

i) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The estimated additional Pension liability on account of revision in family pension was Rs 236.84 crore. RBI vide its Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, had permitted all member Banks of Indian Banks Association to amortize the said additional liability over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being charged every year. The Bank is amortizing the said liability over a period, not exceeding 5 years commencing from the financial year ended 31st March 2022, subject to a minimum of Rs 47.37 crore every year. Balance unamortized amount as on 31st March 2024 was Rs.94.73 crore. Accordingly, the Bank has charged an amount of Rs.11.37 crore and Rs.47.37 crore to the Profit & Loss account during current quarter and year ended 31st March 2025 respectively and the balance unamortized amount of Rs.47.37 crore has been carried forward. Had the Bank charged the entire additional liability to the Profit and Loss Account, the net profit (after tax) for the quarter and year ended 31st March 2025 would have been lower by Rs.30.82 crore.

j) Disclosure of Letter of Comfort (LOCs) issued by Banks

During FY 2024-25, Letter of Comfort (LoC) issued amounting to Rs. Nil against credit facility including Non Fund facility taken over from other banks.

Letter of Comfort (LOC) amounting to Rs. 3.45 crore, issued to other Banks for Non fund credit facilities, which are a part of total credit facilities (Funded/Non funded) issued to the borrowers and outstanding as on 31.03.2024.

k) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

(Amount in INR Crore)			
Particulars	March 31, 2025	March 31, 2024	Cumulative
Total green deposits raised (A)	2.73	0.00	2.73
Use of green deposit funds			
(1) Renewable Energy	0.00	0.00	0.00
(2) Energy Efficiency	0.00	0.00	0.00
(3) Clean Transportation	2.73	0.00	2.73
(4) Climate Change Adaptation	0.00	0.00	0.00
(5) Sustainable Water and Waste Management	0.00	0.00	0.00
(6) Pollution Prevention and Control	0.00	0.00	0.00
(7) Green Buildings	0.00	0.00	0.00
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	0.00	0.00	0.00
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	0.00	0.00	0.00
Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	2.73	0.00	2.73
Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	0.00	0.00	0.00
Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities / projects	0.00	0.00	0.00

Disclosure in terms of RBI circular no.DOR.ACC.RECNo.45/21.04.018/2021-22 dated April 01, 2024:

- i) Items under the subhead “Miscellaneous Income” under the head “Schedule 14 – Other Income” exceeding 1% of Total Income:

(Rs. in crore)					
S. No.	Particulars	2024-25	% out of Total Income	2023-24	% out of Total Income
1	Recovery in Technical Write Off Accounts	550.79	4.22	691.42	6.33
2	Miscellaneous Income	231.84	1.78	143.36	1.31

- ii) Items under the subhead “Other Expenditure” under the head “Schedule 16 – Operating Expenses” exceeding 1% of Total Income: NIL
- iii) Items under the head “Schedule 5(IV) – Other Liabilities and Provisions- “Others (including provisions)” exceeding 1% of Total Assets: NIL
- iv) Items under the head “Schedule 11(VI) – Other Assets - “Others” exceeding 1% (one percent) of Total Assets

S. No.	Particulars	2024-25	% out of Total Assets	2023-24	% out of Total Assets
1	Rural Infrastructure Development Fund [RIDF]	1368.64	0.85	1673.84	1.13

iv) Items under the head "Schedule 11(VI) – Other Assets - "Others" exceeding 1% (one percent) of Total Assets

15. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

15.1 AS-3 Cash Flow Statement

The Bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

15.2 AS-5 Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

15.2.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

15.3 AS-9 Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. D.1 – "Revenue Recognition" of **Schedule 17 – Significant Accounting Policies**. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

15.4 AS-10 Property Plant & Equipment/ Fixed Assets

The bank has conducted revaluation of its immovable properties during the previous year 2023-24 based on the reports obtained from the external independent valuers. The closing balance of Revaluation Reserve as on 31.03.2025 (Net of amount transferred to revenue reserve) is Rs. 1063.46 crore (Previous year Rs. 1066.39 crore).

Premises includes Capital work in progress of Rs. 6.25 Crore as on 31.03.2025 (in the previous year as on 31.03.2024, Rs. 37.26 Crore).

15.5 AS 15 - Employees Benefit

Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) Employees Benefits issued by the ICAI.

The summarized position of post-employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave (Funded)	Encashment
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	4913.43	4698.52	349.43	321.37	307.80	272.22
Interest cost	308.32	319.23	23.13	21.96	20.57	18.91
Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current service cost	186.98	195.63	31.22	26.73	74.74	58.18
Benefits paid	(554.13)	(517.03)	(37.16)	(34.39)	(27.14)	(20.49)

Actuarial loss/ (gain) on obligations	175.25	217.08	104.79	13.76	9.19	(21.02)
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	5029.85	4913.43	471.40	349.43	385.15	307.80

Changes in the Fair Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave (Funded)	Encashment
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Fair value of Plan Assets as at 1st April	4664.41	4432.10	340.09	318.26	288.23	269.60
Expected return of Plan Assets	372.69	354.12	27.20	25.56	24.90	18.63
Contributions	372.62	381.81	103.04	28.11	76.17	20.62
Benefits paid	(554.13)	(517.03)	(37.16)	(34.39)	(27.14)	(20.49)
Actuarial gain/(loss)	(1.30)	13.41	3.66	2.55	0.51	(0.13)
Fair value of Plan Assets as at 31st March	4854.29	4664.41	436.84	340.09	362.67	288.23
Actual return on Plan Assets	371.39	367.53	30.86	28.11	25.41	18.50

Net Actuarial Loss/ (Gain)

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave (Funded)	Encashment
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	175.56	217.08	104.79	13.76	9.19	(21.02)
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	1.30	(13.41)	(3.66)	(2.55)	(0.51)	0.13
Net Actuarial loss/(gain)	176.86	203.67	101.12	11.21	8.68	(20.89)
Actuarial loss/(gain) recognized in the period (A+B)	176.86	203.67	101.12	11.21	8.68	(20.89)
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Amount recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave (Funded)	Encashment
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	5029.85	4913.43	471.40	349.43	385.15	307.80
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	4854.29	4664.41	436.84	340.09	362.67	288.23
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(175.56)	(249.02)	(34.56)	(9.34)	(22.48)	(19.57)

Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	--	--	--	--	--	--
Unrecognized transitional liability	---	---	---	---	---	---
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(175.56*)	(249.02)*	(34.56)	(9.34)	(22.48)	(19.57)

* including deferred Family pension liability of Rs. 47.37 Crore (Rs. 94.73 Crore for previous year)

Expenses recognized in the Profit & Loss Account

Particulars	(Rs. in crore)					
	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave (Funded)	Encashment
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Current service cost	186.98	195.63	31.22	26.73	74.74	58.18
Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
Interest cost	308.32	319.23	23.12	21.96	20.57	18.91
Expected return on plan assets	(372.67)	(354.12)	(27.20)	(25.56)	(24.90)	(18.63)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	176.54	203.67	101.12	11.21	8.68	(20.89)
Deferred Pension Expenditure	--	--	--	--	--	--
Net (Benefit)/ Expense	299.16	364.41	128.27	34.34	79.08	37.57

Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

Particulars	(Rs. in crore)					
	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave (Funded)	Encashment
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Opening net Liability/(Asset)	249.02	266.42	9.34	3.11	19.57	2.62
Add: Deferred Pension Expenditure	--	--	--	--	--	--
Add: Net benefit expense	299.16	364.41	128.27	34.34	79.08	37.57
Less: Contribution paid	372.62	381.81	103.04	28.11	76.17	20.62
Closing liability/(Asset)	175.56	249.02	34.56	9.34	22.48	19.57
Add: Higher Provisioning Kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Closing liability/(Asset)	175.56*	249.02*	34.56	9.34	22.48	19.57

* including deferred Family pension liability of Rs. 47.37 Crore (Rs. 94.73 Crore for previous year)

Investment percentage maintained by the trust

Particulars	(in % age)					
	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave (Funded)	Encashment
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Central Government Securities	4.21	5.73	-	--	--	--
State Government Securities	7.83	9.12	15.74	19.85	--	--
High Safety Bonds/TDRs	7.75	9.64	15.66	19.62	93.29	88.86
Other investments	80.21	75.51	68.60	60.53	6.71	11.14

Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave (Funded)	Encashment
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Discount rate	6.65	7.19	6.99	7.22	6.99	7.22
Expected rate of return on plan assets	7.99	7.99	8.00	8.03	8.64	6.91
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mortality Table	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

(in % age)

Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future increase in salary is considered in actuarial valuation taking into account inflation, seniority, promotion, and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.
Mortality Table	A mortality table, also known as a life table or actuarial table, shows the rate of deaths occurring in a defined population during a selected time interval, or survival rates from birth to death.

Other long term employee benefit (Non funded)

Particulars	LTC/LFC Encashment		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present Value of Obligation	8.00	7.75	1.47	1.39	1.25	0.81	1.32	1.28
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

(Rs. in crore)

Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	8.00	7.75	1.47	1.39	1.25	0.81	1.32	1.28

Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment		Silver jubilee Bonus		Retirement Gifts	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Discount Rate	6.99	7.22	6.99	7.22	6.99	7.22
Expected rate of return on plan assets	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rate of escalation	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mortality Table	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

15.6 AS 17 – Segment Reporting:**Part A: Business Segment**

(Rs. in crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other banking Business		Total	
	Current year	Previous year	Current Year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Revenue	3599.53	2667.42	4224.70	3967.80	5194.84	4251.75	29.88	28.48	13048.95	10915.45
Result	889.77	553.36	937.37	683.49	1152.63	732.40	29.88	28.48	3009.65	1997.73
Unallocated Expenses									934.73	866.79
Operating Profit									2074.92	1130.94
Provisions & Contingencies									737.37	193.96
Income taxes									321.72	341.56
Extraordinary	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Profit/Loss										
Net Profit									1015.83	595.42
Other Information										
Segment assets	47653.22	50360.82	49987.58	45386.04	61466.49	48634.09	0.00	0.00	159107.29	144380.95
Unallocated assets									2707.88	3275.58
Total assets									161815.17	147656.53
Segment Liabilities	44033.12	46069.25	46190.14	41518.41	56797.02	44489.67	0.00	0.00	147020.28	132077.33
Unallocated Liabilities									1440.13	45.77
Total Liabilities									148460.41	132123.10

S. No.	Particulars	Segment Revenue		Segment Results		Segment Assets		Segment Liabilities	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1.	Digital Banking	0.29	0.17	(1.49)	(1.36)	2.18	1.58	3.67	2.94
2.	Other Retail Banking	5194.55	4251.58	1154.12	733.76	61464.31	48632.51	56793.35	44486.73
3.	Retail Banking	5194.84	4251.75	1152.63	732.40	61466.49	48634.09	56797.02	44489.67

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking (further classified into Digital Banking and Other Retail banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Part B Geographical Segment:

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

15.7AS 18 – Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

Sh. Swarup Kumar Saha	Managing Director & CEO
Sh. Kollegal V Raghavendra	Executive Director up to 30.06.2023
Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director up to 30.04.2024
Sh. Ravi Mehra	Executive Director w.e.f. 09.10.2023
Sh. Rajeeva	Executive Director w.e.f. 09.08.2024

Related party to KMP

Dr. Ram Jass Yadav	Smt. Krishna Yadav	Spouse
	Sh. Saurabh Yadav	Son
Mr. Ravi Mehra	Smt. Babita Mehra	Spouse
	Ms. Nandini Mehra	Daughter
	Ms. Paranjaya Mehra	Daughter
Sh. Swarup Kumar Saha	Sh. Sumit Saha	Son

(Rs. in laes)

Items/ Related Party	Key Management Personnel & their relatives	Key Management Personnel & their relatives
Balance Outstanding	31.03.2025	31.03.2024
Deposits	110.30	205.31
Advances	48.00	59.24
Transaction made during the year		
Interest Paid	5.44	5.05
Interest Received	1.72	3.04
Remuneration Paid (refer detail below)	107.73	112.50
Sh. Swarup Kumar Saha	40.37	42.35
Sh. Kollegal V Raghavendra	0.00	12.66
Dr. Ram Jass Yadav (30.04.2024)	3.22	38.61
Sh. Rajeeva	22.22	0.00
Sh. Ravi Mehra	41.92	18.88

Note: Related party relationship is as identified by the Bank and relied upon by the Auditors.

Outstanding as on 31.03.2025:

(Amount in INR Crore)

Items/Related Party	Parent (as per Ownership or Control)	Subsidiaries	Associates/joint Ventures	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings						
Deposits				1.06	0.00	
Placement of deposits						
Advances				0.09	0.12	



Investments						
Non-funded commitments						
Leasing/HP arrangements availed						
Leasing/HP arrangements Provided						
Purchase of fixed assets						
Sale of fixed assets						
Interest Paid				0.06	0.00	
Interest received				0.00	0.01	
Rendering of Services						
Receiving of services						
Management Contracts						

15.8 AS 19 – Leases

Operating lease primarily comprise of office premises and staff residencies, which are renewable at the option of the Bank/Lessor normally at the end of lease period.

- As per information available, non-cancellable lease as on 31.03.2025: NIL (Previous Year: NIL).
- Amount of lease payments recognized under Schedule – 16 –“II. Rent, taxes and lighting” in Profit and Loss Account for operating leases is as under:

(Rs.in crore)	
Current Year ended 31.03.2025	Previous Year ended 31.03.2024
146.90	139.23

15.9 AS 20 - Earning Per Share

(Rs.in crore)		
Particulars	2024-25	2023-24
Net Profit After tax available for equity Shareholders	1015.83	595.42
Weighted Average Number of Equity Shares (in crore)	678.13	677.78
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	1.50	0.88
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

15.10 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

15.11 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

15.11.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI

15.11.2 Major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as under:

		(Rs. in crore)			
Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1	Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	18.63	13.80
2	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	0.00	0.00	73.67	73.67
3	Provision for NPA on Investments	273.12	283.54	0.00	0.00
4	Provision for Wage Revision	0.00	105.01	0.00	0.00
5	Provision for Advances	974.73	1318.55	0.00	0.00
6	Provision for diminution in FV of Restructured Advances	43.03	0.60	0.00	0.00
7	Accumulated loss	142.53	0.00	0.00	0.00
	Total	1390.81	1707.70	92.29	87.47

15.11.3 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favourable judicial pronouncements.

15.11.4 Review of Deferred Tax Assets has been carried out based on Bank management's estimate of possible tax benefits against timing difference in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and Net Deferred Tax Assets of Rs.1298.52 crore is recognized as at 31st March 2025 (Rs.1620.23 crore as at 31st March 2024).

15.11.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of tax litigation aggregating to Rs.977.18 crore (Previous year Rs.887.01 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

15.11.6 The Government of India, vide the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019, inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 w.e.f. April 1, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of The Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the Taxes on Income for the year ended 31.03.2025 as per the earlier provisions.

15.12 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 23 is not applicable.

15.13AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

15.14 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2025/31.03.2024, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets including advances has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

15.15 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

15.15.1As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for—

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- b) Any present obligation from the past events but is not recognized because
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

15.15.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	29.63	26.96	34.52	2.71	4.09	0.04	60.06	29.63
Invoked Bank Guarantees	8.03	7.65	Nil	0.38	0.38	Nil	7.65	8.03
L.C Devolved	Nil							

15.16 Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

16. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Guideline given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during FY 2024-25 and payments have been made to the vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, therefore no penal interest had been paid during FY 2024-25.

17. As per the Reserve Bank of India directions for initiating Insolvency Process- Provisioning Norms, vide letter No. DBR. No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017, and DBR.No.BP.1907/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017, the bank is holding the provisioning of Rs.230.05 Crore (31st March, 2024- Rs. 230.05 Crore) as against the balance outstanding of Rs 230.05 crore (31st March, 2024 – Rs 230.05 crore) as on 31st March, 2025 in respect of NPA borrowal accounts referred in aforesaid circular.

18. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2024-25, the Bank has exceeded the LEF limits set by RBI to single borrower/ group borrower in the following cases:-

Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Limit of Exposure as per LEF (%)	Limit Liability as on 31.03.2025	Exposure (%) w.r.t. Tier-1 Capital as on 31.03.2024
NIL				

19. The bank has funded exposure of Rs.99.98 crore in two borrower's accounts which are under litigation and respective adjudicating authorities have granted stay on downgrading. The bank has made adequate provisions for the accounts.

20. Pursuant to the RBI circular dated 19th December 2023, in respect of investment in Alternate Investment Fund (AIF), NIL (Rs. 0.50 crore for FY 2023-24) provision is required during the quarter/ year ended 31st March 2025 and the same has been provided.

21. The Board of the Bank has proposed dividend @ 0.70% i.e. of ₹ 0.07 per equity share (Face Value of ₹ 10/- per share) for the Financial Year 2024-25 (@2% i.e. Rs. 0.20 per equity share for FY 2023-24) in Board Meeting dated April, 29, 2025 subject to requisite approval from Shareholders.

22. The Bank is carrying a provision of Rs. 8.51 crore as on 31st March, 2025 (Rs. 9.21 Crore as on 31st March 2024) being 5% of outstanding food credit availed by the State Government of Punjab as per the RBI letter no. DBR (BP) No. 7201. 21.04.132/2017-18 dated 08.02.2018 issued to SBI, the lead bank.

23. The financial statements for the year ended 31st March, 2025 have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed in the earlier year ended 31st March, 2024 except for:

a. The classification and valuation of investments which is as per the Master Direction No. RBI/DOR/2023-24/104 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 dated 12th September, 2023 issued by Reserve Bank of India and applicable from 01st April, 2024.



On transition to the framework on 01st April, 2024, the net difference of Rs.4,249.54 crore (debit), net of tax impact, between the revised carrying value and the previous carrying value of the investment portfolio has been adjusted / debited in the General Reserve in accordance with this framework. Also, the balances in Investment Reserve Account (IRA) as of 31st March, 2024 amounting to Rs.33.32 crore has been transferred to the Revenue/ General Reserve since Bank meets the minimum regulatory requirements of IFR. Further, there is increase in income on investments and AFS Reserve by Rs. 454.72 Crore and Rs. 76.62 crores during the current year ended 31st March, 2025 respectively.

b. As per the Accounting Policy till 31st March, 2024, the recovery in non-performing assets (other than the cases covered under special schemes introduced by RBI, Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long-Term Project Loans, Change in Ownership of Borrowing Entities, Outside Strategic Debt Restructuring Scheme where subsequently the account turns NPA) was appropriated first towards principal and thereafter towards interest and charges. To ensure better financial presentation and in consonance with industry practice, the Bank during the current year 2024-25 has changed the said appropriation policy from the beginning of the year i.e. from 1st April, 2024 and accordingly has appropriated the recovery in the non-performing assets (NPA) first towards Charges, Costs etc., thereafter towards Interest irregularities /accrued Interest and then towards the principal. The same has resulted in increase in interest income and NPA by Rs.48.07 crore for the year ended 31st March, 2025 and increase in provision by Rs.23.15 crore for the year ended 31st March, 2025.

24. Accounting Standard 11 –The Effects of Changes in foreign exchange rates: Net income on account of exchange differences credited to Profit and Loss account for the year is Rs. 11.95 crore (Rs.20.91 crore).

25. The figures of previous period have been regrouped and reclassified wherever considered necessary in order to make them comparable with the figures of the current period.

PUNJAB & SIND BANK
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

Particulars	Year Ended 31.03.2025 (Current Year)	Year Ended 31.03.2024 (Previous Year)
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	1,01,58,309	59,54,199
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	1,05,90,913	53,55,170
Depreciation on Fixed Assets	14,50,846	15,00,843
Profit/Loss on Sale of Assets	1,975	(4,396)
Interest on Bonds	17,07,323	10,61,335
Transfer to/from Reserves	(45,370)	(25,447)
Increase/Decrease in Reserves on account of Fair Valuation of Investments	(4,25,88,607)	-
Operating Profit before working capital changes	(1,87,24,611)	1,38,41,704
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	10,36,44,676	9,74,40,643
Increase / (Decrease) in Borrowings	1,45,86,640	75,24,729
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	1,36,33,731	34,57,870
(Increase) / Decrease in Investments	2,69,41,810	(5,15,81,747)
(Increase)/ Decrease in Advances	(15,15,74,249)	(5,77,87,068)
(Increase) / Decrease in Other Assets	(1,80,62,439)	79,92,355
Direct Taxes Paid (Net of refund)	66,19,400	(34,24,654)
Cash Flow from Operating Activities (A)	(2,29,35,042)	1,74,63,832
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	(16,74,100)	(22,90,653)
Profit on sale of Assets	(1,975)	4,396
Cash Flow from Investing Activities (B)	(16,76,075)	(22,86,257)
C. Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	31,77,987	-
Share Premium received thereon	90,15,952	-
Preferential Issue Expenses	(1,49,421)	-
Issue of Subordinated Bonds	3,00,00,000	-
Interest on Bonds	(17,07,323)	(10,61,335)
Dividend on Equity	(13,55,557)	(32,53,337)
Cash Flow from Financing Activities (C)	3,89,81,638	(43,14,672)
Cash from Operating Activities	(2,29,35,042)	1,74,63,832
Cash from Investing Activities	(16,76,075)	(22,86,257)
Cash from Financing Activities	3,89,81,638	(43,14,672)
Increase in Cash & Cash Equivalents	1,43,70,521	1,08,62,903



Cash and Bank Balances (Opening)(Refer Schedule 6 &7)	7,38,30,119	6,29,67,216
Cash and Bank Balances (Closing)(Refer Schedule 6 &7)	8,82,00,640	7,38,30,119

Significant Accounting Policies : Schedule 17

Notes to Accounts : Schedule 18

ARNAB GOSWAMY
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHANKAR LAL AGARWAL
DIRECTOR

VIVEK SRIVASTAVA
DIRECTOR

RAJEEVA
EXECUTIVE DIRECTOR

RAJENDRA PRASAD GUPTA
DIRECTOR

RAVI MEHRA
EXECUTIVE DIRECTOR

M.G.JAYASREE
DIRECTOR

SWARUP KUMAR SAHA
MANAGING DIRECTOR & CEO

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR S. P. CHOPRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000346N

FOR GUPTA SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 001466N

(CA PRATEEK GUPTA)
PARTNER
M. NO. 566023
UDIN: 25566023BMOUR13177

(CA VINAY SARAF)
PARTNER
M. NO. 087262
UDIN: 25087262BMKQMQ2449

FOR O P TOTLA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000734C

FOR NBS & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 110100W

(CA NAVEEN KUMAR SOMANI)
PARTNER
M. NO. 429100
UDIN: 25429100BMKSQK4232

(CA PRADEEP SHETTY)
PARTNER
M. NO. 046940
UDIN: 25046940BMLNAI7539

Place: New Delhi

Dated: April 29, 2025

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer



श्री अरुण कुमार अग्रवाल
Sh. Arun Kumar Agarwal

मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Managers



श्री प्रवीण कुमार
Sh. Praveen Kumar



श्री राजेश सी पाण्डेय
Sh. Rajesh C Pandey

महाप्रबंधक / General Managers



श्री पंकज द्विवेदी /
Sh. Pankaj Dwivedi
(25.06.2025 से) / (w.e.f 25.06.2025)



श्री गोपाल कृष्ण
Sh. Gopal Krishan



श्री राजेंद्र कुमार रैगर
Sh. Rajendra Kumar Raigar



श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर
Sh. Gajraj Devi Singh Thakur



श्री चमन लाल शीहमार
Sh. Chaman Lal Shienhmar



श्रीमती रश्मिता क्वात्रा
Smt. Rashmita Kwatra



श्री मनोज कुमार
Sh. Manoj Kumar



श्री निलेंद्र के प्रभात
Sh. Nilendra K Prabhat

महाप्रबंधक / General Managers



श्री विनोद कुमार पाण्डेय
Sh. Vinod Kumar Pandey



श्री रत्नेश चन्द्र
Sh. Ratnesh Chandra



श्री संतोष कुमार नीरज
Sh. Santosh Kumar Neeraj



श्री संजय प्रकाश श्रीवास्तव
Sh. Sanjay Prakash Srivastava



श्री सतबीर सिंह
Sh. Satbir Singh



श्री अशनी कुमार
Sh. Ashni Kumar
(01.06.2025 से)
(w.e.f 01.06.2025)



श्रीमती महिमा अग्रवाल
Smt. Mahima Agarwal
(01.06.2025 से)
(w.e.f 01.06.2025)

सीएक्सओ / CXOs



श्री अर्नब गोस्वामी
Sh. Arnab Goswamy
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer



श्री धीरज कुमार गौड़
Sh. Dheeraj Kumar Gaur
मुख्य जोखिम अधिकारी
Chief Risk Officer



श्री रवि गुप्ता
Sh. Ravi Gupta
मुख्य अनुपालन अधिकारी
Chief Compliance Officer



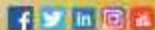
श्री प्रेम चंद
Sh. Prem Chand
मुख्य तकनीकी अधिकारी
Chief Technical Officer



TOLL FREE : 1800 419 8300

Website : <https://punjabandsindbank.co.in>

Follow us @PSBIndOfficial



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : 21ए राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008ए फोन : 011.25720849, 25812922, ई-मेलरू बवउचसपंदबमवापिबमत/वेडणबवणपद